विशेषांक
UPBIL 04831
संयुक्तांक
फरवरी-मार्च 2020
मूल्य ₹100

संस्कृति पर्व

संस्कृति, साहित्य, अध्यात्म और जीवन दर्शन की मासिक द्विभाषी पत्रिका

sanskritiparva

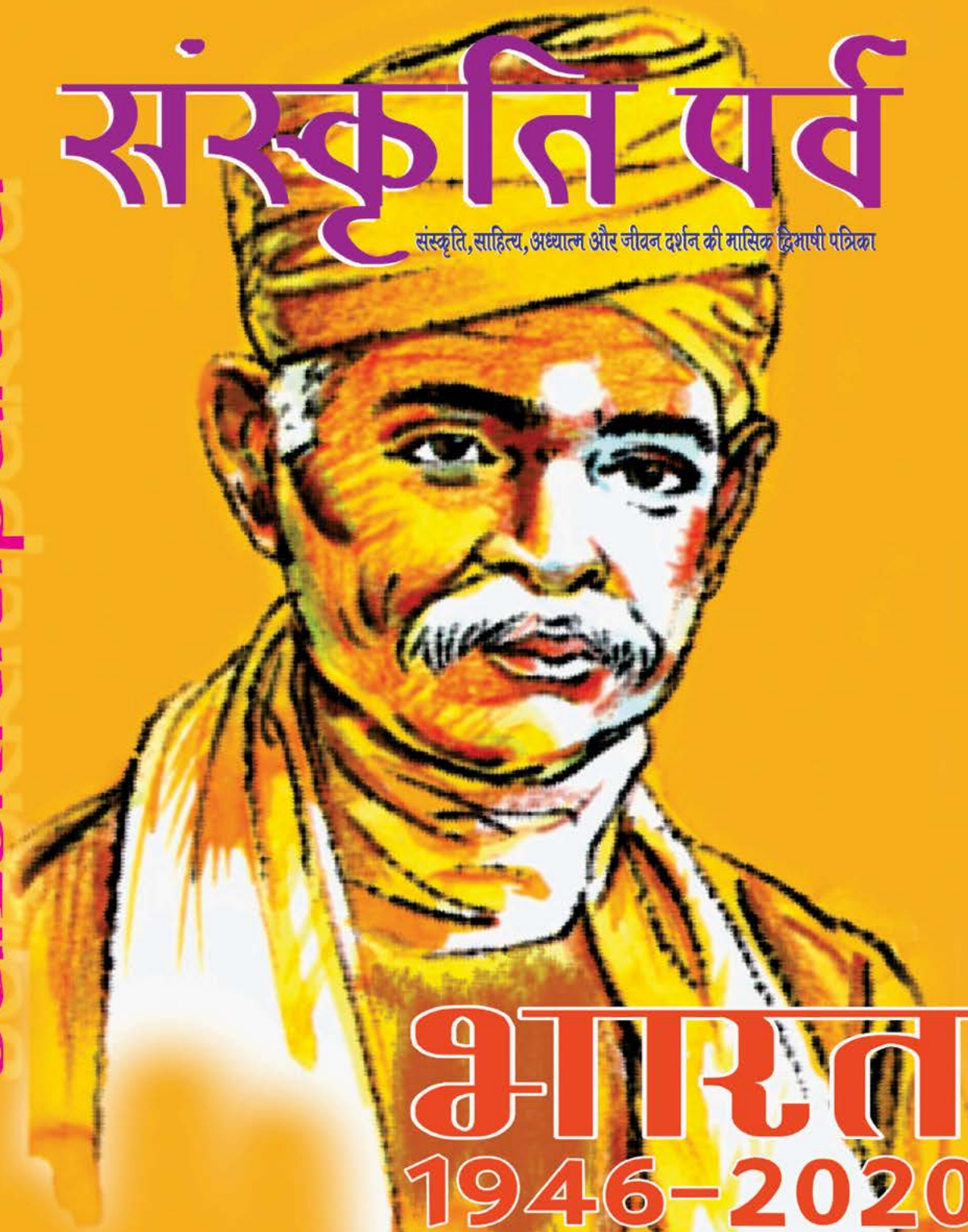

भारत 1946-2020

नोआखाली से दिल्ली तक

हरी प्रसाद गोपी कृष्ण सराफ प्रा. लि. वेन्चर

गोरखपुर: गोपी गली, हिन्दी बाज़ार । ऐश्प्रा क्रासिंग, पार्क रोड

TOLL FREE : 1800 120 1299 • देवरिया । पडरौना । बस्ती । बलिया । आजमगढ़ । लखनऊ । मुम्बई • AISSHPRA JEWELLERY

ई-संस्करण का लोकार्पण

15 मई 2020

नई पीढ़ी को विस्मृत इतिहास से जोड़ने की कोशिश : अमित शाह

गीता प्रेस और भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार की परमपरा को आगे बढ़ा रही है संस्कृति पर्व पत्रिका

संस्कृति पर्व के इस विशेष अंक के ई-संस्करण का लोकार्पण भारत के गृहमंत्री अमित शाह ने 15 मई 2020 को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से किया। देश में कोरोना संकट के कारण किये गए लॉकडाउन के बीच यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर गृहमंत्री ने संस्कृति पर्व के इस विशेष अंक को लेकर विशेष व्याख्यान दिया। हम प्रयास कर रहे हैं कि जब यह अंक प्रिंट के रूप में सामने आ रहा है तो पाठकों तक गृहमंत्री के उद्बोधन के शब्द उसी रूप में पहुंच सके। गृहमंत्री का यह उद्बोधन संस्कृति पर्व के इस विशेष अंक के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि संस्कृति पर्व के प्रकाशन के तीसरे वर्ष में प्रवेश का यह पहला अंक है और संस्कृति पर्व की इस यात्रा को गृहमंत्री ने अत्यंत गंभीरता से रेखांकित किया है। देश में अत्यंत संकटकाल होते हुए भी उन्होने संस्कृति पर्व के इस प्रयास को महत्व देते हुए इसके लोकार्पण के लिए अपना अमूल्य समय दिया, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की सनातन संस्कृति, दर्शन, इतिहास और अध्यात्म के प्रति गृहमंत्री की संवेदना प्रणम्य है। हम उनके प्रति हृदय से आभारी हैं।

सम्पादक

यह अतिशय प्रसन्नता की बात है कि मासिक पत्रिका संस्कृति पर्व द्वारा प्रकाशित एक अति विशिष्ट अंक के ई-संस्करण का लोकार्पण आज हो रहा है। मेरे लिए गर्व का विषेय है कि मैं इस कार्यक्रम में शामिल हूँ। संस्कृति पर्व का यह विशेषांक महामना अंक के रूप में प्रकशित हो रहा है। महामना को चाहने वाले हम सभी लोगों के लिए गर्व की बात है।

नोआखाली से दिल्ली तक शीर्षक के इस अंक में भारतरत्न महामना पं. मदन मोहन मालवीय जी का अंतिम वक्तव्य, जो 1946 के कल्याण के विशेषांक में छपा था, उसे पुनः वाचकों के लिए इस विशेषांक में प्रकाशित किया गया है। यह सभी वाचकों को उस समय की याद दिलाएगा। साथ में करपात्री जी महाराज, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जयदयाल जी गोयन्दका जी और डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का वक्तव्य को भी पुनः वाचकों के सामने प्रस्तुत जा रहा है।

इस विशिष्ट अंक का प्रिंट संस्करण लॉकडाउन खुलते ही प्रकाशित किया जाएगा ऐसा मुझे बताया गया है। मैं भी राह देखूँगा कि प्रिंट संस्करण जल्दी से जल्दी आए, लेकिन ई-संस्करण के माध्यम से सभी वाचक इसे तब तक पढ़ पाएंगे और 1946 की भारत की स्थिति को समझ पाएंगे। जब लोग भारत की 1946 की स्थिति को समझ पाएंगे तभी वे आने वाले 21वीं सदी के भारत को भी ठीक से समझ पाएंगे इसलिए विशेषकर, देश के युवाओं से मेरा आग्रह है कि वे इस अंक को जरुर पढ़ें। नई पीढ़ी ओने वाले दिनों में इससे सबक लेते हुए देश को गलत रास्ते पर न ले जाये और उस गलती को न दोहराए जो पहले हो चुकी है।

संस्कृति पर्व पत्रिका भारतीय सनातन संस्कृति, दर्शन, साहित्य एवं अध्यात्म के विषयों पर केन्द्रित है और इसका प्रकाशन पिछले दो वर्षों से हो रहा है। अभी तक प्रकाशित अंकों से अलग हट कर संस्कृति पर्व के इस विशेष अंक को प्रकाशित किया गया है। देश मे विगत कुछ महीनों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके कारण यह विशेषांक अपने आप में विशेष हो गया है। संस्कृति पर्व के इस अंक में प्रकाशित सामग्री को जुटाने और उसको प्रामाणिक बनाने के लिए संपादकीय टीम ने काफी परिश्रम किया है। मैं इसकी अनुमोदना करता हूँ और और इसको एक्नॉलेज भी करता हूँ। इस कार्य मे भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के परिवार और गीता प्रेस संस्थान का सहयोग अपूर्णनीय है। पत्रिका का यह अंक भारत के इतिहास के ऐसे पन्नों से वाचकों को जोड़ेगा जिसके बारे में बहुत कुछ स्पष्ट रूप से अभी तक सामने नही आया है। विशेषकर आज की युवा पीढ़ी को याद भी नहीं है। इस महान कार्य के लिए संस्कृति पर्व की पूरी टीम को मैं ह्रदय से बधाई देना चाहता हूँ।

यह अत्यंत हर्ष की बात है कि भाईजी हनुमान प्रसाद पोद्दार ने जिस तरह गीता प्रेस से कल्याण का प्रकाशन किया उसी तरह संस्कृति पर्व उनकी जैसी विचार शैली और आध्यात्मिक पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जो देश में आने वाले दिनों में नए कीर्तिमान बनाएगा।

संस्कृति पर्व का यह विशेषांक जिसका लोकार्पण हो रहा है इसमें कल्याण पत्रिका के अक्टूबर 1946 के अंक को समाहित किया गया है। कल्याण के उस अंक को भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के प्रपौत्र रसेंदु जी ने उपलब्ध कराया है इसलिए रसेंदु जी को बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।

भाईजी हनुमान प्रसाद पोद्दार ने जिस तरह गीता प्रेस से कल्याण का प्रकाशन किया उसी तरह संस्कृति पर्व उनकी जैसी विचार शैली और आध्यात्मिक पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जो देश में आने वाले दिनों में नए कीर्तिमान बनाएगा।

गीताप्रेस शब्द जेहन में आते ही जैसा मैने आगे बताया है कि एक तस्वीर उभरकर सामने आती है और मानस को भारतीयता से भर देती है। भारत वर्ष की महान प्राचीन गौरवशाली परम्परा और आधार ग्रंथो के बारे में यदि पूरी दुनिया को आज कोई भी जानकारी मिल सकती है तो इसका श्रोत केवल और केवल गीता प्रेस है। भाई जी ने जो अभियान शुरू किया है वह युवाओं को फिर से एक बार वेदों के रास्ते पर, उपनिषद के रास्ते पर ले जाएगा इसका मुझे अनुमान है।

पर्व त्यौहारों से लेकर लघुसिद्धान्त कौमुदी, पुराणो, उपनिषदों और सभी आर्ष ग्रंथों की प्रमाणिकता तब तक सिद्ध नहीं मानी जाती जब तक उनकी पुष्टि गीता प्रेस के प्रकाशन से नहीं हो जाती। आम भारतीय अपनी हर आस्तिक और आर्ष जिज्ञासा को शांत करने के लिए गीता प्रेस की शरण में ही आता है। आज मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो शायद अपने जीवन में संस्कृत नहीं पढ़ पाए मगर उपनिषद का भाव भी समझे और भावार्थ भी समझे और उसके बताए रास्ते पर चले जिसका एकमात्र माध्यम गीता प्रेस है। वह चाहे मानस के अनुत्तरित प्रश्न हों या गीता और श्रीमद्भागवत के गूढ़ रहस्य, या फिर उपनिषद् की मीमांसा या लघुसिद्धान्त कौमुदी और भारतीय व्याकरण के सूत्र या फिर दैनिक पूजा पाठ की समस्या, इन सभी का निराकरण कहीं न कहीं गीता प्रेस ने भारतीय समाज को दिया है या फिर कोई भी ऐसी शंका जिसको जानना जरुरी है, सभी का समाधान गीता प्रेस ने ही किया है। गीताप्रेस पूर्व में वेद के किसी पुस्तक का प्रकाशन नहीं करता था। अब यहाँ शुक्ल यजुर्वेद के प्रकाशन पर कार्य शुरू होने जा रहा है यह मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है और करोड़ों वेद प्रेमियों के लिए फिर से एक नया रास्ता प्रशस्त करने वाला होगा। वास्तव में गीता प्रेस वह बिंदु बन चुका है जिसे भारतीयता की गंगोत्री कह सकते हैं क्योकि मानस की कथा हो या कृष्ण चरित्र की गाथा हो या गीता का ज्ञान हो, हर कथामृत रूपी गंगा इसी गंगोत्री से होकर भारत के हर कोणों तक पहुँची है । कल्पना कीजिये गीता प्रेस न होता तो रामचरितमानस और श्रीमद्भगवतगीता जैसे ग्रन्थ हर हिन्दू को कैसे उपलब्ध हो पाते, यह नामुमकीन था।

“इस विशिष्ट अंक का प्रिंट संस्करण लॉकडाउन खुलते ही प्रकाशित किया जाएगा ऐसा मुझे बताया गया है। मैं भी राह देखूँगा कि प्रिंट संस्करण जल्दी से जल्दी आए, लेकिन ई-संस्करण के माध्यम से सभी वाचक इसे तब तक पढ़ पाएंगे और 1946 की भारत की स्थिति को समझ पाएंगे। जब लोग भारत की 1946 की स्थिति को समझ पाएंगे तभी वे आने वाले 21वीं सदी के भारत को भी ठीक से समझ पाएंगे इसलिए विशेषकर, देश के युवाओं से मेरा आग्रह है कि वे इस अंक को जरुर पढ़ें। नई पीढ़ी ओने वाले दिनों में इससे सकब लेते हुए देश को गलत रास्ते पर न ले जाये और उस गलती को न दोहराए जो पहले हो चुकी है।”

जब देश मे स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, तब भारतीय सनातन संस्कृति को आधार बना कर भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रकाशन एवं पत्रकारिता की एक अनूठी नींव रखी थी । पोद्दार जी के बाद उस धरातल पर काम करने की परम्परा एक सम्पादक के रूप में संजय तिवारी और संस्कृति पर्व जैसी पत्रिका आगे बढ़ा रही है

यह कोई सामान्य घटना नहीं है कि लगभग एक हज़ार साल के गुलाम भारत के मानस को उसके प्राचीन गौरव से आज भी हम जोड़ कर रख पाए हैं और इसका पूरा श्रेय मैं भाईजी हनुमान प्रसाद पोद्दार और गीता प्रेस की परंपरा को ग्रहण करने वाले वाले सभी लोगों को देना चाहूँगा। आज ऐसा भारत बनाया जा चुका है जहां से पूरी दुनिया आध्यात्म, संस्कृति और सदाचार की शिक्षा ले रही है। आज यदि दुनिया योग दिवस मना रही है तो इसके पीछे भी पतंजलि के योग सूत्र से जुड़े हर साहित्य की उपलब्धता ही है जिसको इसी संस्था ने संभव बनाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने भारतीय संस्कृति का ध्वजवाहक बनकर पूरे विश्व के अंदर हमारी संस्कृति को पहुंचाने का काम किया है मगर इस प्रयास की शाब्दिकता और प्रामाणिकता सिद्ध करने का काम हमेशा से गीता प्रेस ने किया है। भारत को आज दुनिया जिन कारणों से पसंद करने लगी है और दुनिया की कई सारी समस्याओं का समाधान भारत में दिखने लगा है उसका प्रमुख कारण हमारी परंपरा और संस्कृति ही है।

यह अद्भुत है कि आज के इस घोर आर्थिक युग में कोई संस्था बिना लाभ के हर साल 66 करोड़ पुस्तकें उस दाम पर बेच रही है जिस दाम पर सादा कागज़ भी नहीं मिल सकता है। पूज्य भाई जी ने जो परंपरा शुरू की है मैं मानता हूँ भारत कि भारत के संस्कार को सुदृढ करने में इसका अपूर्णनीय योगदान है।

इस संस्थान की स्थापना के बाद जब भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कल्याण पत्रिका का पहला अंक महात्मा गांधी के सामने रखा तो गांधीजी ने उनको सुझाव दिया था कि इस पत्रिका में कभी भी कोई विज्ञापन और किसी प्रकार की पुस्तक की समीक्षा न प्रकाशित तो बेहतर होगा।

गीताप्रेस यदि चाहता तो केवल कल्याण के अंको के विज्ञापन से करोड़ो रुपये कमा सकता था लेकिन आरम्भ में ही स्थापित सिद्धांत से आज भी इस संस्था ने कोई समझौता नहीं किया है। यह सभी प्रकाशकों तथा पाठकों को लिए अनुकरणीय बात है। इस समय गीता प्रेस से 15 भारतीय भाषाओं में 1880 प्रकार की पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है। भाषा की सीमा को भी लांघकर गीता प्रेस देश के हर हिस्से में पहुँचा है। यह दुनिया का शायद अकेला ऐसा संस्थान है जहां इतनी पुस्तकें एक ही कैंपस से प्रकाशित हो रही है और बह कैंपस मुनाफे का ध्येय नहीं रखता है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रन्थ है जो

धर्म, अध्यात्म और दर्शन के साथ साथ अपने वास्तविक इतिहास की स्थापना भी बहुत जरूरी है। संस्कृति पर्व इस लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। मैं सांस्कृतिक पर्व के सम्पादक संजय तिवारी उनकी पूरी सम्पादकीय टीम, लेखकों एवं वाचकों को भी बधाई देना चाहता हूँ और अनेक साधुवाद देना चाहता हूँ।

अकेले ही 9 भाषाओ में छप रहा है।

जब देश मे स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, तब भारतीय सनातन संस्कृति को आधार बना कर भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रकाशन एवं पत्रकारिता की एक अनूठी नींव रखी थी । पोद्दार जी के बाद उस धरातल पर काम करने की परम्परा एक सम्पादक के रूप में संजय तिवारी और संस्कृति पर्व जैसी पत्रिका आगे बढ़ा रही है मुझे विश्वास है कि यहा परंपरा आने वाले दिनों में भारत की 21वीं सदी का मार्ग और भी प्रशस्त रहेगी। धर्म, अध्यात्म और दर्शन के साथ साथ अपने वास्तविक इतिहास की स्थापना भी बहुत जरूरी है। संस्कृति पर्व इस लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। मैं सांस्कृतिक पर्व के सम्पादक संजय तिवारी उनकी पूरी सम्पादकीय टीम, लेखकों एवं वाचकों को भी बधाई देना चाहता हूँ और अनेक साधुवाद देना चाहता हूँ।

भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार आधुनिक भारत के सांस्कृतिक इतिहास के महाप्रणेता हैं। वह भारत की स्वाधीनता संग्राम के योद्धा तो थे ही, उससे भी बहुत बड़े वह सनातन संस्कृति के संवाहक बनकर संस्कृति को आगे बढ़ाने की लड़ाई भी बखूबी लड़े। जिन समय देश देश में ब्रिटिश हुकूमत से स्वाधीन होने का युद्ध चल रहा था ठीक उसी समय भाई जी भारत की महान सनातन संस्कृति को उसके मूल रूप में स्थापित करने और एक हजार वर्षों की पराधीनता से भारतीयता को मुक्त कराने का युद्ध लड़ रहे थे। यदि भाई जी ने यह कार्य न किया होता तो देश तो स्वाधीन हो चुका होता लेकिन सनातन संस्कृति ओर भारतीयत के लिए मार्ग कठिन हो जाता।

भाई जी की सृजन शैली और रचना धर्म के आधार को स्वयं उन्हीं के शब्दों में समझा जा सकता है –

"लिखता लिखवाता वही, करता करवाता वही।

पता नहीं क्या गलत है, पता नहीं क्या है सही।।"

मुझे नहीं लगता कि इतना समर्पण भाव भाई जी के अलावा किसी और में देखा गया हो। कलकत्ता में वह स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों अरविंद घोष, देशबंधु चितरंजन दास, पं.झाबरमल शर्मा के साथ संपर्क में आए और आजादी आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया। वीर सावरकर द्वारा लिखे गए '1857 का स्वातंत्र समर' से भाई जी बहुत प्रभावित हुए और उसके बाद वह वीर सावरकर जी के

संपर्क में आए।

उन्होंने विदेशी वस्तुओं और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। युवा अवस्था में ही वह प्रचार प्रसार में लग गये और खादी और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना शुरु कर दिया। आज हमारे प्रधानमंत्री लोकल के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। वह दुनिया के लिए स्वदेशी को देश के सामने लेकर आए हैं मुझे लगता है कि भाई जी की आत्मा जहाँ पर भी होगी वह आनंदित भी होगी और संतुष्ट भी होगी कि भारत पुनः उसी रास्ते पर वापस आ रहा है।

जब महामना पं. मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए धन संग्रह करने के उद्देश्य से कलकत्ता गए थे तब भाईजी ने कई लोगों के साथ मिलकर इस कार्य के लिए भी अपना सहयोग दिया।

गोस्वामी तुलसी दास जी महाराज ने श्रीरामचरित मानस लिखा लेकिन उसको विश्व के कोने-कोने तक पहुंचाने का श्रेय भाई जी को ही जाता है। मानस को प्रामाणिक करने के लिए उनके जो प्रयास हैं वह अद्भुत है। चित्रकूट, अयोध्या, राजापुर, काशी आदि स्थानों पर खुद जाना, वहां के लोगो के पास रखी पांडुलिपियों का संग्रह करना और उसको संभालने की व्यवस्था करना और सभी को मिलाकर शुद्ध संस्करण प्रकाशित करना उस जमाने में कोई सामान्य बात नहीं थी।

श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीमदरचरित मानस तथा श्रीमदरामायन जी की कथा गंगा की त्रिवेणी कैसे स्थापित हो पाती अगर भाई जी नहीं होते? यह कैसे संभव हो पाता कि आज देशभर के लोग उसको देख पाते।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक लगता है कि श्री भाई जी के समय में भी और उनके बाद उनके ज्ञान उत्तराधिकार का वहन करने वाले आचार्य चिम्मन लाल गोस्वामी जी को कई बार स्वामी भारती तीर्थ जी ने शंकराचार्य पद पर आसीन होने का प्रस्ताव रखा था फिर भी उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। चिम्मन लालजी ने शंकराचार्य जी का पद यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि श्री भाई जी की शरण में वह परम पद का आनंद प्राप्त कर रहे हैं और यहां से वह कहीं नहीं जाने वाले।

यह वही चिम्मन लाल जी हैं जो भाई जी के समय ही कल्याण के कार्यकारी संपादक रहे और अंग्रेजी कल्याण कल्पतरु के सम्पादक रहे। भाईजी के स्वर्गवास के पश्चात् उन्होंने ही श्री भाई जी का सारा दायित्व संभाला। यहां एक और विभूति का स्मरण करना बेहद जरुरी लगता है, श्री शांतनु द्विवेदी जी का। यही शांतनु जी कालान्तर में स्वामी अखंडानंद जी रूप में जगत में विख्यात हुए और श्रीमद्भागवत प्रवचन परंपरा के संवाहक बने। स्वामी अखंडानंद जी काशी के रहने वाले थे। श्री भाईजी के साथ अनेक पुराणों, उपनिषदों और अन्य ग्रंथों के अनुवाद में उनका बहुत बड़ा योगदान है।

वर्ष 1926 की एक घटना है। मारवाड़ी अग्रवाल महासभा का वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में तय हुआ। इसके सभापति थे सेठ जमनालाल बजाज और स्वागताध्यक्ष थे श्री आत्माराम खेमका जी। आरम्भ में खेमकाजी ने कुछ कारणों से स्वागताध्यक्ष होना अस्वीकार कर दिया था, बाद में सेठ जयदयाल गोयन्दका के आग्रह पर वे तैयार हो गए। श्री गोयन्दका जी ने पोद्दार जी को दिल्ली जाकर भाषण तैयार करने का आदेश दिया। पोद्दार जी दिल्ली गए और 24 घंटे में ही एक अत्यंत सार गर्भित भाषण लिखकर मुद्रित करा दिया। वह एक अत्यंत प्रभावी भाषण था।

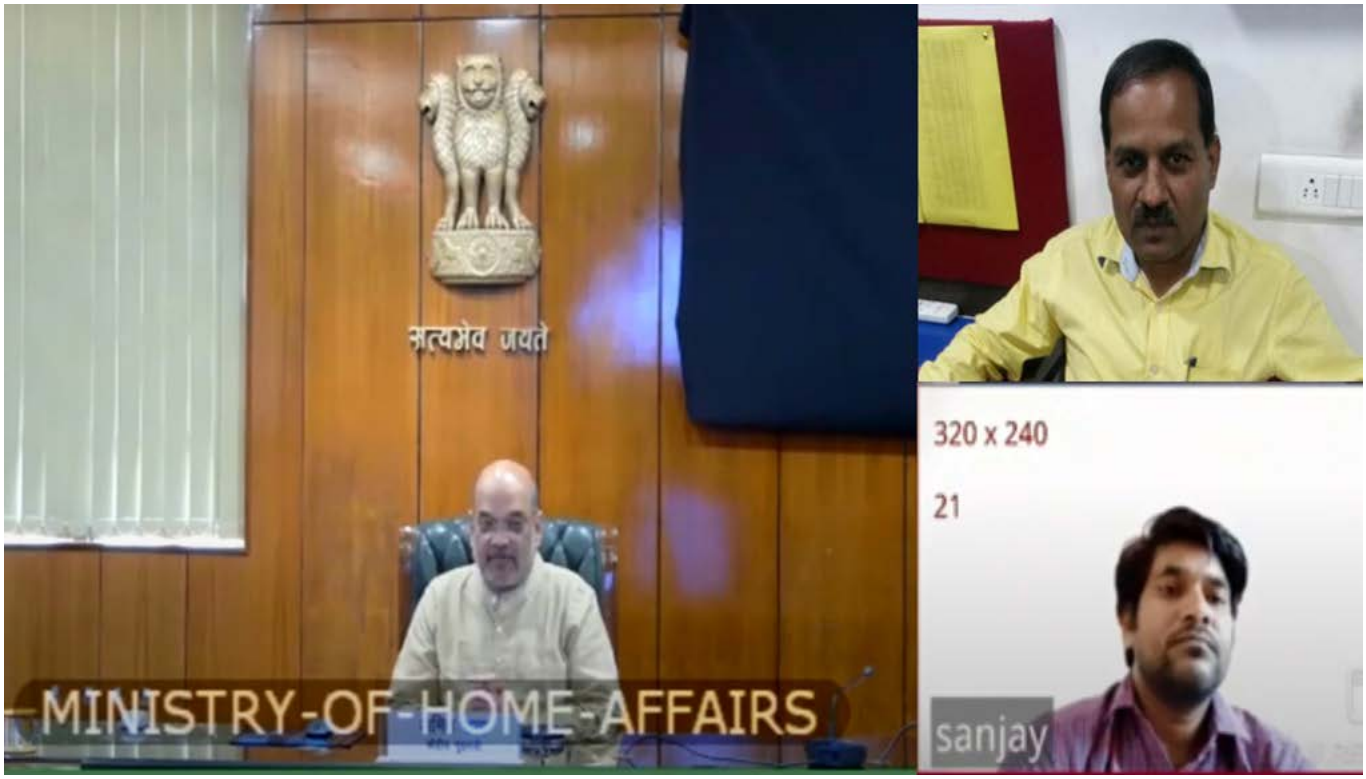

अधिवेशन में सम्मिलित लोग उसमें व्यक्त विचारों से बहुत प्रभावित हुए। अधिवेशन के सभापति सेठ घनश्याम दास बिरला जी सुन रहे थे। यद्यपि उनका पोदार जी से पूर्ण मतैक्य नहीं था तथापि वह भाषण उन्हें बहुत पसंद आया।

दूसरे दिन अपनी प्रतिक्रया व्यक्त करते हुए उन्होंने पोद्दार जी से कहा कि तुम लोगों के विचार किया हैं? कैसे हैं? कहां तक ठीक है इसकी आलोचना हमें नहीं करनी। पर इनका प्रचार तुम लोगों द्वारा समाज में हो रहा है जनता इसे दूर तक स्वीकार करती है वह सही बात है। यदि आपलोगों के पास अपने विचारों और सिद्धांतों का एक 'पत्र' होता तो इन विचारों को भी सफलता मिलती। आपलोग उन विचारों के प्रचार करने के लिए पुस्तक जरूर निकालिये। पोद्दार जी ने कहा कि आपका विचार तो ठीक है पर मेरा इस सम्बन्ध में कोई अनुभव नहीं है। बिड़ला जी ने आग्रह करते हुए कहा कि प्रयास करो। उस समय की कही हुई बात वहीं पर समाप्त हो गयी लेकिन घनश्याम दास बिड़ला जी का वही परामर्श मासिक पत्रिका कल्याण के जन्म का कारण बन।

आज उसी परम्परा में प्रकाशित हो रही संस्कृति पर्व के विशेषांक का लोकार्पण हुआ है। मुझे विश्वास है कि संस्कृति पर्व का यह विशेषांक वाचकों को पसंद आएगा। विशेषकर उन वाचकों को यह जरूर पसंद आएगा जो फिर से भारत को विश्वगुरु के स्थान पर स्थापित होते हुए देखना चाहते हैं। जिनके जीवन का यही स्वप्न भी है, और उद्देश्य भी। ऐसी भावना वाले सभी लोगों को आज बहुत हर्ष हुआ होगा। मुझे भी बहुत हर्ष हुआ है और विशेषकर इसलिए भी हुआ है कि इस पुण्य और महान कार्य में मुझे सम्मिलित किया गया। इसके लिए मैं सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और संस्कृति पर्व की सफलता की मंगल कामना करता हूँ।

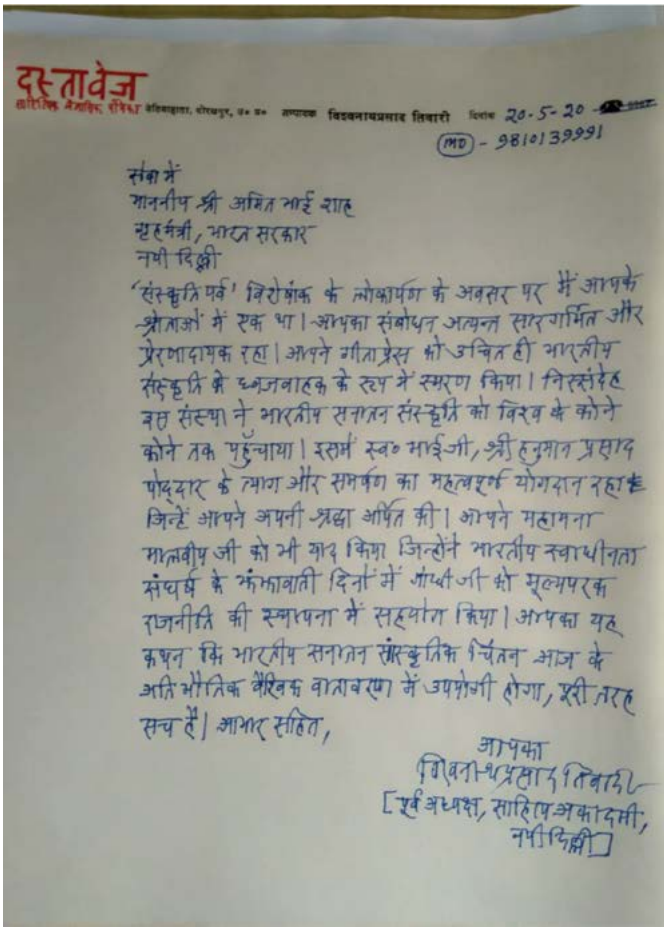

दस्तावेज
विश्वनाथप्रसाद तिवारी दिनांक 20-5-20
(MO) - 9810139991

सेवा में
माननीय श्री अमित भाई शाह
गृहमंत्री, भारत सरकार
नयी दिल्ली

'संस्कृति पर्व' विशेषांक के लोकार्पण के अवसर पर मैं आपके श्रोताओं में एक था। आपका संबोधन अत्यन्त सारगर्भित और प्रेरणादायक रहा। आपने गीताप्रेस को उचित ही भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में स्मरण किया। निस्संदेह इस संस्था ने भारतीय सनातन संस्कृति को विश्व के कोने कोने तक पहुँचाया। इसमें स्व० भाईजी, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार के त्याग और समर्पण का महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिन्हें आपने अपनी श्रद्धा अर्पित की। आपने महामना मालवीय जी को भी याद किया जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के झंझावाती दिनों में गांधी जी की मूल्यपरक राजनीति की स्थापना में सहयोग किया। आपका यह कथन कि भारतीय सनातन सांस्कृतिक चिंतन आज के अति भौतिक वैश्विक वातावरण में उपयोगी होगा, पूरी तरह सच है। आभार सहित,

आपका
विश्वनाथप्रसाद तिवारी
[पूर्व अध्यक्ष, साहित्य अकादमी, नयी दिल्ली]

संस्कृति पर्व के संपादकीय संरक्षक , प्रख्यात साहित्यकार और साहित्य एकेडमी भारत के पूर्व अध्यक्ष एवं आजीवन फेलो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद तिवारी द्वारा गृह मंत्री अमित शाह जी को लिखा गया आभार पत्र।

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	शीर्षक	लेखक	पृष्ठ सं०
01	भारत में अल्पसंख्यक कौन ?	नीलमणि लाल	22
02	एक और युद्ध	अरुणकांत त्रिपाठी	27
03	देश सर्वपरि		29
04	संसद में अमित शाह		33
05	दिल्ली के विचित्र दंगे		36
06	एक तरफा एजेंडा चलाता रहा पश्चिम मीडिया	अद्वैता काला	38
07	नोआखाली : 1946, महामना का महाप्रयाण और कल्याण का विशेषांक		41
08	पूज्यपाद महामना श्री मालवीय जी महाराज		44
09	महामना मालवीय जी का अंतिम पूरा वक्तव्य		46
10	वैदिक वीर गर्जना		49
11	उठो जागो	करपात्री जी महाराज	49
12	एक क्षुब्ध भाई को सलाह	हनुमान प्रसाद पोद्दार	50
13	सबका कल्याण हो		51
14	प्रेम में ही सुख और कल्याण है		55
15	भगवदाश्रयसे लोक–परलोकका कल्याण		58
16	हिन्दुओंकी कमजोरीका कारण ओर उसके मिटानेका उपाय		61
17	डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वक्तव्य		65
18	परम बलवती हिन्दू जाति की आत्मविस्मृति	श्रीजयदयालजी गोयन्दका	69
19	मानवता का पतन (बंगाल और बिहार)	हनुमान प्रसाद पोद्दार	70
20	कुटिल नीति का कुटिल सहयोग		85
21	हिन्दू देवियों के पत्र		88
22	वर्तमान पूर्व–बंगाल–प्रत्यक्ष पाकिस्तान		91
23	धर्मांतरित भाई बहिनों की शुद्धि		94
24	हिन्दूधर्म पर कानूनी प्रहार		97
25	संगठन और संरक्षण के द्वादश साधन		100
26	पूर्व बंगाल की परिस्थिति का आंखों देखा परिचय		103

पाठकों से

संस्कृति पर्व का यह विशेष अंक आपके हाथों में है। इस अंक के लिये चित्रों का संकलन गूगल से किया गया है, जिसके लिए हम उन सभी छायाकारों के प्रति कृतज्ञ हैं। इस अंक मे संभव है कि संपादन अथवा संयोजन में कुछ त्रुटियां रह गयी हों इसलिए हम अपने सुधी पाठकों से अपेक्षा करते हैं कि वे त्रुटियों को नजरअंदाज करेंगें। यह अंक आपको कैसा लगा इस बारे में हमें अपने विचारों से अवश्य अवगत करायें। सनातन संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में आपका योगदान अत्यंत मूल्यवान है। – सम्पादक

प्रेरणा
परम पूज्य स्वामी अखण्डानंद जी महाराज
संत साहित्य मर्मज्ञ आचार्य परशुराम चतुर्वेदी
ब्रह्मर्षि रेवती रमण पाण्डेय

संस्कृति पर्व
Sanskriti Parva

वर्ष-3 अंक-01
फरवरी-मार्च - 2020

संरक्षक मंडल

स्वामी जीतेन्द्रानंद सरस्वती जी
(महामंत्री, अखिल भारतीय संत समिति एवं गंगा महासभा)
जगद्गुरु स्वामी राघवाचार्य जी
(राम लला सदन मन्दिर, अयोध्या)
प्रो० राकेश कुमार उपाध्याय
(अध्यक्ष, भारत अध्ययन केन्द्र का० हि० वि० वि०,वाराणसी)

विद्वत परिषद

प्रो० सभाजीत मिश्र
(पूर्व अध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय)
प्रो० दयानाथ त्रिपाठी
(पूर्व अध्यक्ष, आईसीएचआर, नई दिल्ली)
प्रो० विनय कुमार पाण्डेय
(अध्यक्ष, ज्योतिष विभाग का० हि० वि० वि०, वाराणसी)
प्रो० रामदेव शुक्ल
(पूर्व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, गो०वि०वि०)
प्रो० माता प्रसाद त्रिपाठी
(पूर्व अध्यक्ष, प्राचीन इतिहास विभाग, गो०वि०वि०)
प्रो० नन्द किशोर पाण्डेय
(अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा)
प्रो० सदानंद गुप्त
(कार्यकारी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ)
श्री मनोजकांत
(राष्ट्रवादी चिंतक)
प्रो० अजित के चतुर्वेदी
(निदेशक, आईआईटी रुड़की)
प्रो० सुरेन्द्र दुबे
(कुलपति, सिद्धार्थ वि0 वि0, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर)
प्रो० राजेन्द्र प्रसाद
(कुलपति, मगध विश्वविद्यालय, गया, बिहार)
श्री प्रफुल्ल केतकर, (सम्पादक, ऑर्गनाइजर)
श्री कृष्णकांत उपाध्याय
(सम्पादक, हिन्दुस्तान, बिहार/झारखंड)
प्रो० चितरंजन मिश्र
(पूर्व अध्यक्ष हिन्दी विभाग, गोरखपुर वि0 वि0,)
प्रो० जीतेन्द्र मिश्र
(अधिष्ठाता, विधि संकाय, दी०द०उ० गो०वि०वि०)
प्रो० हिमांशु चतुर्वेदी
(पूर्व अध्यक्ष, इतिहास विभाग, गो०वि०वि०)
प्रो० राजेन्द्र सिंह
(पूर्व प्रतिकुलपति, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर)
डॉ० मृणालिनी चतुर्वेदी
(अध्यक्ष, क्रायोबैंक इंटरनेशनल, नई दिल्ली)
डॉ० नरेश अग्रवाल
(वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ, गोरखपुर)
डॉ० आर० सी० श्रीवास्तव
(अवकाश प्राप्त आई०ए०एस०)
राकेश त्रिपाठी, (आई० आर० एस०)
डॉ० योगेश मिश्र
(समूह सम्पादक, अपना भारत/न्यूज ट्रैक, लखनऊ)
श्री मंकेश्वरनाथ पाण्डेय
(सचिव, नेशनल एजुकेशनल सोसाईटी, गोरखपुर)

सलाहकार परिषद

अध्यक्ष
श्रीमती रेशमा एच सिंह
(नई दिल्ली)
श्री अजय उपाध्याय,
(वरिष्ठ पत्रकार, नई दिल्ली)
डॉ० संजय द्विवेदी
(माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता वि०वि० भोपाल)
श्री सुजीत कुमार पाण्डेय
(वरिष्ठ पत्रकार, गोरखपुर)
डॉ० मुन्ना तिवारी
(बुन्देलखण्ड वि०वि० झांसी)
डॉ० ममता त्रिपाठी
(दिल्ली वि०वि०)
श्री सुनील जैन
(एडवोकेट, प्रयागराज)
आचार्य सोमदत्त द्विवेदी
(वाराणसी)
श्री हेमंत मिश्र
(निदेशक, एबीसी शिक्षा समूह)
श्री अजय शाही
(निदेशक, आरपीएम शिक्षा समूह)
डॉ० गजेन्द्रनाथ मिश्र
(निदेशक, आर.सी. मेमोरियल शिक्षा समूह)
श्री अरुणकांत त्रिपाठी
(सम्पादक, कमलज्योति, लखनऊ)
डॉ० राजीव तिवारी
(वरिष्ठ चिकित्सक, नई दिल्ली)
डॉ० गौरी मिश्रा
(कवियित्री, नैनीताल)
डॉ० मनोज कुमार श्रीवास्तव
(चिकित्सक एवं लेखक, वाराणसी)
योगगुरु पुष्पांजलि शर्मा
(योगसूत्र स्टूडियो, वाराणसी)
डॉ० वाई के मद्धेशिया
(वरिष्ठ चिकित्सक, कुशीनगर)
श्री दीप्तभानु डे
(वरिष्ठ पत्रकार, गोरखपुर)
श्री रतिभान त्रिपाठी
(वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)
हसन अब्बास रिज़वी
(वरिष्ठ मीडियाकर्मी एवं लेखक)
श्री पुरुषोत्तम तिवारी
(वरिष्ठ पत्रकार, कोलकाता)
श्री अनुपम सहाय
(वरिष्ठ अधिकारी, पीएनबी)
डॉ० रविकांत तिवारी
(अमेरिका)
डॉ० राम शर्मा
(शिक्षाविद्, मेरठ)

सम्पादकीय संरक्षक

आचार्य विश्वनाथ प्रसाद तिवारी
(पूर्व अध्यक्ष, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली)

प्रबंध सम्पादक
बी के मिश्र

सम्पादक
संजय तिवारी

कार्यकारी सम्पादक
डॉ० अर्चना तिवारी

सहायक-सम्पादक (हिन्दी)
डॉ० अनिता अग्रवाल
सहायक-सम्पादक (अंग्रेजी)
डॉ० राजीव तिवारी

सह-सम्पादक
डॉ० प्रदीप राव
डॉ० दिनेशमणि त्रिपाठी
कमलेश कमल
डॉ० अर्चना पाठ्या
दिवाकर शर्मा
आमोदकांत मिश्र

समन्वय सम्पादक
विक्रमादित्य सिंह

लेआउट, ग्राफिक्स एवं डिजाइन
संजय मानव

विशेष सम्पादकीय परामर्श
आचार्य लालमणि तिवारी
(गीता प्रेस, गोरखपुर)
श्री रसेन्दु फोगला
(गीता वाटिका, गोरखपुर)
श्री अजीत दुबे
(सदस्य साहित्य अकादमी, नई दिल्ली)

केन्द्र प्रभारी, अमेरिका
आचार्य रत्नदीप उपाध्याय

विधि सलाहकार
श्री अमिताभ चतुर्वेदी
(वरिष्ठ अधिवक्ता, नई दिल्ली)
श्री असित के0 चतुर्वेदी
(वरिष्ठ अधिवक्ता, लखनऊ)
श्री अशोक नारायण धर दूबे
(वरिष्ठ अधिवक्ता, गोरखपुर)

लेखा परीक्षक
अरुण गुप्ता
सूचना तकनीक एवं प्रबंधन
उत्कर्ष तिवारी
क्रिएटिव
प्रकर्ष तिवारी
(shot by Inflict)

(भारत संस्कृति न्यास का प्रकल्प)

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक संजय तिवारी द्वारा स्वास्तिक ग्रफिक्स, महागनगर, लखनऊ उ०प्र० से मुद्रित एंव बी–64, आवास विकास कॉलोनी, सूरजकुण्ड, गोरखपुर, उ०प्र० से प्रकाशित

पत्रिका में प्रकाशित सामग्री के लिए संबंधित लेखक उत्तरदायी होगा। किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्र गोरखपुर जिला न्यायालय के अधीन होगा।

पंजीकृत कार्यालय : बी-64, आवास विकास कालोनी, सूरजकुंड, गोरखपुर-273001
लखनऊ कार्यालय : 2/43, विजय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
दिल्ली कार्यालय : बी-38 डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110024
सम्पर्क - : + 91 94508 87186-87
अमेरिका कार्यालय : 17413 Blackhawk St| Granada Hills, CA 91344 USA
Cell: 1-818-815-9826

Mail us - editor.sanskritiparva@gmail.com
Website - www.bharatsanskritinyas.org
Follow us

आशीर्वाद

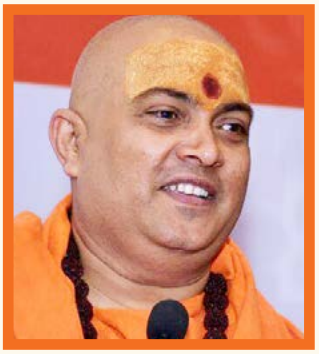

आशीर्वाद यह अद्भुत प्रयास है। जब राष्ट्र अपने भीतर और बाहर के शत्रुओं के साथ साथ वैश्विक आपदा से युद्धरत हो और मानव जीवन के सामने संकट हो, ऐसे में अतीत की गलतियों से सीखना बहुत आवश्यक होता है। उससे भी ज्यादा अपने प्राचीन को सहेजने की आवश्यकता पड़ती है। प्राचीन की महान उपलब्धियों में यदि अतीत के कुछ क्षण नकारात्मक पैबंद जैसे हों तो उस इतिहास को समय के सामने परोसना बहुत आवश्यक है। संयोग से भारत की महान सनातन संस्कृति के चिरंतन प्रवाह में ऐसे समय भी आते रहे हैं लेकिन राजनीति ने समय के उस आलेख को कभी भी लोक के समक्ष आने नही दिया। मुझे प्रसन्नता है कि संस्कृति पर्व ने एक ऐसे अंक का आयोजन किया है जिसमे भारत के आधुनिक इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय केंद्र में है। पराधीन भारत मे वर्ष 1945 – 46 का समय अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इस कालखंड को लेकर राष्ट्र गुरु महामना मदनमोहन मालवीय जी इतने व्यथित हुए कि इसी दुख में उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार ने कल्याण का एक विशेष अंक प्रकाशित किया जिसमें उस समय की घटनाओं का सत्य चित्रण किया गया था। दुर्भाग्य यह हुआ कि उस अंक को तत्कालीन सरकार ने प्रसारित ही नही होने दिया। देश इतिहास का सत्य जानने से वंचित हो गया। बाद में उन घटनाओं को कथित सरकारी इतिहासकारों ने अपने ढंग से तोड़ मरोड़ कर पढ़ा दिया। आज देश के जो हालात हैं उनमें और 1946 वाले भारत के हालात में अंतर बस इतना सा है कि इस समय सनातन संस्कृति के महायोद्धा के रूप में नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृव में एक भारतवादी सरकार कार्य कर रही है। संस्कृति पर्व ने महामना पर केंद्रित कल्याण के उस अंक को आधार बना कर नोआखाली 1946 , दिल्ली 2020 विषय पर यह विशेष अंक प्रकाशित करने की योजना बनाई है। सही समय पर देश को इतिहास और वर्तमान , दोनो के सत्य से अवगत कराने के यह प्रयास वास्तव में अद्भुत है। इसके लिए इस पत्रिका के संपादक संजय तिवारी और उनकी टीम को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। संस्कृति पर्व का यह अंक निश्चय ही सामान्य भारत वासी को अपने इतिहास के एक अतिमहत्वपूर्ण अध्याय से अवगत भी कराएगा और वर्तमान को सुधारने की शक्ति और संबल भी प्रदान करेगा। संस्कृति पर्व को मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा।

स्वामी जीतेन्द्रानंद सरस्वती

महामंत्री, अखिल भारतीय संत समिति
एवं महामंत्री, श्री गंगा महासभा

अभी तक प्रकाशित अंकों से अलग हट कर संस्कृति पर्व के इस विशेष अंक को संयोजित किया गया है। इसके मूल में कारण यह है कि देश मे विगत कुछ महीनों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके कारण भारतीय समाज एक अलग प्रकार के संक्रमण और संत्रास से गुजर रहा है। भारत मे भारत के लिए भी यदि भारत सरकार कुछ ठोस करने का प्रयास करती है तो देश के भीतर से ही विरोध और ऐसी आलोचना के स्वर सुनाई देने लगते हैं जिनको सुनकर अजीब लगता है। कानून, संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देकर होने वाले इस विरोध की जड़ें कहाँ हैं , इस ओर अब नजर दौड़ाने की आवश्यकता लगने लगी है। संस्कृति पर्व का यह अंक कुछ ऐसी ही कोशिश है। इस अंक में प्रकाशित सामग्री को जुटाने और उसको प्रामाणिक बनाने के लिए संस्कृति पर्व की संपादकीय टीम ने वास्तव में बहुत परिश्रम किया है। इस कार्य मे भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के परिवार और गीताप्रेस संस्थान ने जो सहयोग प्रदान किया है वह अविस्मरणीय है। पत्रिका का यह अंक भारत के इतिहास के ऐसे पन्नो से लोक को जोड़ेगा जिसके बारे में बहुत कुछ स्पष्ट रूप से अभी तक सामने नही आया है। इस महान कार्य के लिए संस्कृतिपर्व की पूरी टीम को बधाई। पत्रिका की विषय सामग्री को लेकर आपकी प्रतिक्रिया , आपके सुझाव की हमे प्रतीक्षा रहेगी।

(बी के मिश्र)

गहन मंथन का समय

संजय तिवारी

भारत देवताओं की भूमि है। यह सृष्टि का कारण भी है और कारक तत्वों का विधान भी। माँ भारती का आँचल अमृतपुत्रो का आश्रयस्थल है। उस मनु की धरित्री है, हब सभी मनुष्य जिनकी संतान हैं, और इसीलिए मनुष्य कहलाते हैं। पृथ्वी की समस्त अपेक्षाएं इसी भूमि से हैं । यह सृष्टि क्रम की विशेषता है कि विश्व मे मानव संकट आते रहते है और उनके समाधान यह धरती देती रही है। ऐसा कभी नही हुआ कि मनुष्यता पर कोई गंभीर संकट न आया हो। जब राक्षसों ने रक्षसंस्कृति की स्थापना के लिए धरती पर अत्याचार शुरू किए तो राम के नेतृत्व में युद्ध लड़ना पड़ा। जब कौरवों ने अधर्म की संस्कृति स्थपित करनी चाही तो कृष्ण को गीता का उपदेश देकर अर्जुन को ललकारना पड़ा और महाभारत जैसी क्रांति हुई। इन दो महायुद्धों के बाद से कृष्ण की नीति से मानव सभ्यता का विकास प्रारंभ हुआ। महाभारत युद्ध के पराजित बंदियों को आर्यावर्त से बाहरी सीमा में जाने का आदेश हुआ। आर्यावर्त कृष्ण के अनुसार आगे बढ़ा। पृथ्वी पर मानव जाति का विस्तार हुआ। इस विस्तार के क्रम में दो हजार वर्ष पूर्व ईसा आये और लगभग डेढ़ हजार वर्ष पूर्व आये पैगम्बर मोहम्मद साहब। प्राचीन इतिहास के विस्तार में अभी नही जाना। कृष्ण नीति की सनातन संस्कृति को लेकर आगे बढ़ती भारत की सभ्यता में भी कई बदलाव और विक्षोभ आये। भगवान महाबीर और बुद्ध जैसे दार्शनिक भी आये जिनसे दो बड़े पंथों का उदय हुआ। बौद्ध पंथ तो दुनिया के कई क्षेत्रों के लिए आज भी अनुकरणीय है। इस बीच भारत पर आक्रमणों का दौर शुरू हुआ जो आज तक चल रहा है। ये आक्रमण कभी धन के लिए, कभी राजसत्ता के लिए, कभी स्त्रियों के लिए , कभी पंथों और मजहब के विस्तार के लिए होते रहे। इन आक्रमणों के इतिहास में जाएंगे तो बात बहुत लंबी होगी। हम सीधे आते है पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में। यही वह समय है जब भारत विदेशी पराधीनता से मुक्ति का आखिरी संग्राम लड़ रहा होता है। ब्रिटिश शासन के दिन खत्म होने को है। स्वदेसी शासन आने को है । तभी देश के भीतर ही एक अलग देश इसलिए बनाने की मांग जोर पकड़ती है क्योंकि अंग्रेजो से ठीक पहले यहां मुसलमान राज कर रहे थे। अंग्रेजो के बाद भी मुसलमान ही राज करे इसलिए भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया जाय। एक मुसलमान के लिए और एक भारत की मूल हिन्दू जाति के लिए। भारत की आजादी के ठीक पहले 1945 - 46 में भारत की जो दशा थी लगभग वैसी ही स्थिति आज के समय मे भी पैदा कर दी गयी है। भारत की उस समय की दशा इतनी बिगड़ी हुई थी कि उसके दुख में राष्ट्रगुरु महामना मदन मोहन मालवीय जी ने प्राण त्याग दिए। महामना के निधन से दुखी होकर भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार ने कल्याण पत्रिका का एक विशेष अंक निकाला। यह अंक अक्टूबर 1946 में निकला। इस अंक में भाई जी ने खुद कई लेख लिखे। इस अंक के लिए सुचेता कृपलानी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी लिखा। यह ऐसा अंक था कि यदि उस समय भारत की जनता में इसका प्रसारण हो पाता तो भारत का गलत इतिहास लिखने वाले सरकारी लेखकों को कोई स्वीकार नही करता। उस अंक में विषय का केंद्र था नोआखाली। अंक में नोआखाली की कई घटनाओं का उल्लेख प्रत्यक्षदर्शियों ने खुद किया था। इस अंक के सामने आने के बाद देश शायद कांग्रेस

को भी क्षमा नही कर पाता। यही कारण था कि पत्रिका के प्रकाशन के समय ही इसे सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और महामना पर केंद्रित कल्याण का वह विशेष अंक प्रसारित नही हो सका। संस्कृति पर्व ने कल्याण के उस अंक की बहुत तलाश की। गीता प्रेस, गोरखपुर से संपर्क किया गया तो वहां के प्रबंधक डॉ लालमणि तिवारी जी ने बताया कि वह अंक प्रेस के पुस्तकालय में भी उपलब्ध नही है। वह अद्भुत अंक बड़ी कठिनाई उसे प्राप्त किया जा सका। भाई जी हनुमानप्रसाद पोद्दार जी के प्रपौत्र श्री रसेंदु फोगला जी के सौजन्य से वह अंक मिल सका, इसके लिए संस्कृति पर्व परिवार उनका सदैव ऋणी रहेगा। कल्याण के इस अंक की आवश्यकता इसलिए महसूस हो रही थी कि देश मे नागरिकता संशोधन कानून बन जाने के बाद जिस तरह के उपद्रव शुरू हुए वह गहरी चिंता के कारण थे। जिस कानून से किसी की नागरिकता जाने का कोई प्रश्न ही नही उस कानून के विरोध में जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगो ने प्रतिरोध शुरू किया वह आश्चर्य में डालने वाला था। यह आश्चर्य तब और बढ़ जाता है जब उनके समर्थन में भारत की विपक्षी पार्टियां और ढेर सारे कथित बुद्धिजीवी भी उमड़ पड़ते है। दिल्ली में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय खुलकर इस कानून के विरोध में आये। पहले इस विरोध को छात्र आंदोलन बनाने की कोशिश की गई। फिर अन्य कई प्रकार से विरोध के तरीके अपनाए गए। भारत के बाहर इसके लिए लामबंदी होने लगी, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान बनाने के लिए की गई थी। इस विरोध को जबरदस्त हिंसक भी बनाया गया। महिलाओं को आगे कर प्रायोजित धरने शुरू करा दिए गए। दिल्ली में शाहीन बाग में ऐसा धरना कराया गया कि महीनों तक सैकड़ो कालोनियों के लोगो का रास्ता ही बंद रहा। इसी बीच दिल्ली में चुनाव हुए । आखिर में दिल्ली एक दिन अचानक जल उठी। ठीक वे ही हथकंडे थे जिनको नोआखाली ने 1946 में झेला था। वही कबायली हथियार। चाकू, बड़ी बड़ी गुलेल, पत्थर । अत्यंत क्रूर अंदाज। एक सरकारी अफसर को इतनी क्रूरता से मारा गया कि उसके शरीर पर 400 घाव मिले। दिल्ली तीन दिनों तक जली। दंगे उस दिन शुरू हुए जिस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दिल्ली पहुच चुके थे। जाहिर है यह सब वे शक्तियां कर रही थीं जो ट्रम्प को यह संदेश देना चाह रही थीं कि भारत की सरकार ठीक नही है। लेकिन वे ये भूल गए कि यह भारत 1946 का भारत नही है , नही भारत पर कांग्रेस का शासन है। भारत के भीतर की इस भयावहता को समझने के लिए 1946 को समझना जरूरी था इसलिए कल्याण के उस अंक की बेहद आवश्यकता थी। रसेंदु जी के प्रयास से वह अंक मिल गया जिसके महत्वपूर्ण हिस्सो को हम संस्कृति पर्व के इस अंक में प्रकाशित कर रहे है। यहां एक बात स्पष्ट करना आवश्यक है । वह यह कि इस अंक की किसी सामग्री को हिन्दू मुसलमान के नजरिये से न देखा जाय। हमे ठीक से पता है कि भारत मे जितने मुसलमान वन्धु रहते है वे भारतीय हैं । उनसे भी अपेक्षा यही है कि वे भारतीय के रूप में ही घटनाओं का मूल्यांकन करें। जिन्हें भारतीय होकर नही रहना था वे पहले ही पाकिस्तान बना कर जा चुके हैं। अब वैसी कोई स्थिति नही है। अब सभी भारतीय होकर ही रह रहे है, ऐसा विशवास है। ऐसे में राष्ट्र के संकट को लेकर गंभीर तो होना ही पड़ेगा। यह तो तय ही करना होगा कि 1946 और 2020 में बहुत फर्क है। यह भारत 2020 का है और भारत के लोग भी। इसलिए 1946 वाली सोच लेकर किसी को काम नही करना चाहिए।

“ब्रिटिश शासन के दिन खत्म होने को है। स्वदेसी शासन आने को है । तभी देश के भीतर ही एक अलग देश इसलिए बनाने की मांग जोर पकड़ती है क्योंकि अंग्रेजो से ठीक पहले यहां मुसलमान राज कर रहे थे। अंग्रेजो के बाद भी मुसलमान ही राज करे इसलिए भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया जाय। एक मुसलमान के लिए और एक भारत की मूल हिन्दू जाति के लिए। भारत की आजादी के ठीक पहले 1945 - 46 में भारत की जो दशा थी लगभग वैसी ही स्थिति आज के समय मे भी पैदा कर दी गयी है। भारत की उस समय की दशा इतनी बिगड़ी हुई थी कि उसके दुख में राष्ट्रगुरु महामना मदन मोहन मालवीय जी ने प्राण त्याग दिए।”

नोआखाली 1946

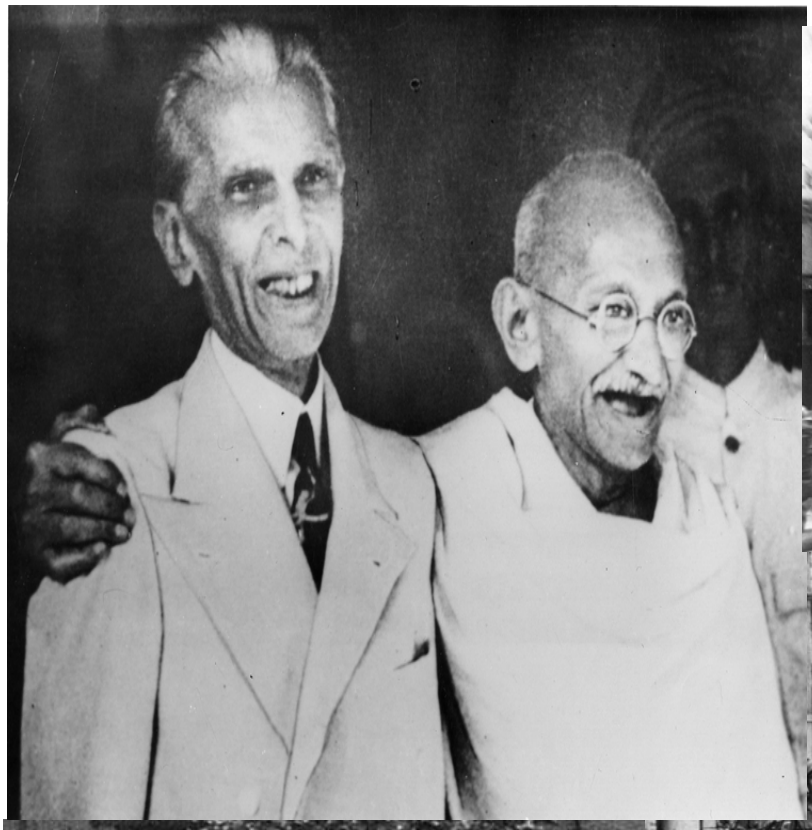

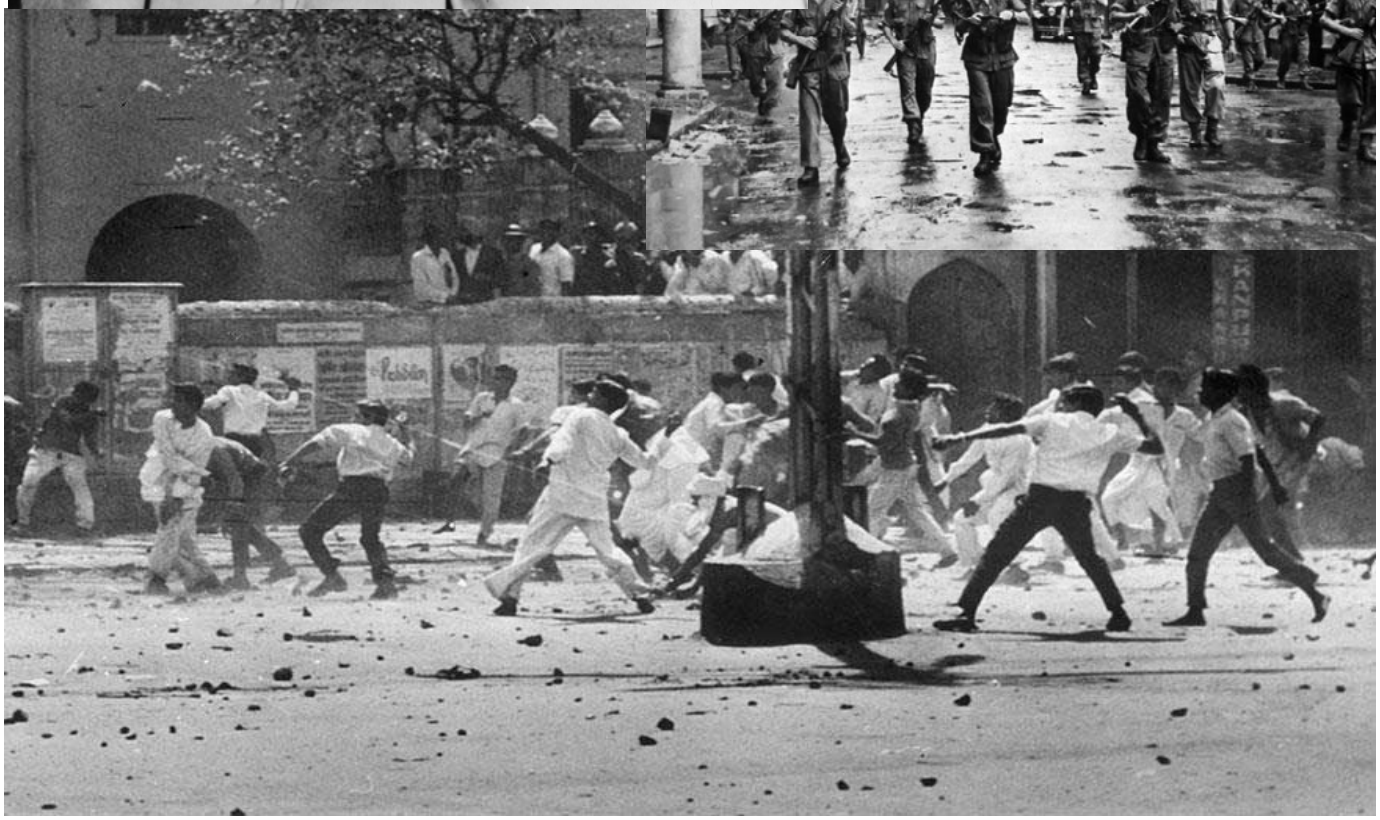

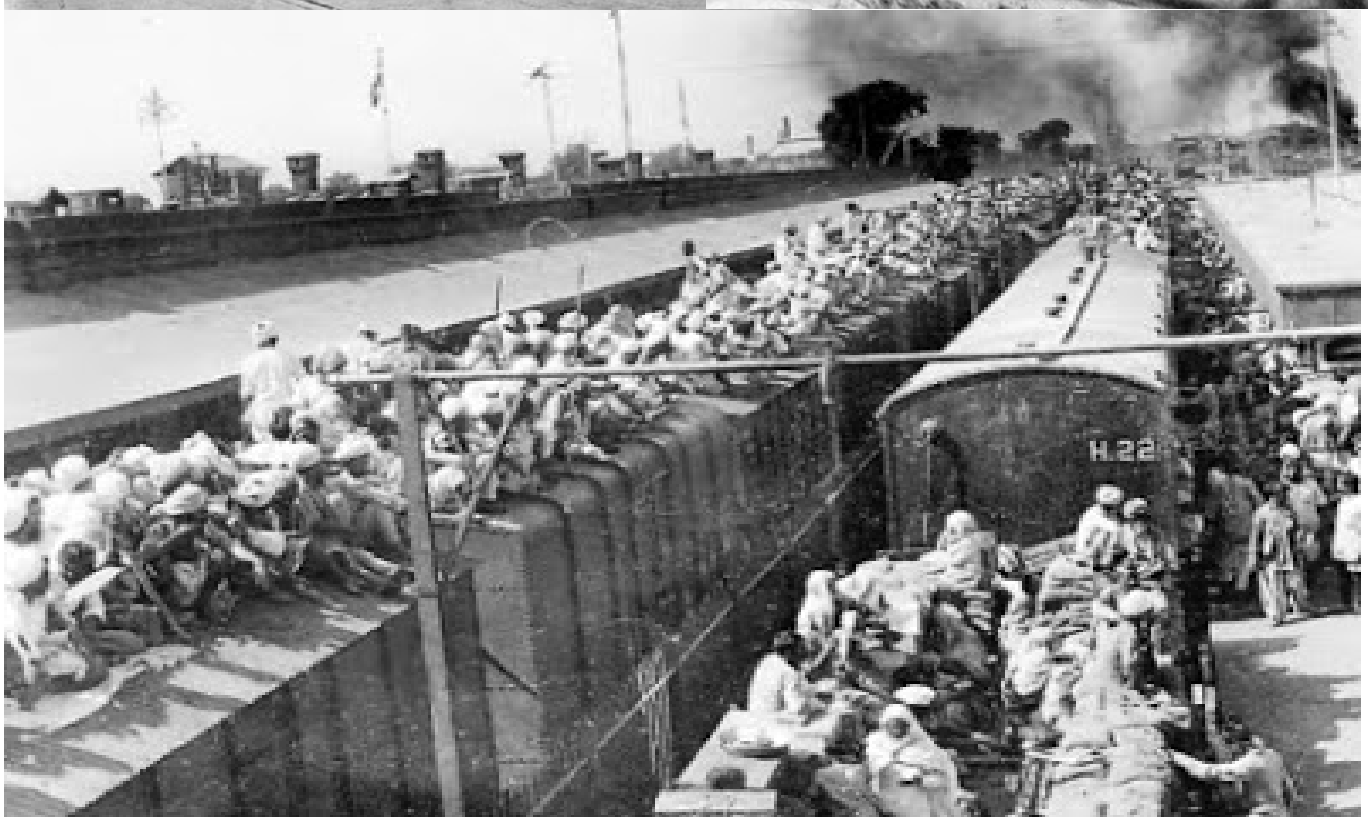

फोटो– साभार गूगल

दिल्ली–2020

फोटो– साभार गूगल

फोटो– साभार गूगल

भारत में अल्पसंख्यक कौन?

नीलमणि लाल

भारत में 'अल्पसंख्यक' एक बड़ा मसला रहा है। देश की राजनीति 'अल्पसंख्यकों' के इर्दगिर्द घूमती रहती है। ये मान कर चला जा रहा है कि अल्पसंख्यक होने का आधार धर्म है और इसी वजह से विभिन्न समुदाय, खासकर मुसलमान, अपने अल्प संख्यक होने की दुहाई देते रहते हैं। लेकिन हैरत की बात है कि 'अल्पसंख्यक' की कोई भी परिभाषा न तो भारत के संविधान में है और न सरकार के पास। कहीं पर भी संविधान में ये नहीं लिखा है कि धर्म के आधार पर किसी को अल्पसंख्यक माना जाएगा। अल्पसंख्यक की व्याख्या सिर्फ परसेप्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पर चल रही है। बस, 'अल्प संख्या यानी नंबर में कम' होने को अल्पसंख्यक मान कर चला जा रहा है। ऐसा ही हाल 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द का है जिसे संविधान में १९७० में जोड़ा तो गया लेकिन धर्मनिरपेक्षता है क्या ये नहीं बताया गया है।

"१९७१ में डीएवी कालेज के मामले में कोर्ट ने निर्णय दिया था कि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को केवल उस विशेष कानून के संबंध में निर्धारित किया जाना है जिसे लागू करने की मांग की जाती है। यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम जैसे किसी केंद्रीय कानून को यदि चुनौती दी जाती है तो ऐसे मामले में अल्पसंख्यक को पूरे भारत की जनसंख्या के संदर्भ में देखा जाएगा।"

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

भारतीय संविधान में 'अल्पसंख्यक' की कोई व्याख्या नहीं की गई है लेकिन अनुच्छेद २० से ३० और ३५० ए व ३५० बी में अल्पसंख्यक शब्दों का उल्लेख है। लेकिन वहां भी इस शब्द का इस्तेमाल धार्मिक ढांचे के संदर्भ में नहीं किया गया है। संविधान में कहीं ये नहीं लिखा है कि कौन अल्पसंख्यक की श्रेणी में आता है और कौन नहीं। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश के आठ राज्यों में हिन्दू अल्पसंख्या में हैं, वे वहां कुल 40 फीसदी की आबादी में महज तीन फीसदी हैं फिर भी अब तक न तो उन्हें अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी गई है और न ही इस वर्ग से जुड़े कोई सामाजिक लाभ ही उन्हें दिये गए हैं।

नोटिफिकेशन रद्द करने की मांग

अल्पसंख्यक की परिभाषा तय करने का मसला आजादी के बाद आज तक सुलझ नहीं पाया है। फरवरी २०१९ में सुप्रीमकोर्ट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) को निर्देश देते हुए कहा था कि वह तीन महीने के भीतर 'अल्पसंख्यक' शब्द की पुनर्व्याख्या करने संबंधी याचिका का जवाब दे। सर्वोच्च अदालत ने आयोग को यह निर्देश भारतीय जनता पार्टी के सांसद अश्विनी कुमार उपाध्याय की दाखिल याचिका पर दिया, हालांकि इसे सुनवाई के लिए एडमिट नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से सम्पर्क करने का निर्देश दिया लेकिन जब आयोग ने याचिकाकर्ता की अपील नहीं सुनी तब सर्वोच्च न्यायालय आगे आया। इससे यह उम्मीद जगी कि 'अल्पसंख्यक' शब्द अब स्पष्ट रूप से परिभाषित हो जाएगा। लेकिन इतना समय बीतने के बाद भी सुप्रीमकोर्ट को अभी तक जवाब नहीं मिल पाया है।

अश्विनी कुमार उपाध्याय २०१७ में सुप्रीमकोर्ट गए थे और मांग की थी कि मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित करने संबंधी केंद्र की २३ अक्टूबर १९९३ की अधिसूचना को 'अनुचित' व 'संविधान के विपरीत' करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में प्रत्यावेदन दिया। जब वहां से जवाब नहीं मिला तो २०१९ में सुप्रीमकोर्ट ने कहा

कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर तीन महीने में फैसला सुनाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आयोग से जवाब मिलने के बाद याचिकाकर्ता कानून के तहत प्राप्त अन्य उपायों का उपयोग करने को स्वतंत्र होगा।

लेकिन २०१७ से आज तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इस बात की व्याख्या नहीं कर पाया है कि अल्पसंख्यक कौन हैं।

आयोग के पास अपनी परिभाषा नहीं

अल्पसंख्यकों के लिए आयोग का गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, १९९२ के तहत किया गया था। अधिनियम की धारा २(सी) में 'अल्पसंख्यक' की सिर्फ यही परिभाषा दी हुई है कि केंद्र सरकार द्वारा जिस समुदाय को बतौर अल्पसंख्यक अधिसूचित किया जाएगा वही अल्पसंख्यक की परिभाषा में आता है। यानी अल्पसंख्यक कौन है और कौन नहीं ये तय करने में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की कोई भूमिका नहीं है।

केंद्र सरकार ने १९९३ और २०१४ में अलग अलग अधिसूचनाएं जारी कीं और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के नाम तय किए। १९९३ की अधिसूचना में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी समुदायों का नाम तय किया गया। २०१४ की अधिसूचना में जैन समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित किया गया।

संविधान में कोई व्याख्या नहीं

सत्तर साल पहले प्रभावी हुए भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनकी उन्नति के लिए विशेष मौलिक अधिकार दिए तो गए हैं लेकिन ये अल्पसंख्यक कौन हैं ये कहीं नहीं बताया गया है। ऐसे में अनुच्छेद २९ व ३० से बस यही अनुमान लगाया जा सकता है ये शब्द धार्मिकक और भाषाई अल्पसंख्यकों की ओर इशारा करता है।

अनुच्छेद २९ - अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा

- भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।

- राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 30 - शिक्षण संस्थान स्थापित व संचालित करने का अधिकार

- धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

- शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक-वर्ग के प्रबंध में है। (संविधान का ४४वां संशोधन 1978)

अनुच्छेद 350 ए

प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। (संविधान का सातवां संशोधन १९५६)

केरल एजूकेशन बिल

वर्ष १९५८ में सुप्रीमकोर्ट के समक्ष केरल एजूकेशन बिल का मसला आया जिसमें पूछा गया था कि क्या इस बिल के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद ३० (१) के प्रावधान के विपरीत हैं। इस सवाल के जवाब में सुप्रीमकोर्ट ने कहा था कि अल्पसंख्यक कौन हैं, ये संविधान में नहीं बताया गया है। ये कहना आसान है कि अल्पसंख्यक समुदाय वो है जिसकी संख्या ५० फीसदी से कम है। लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि ५० फीसदी हिस्सा किस संख्या का - भारत की संपूर्ण जनसंख्या का या फिर भारत के किसी राज्य की जनसंख्या का?

१९७१ में डीएवी कालेज के मामले में कोर्ट ने निर्णय दिया था कि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को केवल उस विशेष कानून के संबंध में निर्धारित किया जाना है जिसे लागू करने की मांग की जाती है। यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम जैसे किसी केंद्रीय कानून को यदि चुनौती दी जाती है तो ऐसे मामले

में अल्पसंख्यक को पूरे भारत की जनसंख्या के संदर्भ में देखा जाएगा।

भाषाई आधार

२००२ के टीएमए पई केस में शीर्ष अदालत ने अनुच्छेद ३० के तहत 'अल्पसंख्यक' की परिभाषा का फिर से परीक्षण किया और ये निष्कर्ष निकाला कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन चूंकि भाषाई आधार पर हुआ है सो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की व्याख्या हर राज्य के हिसाब से होगी। यानी कोई समुदाय एक राज्य में अल्पसंख्यक होगा तो दूसरे राज्य में नहीं भी हो सकता है।

अल्पसंख्यक आयोग

देश में एक अल्पसंख्यक आयोग बनाने की बात १९७८ में उठी। ये कहा गया था कि संविधान और कानूनों में प्रदान की गई सुरक्षा के बावजूद अल्पसंख्यकों में 'असमानता और भेदभाव' की भावना है। धर्मनिरपेक्ष परंपराओं के संरक्षण और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सर्वोच्च महत्व देती है। इसके बाद १९८४ में अल्पसंख्यक आयोग को गृह मंत्रालय से अलग करके नवसृजित कल्याण मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। १९९२ में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम लागू हुआ जिसमें कहा गया था कि इस अधिनियम के तहत सिर्फ केंद्र सरकार ही किसी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकती है। १५ मई १९९३ को पहला राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग गठित हुआ और इसी साल भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना के जरिए मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया।

विरोध के कारण नहीं हुआ बदलाव

दिसम्बर २००४ में संविधान (१०३वां संशोधन) बिल और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भंग करने संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश किए गए। इनका मकसद था कि अल्पसंख्यकों के लिए एक नया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनाया जाए जिसे संवैधानिक स्टेटस प्राप्त हो। इन विधेयकों पर आगे कदम नहीं बढ़ाया गया क्योंकि यदि सरकार ऐसा करती तो उसे अल्पसंख्यकों की व्याख्या करनी पड़ती। ऐसे किसी प्रस्ताव का मुस्लिम, ईसाई, सिख व अन्य समुदाय सख्त विरोध कर रहे थे। तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे अब्दुल रहमान अंतुले। उन्होंने आश्वासन दिया था कि धार्मिक अल्पसंख्यकों की परिभाषा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

संविधान सभा

जुलाई १९४७ में भारत की संविधान सभा की अल्पसंख्यक संबंधी समिति ने मुसलमानों, ईसाईयों, सिखों और अनुसूचित जाति के लोगों को विधायिका और नौकरियों में आरणक्ष देने पर विचार किया था। संविधान सभा के सदस्य काजी सैयद कमरुद्दीन ने उस समय कहा था कि इन समुदायों को उनकी संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए ताकि वे 'बहुसंख्यकों के उत्पीडऩ' से बच सकें। एक अन्य सदस्य जेड.ए. लारी भी चाहते थे कि अल्पसंख्यकों को तुलनात्मक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तमाम बहसों के बाद ये सब प्रस्ताव खारिज हो गए और सिर्फ अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण देने की बात मानी गई। जवाहरलाल नेहरू ने तब कहा था - 'लोकतंत्र में बहुसंख्यकों की मर्जी ही अंततः चलेगी।'

किसकी कितनी संख्या - २०११ की जनगणना

- जम्मू कश्मीर की कुल जनसंख्या १,२५,४१,३०२ है जिसमें हिन्दू हैं ३५,६६,६७४ जबकि मुस्लिम हैं ८५,६७,४८५।
- अरुणाचल प्रदेश में १३,८३,७२७ की जनसंख्या में ४,०१,८७६ हिन्दू तथा ४,१८,७३२ ईसाई हैं।
- नगालैंड में १९,७८,५०२ की जनसंख्या में १,७३,०५४ हिन्दू तथा १७,३९,६५१ ईसाई हैं।
- मणिपुर में २८,५५,७९४ की आबादी में ११,८१,८७६ हिन्दू तथा ११,७९,०४३ ईसाई हैं।
- मिजोरम की जनसंख्या है १०,९७,२०६ जिसमें ३०,१३६ हिन्दू तथा ९,५६,३३१ ईसाई हैं।
- मेघालय में २९,६६,८८९ की जनसंख्या में ३,४२,०७८ हिन्दू और २२,१३,०२७ ईसाई हैं।
- लक्षद्वीप की कुल ६४,४७३ जनसंख्या में १,७८८ हिन्दू तथा ६२,२६८ मुस्लिम हैं।
- केरल में ३,३४,०६,०६१ जनसंख्या में १,८२,८२,४९२ हिन्दू, ८८,७३,४७२ मुस्लिम और ६१,४१,२६९ ईसाई हैं।

हाल कश्मीर का

2011 की जनगणना के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में 68 फीसद जनसंख्या मुसलमानों की है अतः जनसंख्या के आधार पर यहां मुसलमान किसी भी तरह से अल्पसंख्यक नहीं कहे जा सकते। लेकिन वहां अल्पसंख्यकों को दिया जाने वाला हर लाभ मुसलमानों को मिल रहा है जबकि जो समुदाय वास्तविक रूप से अल्पसंख्यक हैं वो उन सुविधाओं से महरूम हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016-17 में अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप का फायदा जिन छात्रों को मिला है उनमें 1 लाख 5 हजार से अधिक छात्र मुसलमान हैं जबकि सिख, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म के 5 हजार छात्रों को इसका फायदा मिल सका है। इसमें भी हिन्दू समुदाय के किसी भी छात्र को इसका फायदा नहीं मिला है जबकि जनसंख्या के आधार पर इस राज्य में हिन्दू मुसलमानों से बहुत कम हैं।

दिल्ली

सी ए ए के विरोध से दंगों तक

यह सब संसद में व्यापक चर्चा के बाद पारित किए गए नागरिकता संशोधन बिल के बाद हुआ। कानून बन जाने के बाद हुआ। दिल्ली में हुआ। खूब सुलगाया गया। फिर उस दिन इसे अंजाम दिया गया जिस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति को दिल्ली में होना था। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के बहाने 72 दिनों तक देश को सुलगाने के बाद दिल्ली को जलाया गया। 23 फरवरी 2020 की रात को, उत्तर पूर्व दिल्ली के जाफराबाद इलाके में दंगों और हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हुई । भीषण दंगे शुरू हुए। इसमें 52 लोग मारे गए और 200 से अधिक लोग घायल हुए है। 24 फरवरी 2020 को जाफराबाद और मौजपुर में हिंसक झड़पें हुईं जिसमें एक पुलिस अधिकारी और एक प्रदर्शनकारी मारे गए। सीएए समर्थक प्रदर्शनकारियों और सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों ने परस्पर एक-दूसरे पर पथराव किया और घरों, वाहनों और दुकानों में तोड़फोड़ की। पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। मारे गए लोगों में से, दो-तिहाई ऐसे थे जिन्हें गोली मार दी गई थी, बार-बार धमाके के साथ फिसल गए थे या आग लगा दी थी। मृतकों में एक पुलिसकर्मी, एक खुफिया अधिकारी और बाकी सामान्य भारतीय शामिल थे, जिन्हें गोली मार दी गई थी या मार दिया गया था। हिंसा समाप्त होने के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद तक मारे गए लोगो की लाशें नालों से निकलती रहीं। इसमें मारे गए खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा के शरीर पर 400 बार चाकुओं से गोदने के निशान मिले। जाहिर है क्रूरता और अमानवीयता की हदें पार कर दी दंगाइयों ने।

(सम्पादक)

एक और युद्ध

अरुण कांत त्रिपाठी

यह कुछ वैसे ही था जिसकी नींव 1946 में नोआखाली में डाली गई और उसी तरह 1984 में दिल्ली में सिक्खों का कत्लेआम कराया गया था। साजिश रचने वालों के नेटवर्क ने ट्रम्प के विरोध को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए दंगे की पृष्ठभूमि तैयार की। दिल्ली दंगे के पुख्ता इंतजाम बताते है कि शाहीन बाग के धरने की आड़ में खास चिन्हित इलाको को खत्म करने का पूरा प्रयास किया गया। यह ठीक वैसा ही था जैसे 1984 मे किया गया था। इस विरोध को भारत के बाहर से भी खूब हवा मिली।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

कोशिश तो देश को जलाने की थी। दिल्ली शिकार बन गयी। सुलगाने की बहुत कोशिशें चलीं। सब नियोजित था। अमेरिका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा उनके लिए मुफीद लगी। उन लोगो ने उसी तिथि पर वार किया। 23 फरवरी को शुरू हुए इस अचानक के दंगे ने सबको चकित कर दिया। इसकी पृष्ठभूमि नवंबर में संसद से पारित नागरिकता संशोधन विधेयक के कानून बनने को लेकर दिल्ली के शाहीन बाग में 90 दिनों तक चलने वाला मुस्लिम महिलाओं का वह धरना था जिसको कई राजनीतिक दलों का समर्थन था। कैब को लेकर सबसे पहले जे एन यू से आवाज उठाई गई। इसके बाद उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, कोलकाता विश्वविद्यालय, जामिया मिल्लिया में इसी समूह ने प्रदर्शन किया। इसमें मुस्लिम युवकों की तादात अधिक रही। सहजील इस्लाम, अरफा खानम, मिरान और शाहरूख जैसे नाम रातों रात पूरे देश

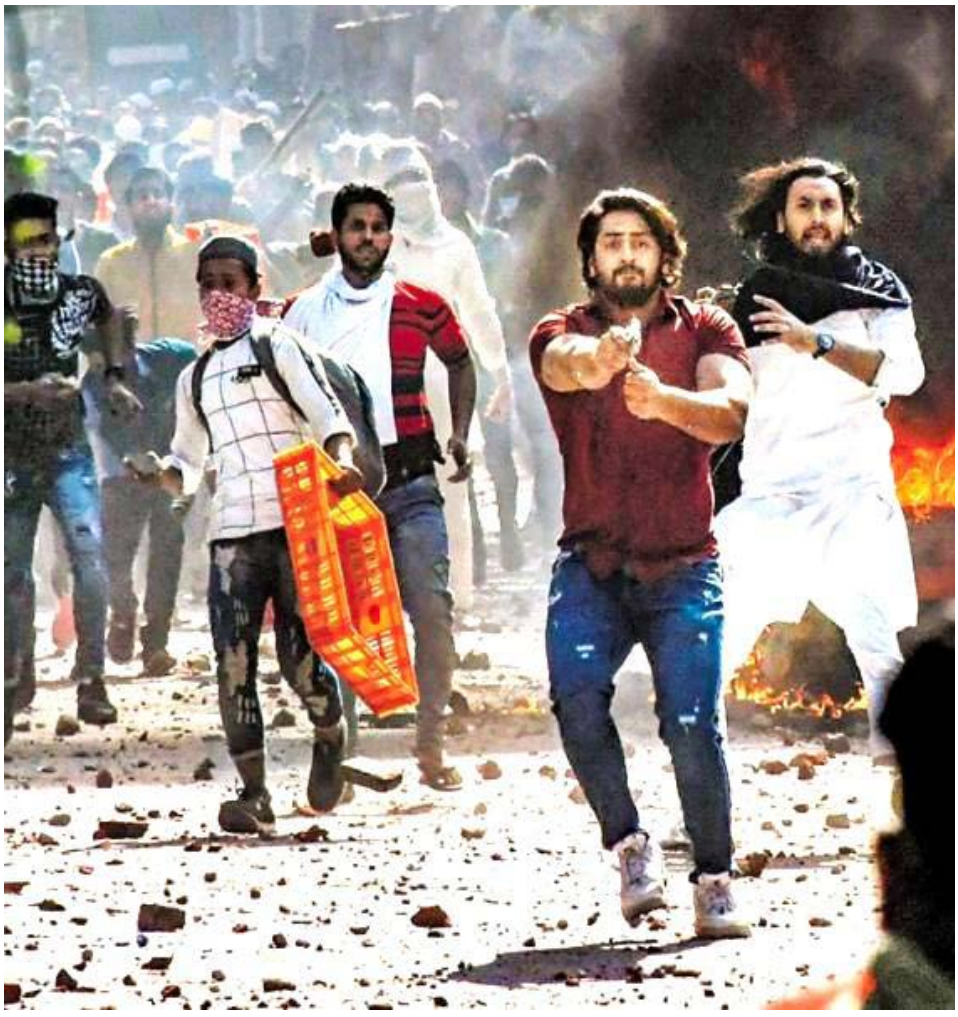

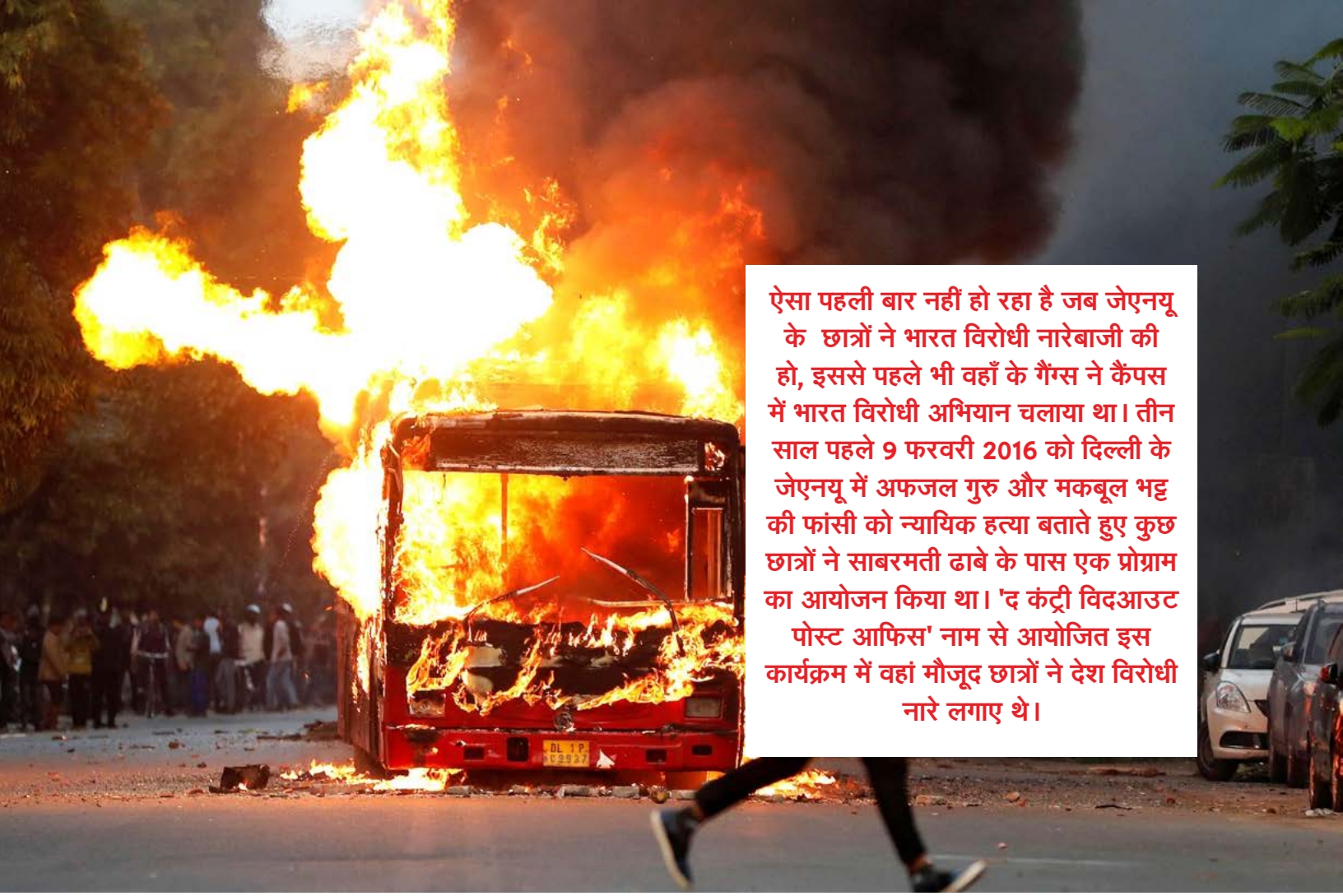

ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब जेएनयू के छात्रों ने भारत विरोधी नारेबाजी की हो, इससे पहले भी वहाँ के गैंग्स ने कैंपस में भारत विरोधी अभियान चलाया था। तीन साल पहले 9 फरवरी 2016 को दिल्ली के जेएनयू में अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की फांसी को न्यायिक हत्या बताते हुए कुछ छात्रों ने साबरमती ढाबे के पास एक प्रोग्राम का आयोजन किया था। 'द कंट्री विदआउट पोस्ट आफिस' नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में वहां मौजूद छात्रों ने देश विरोधी नारे लगाए थे।

में विरोधी प्रदर्शन के लिए हथियार बन गए। यह कुछ वैसे ही था जिसकी नींव 1946 में नोआखाली में डाली गई और उसी तरह 1984 में दिल्ली में सिक्खों का कत्लेआम कराया गया था। साजिश रचने वालों के नेटवर्क ने ट्रम्प के विरोध को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए दंगे की पृष्ठभूमि तैयार की। दिल्ली दंगे के पुख्ता इंतजाम बताते है कि शाहीन बाग के धरने की आड़ में खास चिन्हित इलाको को खत्म करने का पूरा प्रयास किया गया। यह ठीक वैसा ही था जैसे 1984 मे किया गया था। इस विरोध को भारत के बाहर से भी खूब हवा मिली।

ऐसे में युद्ध से पहले अच्छी तैयारी की गयी।फरवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प के आगमन को दिल्ली में अपनी ताकत बताने को तैयार किया गया। दूसरे राज्यों से रिश्तेदारों को बुलाया गया। फंड इकट्ठा किया गया। रणनीति बनाई गई। यह रणनीति जे एन यू के हॉस्टल में बैठकर बनी। किस तरह से ट्रम्प के विरोध की आड़ में इन लोगो ने कैब विरोध के सुर को आग लगा दी। कुछ लोगों ने नेतृत्व अपने हाथ मे लिया। इसमें ये ही लोग शामिल थे। पत्थर इकट्ठे किये गये। हथियारों को धार दी गई। बंदूक भी तैयार की गई। पेट्रोल बम बनाये गये। तेजाब की थैलियां बनाई गई। बडी-बडी गुलैल बनाई गई। एक ही कलर के हेलमेट लाखों की तादात मे खरीदे गये ताकि अपने लोगों मे पहचान रहे। अपनी दुकानों के नो एन आर सी लिख दिया ताकी इन्हें आगजनी से बचाया जा सके। इलाके चिन्हित किये गये। घर, दूकानों को चिन्हित किया गया। रणनीति बनाई गई कि हमला किस तरफ से किया जायेगा। हमले के बाद किधर से बचकर भागना है।वीडियो नही बनाये गये। सोशल मीडिया पर विक्टिम कार्ड खेला गया। फिर भाईचारे की नौटंकी शुरू की गई। मीडिया के सामने रोने लगे। दिनाक 24-25 फरवरी की रात गली न 13, ब्रह्मपुरी दिल्ली, -53, थाना न्यू उस्मानपुर एरिया में, गोली व पत्थर चलाते हुए, अब्दुल रहमान का खास आदमी उसमान मुस्लिम युवाओं के साथ दिखा। आप पार्षद ताहिर के घर पर सारी सामग्री रखी गई। इस दौरान मुस्लिम युवको ने आसपास की कई हिन्दू बालिकाओं को स्कूलों से लौटते समय उठा लिया । बाद में शव मिले। कुछ युवतियां अब भी नही मिली है। एक आई बी अधिकारी को 400 से अधिक चाकू के वॉर से मार डाला गया। इसलिए प्रधानमंत्री ने जब कहा कि 'यह संयोग नहीं प्रयोग है'..तो आप .सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वह सीधे-सीधे कह दे कि 1947 पार्ट 2 दोहराने का अभ्यास हो रहा है?

जे एन यू में बनी पृष्ठभूमि

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रबंधन की ओर से कैंपस में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर में शांति और विकास विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया था। इसी कार्यक्रम

देश सर्वोपरि

दिल्ली की घटनाओं की लेकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तौर पर अभिभावक की भूमिका निभाई। वह लगतार नजर रखे हुए थे। एक एक पल की खबर ले रहे थे। लोगो को समझने के लिए उपाय तलाश रहे थे। क्षुब्ध भी थे और बहुत भावुक भी। उनके लिए हर दशा में शांति बहाली ही लक्ष्य थी। देश सर्वोपरि । इसी भावना के साथ संसदीय दल की बैठक में उन्होंने दिल्ली हिंसा का सीधा जिक्र किए बिना कहा कि देश में शांति और एकता जरूरी है। मीटिंग में मोदी ने अपना नारा भी दोहराया कि सबका साथ, सबका विकास के साथ-साथ सबका विश्वास भी जरूरी है। आगे उन्होंने सख्त लहजे में यह भी कहा कि उनके लिए पहले देश और फिल दल है। पीएम मोदी का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब उनके सोशल मीडिया छोड़ने की खबर हर जगह छाई हुई है। मोदी ने इस बैठक से एक दिन पूर्व ही यह ऐलान किया था कि रविवार से वह फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चलाना छोड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, मोदी ने मीटिंग में आगे कहा, 'देश सर्वोपरि है। विकास बीजेपी का मंत्र है और इसके लिए शांति एकता और सद्भाव जरूरी है। यह रखते हुए विकास को आगे ले जाना है।' मीटिंग से बाहर आकर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि मोदी ने सांसदों से सख्त लहजे में यह भी कहा कि यह सिर्फ बोलना नहीं है, हर सासंद को शांति, एकता और सद्भावना में लीड करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज की तरह देशहित और दलहित तब भी मामला आया था, तब वंदे मातरम को भी इनकार किया गया था। तब की तरह अब भारत माता की जय के नारे को मुद्दा बनाने की कोशिश। दिल्ली में फैली हिंसा के बाद 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहली बार इसपर कुछ कहा था। करीब 69 घंटों बाद आए इस ट्वीट की वजह से पीएम मोदी को घेरा भी गया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। पीएम मोदी ने लिखा था, 'दिल्ली के अलग-अलग हिस्से में जो हालात हैं उस पर विस्तृत समीक्षा की। पुलिस और अन्य एजेंसियों शांति बहाली सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा था कि मैं सभी बहनों और भाईयों से यह अपील करता हूं कि वे शांति और भाईचारे बनाए रखें। जल्द से जल्द शांति बहाली के लिए यह जरूरी है।

में केंद्रीय मंत्री ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार के दृढ़ निश्चय के चलते अनुच्छेद 370 हटाना संभव हो पाया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पांच अगस्त के बाद बेशक थोड़ा कर्फ्यू जैसा माहौल था, लेकिन घाटी में अमन चैन कायम है। महिलाओं, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए खास रोडमैप तैयार किया गया है। इसके अलावा एससी, एसटी और ओबीसी पर खास फोकस है। यह बात लेफ्ट छात्रनेताओं के गले नहीं उतरी और वह कश्मीर को भारत से मांगने की बात करने लगे। कार्यक्रम के दौरान लेफ्ट के छात्रनेताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि भारत, 'कश्मीर को आजाद करो'। इस बात से साफ सिद्ध होता है कि लेफ्ट के कार्यकर्ता यह मानते हैं कि भारत ने कश्मीर पर जबरन अधिकार किया है। वे भारत सरकार की उन नीतियों का विरोध करते हैं जिससे कश्मीर में विकास की होने वाली होती है। उन्हें आतंकित, अलगाववाद व वंशवाद की चपेट में हर दिन घुट रहा पुराना कश्मीर चाहिए। उन्हें शांति व विकास से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आगे यही राजनीति उन्हें भी तो कश्मीर में करनी थी जिसे मोदी सरकार ने पानी फेर दिया।

ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब जेएनयू के छात्रों ने भारत विरोधी नारेबाजी की हो, इससे पहले भी वहाँ के गैंग्स ने कैंपस में भारत विरोधी अभियान चलाया था। तीन साल पहले 9 फरवरी 2016 को दिल्ली के जेएनयू में अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की फांसी को न्यायिक हत्या बताते हुए कुछ छात्रों ने साबरमती ढाबे के पास एक प्रोग्राम का आयोजन किया था। 'द कंट्री विदआउट पोस्ट आफिस' नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में वहां मौजूद छात्रों ने देश विरोधी नारे लगाए थे। जिसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 1200 पेज की चार्जशीट दायर की थी। चार्जशीट में देशद्रोह, दंगा भड़काना, अवैध तरीके से इकठ्ठा होना और साज़िश के आरोप लगाए गए थे। पुलिस की चार्जशीट में कन्हैया कुमार, अनिर्बान भट्टाचार्य और उमर खालिद सहित सात कश्मीरी छात्र आरोपी बताये गए हैं। चार्जशीट में कुल 46 लोगों के नाम हैं। हालांकि इस मामले पर आगे की जांच के लिए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस को अनुमति नहीं दी जिस वजह से यह पेंडिंग में पड़ा है। इसी तरह मार्च 2019 में जेएनयू के लगभग 400 से 500 वामपंथी छात्रों ने विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जगदीश कुमार के आवास का घेराव किया और वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों से मारपीट भी की। ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे सिद्ध होता है कि दिल्ली में जेएनयू भारत विरोधी एजेंडे का अखाड़ा बन चुका है। जेएनयू के एक खास खेमे के ये छात्र आखिर किस कारण एक शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय से भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं और उसे अपने भारत विरोधी राजनीति का जरिया बनाते हैं? कहां से इन छात्रों को बल मिलता है? आखिर क्यों ये छात्र 8-10 सालों तक रूककर अपना समय बर्बाद करते हैं, पढ़ाई से इतर ये लोग विभाजन की राजनीति में क्यों अंधे हो जाते हैं? इस विषय पर गंभीर मंथन की आवश्यकता है। अब तो यह प्रमाणित हो चुका है कि इसी जेएनयू से पूरे देश में शांत पडे मुस्लिमों को साजिश के तहत भडकाया गया। जामिया, एएमयू , जेएनयू में हिंसा कराई गयी। इन्हीं की देखरेख में देश के कई हिस्सों में मुस्लिम महिलाएं सीएए व एनआरसी के विरोध में शाहीन बाग़ में धरने प्रर्दशन कर रहीं , जिनके लिए मीडिया की व्यवस्था इन्हीं द्वारा

की जा रही थी। यहाँ से पूरे देश में छात्रों खासकर छात्राओं को भेज गया ताकि युवा इनके साथ निकलकर आग लगा दे। पर समय रहते इनकी साजिश बेनकाब हो गई। आप नागरिकता कानून के समर्थन में हों या विरोध में इसे सोचिए खुले मन से। शर्त सिर्फ़ एक है -- पढ़ते और सोचते समय आप एक भारतीय के दिलोदिमाग से पढ़ें और सोचें, किसी राजनैतिक कार्यकर्ता या किसी विदेशी की तरह नहीं। नागरिकता कानून के विरोध के समय विरोध करने वालों के द्वारा इन दिनों बढ़-चढ़कर तिरंगा हाथ में क्यों लहराया जा रहा है? ताकि सारे देशविरोधी कार्य खुलेआम हो सकें लेकिन कम समझदार और कम जागरूक लोगों को भ्रम हो जाये और उनके सामने इन लोगों द्वारा ख़ुद को देशभक्त दिखाया जा सके। करोड़ों आम लोगों को ऐसा लगने लगे कि ये विरोध करने वाले लोग भी देशभक्त ही है और ये लोग भी इस देश का भला ही चाहते हैं, सिर्फ़ इन मुद्दों पर ये लोग एक अलग ढंग की सोच और राय रखते हैं। अगर उनकी नीयत बिल्कुल साफ़ होती तो ये हमारे तिरंगे के 'स्पेशल इफेक्ट्स' का क्यों इस्तेमाल करते ? ऐसा एक सोची-समझी हुई रणनीति के तहत किया गया है। क्या यह सच नहीं है कि एक दिन पूर्व मुम्बई में तिरंगा की आड़ में 'कश्मीर को आज़ाद करो' वाला पोस्टर किसी भी देशभक्त को सुलगा सकता था। तिरंगा के साथ-साथ ऐसा देशविरोधी पोस्टर (चाहे बाद में उसकी कोई भी चालाकी से भरी हुई एक अलग तरह की व्याख्या की जाए) क्या इस पूरे खेल के पीछे की नीयत को खोल कर नहीं रख देता ? शाहीन बाग में विरोध के समय हाथ में अम्बेडकर के बड़े-बड़े चित्र क्यों दिखने लगे थे? ताकि दलितों को ऐसा कर के भ्रमित किया जाये और उन्हें हिंदु समाज से अलग महसूस कराकर हिन्दू समाज की मूलभूत एकता को तोड़ा जाये और उनका समर्थन हासिल किया जाए। इसमें छिपी हुई सोच यह है कि चूंकि ज़्यादातर भारतीय नागरिक एक खास समाज के हैं, इसलिए यदि दलितों को सफलतापूर्वक भ्रमित कर लिया जाये, तो अधिक से अधिक लोगों को बरगलाकर इस कानून को लागू होने से रोका जा सकता है। दिल्ली में नागरिकता कानून के विरोध के नाम चल रहे इस खतरनाक खेल में हर तरह की चालाकी खुल कर की गई। हरेक क़दम काफी प्लानिंग के तहत उठाया गया। समाज के अनेक चर्चित चेहरों (फिल्मी सितारे, लेखक, प्रोफ़ेसर, पुरष्कृत विद्वानों, कलाकारों आदि) के विरोध को चारों तरफ प्रसारित किया जा रहा है ताकि उनके सेलिब्रिटी स्टेटस के चलते सामान्य लोगों में भ्रम फैला दिया जाये कि यह कानून शायद गलत है, तभी तो इतने 'बड़े-बड़े लोग' विरोध कर रहे हैं। चूंकि, आम भारतीय लोगों में कभी भी मजबूत एकता नहीं थी। शुरू से ही इस देश की बहुसंख्यक जनसंख्या हिंदुओं की रही है लेकिन उनमें जाति और क्षेत्र के भेदभाव अनेक अंदुरुनी कारणों से लगातार बने रहे और कुछ लोगों के शातिराना हरकतों से इस तरह के भेदभाव में बहुत ज़्यादा कमी भी नहीं आने पायी। इस खेल में अंग्रेजों ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी, नए-नए तरीक़े ईजाद किये थे। हम लोगों ने यह भी देखा ही है कि किस तरह उनका 'बांटो और राज करो' वाला यह गंदा खेल राजनीतिक आज़ादी मिलने के बाद सत्ता के लालची लोगों ने भी बहुत बेशर्मी के साथ अपने-अपने दौर में खुल कर खेला है। नतीजा यह हुआ कि देश जितना मजबूत हो सकता था, उतना आजतक नहीं हुआ। अब जबकि ऐसा कुछ-कुछ मुमकिन होता दिख रहा है, तो देश के दुश्मनों के सीने पर सांप लोटने लगा। ऐसे लोग बावले होकर सड़क पर निकल आये। भविष्य में दूर तक न देख पाने वाले कुछ भारतीय, खासकर कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोग जमीनी हकीकत की अनदेखी करते हुए तरह-तरह के आदर्शों

की मीठी-मीठी भाषा (जो किसी को भी सहज ही आकर्षित कर ले) सड़कों पर ज़ोर-शोर से बोलने लगे। तरह-तरह के वैरायटी के लोगों के कूद पड़ने के कारण विरोध का साइज इसीलिए कुछ बड़ा दिखने लगा। इसमें खास पहलू तो यह है कि जितना भी उपद्रव देश के भीतर किया गया उससे अधिक विरोध को अंतरराष्ट्रीय करने के प्रयास हुए। भीतर स अधिक भारत के बाहर से इसे हवा दी गई।

नागरिकता संशोधन कानून का इतना विरोध क्यो

दरअसल, CAA से आम भारतीय मुसलमानों को क्यों परेशानी हो रही है ? क्योंकि यह पहला भारतीय कानून है जो इस्लाम के सिद्धांत को चुनौती देता है। आप जानते हैं कि सऊदी और अन्य मुस्लिम देश मुस्लिम शरणार्थियों को स्वीकार नहीं करते हैं । सभी मुस्लिम शरणार्थी अपने हम मजहबी अमीर इस्लामिक मुल्कों में शरण लेने के बजाय गैर-मुस्लिम, लोकतांत्रिक देशों जैसे यूरोपीय देशों, अमेरिका, भारत में ही शरण क्यों लेते हैं? कम्युनिस्ट मुल्कों जैसे चीन, रूस इत्यादि में शरणार्थी बन कर नहीं जाते ? इस रहस्य या असली मायने में साज़िश से लोग अनजान हैं । समझने की लिये हुदैबिया की संधि का संदर्भ लें । हुदैबिया की हिजरा (हिजरत) और संधि ...गैर-मुस्लिम भूमि पर मुसलमानों का प्रवासन अथवा घुसपैठ या शरणार्थी बनना की खास उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रक्रिया को हिजरा कहा जाता है। यह विश्व व्यापी विजय के इस्लामवादी सिद्धांत का हिस्सा है ! भारत के कब्जे के बाद, उन्होंने इस भूमि को दार उल इस्लाम (पाकिस्तान) और दार उल हरब (भारत) में विभाजित किया।इस प्रकार भारत का विभाजन इस इस्लामिक सिद्धांत विभाजन (भूमि और लोगों के) के आधार पर किया गया था। दुनिया में अब सबसे विभाजनकारी विचारधारा इस्लाम है। CAA इस प्रकार पहला भारतीय कानून है जो इस्लाम के सिद्धांत को चुनौती देता है, हाल के इतिहास में दुनिया में पहला है जो उन काफ़िरों याने गैर मुस्लिमों को राहत दे रहा है जो दार-उल-इस्लाम में अपनी मृत्यु तक मुस्लिमों की सेवा करने या उनका बलात्कार स्वीकार करके उनका मनोरंजन करने के लिए और हर तरह की यातना भोगने के लिये मौजूद हैं। CAA वह कानून है जो आतंकवादियों की विस्तारवादी नीति के लिए स्वीकार्य नहीं है अतः मुस्लिमों द्वारा इसे मुसलमानों के खिलाफ 'उत्पीड़न' कहा जाता है और इसलिए इस्लामी जगत CAA के खिलाफ इतना विरोध कर रहा है और ख़ुफ़िया तौर पर बेहिसाब धनराशि मुहैय्या करवा रहा ताकि मुस्लिमों को उकसाया जा सके । CAA , NRC , NPR , PCB मुस्लिमों की नजर में इस्लाम के विस्तारवादी कथानक को रोकने की रणनीति है, जो कि स्पेन के अधिग्रहण, हुलागू खान के मंगोल आक्रमण और धर्मयुद्ध के काफी समय बाद खतरे में है। इसलिए भारत में एक खास तरह का प्रोटेस्ट चलाया जा रहा है। विक्षिप्त मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रख कर एक साथ कई निशाने साधे जा रहे हैं।

संसद में गृहमंत्री अमित शाह

दिल्ली दंगों पर लोकसभा में हुई चर्चा में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के एक-एक सवाल का जवाब दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि दोषी चाहे किसी समुदाय या किसी भी पार्टी के हों, बख्शे नहीं जाएंगे। शाह के भाषण के दौरान कांग्रेस ने वॉक आउट किया। गृह मंत्री ने दिल्ली दंगों को सुनियोजित साजिश बताते हुए विपक्षी नेताओं के भड़काऊ बयानों का भी जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की रामलीला मैदान की रैली में 'सड़क पर निकलो, आर-पार की लड़ाई' के बयान का जिक्र किया तो वारिस पठान के '100 करोड़ पर 15 करोड़ भारी' जैसे भड़काऊ भाषण की आलोचना की।

संपत्ति जलाने वालों की संपत्तियां जब्त करेंगे

गृह मंत्री अमित शाह ने दंगों को दिल्ली के दूसरे हिस्सों में फैलने न देने और 36 घंटे के भीतर स्थिति नियंत्रित करने लेने के लिए दिल्ली पुलिस की भी पीठ थपथपाई। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी जैसे विपक्षी नेताओं के उन आरोपों को सिरे से खारिज किया कि दिल्ली पुलिस ने समुदाय विशेष के खिलाफ कार्रवाई की है। गृह मंत्री ने दंगा पीड़ितों में हिंदू-मुसलमान किए जाने पर विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि मारे गए लोग भारतीय थे। अमित शाह ने यह भी कहा कि दंगे के दौरान संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान की जा रही है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी। उन्होंने कहा कि दोषियों को ऐसी सजा दी जाएगी कि मिसाल बनेगी।

दिल्ली पुलिस की थपथपाई पीठ

शाह ने कहा, 'दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, यह सवाल पूछा जा रहा है। विपक्ष को अधिकार है कि वह सरकार की आलोचना करे लेकिन जब दंगे की बात हो, जब पुलिस हिंसा को काबू करने का प्रयास कर रही हो तब वास्तविकता को समझना चाहिए। दिल्ली की जनसंख्या 1.7 करोड़ है। जहां दंगा हुआ वहां की आबादी 20 लाख है। मैं इसके लिए दिल्ली पुलिस को शाबाशी भी देना चाहता हूं कि 20 लाख लोगों के बीच हो रहे दंगे को दिल्ली के दूसरे हिस्से में नहीं फैलने दिया। दिल्ली के 4 प्रतिशत क्षेत्र और 13 प्रतिशत आबादी तक दंगे को सीमित रखा दिल्ली पुलिस ने।'

'36 घंटे में दंगे पर पुलिस ने काबू पाया'

दिल्ली पुलिस की पहली जिम्मेदारी थी हिंसा को रोकना। 24 फरवरी 2020 को 2 बजे के करीब पहली सूचना प्राप्त हुई और अंतिम सूचना 25 फरवरी रात 11 बजे। ज्यादा से ज्यादा 36 घंटे तक यह दंगे चले। मैं शाबाशी नहीं दे रहा हूं, सिर्फ दूसरा पक्ष रख रहा हूं। यह स्वीकारना पड़ेगा। 36 घंटे में ही स्थिति नियंत्रण में करने में दिल्ली पुलिस कामयाब हुई।

'दिल्ली में ट्रंप के कार्यक्रमों में नहीं गया'

सौगत राय और बाकी दूसरे सदस्यों ने मेरे बारे में भी सवाल उठाए। सवाल उठाइए लेकिन तथ्यों से छेड़छाड़ का कोई अधिकार नहीं है। कहा गया कि मैं ट्रंप के कार्यक्रम में बैठा था। वह कार्यक्रम मेरे क्षेत्र में हो रहा था, मैं वहां गया लेकिन तब शांति थी। मैं शाम 6 बजे तक दिल्ली आ गया। उसके बाद दूसरे दिन राष्ट्रपति भवन पर ट्रंप की अगवानी हुई, लंच हुआ, डिनर हुआ लेकिन मैं नहीं गया। पूरे समय मैं दिल्ली पुलिस के साथ बैठकर दंगों को कंट्रोल करने पर काम कर रहा था। 24 तारीख की शाम को 7 बजे, 25 को सुबह 8 बजे और 25 की शाम 6 बजे रिव्यू मीटिंग की। जब दंगे होते हैं तब किसकी क्या जिम्मेदारी होती है, यह नहीं देखते। मैंने ही अजित डोभाल से कहा कि आप जाइए और पुलिस का मनोबल बढ़ाइए। मैं इसलिए नहीं गया कि मेरे जाने से पुलिस मेरे पीछे लगती जबकि फील्ड में उनकी जरूरत थी।

'दिल्ली के सबसे घने और मिश्रित आबादी वाले इलाके में हुए दंगे'

दंगे इतनी जल्दी कैसे फैल गए, 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई....हमें पूर्वोत्तर दिल्ली की भौगोलिक स्थिति को समझना होगा। 61 वर्ग किलोमीटर में यह क्षेत्र है, देश के सबसे घनी आबादी वाला इलाका है। तंग गलियां हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा मिली-जुली आबादी नॉर्थ ईस्ट में ही है। आपराधिक तत्व भी वहां काफी समय से सक्रिय रहे हैं। यूपी का बॉर्डर भी सटा हुआ है।

सीआरपीएफ नहीं भेजने के आरोप पर बोले- 23 को ही उतार दी थी CAPF

सीआरपीएफ भेजनी चाहिए थी, यह कहा गया। कुछ लोगों ने कहा कि मिलिटरी लानी चाहिए। 22 फरवरी को दिल्ली पुलिस की 17 कंपनी और सीएपीएफ की 13 कंपनियों यानी कुल 30 कंपनियों को तैनात किया। 24 तारीख को 40 अतिरिक्त, 15 को और 50 कंपनियां भेजी गईं। 28 तारीख से वहां लगातार 80 कंपनियां तैनात हैं।

'700 से ज्यादा एफआईआर, 2,647 गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए'

कुछ सदस्यों ने पूछा कि एफआईआर हुआ या नहीं? 27 तारीख से आज तक 700 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई, दोनों कम्यूनिटी के लोगों पर है। कुल 2,647 लोग हिरासत में लिए गए हैं या गिरफ्तार किए गए हैं। सीसीटीवी फुजेट का विश्लेषण हो रहा है। मीडिया और आम लोगों से भी अपील की गई है कि उनके पास जो भी फुटेज हो, उसे दिल्ली पुलिस को भेजे। अंकित शर्मा के मर्डर से भी उसी विडियो से पर्दा उठेगा, जिसको एक आम नागरिक ने भेजा है।

दंगाइयों की फेस आइडेंटिटी सॉफ्टवेयर से कर रहे पहचान

हम फेस आइडेंटिटी सॉफ्टवेयर के जरिए विश्लेषण कर रहे हैं। यह धर्म नहीं देखता है। 1100 से ज्यादा लोगों की पहचान कर ली गई है। 300 से ज्यादा लोग यूपी से दिल्ली में दंगा करने आए थे। यह बताता है कि यह गहरी साजिश थी। 24 फरवरी की रात को 10 बजे सबसे पहला काम यूपी की सीमा सील करने का किया गया।

नितिन गडकरी का हस्तक्षेप-

इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की मांग हो रही थी लेकिन जब गृह मंत्री चर्चा का जवाब दे रहे हैं तो सुन नहीं रहे। यह परंपरा ठीक नहीं है।

'दंगे में शामिल किसी भी शख्स को नहीं बख्शेंगे'

फेस आइडेंटिटी सॉफ्टवेयर के जरिए पहचान। 40 टीमें चिह्नित लोगों को गिरफ्तार करने में लगाई गई हैं। नरेंद्र मोदी सरकार दंगे में भूमिका वाले किसी भी शख्स को नहीं बख्शेगी। एसआईटी की 2 टीमें बनाई हैं जो 49 के करीब गंभीर गुनाहों की जांच करेगी। 49 आर्म्स ऐक्ट के केस दर्ज हुए और करीब 152

हथियार भी बरामद किए गए हैं। शांति समितियों की बैठक 25 तारीख की शाम से शुरू हुई और अब तक 600 से ज्यादा ऐसी बैठकें की जा चुकी हैं।

'बिना साजिश के इतने बड़े पैमाने पर दंगे नहीं हो सकते'

हमने एक केस साजिश का भी दर्ज किया है। इतने बड़े पैमाने पर दंगे तभी हो सकते हैं जब पूर्वनियोजित हो। जनवरी-फरवरी के बाद कितनी रकम हवाला के जरिए आई है, इसे खंगाला जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने ऐसे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आईएस से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक को हिरासत में लिया गया है। जिन्होंने भी दंगा करने की हिमाकत की है, वे कानून की गिरफ्त से एक इंच भी भाग नहीं पाएंगे।

'धर्म के आधार पर बने कम से 25 कानून तो मैं बता सकता हूं'

कहा जा रहा है कि कोई कानून ऐसा नहीं है जो धर्म के आधार पर नहीं है। ऐसे कम से कम 25 कानून तो मैं बता सकता हूं। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? कहा जा रहा है कि सीएए का विरोध करने वाले शांति से बैठे थे और जब उसका समर्थन करने वाले निकले तो दंगे हो गए। हकीकत यह है कि 25 फरवरी से पहले सीएए के विरोध से ज्यादा समर्थन में रैलियां निकलीं। कम से कम 25 रैलियों में मैं खुद भी गया था। यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि प्रो-सीएए वाले निकले तो दंगे हुए।

कांग्रेस नेताओं के भड़काऊ भाषणों का किया जिक्र 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक पार्टी (कांग्रेस) रैली करती है और पार्टी की मुखिया (सोनिया गांधी) भाषण में सड़क पर उतरने और आर-पार की बात कहती हैं। एक और नेता कहते हैं कि अभी नहीं निकले तो कायर कहलाओगे। यह हेट स्पीच नहीं है। 14 दिसंबर की रैली के बाद 16 दिसंबर को शाहीनबाग का धरना शुरू हो गया।

'भड़काऊ भाषणों से बना तनाव का माहौल, भड़के दंगे'

17 फरवरी को यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नाम का संगठन चलाने वाले भाषण में कहते हैं कि 24 तारीख को जब ट्रंप आएंगे तो हम सभी सड़क पर उतरेंगे। वारिस पठान 19 फरवरी को कहते हैं- जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसे छीननी पड़ती है, हम 15 करोड़ हैं लेकिन 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे। बयान को वापस भी लिया तो क्या हुआ, हेट स्पीच अपना असर दिखाती है।

इन उत्तेजनात्मक भाषणों के बाद 23 फरवरी की रात से दिल्ली में तनाव का माहौल बनने लगा और 24 को दंगे शुरू हो गए। सांप्रदायिक दंगे जैसे संवेदनशील मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

60 अकाउंट ऐसे हुए जो 26 तारीख को बंद हो गए। इससे वे बच नहीं सकते, हम ढूंढ निकालेंगे। 25 आईटी ऐक्ट का केस दर्ज किया है। पैसा दिल्ली में पहुंचा कैसे, यह भी साजिश का हिस्सा है। सोशल मीडिया के जरिए भड़काया गया। ट्रंप आए तभी करो, इस तरह उकसाया गया।

'संपत्ति जलाने वालों की संपत्ति जब्त करेंगे'

पूरे दंगे में संपत्ति का बहुत नुकसान हुआ है। इसका दुख है। हमने क्लेम कमिशन के गठन के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पत्र लिखा है। जिन्होंने भी संपत्तियां जलाई हैं, उनकी पहचान कर उनकी सारी संपत्ति जब्त की जाएगी।

दंगे में जान-माल का नुकसान 52 भारतीयों की मौत हुई, मैं हिंदू मुसलमान नहीं मानता। 526 घायल हुए हैं, 371 भारतीयों की दुकानें जली हैं और 142 के घर जले हैं। इस सदन में भी हम भारतीयों को हिंदू-मुसलमान में नहीं बांटना चाहिए। औवैसी साहब ने कहा कि मस्जिद जल गई, उन्हें बताना चाहता हूं कि मंदिर भी जल गए। हम मंदिर मस्जिद नहीं करते। ओवैसी जुबैर की बात करते हैं, दुख है लेकिन अंकित शर्मा की मौत पर भी तो कुछ बोलते। कम से कम वारिस पठान को तो समझा देते, भला होता।

'दंगों में मारे गए 76 प्रतिशत लोग कांग्रेस के राज में हुई हिंसा में मरे'

वो कह रहे थे कि हमारे समय में ही दंगे होते हैं। भारत के इतिहास में दंगों में मारे गए 76 प्रतिशत लोग कांग्रेस शासन में हुए दंगों में मारे गए। 3 हजार सिख भाई रातों-रात जला दिए गए, काट दिए गए लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब गुनहगार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया। 3000 सिख जला दिए गए और आप कहते हैं कि पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है।

'दोषी चाहे किसी भी पार्टी का हो, समुदाय का हो, नहीं बख्शा जाएगा'

दिल्ली दंगे सोची-समझी साजिश के परिणाम है। मैं दिल्ली दंगे में मारे गए लोगों के परिजनों को आश्वस्त करता हूं कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे किसी भी पार्टी का हो।

'दोषियों को ऐसी सजा दी जाएगी, जो मिसाल बनेगी'

बीएसपी के सांसद महोदय ने कहा कि पुलिस पत्थरबाजी कर रही है। पुलिस दंगाइयों को भगाने के लिए पत्थर चला रहे थे, वे दंगाइयों के साथ नहीं थे। 5000 से ज्यादा आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लाठी चार्ज किया गया है। पुलिस ने संयम से काम करते हुए 36 घंटे में दंगों को काबू कर लिया। दोषियों की ऐसी सजा दी जाएगी कि मिसाल बनेगी कि दंगा करने वालों का क्या अंजाम होता है।

साभारः नवभारत टाइम्स

दिल्ली के विचित्र दंगे

दिल्ली के दंगों में 52 भारतीय मारे गए हैं। ये बड़े विचित्र दंगे हैं। यहां कही कोई भीषण प्रतिक्रिया नही हुई । सवा दो महीने तक धीमे धीमे इसे सुलगाया गया। इस पूरे मामले में विपक्ष के किसी भी नेता ने शांति की अपील नही की। बल्कि आग में घी का काम करते रहे। यह भारतीय राजनीति का अद्भुत आंदोलन रहा है। इसमें कोई प्रतिनिधि नही। कोई नेता नही। कोई मांग नही। कोई मुद्दा नही। इससे पहले देश मे जितने भी आंदोलन हुए है सभी मे कोई मुद्दा होता था। मांग होती थी। एक नेता होता था। साइमन कमीशन का विरोध हुआ तो मांग थी कि इसमें भारतीय प्रतिनिधि को शामिल किया जाय। रोलेट एक्ट के विरोध हुआ तो मांग थी कि मुकदमा चलाने के बाद ही कोई गिरफ्तारी हो। अन्ना आंदोलन में अरविंद केजरीवाल संयोजक थे और कई विन्दुवार मांगें थीं। जयप्रकाश आंदोलन में खुद जेपी थे। अयोध्या आंदोलन में दोनो पक्ष थे। लेकिन यह ऐसा आंदोलन था जिसमे मीडिया में तो प्रतिनिधि मिलते थे लेकिन वैसे कोई नेता नही था। गृहमंत्री ने जब कहा कि जो भी चाहे आकर बात करे तो कोई नही गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब भी कोई प्रतिनिधि नही मिला। इस दंगे के लिए समय भी खूब रणनीति से तय किया गया। ऐसे समय जब देश मे कोई राष्ट्राध्यक्ष आया हुआ था। उसके सामने सब हुआ इसलिए ताकि देश के बाहर इसे मुद्दा बनाया जाय।इसके लिए एक सप्ताह पहले 17 फरवरी को बाकायदा ऐलान किया गया। इससे पहले 14 और 15 फरवरी को विदेशों में भारत के दूतावासों के सामने ओवरसीज कॉंग्रेस द्वारा प्रदर्शन किए गए । दंगे ठीक उस दिन शुरू किए गए जिस दिन डोनाल्ड ट्रम्प दिल्ली पहुचे। 72 दिनों से सुलगती आग पर 36 घंटे में दिल्ली पुलिस ने काबू पा लिया। कहा गया कि हेट स्पीच के कारण दंगे हुए। आरोप अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा के 20 जनवरी, 28 जनवरी और 24 फरवरी के भाषणों पर लगे। लेकिन उन भाषणों की कोई चर्चा नही की गई जिनमे कहा जा रहा था कि असम को अलग करेंगे, फ्री कश्मीर लेकर रहेंगे, 100 करोड़ पर 15 करोड़ भारी पड़ेंगे। एक सज्जन ने तो यहां तक कह दिया कि न संसद की मानेंगे

न सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे। सड़क पर लेंगे। ऐसा नही है कि भारत मे इससे पहले दंगे नही हुए है। यहां 18 ऐसे विभत्स और भीषण दंगो का विवरण प्रस्तुत है जिनमे 100 या उससे अधिक लोग मारे गए। 1967 रांची, 1969 अहमदाबाद, 1970 जलगांव, 1969 जमशेदपुर, 1980 मुरादाबाद, 1983 नैली, 1984 भिवंडी, 1984 दिल्ली, 1985 अहमदाबाद, 1989 भागलपुर, 1990 दिल्ली, हैदराबाद , अलीगढ़, 1992 सूरत, कानपुर, भोपाल, 1993 मुम्बई और 2002 गुजरात। दिल्ली का इस बार का दंगा अलग ही था। इन दंगों में मारे गए अंकित शर्मा के शरीर पर चाकुओं से 400 वार किए गए। यह कैसी प्रवृत्ति है। यह तो वही प्रवृत्ति है जो सरहद पर सैनिकों के सिर काटने में दिखती है।अंकित के जरिये क्या संदेश दिया गया। यह संदेश सीधा राष्ट्र विरुद्ध है। इसको पाकिस्तान के सेनेट कमेटी की अक्टूबर 2016 की रिपोर्ट से बहुत ठीक से समझा जा सकता है।

क्या कहती है पकितनी सीनेट की रिपोर्ट

भारत के आंतरिक मामले को हिंदू बनाम मुसलमान का रंग देकर कैसे पाकिस्तान हाथ सेंक रहा है. उसकी एक-एक हकीकत इमरान और पाकिस्तान की नीयत को बेनकाब कर देगी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और आरएसएस का डर दिखाकर कैसे इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान अपने मोहरों से भारत को अस्थिर करने की साज़िशें रचते हैं. आज उसकी गवाही खुद पाकिस्तानी संसद के सबसे अहम दस्तावेज देने जा रहे हैं. आप यह जानकार हैरान रह जाएंगे कि आतंक एक्सपोटर पाकिस्तान भारत में न सिर्फ मजहबी नफरत बल्कि दलितों को उकसाने के लिए बाकायदा एक नीति पर काम करता है. भारत के आंतरिक मामलों में टांग अड़ाने वाले इमरान की करतूत यूं ही नहीं, बल्कि एक सोची-समझी और गहरी साज़िश है. आइए देखते हैं पाकिस्तानी सीनेट के दस्तावेज और उसकी गाइडलाइन पर नजर डालते हैंः अक्टूबर 2016 के नाम से ये पाकिस्तानी सीनेट यानी वहां की सीनेट की रिपोर्ट है. इसके कवर पेज पर पॉलिसी गाइडलाइन व्यू ऑफ द लेटेस्ट सिचुएशन डेवलपिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान... मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालात पर नीतियां अमल में लाने को कहा गया था. सीनेट की बैठक 26 सितंबर 2016 को हुई थी. गाइडलाइन की शुरुआत में ही बताया गया है कि कश्मीर मसले पर पाकिस्तान को कैसे प्रोपेगैंडा करना है. दुनिया में झूठ को सच बनाकर कैसे बेचना है.

जिस पाकिस्तान के पास कर्जे की किस्त चुकाने के लिए पैसे नहीं..उसने कुलभूषण पर झूठ को सच बनाकर बेचने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया.,..हर केस के लिए 20 करोड़ की रकम खर्च की..बावजूद इसके उसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुंह की खानी पड़ी.

इसमें बताया गया है कि कश्मीर पर भारत विरोधी प्रचार के लिए एक कॉर्डिनेशन कमेटी बनाएं, जिसमें अलगाववादियों को शामिल किया जाए. पाकिस्तानी संसद, विदेश मंत्रालय की टीम ऐसी शीट बनाए, जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाए.

गाइडलाइन में साफ-साफ लिखा है कि भारत के अल्पसंख्यक, जिसमें मुस्लिम..सिख..ईसाई शामिल हो..उनके मतभेद का फायदा उठाया जाए. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें दलितों का जिक्र किया गया. पाकिस्तानी संसद की समिति ने भारत के अल्पसंख्यक. दलितों के मुद्दे को भुनाकर स्टेट के खिलाफ यानी सिस्टम के खिलाफ खड़ा कर देने की वकालत की है.

भारत के इन नागरिकों के मसले को लाइमलाइट करने का जिम्मा इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट और इस्टीट्यूट ऑफ रिजनल स्टडीज को सौंपा गया, जो भारत के आंतरिक मामले के खिलाफ दुष्प्रचार कर नफरत के शोले भड़का सके और पाकिस्तान दुनिया में ढोल पीट सके..कि देखो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है.

गौर करने वाली बात ये है कि इस रिपोर्ट में एक बार नहीं... बल्कि चार बार मोदी और संघ का जिक्र किया गया. 2016 में ही पाकिस्तानी संसदीय समिति ने बताया था कि 2019 में भी मोदी की सरकार आएगी और हमें वहां के अल्पसंख्यकों से संवाद करने के लिए एक लॉबी तैयार करनी होगी.

मतलब ये है कि मोदी के खिलाफ इनके बयानों को पाकिस्तान ने अपने टूल की तरह इस्तेमाल करने की नीति बनाई. सीनेट की इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के मामले को जासूसी से जोड़ा, क्योंकि सीनेट ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत को बदनाम करने के लिए कुलभूषण जाधव के मामले को किसी बड़े लॉ स्कॉलर से उठवाना चाहिए.

जिस पाकिस्तान के पास कर्जे की किस्त चुकाने के लिए पैसे नहीं..उसने कुलभूषण पर झूठ को सच बनाकर बेचने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया.,..हर केस के लिए 20 करोड़ की रकम खर्च की..बावजूद इसके उसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुंह की खानी पड़ी. यही हाल कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद दिखा..कश्मीर पर दुष्प्रचार करने के लिए पाकिस्तान ने बहुत हाथ पैर चलाए. अलगाववादियों को ढाल बनाकर कश्मीर को अस्थिर करने की चालें चली..मगर फरेबी पाकिस्तान की दाल नहीं गली और जैसे ही नागरिकता संशोधन कानून बिल पास हुआ....पाकिस्तान के अंदर का आतंकी जाग उठा.

जब सीनेट ने अपनी ये रिपोर्ट रखी थी..तब पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ की सरकार थी. वक्त बदला..शरीफ से इमरान मुल्क के कप्तान बन गए..मगर कुछ नहीं बदला..तो वो है पाकिस्तान की फितरत...ऐसे में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसक घटनाओं में यही सवाल है कि जाने-अनजाने कहीं उपद्रवी पाकिस्तान का मोहरा तो नहीं बन गए.

एक तरफा एजेंडा चलाता रहा पश्चिमी मीडिया

अद्वैता काला

दिल्ली के भयावह दंगों के बाद कुछ और डरावने रुझाने सामने आए। इसी में एक है पश्चिमी मीडिया का एकतरफा एजेंडा। उसके द्वारा दंगों से जुड़ा एकपक्षीय विमर्श पेश करना किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। वास्तविकता यह है कि दिल्ली के दंगे पूरी तरह सांप्रदायिक थे जिसमें हिंदू और मुसलमानों दोनों वर्गों को जान-माल का नुकसान उठाना पड़ा। इसके बावजूद पश्चिमी मीडिया इसे मुस्लिम विरोधी दंगों के रूप में चित्रित करने की कोशिश में लगा रहा। इसमें कुछ भारतीय भी उसके मददगार रहे।

पश्चिमी मीडिया ने फेक न्यूज फैलाकर 'सांप्रदायिक' भूमिका निभाई

वास्तव में इन लोगों ने फेक न्यूज फैलाकर 'सांप्रदायिक' भूमिका ही निभाई। उनके दुष्प्रचार ने खासा खतरनाक असर दिखाया। इसकी बानगी आइएस पर व्यापक रूप से लिखने वाली पत्रकार रुक्मिणी कलिमाछी की उस रिपोर्ट में दिखा जिसके अनुसार पश्चिमी मीडिया के इस दुष्प्रचार भरे विमर्श को आइएस ने 'विलायत-ए-हिंद' में जवाबी हिंसा को जायज ठहराने वाले पोस्टर का हिस्सा बनाया है। आइएस ने अपने खलीफाई शासन में भारत को यही नाम दिया है।

पश्चिमी मीडिया की कवरेज ने भारत को आतंकी संगठनों के निशाने पर ला दियास्पष्ट है कि पश्चिमी मीडिया की इस किस्म की कवरेज ने भारत को आतंकी संगठनों के निशाने पर ला दिया है। भारतीय सुरक्षा परिदृश्य पर गहन नजर रखने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे बताया कि हमें किसी बड़े आतंकी हमले को लेकर सतर्क रहना चाहिए। यह देश की सुरक्षा के साथ-साथ समुदायों के बीच भाईचारे की भावना के लिए सही नहीं होगा।

> पश्चिमी मीडिया की कवरेज ने भारत को आतंकी संगठनों के निशाने पर ला दियास्पष्ट है कि पश्चिमी मीडिया की इस किस्म की कवरेज ने भारत को आतंकी संगठनों के निशाने पर ला दिया है। भारतीय सुरक्षा परिदृश्य पर गहन नजर रखने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे बताया कि हमें किसी बड़े आतंकी हमले को लेकर सतर्क रहना चाहिए। यह देश की सुरक्षा के साथ-साथ समुदायों के बीच भाईचारे की भावना के लिए सही नहीं होगा।

एक हिंदी चैनल ने दिल्ली दंगों का प्रतीक बन चुके शाहरुख को हिंदू बताने से नहीं किया गुरेज भारत में मुख्यधारा के एक हिंदी चैनल पर मशहूर एंकर ने दिल्ली दंगों का प्रतीक बन चुके शाहरुख को हिंदू बताने से गुरेज नहीं किया। पुलिस की भूमिका और अक्षमता पर भी सवाल उठाए गए। इसके पीछे संदेश स्पष्ट था कि पुलिस को पता नहीं था कि वह क्या कर रही है और इस कारण उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह पूरी तरह गैरजिम्मेदाराना कृत्य था।

अमेरिकी अखबार में झूठी खबर छपी कि हिंदू भीड़ ने आइबी कर्मी अंकित शर्मा को मार डाला :

अमेरिकी अखबार 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' में दंगों में जान गंवाने वाले आइबी कर्मी अंकित शर्मा के भाई के हवाले से यह झूठी खबर छपी कि हिंदू भीड़ ने उनके भाई को मार डाला। यह सरासर झूठ है, क्योंकि तमाम प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आप नेता ताहिर हुसैन के साथी अंकित को घसीटकर ले गए थे। सीएनएन पर अपने कार्यक्रम में फरीद जकारिया ने मोदी की घोर आलोचक पत्रकार राणा अय्यूब का साक्षात्कार किया। उसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के

नुकसान पर बात हुई। हिंदू पीड़ितों का कोई उल्लेख नहीं हुआ। कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन कोई लाशों को तो नहीं झुठला सकता?

दिल्ली दंगों पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने पूरी तरह एकतरफा और कुटिल रिपोर्टिंग की :

आखिर मोदी को लेकर नापसंदगी हिंदुओं के प्रति नापसंदगी में कैसे बदल सकती है? इससे भी महत्वपूपूर्ण बिंदु यह है कि क्या हिंदुओं के प्रति नफरत के लिए मोदी केवल एक बहाना हैं? अफसोस की बात है कि यह पहली बार नहीं जब अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने पूरी तरह एकतरफा और कुटिल रिपोर्टिंग की हो। उसकी कुटिलता से आइएस जैसे आतंकी संगठन भारत को निशाना बना सकते हैं। इससे दो समुदायों के बीच हिंसा भड़कने की आशंका के साथ ही अविश्वास की खाई और चौड़ी हो सकती है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी को अपने हितों का ध्यान रखने वाला व्यक्ति कहा :

हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को इस पूरे अभियान से अलग करके नहीं देख सकते जिनके बारे में राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वयं कहा कि वह बहुत दृढ़ व्यक्ति हैं। अगर दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसका पूरा जीवन कारोबारी सौदों को अंजाम देने में गुजरा हो और जिसने इस विषय पर एक किताब भी लिखी है, मोदी को अपने हितों का ध्यान रखने वाला व्यक्ति कहे तो यह काफी मायने रखता है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया किसी ऐसे दृढ़ भारतीय नेता से सौदेबाजी की अभ्यस्त नहीं रही जिसने अपना पहला कार्यकाल वैश्विक स्तर पर स्वयं के लिए जगह बनाने में लगा दिया हो।

दुनिया का पाला पहले कभी मोदी सरीखे भारतीय नेता से पड़ा ही नहीं :

उनकी राष्ट्र सर्वोपरि की शपथ ने उन तमाम लोगों का मिजाज बिगाड़ा है जो यथास्थितिवाद के शिकार होकर भारत को हमेशा मदद का कटोरा लिए सहायता मांगते देखने के अभ्यस्त थे। इसके बजाय मोदी भारत अभ्युदय की बात करते हैं। ऐसे भारत की जिसकी आबादी युवा और महत्वाकांक्षी है, जो चंद्रयान जैसे नवाचार और योग जैसी परंपरा को समान रूप से सराहती है। असल में दुनिया का पाला पहले कभी मोदी सरीखे भारतीय नेता से पड़ा ही नहीं।

मोदी के दोबारा सत्ता में आने से पहले मीडिया ने उनकी कड़ी आलोचना वाले आलेख छापे :

मोदी के दोबारा सत्ता में आने से पहले ही परंपरागत मीडिया ने उनकी कड़ी आलोचना वाले आलेख छापे। उन्हें उम्मीद थी कि इससे जनता में उनकी स्वीकार्यता घटेगी। इसका मामूली सा भी असर नहीं हुआ और प्रधानमंत्री भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटे।

मोदी की सत्ता में वापसी से विरोधी खेमे को कुंठा के सिवाय कुछ नहीं मिला :

मोदी की वापसी ने जहां भारतीयों के बीच उनकी लोकप्रियता को पुष्ट किया वहीं विरोधी खेमे को कुंठा के सिवाय कुछ नहीं मिला। अब उसी कुंठित तबके को दिल्ली दंगों में यह 'अवसर' दिखा कि वे

दुनिया को यह दिखा सकें कि मोदी राज में मुस्लिम सुरक्षित नहीं। इसी मकसद को हासिल करने के लिए उन्हें अंकित शर्मा के साथ हुई बर्बरता को पूरी तरह अनदेखा करना था, जिनके शरीर पर 400 बार धारदार हथियार से वार किए गए और जिनकी लाश नाले में मिली।

'जय श्री राम' के नारे को नफरत का पर्याय बना दिया

महज पांच हजार रुपये महीने की तनख्वाह पर काम करने वाला उत्तराखंड का एक युवा दिलबर नेगी भी ऐसी ही नफरत की भेंट चढ़ गया। विनोद कुमार की हत्या सिर्फ इसी वजह से हो गई कि उनकी मोटरसाइकिल पर 'जय श्री राम' का स्टिकर लगा था। आतंक का कोई धर्म नहीं होता, यही बात कहने वाले लोगों ने 'जय श्री राम' के नारे को नफरत का पर्याय बना दिया है।

दिल्ली दंगा हिंदुओं की छवि खराब करने की कवायद :

इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदुओं की छवि खराब करने की कवायद पहले से ही जारी थी, लेकिन दिल्ली में हुए दंगों के साथ इस अभियान ने पूरी तेजी पकड़ ली।

दिल्ली दंगों में मुस्लिमों की हत्या की अनदेखी नहीं की जा सकती :

हालांकि इन दंगों में मुस्लिमों की हत्या की अनदेखी करना भी निर्मम होगा। आखिर ऐसे देश में इस किस्म के दुष्प्रचार का क्या मतलब जहां अल्पसंख्यक खूब फूले-फले हों जबकि बगल के पाकिस्तान और बांग्लादेश में उनका विभाजन के बाद से ही सफाया

होता गया। आखिर मृतकों में गिने जाने के लिए हिंदुओं को क्या कीमत अदा करनी होगी जब अपनी जान गंवाना भी इसके लिए पर्याप्त नहीं पड़ रहा हो?

हर जिंदगी कीमती है चाहे वह हिंदू की हो या मुसलमान की

चूंकि हर जिंदगी कीमती है चाहे वह हिंदू की हो या मुसलमान की इसलिए पश्चिमी मीडिया और देश में बैठे कुछ लोगों के दुष्प्रचार को बेनकाब करना ही होगा। हमें उन ताकतों को लेकर भी सचेत रहना होगा जो समुदायों के बीच विभाजन पैदा करना चाहती हैं।

साभार (स्तंभकार पटकथाकार हैं)

नोआखाली - 1946

महामना का महाप्रयाण और कल्याण का विशेषांक

भारत मे दंगो का होना नई बात नही है। अभी जो दिल्ली में हुआ वह किन लोगों ने किया, क्यो किया, किसकी शह पर किया, इसका इतिहास बहुत पुराना है। 1946 का अविभाजित भारत। नोआखाली आज बांग्लादेश का हिसा है। बीच मे पूर्वी पाकिस्तान था। उस समय यानी 1946 में भारत में ही था। वहां उस समय क्या क्या हुआ, इसकी सटीक जानकारी इतिहास की पुस्तको में भी नही। नोआखाली का सत्य बहुत कड़वा है। इतना कड़वा कि उन हालात को महामना सह नही सके । भाईजी हनुमान प्रसाद पोद्दार गांधी जी के जितने निकट थे उतने ही महामना के भी। महामना के महाप्रयाण और नोआखाली की घटनाओं ने उन्हें भी झकझोर दिया। कल्याण का एक विशेष अंक निकाला भाई जी ने लेकिन तत्कालीन सरकार ने उस सत्य को प्रसारित नही होने दिया। 70 वर्षो में किसी को भी फुरसत नही मिली कि नोआखली के सत्य को सामने लाया जाय। कल्याण के अक्टूबर 1946 के अंक में सुरक्षित उस सत्य को देश के सामने लाने की व्याकुलता ने उस तक पहुचाया। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार के प्रपौत्र श्री रसेंदु जी फोगला के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने उस दुर्लभ अंक की सामग्री संस्कृति पर्व को उपलब्ध कराई। गीताप्रेस और उसके प्रबंधक डॉ लालमणि तिवारी जी के प्रति आभार। संस्कृति पर्व आज कल्याण के उस अंक को उसी रूप में पाठकों तक पहुचाने का प्रयास कर रहा है।

संपादक

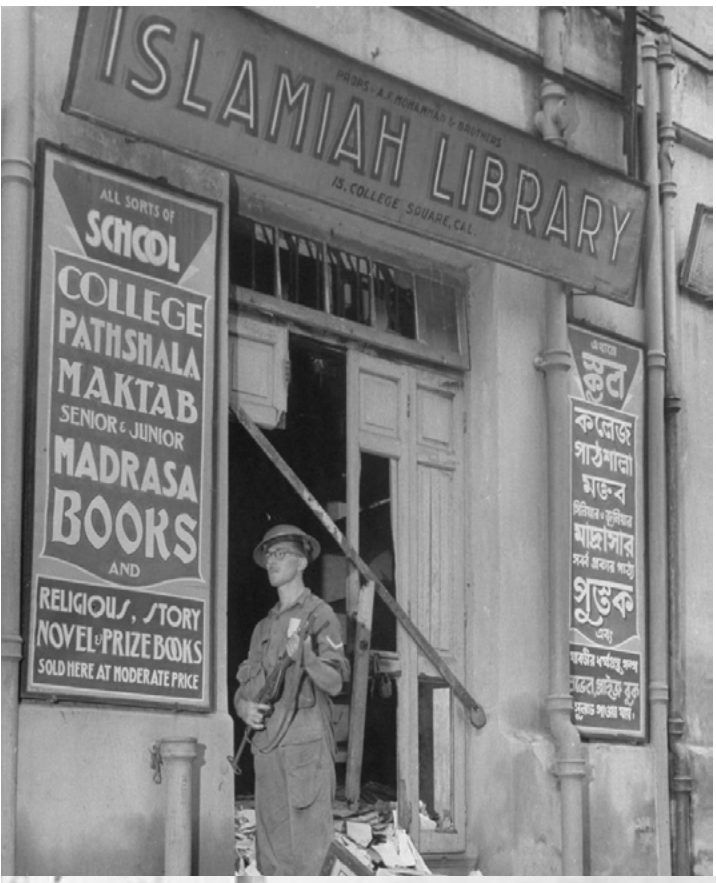
ISLAMIAH LIBRARY
15, COLLEGE SQUARE, CAL.
ALL SORTS OF
SCHOOL
COLLEGE
PATHSHALA
MAKTAB
SENIOR & JUNIOR
MADRASA
BOOKS
AND
RELIGIOUS, STORY
NOVEL & PRIZE BOOKS
SOLD HERE AT MODERATE PRICE

कल्याण
पूज्यपाद महामना मालवीयजीकी पुण्यस्मृतिमें—श्राद्धोपलक्ष्यपर

पूज्यपाद महमना श्रीमालवीयजी महाराज

पूज्यपाद पण्डित महामना मदनमोहनजी मालवीयका गत मार्गशीर्ष कृष्ण ४ दिनमें ४ बजकर १३ मिनटपर श्रीकाशीधाममें कैलासवास हो गया! मालवीयजीका सारा जीवन भारतवर्ष, सनातनधर्म और हिंदू-जातिकी सेवामें बीता है। वे जीवनके प्रभातकालसे ही मानवताकी रक्षा और समृद्धिकी चिन्तामें लगे थे। इसीलिये उन्होंने भारतवर्ष, सनातनधर्म और हिंदू-जातिकी सेवाका कार्य उठाया था। वे जानते थे कि भारत, सनातनधर्म और हिंदूजातिकी रक्षा और समृद्धिसे ही विश्वमें मानवताकी रक्षा और अभ्युदय होगा। क्योंकि मानवताका ही नहीं, जीवनमात्रके स्वरूपका यथार्थ दर्शन जैसा भारतवर्षके हिंदू सनातनधर्मने किया है और जीवमात्रकी रक्षा तथा अभ्युदयका साधनसम्पन्न सफल सन्देश जैसा भारतके हिंदूसनातनधर्मने दिया है वैसा और किसी भी देशके किसी भी धर्मने नहीं दिया!

मालवीयजी यों तो कई वर्षोंसे कमजोर थे; परन्तु इधर बंगालके निरपराध नर-नारियोंपर होनेवाले बर्बर अत्याचारोंने उन्हें व्याकुल कर दिया। उनका हृदय दुःख, सन्ताप और सहानुभूतिसे मर गया। उन्होंने हिंदुओंको और सारे देशवासियोंको एक लंबा वक्तव्य दिया और शय्यापर पड़ गये। फिर उठे ही नहीं। बीच-बीचमें जब बोलते तब नोआखालीके सम्बन्धमें ही कुछ पूछते! इस प्रकार वे तो जीये मानवताके लिये और मरे भी मानवताके लिये! परन्तु उनके इस समयके महाप्रयाणसे भारत खास करके हिंदू-जातिका एक बहुत बड़ा सहारा उठ गया। पता नहीं, भारतकी किस इच्छाको पूर्ण करनेके लिये ऐसा विकट विधान हुआ है!

उनके वक्तव्यका भी एक इतिहास है। 'कल्याण' परिवारके पुराने सदस्य, आरा जैन कालेजके प्रोफेसर पं० भुवनेश्वरनाथजी मिश्र 'माधव' एम्० ए० गोरखपुर आये हुए थे। प्रयागके कुछ स्वेच्छाचारी अफसरोंके द्वारा झूसीके प्रसिद्ध मौनव्रती श्रीप्रभुदत्त जो ब्रह्मचारीके पकड़े जानेकी चर्चा चल रही थी। कहा गया कि मानवीय श्रीपन्तजी और श्रीकिदवई साहेबको अनेकों तार-पत्र दिये गये; परन्तु एककी भी सुनवायी नहीं हुई। इसपर यह निश्चय हुआ कि अब हिंदू-जातिके अवलम्ब महामना श्रीमालवीयजी महाराजकी शरण ली जाय। 'माधव' जीने जाना स्वीकार किया और ता० २७ अक्टोबरको वे प्रभुदत्तजीके मामलेके साथ ही नोआखालीके अत्याचारके सम्बन्धमें भी कुछ कागजात लेकर महामना मालवीयजीकी सेवामें गये और २८ को उनसे मिले। पूज्य मालवीयजी महाराजने उनकी बातें सुनकर और सोच-विचारकर उसी समय माननीय श्रीपन्तजी और श्रीकिदवई साहेबको निम्नलिखित तार दिया—

'रामलीला-जुलूसके सम्बन्धमें गिरफ्तार प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी मलाका जेल इलाहाबादमें विचाराधीन कैदीके रूपमें हैं। ये उच्चश्रेणीके आध्यात्मिक पुरुष हैं और उन्हें अन्यायपूर्वक फँसाया गया है। अतएव उन्हें तुरन्त छोड़ देना चाहिये। वे पिछले दस वर्षोंसे मौनव्रत लिये हुए हैं और सदा धार्मिक ग्रन्थोंके अध्ययन और लेखनमें लगे रहते हैं। मैं स्वयं उन्हें जानता हूँ, वे गहरे धार्मिक पुरुष हैं और साम्प्रदायिक तथा राजनीति मामलोंसे सदा दूर रहते हैं। उनकी गिरफ्तारीसे अनेकों साधुहृदय पुरुषोंको वेदना पहुँची हैं और इससे हिंदू-मुस्लिम सम्बन्धमें कटुता उत्पन्न हो सकती हैं।'

यही महामना मालवीयजीके जीवनका अन्तिम तार है। इसके बाद उन्होंने इसी कामके लिये मानवीय श्रीपन्तजी और श्रीकिदवई साहेबको पत्र लिखकर आदमीके हाथ भेजे थे। वे ही उनके जीवनके अन्तिम पत्र हैं। कहना नहीं होगा कि मालवीयजी महाराजके

तार-पत्रोंका असर हुआ और किसी अज्ञात प्रेरणासे झूसीके मुसल्मानोंने जुलूसवालोंसे प्रेम कर लिया और ब्रह्मचारीजी छोड़ दिये गये।

प्रोफेसर माधवजीने पूर्व-बंगालके अत्याचारोंके सम्बन्धमें पूज्य मानवीयजी महाराजसे बातें की। उनके मनमें बहुत खेद तो पहलेसे ही था। माधवजीसे बातें होनेपर उनके हृदयमें और भी भावोंकी बाढ़ आ गयी। श्रीमाधवजीने अपने २९ तारीखके पत्रमें हमें लिखा था—'नोआखालीकी नादिरशाहीकी बातें सुनकर पूज्य मालवीयजी महाराजकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा चल पड़ी! और उन्होंने भर्राई आवाजमें पूछा—'इसके प्रतिकारके लिये तुमने कुछ सोचा है?' मैं क्या उत्तर देता? मैंने कहा—'बाबूजी! हिंदू-युवकोंका संगठनकी ही एकमात्र इसकी दवा है।' पूज्य मालवीयजी महाराज फिर बड़ी देरतक इसी विषयपर बातें करते रहे। कुछ लोग बम्बईसे भी इसी सम्बन्धमें बातें करने आये हैं.....पण्डितजीका हृदय बहुत ही क्षुब्ध और खिन्न तथा दुखी हैं। बड़ी कठिनाईसे उनसे चलनेकी आशा ले पाया।'

इस प्रकार माधवजीसे बातें होनेके अनन्तर पूज्य मानवीयजी महाराजने अपना विचारपूर्ण—हिंदुओंको कर्तव्यका सच्चा ज्ञान करानेवाला—वक्तव्य दिया। वक्तव्यका बड़ा विशद और स्पष्ट कर्तव्यबोधक है। यही वक्तव्य उनके जीवनका भारत तथा हिंदू, जातिके प्रति अन्तिम सन्देश है।

आज सभी ओरसे उन्हें श्रद्धाञ्जलियाँ अर्पणकी जा रही हैं। हमारी समझसे उनकी सच्ची श्रद्धाञ्जलि इसीमें है, और भारतवर्ष तथा हिंदू-जातिपर जो उनका अमित ऋण है उसे चुकानेका कुछ सौभाग्य भी इसीमें है कि समस्त देशवासी-खास करके हिंदूमात्र उनकी अन्तिम इच्छाको, जो उनके इस अन्तिम सन्देशमें व्यक्त है, अपने कर्तव्य-पालनके द्वारा पूर्ण करें।

जीवनभरका विशाल अध्ययन और अनुभव, महान् तपस्या और त्याग, प्राणीमात्रके कल्याणकी पवित्र भावना तथा पवित्र जीवन, और जीवनका प्रत्येक क्षण धर्म, मातृभूमि और मानवताकी सेवामें समर्पित-ऐसे वृद्ध तपस्वी, वर्तमान कालके सच्चे ऋषिके वे अन्तिम शब्द अनमोल हैं। हिंदूजातिके लिये तो परम निधि है और भारतवर्षके सभी मनुष्योंके लिये कल्याणकारक हैं। आशा है कि इस व्यक्तव्यके एक-एक शब्दपर ध्यान देकर सब लोग लाभ उठायेंगे और इस प्रकार सभी कृतज्ञता प्रकट कर अपनेको धन्य करेंगे।

U

भगवान् प्रेमस्वरूप हैं

कुछ लोगोंकी धारण है कि भगवान् दण्ड देते हैं। पर असलमें भगवान् दण्ड नहीं देते। भगवान् प्रेमस्वरूप हैं। वे स्वाभाविक ही सर्व-सुहृद हैं। सुहृद् होकर किसीको तकलीफमें कैसे दे सकते हैं? विश्व-कल्याणके लिये विश्वका शासन कुछ सनातन नियमोंके द्वारा होता है। यदि हम उन नियमोंका अनुसरण करके उनके साथ जीवनका सामञ्जस्य कर लेते हैं तो हमारा कल्याण होता है, परंतु यदि हम लापरवाहीसे या जान-बूझकर उन प्राकृत नियमोंका उल्लङ्घन करते हैं तो हमें तदनुसार उसका बुरा फल भी भोगना पड़ता है। पर वह भी होता है हमारे कल्याणके लिये ही। क्योंकि कल्याणमय भगवान्के नियम भी कल्याणकारी ही हैं। अत: भगवान् किसीको दण्ड नहीं देते, मनुष्य आप ही अपनेको दण्ड देता है। भगवान् प्रेमस्वरूप हैं—सर्वथा प्रेम हैं और वे जो कुछ हैं, वही सबको सर्वदा वितरण कर रहे हैं।

U

महामना मालवीयजीका अन्तिम पूरा वक्तव्य

वर्षोंसे लगातार हिंदू सच्ची हिंदू-मुस्लिम-एकताको मूर्तिमान् देखनेके लिये अपनी ओरसे पूर्ण चेष्टा करते रहे और उदारतासे काम लेते रहे। हैं। आज भी हिंदू सहयोग करने और सहिष्णुतासे काम लेनेको तैयार हैं। परन्तु मुझे यह देखकर दु:ख है कि उनकी सहिष्णुताका अर्थ दुर्बलता किया आ रहा है और उनके सहयोगको अधिकांश मुसल्मानोंके द्वारा ठुकराया जा रहा है। असहिष्णुताकी भावनासे नहीं, वरं पूर्ण सावधानी तथा मनन-चिन्तनके उपरान्त मैं यह वक्तव्य दे रहा हूँ। क्योंकि यह निश्चित है कि जबतक हिंदू एक जातिके रूपमें कमर कसकर तैयार नहीं हो जायँगे, तबतक हिंदू-मुस्लिम समस्या अपनी सारी भयंकरताओंको साथ लिये बनी ही रहेगी।

हिंदू-नेताओंका जैसा कर्तव्य अपनी मातृभूमिके प्रति है, वैसा ही अपने धर्म, संस्कृति और अपने हिंदू-बन्धुओंके प्रति भी है। यह नितान्त आवश्यक है कि हिंदू अपनेको संघटित करें, सब एक होकर काम करें, नि:स्वार्थ और देशभक्त कार्यकर्ताओंका एक दल निर्माण करें, जिनका एकमात्र उद्देश्य सेवा हो। जाति तथा वर्णगत भेदोंको भुला दें और हिंदु-जातिकी रक्षाके लिये और अपने आदर्श तथा संस्कृतिको बचानेके लिये अधिक-से-अधिक त्याग करें।

हिंदुओंको प्रभावपूर्ण रूपसे संघटित होनेकी नितान्त आवश्यकता क्यों है, इसके कारणोंपर विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। परन्तु आज देशभरमें मुसल्मानोंकी राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओंके कैसे विचार हैं और वे क्या कर रहे हैं, इसका उल्लेख करना यहाँ आवश्यक है। मुसल्मान-नेताओंके द्वारा दिये हुए अग्निमय भाषण, अज्ञात मुसल्मान-संस्थाओंद्वारा सावधानीके साथ जान-बूझकर तैयार किये हुए गुप्त लेख, मुस्लिम लीगका धमकियोंसे भर हुआ राजनीतिक रुख, कलकत्तेका हिंदू-हत्याकाण्ड, पूर्व-बंगालमें मुसल्मानोंके सुसंगठित दलोंके द्वारा किये हुए कुकर्मोंके रोमाञ्चकारी समाचार और देशभरमें दंगोंको उत्पादन-देखकर प्रत्येक हिंदूका हृदय निश्चय ही रोषसे खौलने लगाना चाहिये और हिंदू-जातिकी रक्षाके लिये कुछ कर डालनेको उमड़ उठना चाहिये। पिछले कुछ महीनोंसे हिंदुओंके ऊपर सोच-समझकर जो अगणित अत्याचार किये जा रहे हैं, उनमें कुछ ये हैं—जबर्दस्ती धर्म-परिवर्तन, हिंदू पुरुष-नारी और बच्चोंके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार, स्त्रियोंपर बलात्कार और शिशुओंकी निर्मम हत्या, पवित्र स्थानों—मन्दिरोंका ध्वंस एवं हिंदू-दूकानों तथा निवासस्थानोंकी लूट!

वर्तमान घटनाचक्रके निरीक्षकों और आलोचकोंमेंसे बहुतोंका यह निश्चित मत है कि परिस्थितिका यह रूप क्षणिक नहीं है। और हिंदू-जातिको यदि जीवित रहनार है तो उसे कसकर तैयार हो जाना चाहिये। वर्षों और दशाब्दियोंसे हिंदुओंकी मनोवृत्ति धर्मकी अपेक्षा राष्ट्रीयताकी ओर अधिक झुकी रही है। हिंदू सत्यका प्रेमी और अहिंसाका विश्वासी है। उसमें युद्धकी भावनाका अभाव है और एक-राष्ट्रगत मनुष्योंमें परस्पर लड़ाई-झगड़ेकी भावनासे उसे घृणा है। हिंदुओंकी इस मनोवृत्तिसे लाभ उठाकर मुसल्मानोंने अपनी माँगोंको बढ़ा दिया और उनपर धार्मिकताका रंग चढ़ाकर नया जोश भर दिया है। इस प्रकारके लड़ाई-झगड़ोंकी जड़ झूठा प्रचार है और मुसल्मान इस कार्यमें अपनी आशासे भी अधिक सफल हुए हैं!

पिछले तमाम वर्षोंमें हिंदुओंने सदा हानि उठायी है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय संस्था है और मुस्लिम लीग साम्प्रदायिक। फिर भी दोनोंके लिये बराबरीका

व्यवहार किया है और इस प्रकार बहुसंख्यक (हिंदू) जातिके अधिकारीको कुचला गया है। उनकी आशाओंपर विकसित होनेके समय ही पानी फेर दिया गया है और भारतीय राष्ट्रीयताके नामपर उनकी संस्कृति और धर्मकी सर्वथा अवहेलना की गयी है।

हिंदुओंकी तथा अन्य जातियोंकी राजनीतिक उन्नति कांग्रेसके हाथोंमें सुरक्षित मानी जा सकती है। परन्तु हिंदुओंके विशुद्ध साम्प्रदायिक प्रश्नोंपर, धार्मिक सांस्कृतिक और सामाजिक उन्नतिके प्रश्नोंपर अन्तिम निर्णय देनेका अधिकार निश्चय ही किसी हिंदू-संस्थाको ही है जो उसकी ओरसे बोलने तथा कार्य करनेके लिये प्रतिनिधित्व करती हो। धर्म-परिवर्तन निश्चय ही रुकने चाहिये। साथ ही, ऐसे मुसल्मानोंको और खासपर उनको जिनका जबर्दस्ती धर्मपरिवर्तन कर दिया गया है और जो हिंदू होना चाहते हैं—विशेष सुविधा देनी चाहिये। हिंदुओंको निश्चय ही ऐसे आवश्यक उपाय कर लेने चाहिये कि जिससे मुसल्मानोंद्वारा दी हुई आर्थिक और सामाजिक बहिष्कारकी धमकी उल्टे उन्हींके सिरपर जाकर नाचे। हिंदुओंको भयमुक्त होकर बहादुर और मजबूत बनना चाहिये। सैनिक-शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। स्वयं सेवकोंकी संस्थाएँ बनानी चाहिये और आत्मारक्षाके लिये एक केन्द्रीय स्वयं सेवक सेनाका निर्माण करना चाहिये।

बहुसंख्यक हिंदू-जातिके लिये मृत्युका परवाना लेकर आनेवाली इस महामारीके आक्रमणके विरुद्ध हिंदुओंको सिर उठाना चाहिये। चेतावनीकी घंटी बज जानी चाहिये। पर कमर कसकर तैयार होकर, स्वयंसेवक-संस्थाओंपर निर्माण कर या अपने दृष्टिकोणको सैनिकरूप देकर वे किसीके प्रति किसी प्रकार हिंसाकी इच्छा नहीं करेंगे। आत्मरक्षा और आत्मस्थिति ही उनका ध्येय है। स्वयं जीवित रहना और दूसरोंकी जीवित रहने देना ही उनके उद्देश्य हैं। जो हिंदुओंको शान्तिके साथ नहीं रहने देना चाहते उनके प्रति किसी प्रकारकी सहिष्णुता नहीं नहीं हो सकती। यदि धर्मकी ही पुकार है तो अवश्य ही उसमें धार्मिक दृढ़ताकी गूँज होनी चाहिये। रक्षाकी व्यवस्था निश्चय ही इतनी प्रभावशाली हो कि आक्रमण निश्चितरूपसे व्यर्थ हो जाय। आत्मसम्मान ऐसी बहादुरीसे भरा होना चाहिये कि जिससे स्फुट आक्रमण भी निश्चितरूपसे असफल हो जायँ। कोई भी मूल्य देकर शान्ति चाहनेसे समस्याका समाधान नहीं होता—साम्प्रदायिक समस्याका तो और भी नहीं। हिंदुओंको निश्चय ही, अपने प्रत्येक हिंदू-भाईके प्रति कर्तव्य-पालन करनेके लिये उत्साहित करना चाहिये और उन्हें अपनेको धन्य मानना चाहिये कि वे उन ऋषियों और महात्माओंके धर्मके अनुयायी हिंदू हैं जिन्होंने मनुष्योंकी वासस्थली वसुन्धराको स्वर्ग बनानेकी चेष्टा की और सारे जगत्को कुटुम्बवत् मानकर भ्रातृत्वका प्रचार किया!

हिंदुओंको हिंदुओंकी सेवा अवश्य करनी चाहिये। हिंदुओंको आज अपने संरक्षणकी बड़ी आवश्यकता है। बर्बरतापूर्ण आक्रमण, मिथ्या राजनीतिक प्रचार अथवा मेल-मिलाप-नीतिकी मिथ्या कल्पना या निर्जीव बना देनेवाले तत्त्वज्ञानके द्वारा हिंदू अपने धर्मको मरने देना नहीं चाहते, अपनी संस्कृतिको मिटने देना नहीं चाहते। और न अपनी संख्याको ही घटने देना चाहते हैं। यदि हिंदू अपनी रक्षा नहीं करेंगे तो वे मर जायँगे। यदि वे अपना संगठन नहीं करेंगे तो उनके नष्ट होनेमें देर नहीं लगेगी। यदि वे पिछड़े रहे तो रौंदकर क्रियारहित और निर्जीव बना दिये जायँगे। उन्हें अकर्मन्य बिल्कुल नहीं रहना चाहिये। उनमें आत्म-विश्वास अवश्य होना चाहिये। उनमें अवश्य ही साहस होना चाहिये। उन्हें मरनेसे कभी नहीं डरना चाहिये। उन्हें परस्पर भाई-भाईकी तरह प्रेम करना चाहिये और प्रत्येक हिंदूके प्रति सहनशील बनना चाहिये; परन्तु उन

मुसलमानोंके प्रति सहनशील बिल्कुल नहीं होना चाहिये, जो उन्हें शान्तिके साथ रहने देना नहीं चाहते।

मैं इस प्रकारकी प्रेरणा करना अपना कर्तव्य समझता हूँ, क्योंकि इस समय मानवता दाँवपर लगी है। हिंदू-संस्कृति और हिंदू-धर्म खतरेमें हैं। परिस्थिति संकटापन्न है और ऐसा समय आ गया है कि हिंदू एक होकर सेवा तथा सहायताके साधनोंको परिपुष्ट करें और अपनी रक्षा तथा अपने स्वत्वको प्रभावशाली बनायें।

समूचे भारतवर्षमें अनेकों मुसल्मान-नेताओंने अपने लेखों और आडम्बरपूर्ण व्याख्यानोंमें जहर उगला है। मुस्लिम-लीगके नेताओं, मि० गजनफर अली खाँ तथा दूसरोंने अपने लेखों तथा व्याख्यानोंमें जंगली और दायित्वशून्य भाषामें हिंदुओंमें चुनौती दी है। बंगालकी घटनाओंपर एक भी मुस्लिम-लीगी नेताने घृणा प्रकट नहीं की है। बल्कि इन बर्बर तथा पाशविक घटनाओंपर वे एक आन्तरिक आनन्द अनुभव करते हैं। मैं उनकी-सी विषघुली स्याहीमें अपनी लेखनी डुबोकर कुछ नहीं लिखना चाहता। मैं अपने हिंदू-भाइयोंसे यह नहीं कहता कि जहाँ मुसल्मान कमजोर या कम हों, वहाँ वे उनपर आक्रमण करें। पर हिंदुओंसे मैं यह अवश्य कह रहा हूँ कि जहाँ वे दुर्बल हैं, वहाँ सबल बनूँ, और जहाँ उनकी संख्या कम हो वहाँ सफलतापूर्वक अपनी रक्षा करें। हिंदू-बहुसंख्यक प्रान्तोंमें हिंदुओंने अल्पसंख्यकोंके अधिकारोंका कभी विरोध नहीं किया, बल्कि उनके अधिकारोंकी गारंटी दी है। हालांकि वे देखते आ रहे हैं कि मुस्लिम-बहुसंख्यक प्रान्तोंमें न केवल हिंदुओंके अधिकारोंकी भीषण एवं क्रूर अवहेलना की जाती है बल्कि उनके जीवन, धन और धर्मपर भी आघात होता है! सामाजिक संघटनके आधारपर निर्मित अराजनीतिक संस्थाओंके अभावने राष्ट्रीयताके मोर्चेको बहुत दुर्बल बना दिया है और खुश करनेकी राजनीतिके मोर्चेको बहुत दुर्बल बना दिया है और खुश करनेकी राजनीतिक नीतिको तथा मुस्लिम लीगकी असम्भव माँगोंको जन्म दिया है।

केवल धर्म और संस्कृतिके नामपर ही नहीं, अपनी प्यारी जन्मभूमिके नामपर भी मैं समस्त हिंदुओंसे अपील करता हूँ कि यदि वे भारतवर्षमें चिरकालके लिये शान्ति चाहते हैं और ऐसा सन्देश देना चाहते हैं कि जिसको मुसलमान तथा अन्य जाति एवं धर्मके लोग सुनें तो वे एक हो जायँ और अपनी रक्षा करें। सन्देश यह हों—'जैसे वे पहले रह चुके हैं, अब भी वे एक साथ, एक ही भूमिपर रहना चाहते हैं और यदि वे हिंदुओंके साथ शान्तिसे रहना चाहते हैं तो उन्हें निश्चय ही हिंदूओंके धर्मका आदर करना पड़ेगा, वे हिंदुओंके पूजागृहों—मन्दिरोंको स्पष्ट नहीं कर सकेंगे और धार्मिक स्वतन्त्रता, जीवनकी पवित्रता, एवं स्त्रियोंके सतीत्वका उन्हें अवश्य सम्मान करना पड़ेगा।'*

U

* समाचारपत्रोंमें किसीमें भी पूरा वक्तव्य अबतक नहीं निकला है। यह पूरा है और इसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो विचारणीय न हो और व्यर्थ समझकर छोड़ दिया जाय।

वैदिक वीर-गर्जना*

वीर पुरुषके उद्गार

उत्तिष्ठत संनह्यध्वमुदाराः केतुभिः सह।
सर्पा इतरजना रक्षांस्यमित्राननु धावत॥

(अथर्व० ११-१०-१)

उठो वीरो! तैयार हो जाओ, झंडे हाथोंमें पकड़ लो। जो भुजंग हैं, लम्पट हैं, गैर हैं, राक्षस हैं, शत्रु हैं—उनपर धावा बोल दो।

यदि नो गां हंसि, यद्यश्वं यदि पूरुषम्।
तं त्वा सीसेन विध्यामो, यथा नोऽसो अबीरहा॥

ओ आततायी! तू मुझे निस्तेज, बुझा हुआ मत समझना, मत समझना कि तू आकर मुझे सता लेगा और मैं चुपचाप सह लूँगा। देख! यदि तू मेरी गायको मारेगा, घोड़ेको मारेगा, मेरे सम्बन्धी पुरुषोंको मारेगा तो याद रख—मैं तुझे सीसेकी गोलीसे बेध दूँगा।

यो नो दिप्सादिप्सतो दिप्सतो यश्च दिप्सति।
वैश्वानरस्य दंष्टयोरग्नेरपि दधामि तम्॥

(अथर्व० ४-१६-२)

जो कोई व्यर्थमें किसीका वध न करनेवाले, किन्तु दुष्टोंको पकड़-पकड़कर वध करनेवाले हम-लोगोंको मारनेका मनसूवा करेगा, उसे मैं जलती हुई आगकी लपटोंमें झोंक दूँगा।

जितमस्माकमुद्भिद्यमस्माक-
मन्यष्ठां विश्वाः पूतना अरातीः।
इदमहमामुव्यायस्यामुष्याः पुत्रस्य
वर्चस्तेजः प्राणमायुनिवेष्टयामी-
दमेनमधरास्तं पादयामि॥

(अथर्व० १०-५-३६)

निश्चय ही हमारी विजय होगी, हमारा अभ्युदय होगा, शत्रुकी सेनाको हम परास्त कर देंगे। मुझसे शत्रुता जाननेवाला जो अमुक पुरुषका बेटा और अमुक माका बेटा है उसके वर्चसको, तेजको, प्राणको, आयुको मैं हर लूँगा। उसे जमीनपर दे मारूँगा।

वीर नारीके उद्गार

अधीरामिद मामयं मरासरभिमन्यते।
उतामस्मि ....
विश्वमामिन्द्र उत्तरः॥

अरे, यह घातक मुझे अबला समझे बैठा है। मैं अबली नहीं, वीराङ्गना हूँ, वीरकी पत्नी हूँ। मृत्युसे न डरनेवाले वीर मेरे सखा हैं। मेरा पति दुनियामें अपना साथी नहीं रहता है।

मम पुत्राः शत्रुहणोऽथो मे दुहिता विराट्।
उता.....

(ऋग्० २०-१५९-१)

मेरे पुत्र शत्रुके ..... देनेवाले हैं, मेरी पुत्री अतितीय तेजस्विनी है और मैं अपनी क्या बताऊँ? कोई मेरी तरफ आँख उठाकर तो देखे, ऐसा परास्त होकर लौटेगा कि सा याद रखेगा। मेरे पतिमें सर्वश्रेष्ठ गुण हैं।

U

उठो-जागो

(पूज्यपाद श्रीस्वामीजी करपात्रीजी महाराज)

खेद है कि बंगालकी रोमाञ्चकारी घटनाओंसे भी हिंदुओंकी गाढ़ निद्रा भङ्ग नहीं हो रही है। त्रस्त बंगालकी जन-जनसे जितनी भी सहायता हम कर सकें, अवश्य करनी चाहिये। पर जबतक समस्त भारतके हिंदू दृढ़ताके साथ सुसंघटित रूपसे अपनी रक्षाके लिये कटिबद्ध नहीं होते, तबतक पूर्व-बंगालके

* इस नामकी पुस्तकसे उद्धृत। यह पुस्तक बड़ी सुन्दर है। गुरुकुल कांगड़ीके प्रो० श्रीरामनानाजी वेदाल और श्रीहरिश्च विद्यलङ्करने ७५१, कटरा लच्छूसिंह, देहलीसे प्रकाशित की है। पुस्तक पुस्तक मनन करने योग्य है।

हिंदुओंकी रक्षा नहीं हो सकती। इसके लिये कितने ही प्रयत्न हुए और आज भी हो रहे हैं; पर संघटनके स्थानपर विघटन ही होता जा रहा है। क्या इसका एक मुख्य कारण यह नहीं है कि संघटनके इन प्रयत्नोंमें भगवत्समाश्रयणका अभाव है? बिना दैवी बलके लौकिक बल भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिये अनन्य भावसे कीर्तन, जप, यज्ञ आदिद्वारा सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान् प्रभुकी प्रार्थना करते हुए हमें संघटनके प्रयत्नमें लग जाना चाहिये। यह ध्रुव सत्य है कि वर्तमान उपद्रव हमारे पापोंके ही फल हैं। बिना भगत्कृपाके विपत्तिसे पार लगना असम्भव है। इस ओर ध्यान न जाना सबसे बड़ी भूल है। अत: यह परम आवश्यक है कि जहाँ-जहाँ उपद्रवोंकी अधिकता है, भगवदाराधनके साथ संघटनका प्रयत्न आरम्भ होना चाहिये। यदि इस समय प्रत्येक प्रान्तमें एक-एक महाचण्डी महाकथाका आयोजन हो सके तो उससे बड़ी शक्ति प्राप्त हो सकती है। ध्यान रहे, दैवी आराधनासे ही महाराणा प्रताप, गुरु गोविन्दसिंह, वीर शिवाजी आदिने शक्ति प्राप्त की थी। करोड़ों रुपयेकी सम्पत्ति नष्ट हो रही है, व्यर्थके प्रयत्नोंमें कितना धन उड़ रहा है, फिर ऐसे शुभ कार्यमें धन खर्च करनेमें आनाकानी क्यों की जाय? हमें उन नेताओंसे सावधान रहना चाहिये, जो परम्पराप्राप्त हमारे अनुभूत उपायोंसे हमें विलुप्त रहना चाहते हैं। आज हमारी दशा सचमुच बड़ी शोचनीय हो रही है। जान पड़ता है कि हमारे खूनमें गरमाहट रह ही नहीं गयी है, जो वीर आर्यकल्याण करते हुए भी अत्याचार और अन्याय सहन कर रहे हैं। हमारे धर्म, सभ्यता और संस्कृतिपर चतुर्दिक् प्रहार हो रहे हैं। अनादिकाल अपने ही देशमें विधर्मी तथा विदेशी बनानेके षडयन्त्र हुए जा रहे हैं। यह सब चुपचाप सहन किया जायेगा। अब अविलम्ब हमें दैवी ..... तुरन्त आरम्भ कर देना चाहिये—उत्तिष्ठत .....।

U

एक क्षुब्ध भाईको सलाह

श्रीगढ़मुक्तेश्वरके मेलेसे लौटते हुए हिंदू यात्रियोंपर निर्दय आक्रमण करके अत्यन्त क्रूर अत्याचार करनेके समाचारसे अत्यन्त क्षुब्ध होकर एक भाई लिखते हैं—'यदि आप तथा श्रीजयदयालजी ही हिंदू-समाजसे कह दें कि मुसल्मानोंका नाश करो तो हिंदू बहुत कुछ कर डालें।'

इसके उत्तरमें मेरा यह निवेदन है कि यद्यपि अत्याार बहुत बुरे हुए हैं और अत्याचार करनेवाले मुसल्मान हो या हिंदू, सर्वथा घृणाके पात्र हैं, तथापि उनकी बुराईके बदलेमें बुराईसे काम लेना—यह हिंदू शास्त्रकी आज्ञा नहीं है। जहाँ कोई खास व्यक्ति या समूह किसीपर आक्रमण करे, वहाँ आत्मरक्षाके लिये बलप्रयोग करनेमें जरा भी आपत्ति नहीं। बल्कि वैसा करना आवश्यक है। परंतु एक व्यक्तिके बदलेमें दूसरे व्यक्तिपर और एक समूहविशेषके बदले दूसरे समूह विशेषपर आक्रमण करनेकी सलाह न मैं दे सकता हूँ और न श्रीजयदयालजी ही दे सकते हैं। कोई भी न्यायधर्मको माननेवाला पुरुष ऐसी सलाह नहीं दे सकता। अतएव आप शान्ति और धैर्यके साथ चित्तको स्थिर करके भगवान्‌को स्मरण कीजिये। उनसे बल-बुद्धि माँगिये और सबकी कृपासे ऐसा सात्त्विक बल संग्रह कीजिये, जिससे फिर किसी भी आततायीको आपकी ओर झाँकनेकी भी हिम्मत न हो। इससे भी श्रेष्ठ तो यह सलाह है, जिससे सफल होनेपर आप अपने अज्ञानताकी शक्तिसे आततायीके चित्तकी दुर्बलताकारी क्रूर आततायी-बुद्धिका नाश कर सकते हैं। भगवान्‌की कृपासे उसका प्राप्त होना भी असम्भव तो नहीं है।

मनुष्यको चाहिये सर्वदा अपने-आपको सत्य ..... पछताना पड़ता है।

U

—हनुमान प्रसाद पोद्दार

सबका कल्याण हो

हिंदू-शास्त्रोंकी दृष्टिसे संसारके समस्त प्राणी एक भगवान्‌के स्वरूप हैं, भगवान्‌के निवासस्थान हैं या भगवान्‌के सनातन अंश—उनकी प्रिय संतान हैं। तीनों सिद्धान्त भिन्न-भिन्न-से प्रतीत होनेपर भी वस्तुतः एक ही सत्यका प्रतिपादन करते हैं। यदि ज्ञानकी दृष्टिसे कहा जाय तो इसी तत्त्वको यों कहा जाता है कि एक ही अखण्ड आत्मा विभिन्न स्थूल-सूक्ष्म जीवोंके रूपोंमें वैसे ही प्रकाशित है, जैसे एक ही अखण्ड महाकाश समस्त देशों, नगरों, गाँवों, मकानों और कोठरियोंके रूपमें प्रकट है। इसीलिये सर्वत्र भगवद्दर्शन अथवा सर्वत्र आत्मदर्शन करनेवाले पुरुष हिंदू-शास्त्रकी दृष्टिसे महात्मा माने जाते हैं—

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते।
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः॥

(गीता ७।१९)

'बहुत जन्मोंके अन्तमें जो ज्ञानप्राप्त पुरुष सब वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको (भगवान्‌को) भजता है, वह महात्मा अति दुर्लभ है।'

भगवान्‌ने कहा है—

मत्तः परतरं नान्यत्किंचिदस्ति धनंजय।
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव॥

(गीता ७।७)

'अर्जुन! मेरे अतिरिक्त किंचिन्मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह सम्पूर्ण (जगत्) सूत्रमें (सूतके) मणियोंकी भाँति मुझमें ही पिरोया हुआ है।'

इस प्रकार जो सर्वत्र और सर्वदा श्रीभगवान्‌को देखता है, उसे सर्वत्र सबमें सब समय भगवान् ही मिलते हैं। भगवान्‌ने कहा है—

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति।
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति॥

(गीता ६।३०)

'जो सर्वत्र मुझ भगवान्‌को देखता है और सबको मुझ भगवान्‌में देखता है, उसके लिये न मैं कभी परोक्ष होता हूँ और न वह मेरे लिये परोक्ष होता है।'

इस प्रकार सर्वभूतप्राणियोंमें भगवान्‌को और भगवान्‌में सर्वभूतप्राणियोंको देखनेवाला, व्यावहारिक जगत्‌में अपने वर्णाश्रमके अनुसार—स्वाँगके अनुसार अभिनय करनेवाले नटकी भाँति—जो कुछ भी व्यवहार करे, उसके सारे भाव होते हैं भगवान्‌में ही; क्योंकि उसके अनुभवमें एक भगवान्‌के अतिरिक्त और कुछ रहता ही नहीं। इसीपर गीतामें श्रीभगवान् कहते हैं—

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः।
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते॥

(६।३१)

'जो पुरुष एकत्व (एकमात्र भगवद्भाव)-में स्थित होकर सब भूत-प्राणियोंमें स्थित मुझ भगवान्‌को भजता है; वह योगी सब प्रकारसे व्यवहार-बर्तावमें लगा हुआ भी वस्तुतः मुझ भगवान्‌में ही लगा रहता है।'

ऐसा महापुरुष सर्वत्र-समस्त जीवोंमें समबुद्धि होकर सबके सुख-दुःखकी अनुभूति अपने-आपकी तुलनासे करता है। भगवान् फिर कहते हैं—

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन।
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः॥

(गीता ६।३२)

'जो पुरुष अपनी उपमासे सबमें सबके सुख अथवा दुःखको सम देखता है वह योगी परमश्रेष्ठ माना गया है।'

मतलब यह कि अपने एक ही शरीरके सभी अवयवोंमें आत्मभाव समान होनेके कारण उनमें होनेवाले सुख-दुःखको मनुष्य समान देखता है। चोट चाहे गुदामें लगे चाहे सिरमें—दुःख मनमें समान होता है, इसी प्रकार आराम चाहे पैरको मिले चाहे मुखको—सुख भी समान ही होता है। बर्ताव-व्यवहारमें भले ही पूरा-पूरा भेद रहे और वह रहना अनिवार्य है। पैर और हाथके अथवा गुदा और मुँहके न तो काम एक-से होते

हैं और न उनके साथ व्यवहार ही एक-सा हो सकता है; परंतु 'आत्मौपम्य समता' सबमें एक-सी है।

हिंदू-सिद्धान्तके अनुसार इस प्रकार जानने-माननेवाला पुरुष किसीके साथ कैसे वैर कर सकता है और कैसे किसीका अनिष्टचिन्तन कर सकता है? भगवान्ने 'उसीको विशिष्ट पुरुष बतलाया है जो सुहृद्, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, बन्धु, साधु और पापकर्मियोंमें भी समबुद्धि है।' अर्थात् इन सभीके अंदर जो एक भगवान्को विराजित देखता है या इन सभीके रूपमें जो एक भगवान्के दर्शन करता है, वह सर्वश्रेष्ठ है।

असलमें उसकी बुद्धिमें न शत्रु है न मित्र है; न बुरा है न भला; सब श्रीभगवान्के ही रूप हैं। ऐसा माननेपर भी व्यवहारमें उसे स्वधर्मोचित कर्तव्यका पालन करना पड़ता है। इसलिये यह बात तो रहती ही नहीं कि हिंदू किसीको विधर्मी मानकर उससे द्वेष करे। हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई इत्यादि भेद वस्तुत: व्यवहारमें हैं, आत्मामें नहीं हैं। आत्मा न हिंदू है, न मुसलमान। वह तो नित्य शुद्ध-बुद्ध सच्चिदानन्दस्वरूप है। उसमें भेदकी कल्पना ही नहीं है। अतएव भेद स्वरूपतत्त्वमें नहीं है। भेद व्यवहारमें है। आजकल व्यवहारमें तो अभेदकी चेष्टा होती है और मनमें भेद बढ़ते रहते हैं; इसीलिये इतना कलह और विद्वेष है। नहीं तो मुसलमान अपने निर्दोष धर्मका पालन करें और हिंदू अपनेका करें, किसीको क्यों आपत्ति होनी चाहिये और क्यों किसीके हृदयमें वेदना पहुँचानेके लिये धर्मके नामपर कोई अनुचित क्रिया ही होनी चाहिये। यदि सबमें 'आत्मौपम्य एकता' का भाव रहे तो सभी परस्पर एक-दूसरेके सहायक और विश्वासपात्र रक्षक तथा सेवक होंगे। परस्पर एक-दूसरेको सुख पहुँचायेंगे। किसीको दु:ख पहुँचानेकी इच्छा या चेष्टा तभी होती है, जब हम उसे पराया समझते हैं और उसके लाभमें अपनी हानि तथा उसके सुखमें अपना दु:ख मानते हैं। आज भारतवर्षमें सच्ची धार्मिकताका अभाव होनेसे यही बात हो गयी है और इसीसे परस्पर वैर-विरोध और द्वेष-दु:खकी प्रवृत्ति बढ़ रही है।

लहसुनके बीजसे केसर नहीं उत्पन्न होती, इसी प्रकार बुराईसे भलाई नहीं पैदा होती। हम यदि किसीके साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो बीज-फल-न्यायसे वही बुराई हमें अनन्तगुनी होकर मिल जायगी। आज भारतके हिंदू-मुसलमानोंमें अज्ञानवश जो परस्पर बुरा बर्ताव हो रहा है, उसका फल दोनोंके लिये ही बहुत बुरा होना चाहिये। तारतम्य इतना ही है कि जिसका पक्ष न्यायका होगा और जिसने बुराईकी शुरुआत नहीं की होगी, उसका बचाव (बहुत अंशोंतक) न्यायकारिणी भागवती शक्ति करेगी। वह चाहे हिंदू हो या मुसलमान। भगवान्के न्यायमें हमारे यहाँके भेदसे कोई भेद नहीं होगा। भगवान् जैसे हिंदूके हैं, वैसे ही मुसलमानके हैं। आत्माके रूपमें जो परमात्मा एक हिंदूमें है, ठीक वही मुसलमानमें है और सृष्टिकर्ता भगवान्के रूपमें हिंदू जिस भगवान्की संतान है, मुसलमान भी उसीकी है। इसी प्रकार यदि हिंदू भगवान्का स्वरूप है तो मुसलमान भी भगवान्का स्वरूप है। जो मनुष्य भगवान्की पूजा करे और भगवत्स्वरूप ही किसी जातिविशेषके व्यक्तिसे द्वेष करे, उसका बुरा चाहे, उसकी पूजा भगवान् कैसे ग्रहण करेंगे। जो व्यक्ति एक अंगको पूजे और दूसरेको काटे, उस अंगका अंगी वह पुरुष उससे कैसे प्रसन्न होगा। जो व्यक्ति माताके एक बच्चेसे प्यार करे और दूसरेके गलेपर छूरी फेरे, उससे माता कैसे प्रसन्न होगी। इसी प्रकार जो हिंदू मुसलमानको दु:ख देता या मारता है, अथवा जो मुसलमान हिंदूको दु:ख देता या मारता है, वह अपने भगवान्को असंतुष्ट ही करता है। चाहे, उसके भगवान्का नाम अल्लाह हो या परमात्मा।

इस दृष्टिसे किसीको भी जान-बूझकर कष्ट पहुँचाने या किसीका अहित करनेकी इच्छा या चेष्टा कदापि नहीं करनी चाहिये। मनुष्यकी तो बात ही क्या है—पशु-पक्षी, कीट-पतंगको भी कष्ट पहुँचाने या उनका अहित करनेकी कल्पना नहीं करनी चाहिये। सबके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिये, जैसा हम दूसरोंसे अपने प्रति चाहते हैं। जो बातें अपनेको बुरी

लगती हों, वे दूसरोंके साथ नहीं करनी चाहिये।

'आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्।'

सबमें और सब कुछ भगवान् ही है, इस तत्त्वसिद्धान्तको ध्यानमें रखनेवाला पुरुष तो ऐसा करेगा ही। जो लौकिक सुख-शान्ति चाहता है, उसे भी वस्तुतः पहले अपने बर्तावको सुधारना चाहिये। व्यवहारमें चार बातोंका सावधानीके साथ त्याग करना चाहिये—

१. किसीका असम्मान न हो, २. किसीके साथ कपटका व्यवहार न हो, ३. किसीके साथ द्वेषका बर्ताव न हो और ४. किसीका अहित करनेकी चेष्टा न हो। इसके विपरीत सम्मान, सत्य, प्रेम और हितका बर्ताव होना चाहिये। ऐसा बर्ताव होगा तो अपने-आप ही बदलेमें यहाँ चीजें प्राप्त होने लगेंगी, जिससे जीवनमें सुख-शान्ति आयेगी और पारमार्थिक लाभ भी निश्चय ही होगा।

अब प्रश्न यह है कि 'आजके वातावरणमें ऐसे भावोंकी रक्षा कैसे हो और कैसे आचरणमें इनका प्रयोग हो, जब कि एक पक्ष उन्मत्त होकर दूसरेको हर तरहसे कष्ट पहुँचाने और उसका अहित करनेपर उतारू है?' इसका उत्तर यह है कि वास्तवमें तो किसीका अहित किसी दूसरेके द्वारा हो ही नहीं सकता। दूसरा निमित्त भले ही बने। पर इस सिद्धान्तको मानते हुए भी व्यवहारके क्षेत्रमें प्रतिपक्षके हितकी भावनासे, मनमें किसी प्रकारका दुर्भाव यथासाध्य न आने देकर ऐसी अवस्थाका निर्माण करना चाहिये—ऐसी स्थिति पैदा कर देनी चाहिये, जिनमें उक्त पक्षको अपने असत् प्रयत्नमें सफलताकी आशा न रहे और वह निराश होकर उस बुरे प्रयत्नसे अपनेको अलग कर दे और ऐसा करनेमें बाहरसे यदि कहीं कठोर उपाय काममें लाने पड़ें तो कोई आपत्ति नहीं है। अवश्य ही उस समय दो बातोंका ध्यान रहे—जो कुछ किया जाय भगवान्‌को स्मरण रखते हुए और भगवान्‌की सेवाके लिये किया जाय। उसमें कहीं भी द्वेष या रोष नहीं होना चाहिये। कहीं भी बदला लेनेकी या किसीको कष्ट पहुँचाकर सुखी होनेकी भावना नहीं होनी चाहिये। अर्जुनका महान् भीषण संग्राम-कर्म गीताके इसी सिद्धान्तपर स्थिर था। संग्राम था, बड़ा भीषण कर्म था; परंतु भगवान्‌की आज्ञा थी और अर्जुन भगवान्‌के आज्ञानुसार **'करिष्ये वचनं तव'** की प्रतिज्ञा करके बड़ी सावधानीके साथ अपनेको भगवान्‌का आज्ञाकारी सेवक मानकर ही संग्रामरूप कर्म कर रहे थे। इसीसे उनका वह कर्म भी भगवत्पूजन ही था।

भगवान्‌की निर्भ्रान्त आज्ञाके दो श्लोक यहाँ उद्धृत किये जाते हैं। भगवान् अपने प्रिय भक्त अर्जुनको आज्ञा करते हैं—

मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा।
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः॥

(गीता ३।३०)

'भगवान्‌में लगाये हुए चित्तसे सब कर्मोंको मुझ भगवान्‌में निक्षेप करके आशा और ममताको छोड़कर तथा मनकी जलनको मिटाकर युद्ध कर।'

तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च।
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशयम्॥

(गीता ८।७)

'अतएव सब समय निरन्तर मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धिवाला तू निस्सन्देह मुझको ही प्राप्त होगा।'

भगवत्प्रीतिका यह भाव समझमें न आ सके तो समाज तथा देशकी—समाज तथा देशके धर्मकी, जिससे समाज सुखी रह सकता है; रक्षाके लिये त्यागकी भावनासे किसीका बुरा चाहे बिना ही वीरत्वका बाना धारण करके अन्याय, अधर्म तथा अत्याचारको मिटानेके लिये अत्याचारीका बलपूर्वक सामना करना चाहिये। अन्याय और अत्याचारका कायरतापूर्वक सहन करना भी अपराध है। समाजके अच्छे पुरुष यदि यह अपराध करने लगें तो सारा समाज अत्याचारमय हो जा सकता है। अतएव अत्याचारका विरोध भगवान्‌की कृपाशक्ति पर विश्वास रखकर अवश्य करना चाहिये।

असलमें पापकर्म करनेवालेका पतन किसीको करना नहीं पड़ता। उसका पापरूप कर्म ही उसे गिरा देता है। परंतु जबतक किसीको समाजमें रहना है, तबतक समाजसेवाका उसपर दायित्व है और उस दायित्वकी रक्षाके लिये ही उसे पापकर्मका बलपूर्वक विरोध करना चाहिये और शीघ्र-से-शीघ्र उस पापका नाश होकर पापकर्मी विशुद्ध बन जाय—इस भावनासे उसे समुचित शिक्षा भी देनी चाहिये। घृणा पापसे करनी चाहिये, पापीसे नहीं। नाश पापका करना चाहिये, पापीका नहीं। उसे तो निष्पाप और विशुद्ध बनाना है सावधानीके साथ कड़वी दवा देकर! सम्भव है इस दवाके देनेमें वह आपको शत्रु समझे। पागल मनुष्य अत्यन्त स्नेहीको भी मार बैठता है, ऐसे ही आपपर भी वह प्रहार कर बैठे। परंतु आपको तो शान्त तथा सावधानीके साथ ही—अपनेको बचाते हुए—उसके प्रति उसे नीरोग करनेकी क्रिया करनी है। इसमें हित और प्रेमकी भावना होनेके कारण इससे भी जीवनमें सुख-शान्ति और पारमार्थिक लाभकी प्राप्ति होगी। हमारी तो यही भावना रहनी चाहिये कि सभी सुखी हों, सभी तन-मनसे नीरोग हों, सभी सदा मंगलोंका साक्षात्कार करें और दुःखका भाग किसीको भी न मिले।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्॥

प्रेममें ही सुख और कल्याण है

हिंदू-मुसल्मानोंसे प्रार्थना

एक देश, एक नगर, एक गाँव और एक मुहल्लेमें सदियोंसे एक साथ रहनेवाले, एक दूसरेके सुख-दुःखमें साथ देनेवाले, एक दूसरेकी रक्षा करनेवाले और एक दूसरेके धार्मिक और सामाजिक उत्सवोंमें उमंगसे शरीक होनेवाले हिंदू-मुसल्मान आज जंगली पशुओंकी तरह आपसमें लड़ मर रहे हैं—यह उदेशका कितना बड़ा पतन है और दोनों जातियोंका हितना बड़ा दुर्भाग्य है! जहाँ एक दूसरेको गोदमें भाई-भाई नातेसे लोग निशङ्क सोते थे, जहाँ एक-दूसरेकी बहू-बेटियोंकी लाज बचानेके लिये हिंदू-मुसल्मान एक भावसे सचेष्ट रहते थे, वहसाँ आज अपने घरके अंदर बैठे हुए भी वे पड़ोसी भाईसे डरते हैं कि 'कहीं आकर मार न दे, कहीं आग न लगा दे और कहीं हमारी बहू-बेटियोंकी इज्जत न लूट ले।'

पहले किसी कारणवश मन-मुटाव होता था, कहीं लड़ाई भी होती थी तो वह लाठी-गँड़ासेतक ही सीमित रहती थी और केवल पुरुषोंमें ही होती थी। पर आज तो इतना पतन हो गया है कि घरों पेट्रोल छिड़क-छिड़ककर आग लगायी जाती एवं स्त्रियों और बच्चोंपर भी अमानुषी जुल्म होते हैं। यह कितनी बड़ी लज्जाकी बात है और कितना बड़ा दुर्भाग्य है! हिंदू-मुसल्मानकी जिस सम्मिलित शक्तिसे बड़े-से-बड़ा काम होना सम्भव था, वही शक्ति आज एक दूसरेका अस्तित्व मिटाकर उसे निश्चिन्त करनेकी घृणित और पापमयी चेष्टामें व्यय हो रही है। हाय रे दुर्दैव!

यह सच है कि इसकी शुरुआत उन्मत्त मुसल्मानोंकी ओरसे हुई और बड़े नृशंस तथा घृणित तरीकेसे हुई; पर गहराईतक पहुँचनेपर पता लगता है कि मुसल्मान-जनताका इसमें उतना दोष नहीं है। यह तो मजहबके नामपर भड़कायी गयी है। दोष तो है—राजनीतिक क्षेत्रमें पदलोलुप पिशाच हृदय उन नेताओंके, जिनकी स्वार्थभरी कुचेष्टाओंसे आज देशकी यह दुर्दशा हो रही है। मुसल्मान साधारण जनतामें अब भी अब भी हृदयका सर्वथा अभाव नहीं हो गया है। गाँयोंके लोगोंमें अब भी भाई-चारेका भाव बचा है। बंगालके भयानक काण्डमें, जहाँ दल-के-दल मुसल्मान हिंदू-परिवारोंको नष्ट-भ्रष्ट करनेमें दयार्द्रहृदया देवियोंने अनेकों हिंदू-परिवारोंको अपने सहधर्मियोंसे गाली खाकर भी, अपनी जान जोखिममें डालकर भी अपने घरोंमें आश्रय दिया है, उन्हें बचाया है। ऐसी खबरें हमें विश्वस्त सूत्रोंसे मिली है। यदि इन भाइयोंके सुप्त भाई-चारेके पवित्र भावोंको जगाने और बढ़ानेका सुअवसर मिले, इन्हें अपने सहधर्मी लोगोंसे तथा लीगीसरकारके अफसरोंसे सताये जानेका डर न रहे तो हमारा विश्वास है कि इनके द्वारा खास करके कोमलहृदया मुसल्मान देवियोंके द्वारा बहुत-सी हिंदू-स्त्रियोंका उद्धार हो सकता है और हिंदूपरिवार पुनः अपने गाँवोंमें जाकर बस सकते हैं। पर ऐसा हो तब न!

हम तो देशके—सभी प्रान्तोंके मुसल्मान भाइयोंसे सबके हृदयसे अपील करते हैं कि आपलोग जैसे भाई-भाई रूपमें अबतक रहते आये हैं, वैसे ही रहिये। आप मियाँ जिन्ना-गजनफर इली आदि खौफनाक नेताओंकी खुराफातभरी बातोंको न सुनिये। अपना भविष्य देखिये। निस्सन्देह बिहारमें बहुत बुरा हुआ। निस्सन्देह वहाँ हिंदुओंने पागल होकर अपने अल्पसंख्यक भाइयोंपर हमला करके बड़ा पाप किया; परन्तु ऐसा क्यों हुआ? इसीलिये हुआ कि कलकत्तके दंगेमें बहुतसे बिहारी मारे जा चुके थे, इससे और बंगालके हजारों स्त्रियोंपर अत्याचार होनेके भयानक समाचारोंसे उनके हृदय क्षुब्ध थे। मनुष्यकी सहनशीलताकी एक

हद होती है। घटनाचक्र उस सीमासे आगे निकल गया। इसीसे ऐसा भयानक काण्ड बिहारमें बन गया। अभी बेगुसराय सब डिविजनल मुस्लिम लीगके मन्त्री डॉ० सैयद मसूद अहमदने मियाँ जिन्नाको पत्र भेजते हुए यह लिखा है कि 'यदि बिहार प्रान्तके मुसल्मानोंकी रक्षाकी कुछ भी चिन्ता आपको है तो शीघ्र पूर्व-बंगालकी अराजकता बंद करनेके लिये आप यथा सम्भव पूर्ण कोशिश कीजिये।'

डॉ० सैयद मसूद अहमदने अपने पत्रमें यह विचार व्यक्त किया है कि पूर्व-बंगालकी परिस्थितिका पूरा प्रभाव बिहार प्रान्तपर है। यद्यपि कांग्रेसके लोग मुसल्मानोंकी रक्षाके लिये पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, किन्तु फिर भी जनता उनकी बातें नहीं सुन रही है। यदि बिहारके मुसल्मानोंकी रक्षा करनी है तो पूर्व-बंगालकी अराजकता तत्काल बन्द होनी चाहिये।

पत्रमें यह भी स्वीकार किया गया है कि स्वयं संकट मोल लेकर भी बहुत-से हिंदुओंने मुसल्मानोंकी रक्षा की है।

इस पत्रमें यह भी कहा गया है कि मियाँ गजनफर अलीने हालमें वक्तव्य देते हुए भारतके गैर-मुस्लिम निवासियोंको मुसल्मान बनानेकी जो चर्चा की है, उसका भी प्रान्तके हिंदुओंपर बहुत बुरा असर पड़ा है। मि० गजनफर अलीके वक्तव्यसे स्थिति और भी खराब हो गयी है। हिंदुओंका अब यह कहना है कि 'पूर्व-बंगालमें मुस्लिम लीगकी निश्चित नीतिके अनुसार एक बड़े पैमानेपर हिंदुओंको धर्मपरिवर्तन करनेके लिये मजबूर किया गया है।'

बात सच है, अतएव आपलोग ऐसे नेताओंको अपना मित्र मत मानिये। ये आपको हिंदुओंके साथ भिड़ाकर आपका नाश करनेपर तुले हैं। आज बिहारमें बंगालका बदला लिया गया। कल किसी प्रान्तमें बिहारका बदला लिया जायगा और परसों किसी अन्य प्रान्तमें उसके बदलेकी बात सोची जायगी। इस बदले-बदलेमें हिंदू-मुसल्मान दोनोंकी तबाही हो जायेगी। परिणामपर ध्यान दीजिये।

बिहारमें यह देखा गया है कि बहुतसे हिंदुओंने बड़ी जोखिम उठाकर अपने मुसल्मान भाइयोंको बचाया है। बेगूसरायके श्रीसैयद अहमद साहेबके उपर्युक्त बयानमें भी यह बात आयी है। जिस कांग्रेस-सरकारको हिंदू-सरकार कहा जाता है, उसने तो मुलसमानोंको बचानेके लिये हिंदुओंपर गोलियाँ बरसायी हैं। यद्यपि यह अच्छा नहीं किया, परन्तु इससे इतना तो पता चलता ही है कि हिंदू ऐसे नहीं हो गये हैं जो मुसल्मानोंको मारना चाहते हों, बल्कि स्वयं अपने आपको मारकर भी वे मुसल्मानोंको बचाना चाहते हैं।

हम अपने हिंदु भाइयोंसे हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि वे अपना बल तो अवश्य बढ़ावें, संघटन बड़ा मतबूत बनायें, ऐसा बनावें कि उसे देखकर अत्याचारीकी हिम्मत टूट जाय, परन्तु ऐसी कभी कल्पना भी न करें कि हमें अपने देशव्यापी मुसल्मान भाइयोंपर कभी हमला करना है। आप जिस नजरसे अपनी माँ-बहिनोंको देखते हैं, जिस हृदयसे अपने बच्चोंको प्यार करते हैं, उसी नजरसे और उसी हृदयसे मुस्लमान माँ-बहनों और बच्चोंको देखें एवं उनसे प्यार करें। स्त्रियों और बच्चोंपर हाथ चलाना तो कायरताकी सीमा और नृशंसताका घोर-से-घोर स्वरूप है। ऐसे हिंदू मुसल्मान कोई कभी भी अख्तियार न करें। एक दूसरेमें सद्भाव बढ़े, विश्वास बढ़े और परस्पर रक्षा करने, सहायता करनेका भाव तथा दु:ख-कष्टमें सच्ची समवेदना-सहानुभूति हो, ऐसा क्रियात्मक प्रयत्न करना चाहिये।

आज तो हमलोगोंने अपनी काली करतूतोंसे यह दशा उत्पन्न कर दी है कि रास्तेमें एक साथ चलने और रेलवे डिब्बेमें एक साथ मुसाफिरी करनेमें भी भय और शङ्का हो गयी है। दिन-रात एक जगह रहने-वाले पड़ोसी-पड़ोसीमें ऐसा अविश्वास और ऐसी कुभावना हो तो उनका जीवन कैसे शान्त रह सकता है। वे कैसे

अपने घर, परिवार और धर्मके कामको शान्तिपूर्वक सुचारु रूपसे कर सकते हैं और कैसे वे अपनी ऐहिक और पारमार्थिक उन्नतिकी बात सोच सकते हैं।

हिंदू मुसल्मान दोनों भारतमें सदियोंसे साथ रहते हैं। बल्कि सच्ची बात तो यह है कि आज आज इस देशमें जिसने मुसल्मान हैं उनमें अधिकांश इसी देशके हिंदुओंके ही वंशज हैं। वे अरबसे आये हैं, न मिश्र या तुर्किस्तानसे। आगे भी उन्हें यहीं रहना है। पाकिस्तान बनेगा नहीं; पर कहीं पाकिस्तान, हिंदुस्तान दो हो भी जायँगे तो भी दोनों जातियोंको रहना होगा एक ही देशमें। न सारे हिंदू देशसे निकाले जायँगे और न सारे मुसल्मान। इसी प्रकार यह स्वप्न भी कभी सच्चा होता नहीं दीखता कि सारे हिंदू मुसल्मान बन जायँ या सारे मुसल्मान हिंदू बन जायँ। ऐसी स्थितिमें दोनों जातियाँ सुख-शान्तिसे तभी रह सकेंगी, जब उनमें एक दूसरेको सुखपूर्वक रहने देनेकी सुन्दर अभिलाषा होगी, आपसमें प्रेम होगा और दोनों एक दूसरेकी सहायक होंगी।

असलमें हिंदू हों या मुसल्मान, वे पहले मनुष्य हैं, उनके बाद हिंदू या मुसल्मान हैं। यदि मनुष्यत्व ही खोया गया तो फिर पशु या पिशाचोंमें न हिंदुत्व रहेगा न मुसल्मानत्व। इस समय जैसी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनसे तो यही सिद्ध होता है कि हमलोग मनुष्यत्वकी हत्यापर ही तुले हुए हैं। और वह करते ही हैं धर्मके पवित्र नामपर!

भगवान्‌से हार्दिक प्रार्थना है कि भगवान् सबको—भारतकी प्रत्येक सन्तानको ऐसी सुबुद्धि दें, जिससे आजका यह नारकी द्वेष और वैर निर्मूल हो जाय। भारतकी सभी जातियाँ—खास करके हिंदू और मुसल्मान—सच्चे रूपसे भाई-भाईकी तरह रहें और अपने देश, धर्म तथा जातीय जीवनका मस्तक ऊँचा करें।

—हनुमान प्रसाद पोद्दार

U

भगवदाश्रयसे लोक-परलोकका कल्याण

लौकिक-पारलौकिक समस्त दु:खोंके नाश एवं समस्त लौकिक-पारमार्थिक सम्पत्तिकी सम्प्राप्तिका सर्वोत्तम साधन है—भगवान्‌का अनन्य आश्रय लेकर सच्चे मनसे उनका भजन करना और लौकिक-पारलौकिक समस्त सुखोंके नाश एवं समस्त लौकिक-पारमार्थिक सम्पत्तिके सर्वनाशका साधन है—भोगोंका अनन्य आश्रय लेकर मनसे भगवान्‌को भुला देना। आज हम भगवान्‌को भूल गये हैं और हमारा जीवन केवल भोगोंका आश्रयी बन गया है। इसीसे इतने दु:ख, संताप और विनाशके पहाड़ हमपर लगातार टूट रहे हैं। जो लोग क्रियाशील और विविध-कर्मसमर्थ हैं, उनको भगवान्‌की प्रसन्नताके लिये भगवान्‌का स्मरण करते हुए समयानुकूल स्वधर्मोचित कर्मोंके द्वारा भगवान्‌की पूजा करनी चाहिये और जो अल्पसमर्थ या असमर्थ हैं, उन्हें आर्त तथा दीनभावसे भगवत्प्रीतिके द्वारा धर्मके अभ्युदय और विश्व-शान्तिके लिये अनन्यभावसे भगवान्‌को पुकारना चाहिये।

हमारी अनन्य पुकार कभी व्यर्थ नहीं जायगी। हममें होना चाहिये द्रौपदीका-सा विश्वास, होनी चाहिये गजराजकी-सी निष्ठा और सबसे बढ़कर हममें होनी चाहिये प्रह्लादकी-सी आस्तिकता, जिसके वचनको सत्य करनेके लिये भगवान् नृसिंहरूपसे खम्भेमेंसे प्रकट हुए—**'सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितम्।'** (भागवत ७।८।१८)

विपत्ति, कष्ट, असहाय स्थिति, अमंगल और अन्याय तभीतक हमारे सामने हैं, जबतक हम भगवान्‌को विश्वासपूर्वक नहीं पुकारते। एक महाशयने यह घटना सुनायी थी। एक घरमें गुंडोंने पतिको पकड़ लिया और दो गुंडे उसकी स्त्रीको नंगी करके उसपर बलात्कार करनेको तैयार हुए। दोनों पति-पत्नी निरुपाय थे—असहाय थे। पत्नीने आर्त होकर—रोकर भगवान्‌को पुकारा। उसे द्रौपदीकी याद आ गयी। बस, तत्काल ही वे दोनों गुंडे आपसमें लड़ गये। एकने दूसरेको छूरा मार दिया। उसके गिरते ही पति-पत्नीको छोड़कर शेष गुंडे भाग गये और इस बीचमें पत्नीको कंधेपर उठाकर पतिको बचकर भाग निकलनेका अवसर मिल गया।

भारतकी सती देवियाँ आज द्रौपदीकी भाँति भगवान्‌को पुकारें तो भगवान् कहीं गये नहीं हैं। वे तुरंत किसी भी रूपमें प्रकट होकर सती देवियोंके सारे दु:ख हर लें और उसी क्षणसे उनको दु:ख पहुँचानेवालोंके विनाशकी भी गारंटी मिल जाय।

दुष्ट दु:शासनके हाथोंमें पड़ी हुई असहाया द्रौपदीने आर्त होकर मन-ही-मन भगवान् श्रीकृष्णका स्मरण करके कहा था—

गोविन्द! द्वारकावासिन्! कृष्ण! गोपीजनप्रिय॥
कौरवैः परिभूतां मां किं न जानासि केशव।
हे नाथ! हे रमानाथ! व्रजनाथार्तिनाशन।
कौरवार्णवमग्नां मामुद्धरस्व जनार्दन॥
कृष्ण! कृष्ण! महायोगिन्! विश्वात्मन्! विश्वभावन।
प्रपन्नां पाहि गोविन्द कुरुमध्येऽवसीदतीम्॥
(महा०, सभा० ६८।४१—४४)

'हे गोविन्द! द्वारकावासी सच्चिदानन्द प्रेमधन! गोपीजनवल्लभ! सर्वशक्तिमान् प्रभो! कौरव मुझे अपमानित कर रहे हैं। क्या यह आपको मालूम नहीं है? हे नाथ! हे रमानाथ! हे व्रजनाथ! हे आर्तिनाशन जनार्दन! मैं कौरवोंके समुद्रमें डूबी जा रही हूँ। आप मेरा उद्धार कीजिये। हे कृष्ण! हे कृष्ण! हे महायोगी! हे विश्वात्मा और विश्वके जीवनदाता गोविन्द! मैं कौरवोंसे घिरकर संकटमें पड़ गयी हूँ। आपके शरण हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिये।'

द्रौपदीकी आर्त पुकार सुनकर भक्तवत्सल प्रभु उसी क्षण द्वारकासे दौड़े आये और द्रौपदीको वस्त्र दान कर उसकी लाज बचायी। पर दुष्ट दु:शासनने द्रौपदीके जिन केशोंको खींचा था, वे खुले ही रहे दु:शासनको दण्ड मिलनेके दिनतक। द्रौपदीके खुले केश थे। पाण्डवोंके साथ वह वनमें रहती थी। भगवान् श्रीकृष्ण

पाण्डवोंसे मिलने गये। वहाँ द्रौपदीने एकान्तमें रोकर भगवान् श्रीकृष्णसे कहा—'मैं पाण्डवोंकी पत्नी, धृष्टद्युम्नकी बहिन और तुम्हारी सखी होकर भी कौरवोंकी सभामें घसीटी जाऊँ! यह कितने दुःखकी बात है। भीमसेन और अर्जुन बड़े बलवान् होनेपर भी मेरी रक्षा नहीं कर सके! धिक्कार है इनके बल-पौरुषको! इनके जीते-जी दुर्योधन क्षणभरके लिये भी कैसे जीवित है? श्रीकृष्ण! दुष्ट दुःशासनने भरी सभामें मुझ सतीकी चोटी पकड़कर घसीटा और ये पाण्डव टुकुर-टुकुर देखते रहे!' इतना कहकर द्रौपदी रोने लगी। उसकी साँस लंबी-लंबी चलने लगी और उसने गद्गद होकर आवेशसे कहा—'श्रीकृष्ण! ये पति-पुत्र, पिता-भ्राता मेरे कोई नहीं हैं; पर क्या तुम भी मेरे नहीं रहे? श्रीकृष्ण! तुम मेरे सम्बन्धी हो, मैं अग्निकुण्डसे उत्पन्न पवित्र रमणी हूँ; तुम्हारे साथ मेरा पवित्र प्रेम है और तुमपर मेरा अधिकार है एवं तुम मेरी रक्षा करनेमें समर्थ भी हो। इसलिये तुम्हें मेरी रक्षा करनी ही होगी।' तब श्रीकृष्णने रोती हुई द्रौपदीको आश्वासन देकर कहा—

रोदिष्यन्ति स्त्रियो ह्येवं येषां क्रुद्धासि भामिनि।
बीभत्सुशरसंच्छन्नाञ्छोणितौघपरिप्लुतान्॥
निहतान् वल्लभान् वीक्ष्य शयानान् वसुधातले।
यत् समर्थं पाण्डवानां तत् करिष्यामि मा शुचः॥
सत्यं ते प्रतिजानामि राज्ञां राज्ञी भविष्यसि।
पतेद् द्यौर्हिमवाञ्छीर्येत् पृथिवी शकलीभवेत्॥
शुष्येत्तोयनिधिः कृष्णे न मे मोघं वचो भवेत्।

(महा०, वन० १२।१२८—१३१)

'कल्याणी! तुम जिनपर क्रोधित हुई हो, उनकी स्त्रियाँ भी थोड़े ही दिनोंमें अर्जुनके भयानक बाणोंसे कटकर खूनसे लथपथ हो जमीनपर पड़े हुए अपने पतियोंको देखकर तुम्हारी ही भाँति रुदन करेंगी। मैं वही काम करूँगा, जो पाण्डवोंके अनुकूल होगा। तुम शोक मत करो। मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम राज-रानी बनोगी। चाहे आकाश फट पड़े, हिमालय टुकड़े-टुकड़े हो जाय, पृथ्वी चूर-चूर हो जाय और समुद्र सूख जाय, परन्तु द्रौपदी! मेरी बात कभी असत्य नहीं हो सकती।'

ये द्रौपदीके दुःखोंका नाश करनेवाले भगवान् आज कहीं चले नहीं गये हैं। द्रौपदीके सदृश विश्वासपूर्ण हृदयसे उन्हें पुकारनेवालोंकी कमी हो गयी है। यदि दुःखसागरसे सहज ही पार उतरना है तो विश्वास करके अनन्यभावसे भगवान्को पुकारना चाहिये। भारतके हिंदुओंकी यह श्रद्धा जिस दिनसे घटने लगी, जबसे उनकी यह प्रार्थनाकी ध्वनि क्षीण हो गयी, तभीसे उनपर दुःख आने लगे और तभीसे वे सन्मार्ग और सुखके सुपथसे भ्रष्ट हो गये! अब फिर श्रद्धा-विश्वासके साथ भगवान्को पुकारिये। देखिये, आपके इहलौकिक दुःख दूर होते हैं या नहीं और देखिये, आपको भगवान्की अमृतमयी अनुकम्पासे भगवान्के दुर्लभ चरणारविन्दकी प्राप्ति सहज ही होती है या नहीं!

बहादुर बनो

प्र०– शुरूसे आप यह मानते और कहते आये हैं कि गुंडोंके या दूसरोंके हमला करनेपर भी लोगोंको पूरी तरह अहिंसक रहना चाहिये। जब माँ-बहिनोंपर हमले हों या उनकी लाज लूटी जाय, क्या तब भी अहिंसक रहना ठीक होगा? अगर लोग आपकी अहिंसाके रास्तेपर न चल सकें, तो क्या उनको नामदोंकी तरह मरनेकी सलाह देंगे या हिंसकका मुकाबला हिंसासे करनेको कहेंगे?

उ०– उन दोस्तोंने जिन प्रयादतियों या अत्याचारोंका जिक्र किया है, वे मेरी कल्पनाके समाजमें हो ही नहीं सकते। लेकिन जिस समाजमें आज हम रह रहे हैं, उसमें ऐसे अत्याचार जरूर होते हैं। इसपर मेरा जवाब तो बिल्कुल साफ है। अहिंसक आदमी या औरतका तो यह फर्ज है कि वह अपनी हिफाजत करते हुए या अपनी माँ-बहिनोंकी इज्जतको बचानेकी कोशशमें मर मिटे; यह ऐसा किये बिना रह ही नहीं सकेगा; और इस तरह मरनेकी तैयारी रखते हुए भी वह मारनेवालोंसे बदला लेनेकी, उनपर गुस्सा होनेकी उनके लिये मनें कीना रखनेकी बात कतई न सोचेगा। यह सबसे ऊँचे दर्जेकी बहादुरी है।

अगर कोई शख्स या लोगोंका कोई गिरोह कुदरतके इस महान् कानूनपर जिसे खामखह मेरा रास्ता कहा जाता है, चलना नहीं चाहता था या चलनेकी ताकत नहीं रखता, तो उसे मरते दमतक सामना करनेकी, बदला लेनेकी तैयारी रखनी चाहिये। यह दूसरे दर्जेकी बहादुरी होगी, अगरचें पहलीसे बहुत दूरकी यानी घटिया चीज होगी। कायरता या बुजदिली नामर्दीका दूसरा नाम है और वह तो हिंसासे बुरी है। बुजदिल आदमी बदला तो लेना चाहता है, लेकिन चूँकि वह मरनेसे डरता है, इसलिये वह चाहता है कि उसकी हिफाजतका काम दूसरे कर दें, फिर भले उस वक्तकी सरकार ही उसका वह काम क्यों न कर दे। बुजदिल आदमी आदमी नहीं होता—उसकी गिनती इंसानमें नहीं होनी चाहिये। औरतों और मर्दोंके समाजमें उसको कोई जगह न मिलनी चाहिये। आखिरमें मैं यह जरूर कहूँगा कि अगर बहिनोंने मेरी सलाहपर अमल किया होता, या अब भी वे उसपर अमल करने लगें, तो हर एक बहिन खुद अपना बचाव कर सकेगी और उसे अपने भाइयोंपर या बहिनोंकी मददके लिये रुकने या उसकी राह देखनेकी जरूरत न रह जायगी।

—महात्मा गाँधी

U

हिंदुओंकी कमजोरीका कारण और उसके मिटानेका उपाय

शास्त्रोंमें कलियुगके जिन-जिन लक्षणोंका वर्णन आता है, वे सब आज आँखोंके सामने आ रहे हैं। पवित्र हिंदू-धर्म और हिंदू जाति—जिसकी सभ्यता संस्कृति अनादिकालसे जगत्‌को शान्तिका सन्देश देती रही है—आज बड़ी ही कठिनाईके साथ अपना जीवन-यापन कर रहे है। यह तो निश्चय है कि शाश्वत हिंदू-धर्म मरेगा नहीं, हिंदू जाति मिटेगी नहीं; परन्तु पता नहीं, उसे अभी कितनी अग्नि-परीक्षाएँ देनी पड़ेंगी। उसे अभी कितनी घोर तपस्या करनी पड़ेगी। दु:ख तो इस बातका है कि आज हिंदू-जातिका मतिभ्रम हो रहा है, यह किंकर्तव्यविमूढ़ हो रही है। उसे न अपने ध्येयका ध्यान है और न पथका ही। सबसे अधिक दु:ख इस बातका है कि वह कर्तव्य-ज्ञानकी प्राप्तिके लिये भारत अर्जुनकी भाँति भगवान्‌के शरण होगा यह भी नहीं कहती कि **'शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्।'** 'मैं तुम्हारा अनुगामी शिष्य हूँ, तुम्हारे शरणापन्न हूँ; तुम मुझे रास्ता बताओ।' आज हिंदू जाति सुप्त है। शायद इसीलिये भगवान्‌के मङ्गलविधानसे उसपर आघात हो रहे हैं—उसे घोर निद्रासे जगानेके लिये। मङ्गलमय भगवान् अपनी प्रिय लीलाभूमि भारतका और अपने प्रिय सनातन हिंदू-धर्मका एवं सदा भगवान्‌पर ही निर्भर रहनेवाली—परन्तु आज चेतनहीन पड़ी हुई—हिंदू-जातिका कल्याण करें।

भगवान् तथा धर्मकी अवहेलना करनेके लिये आज हिंदू जाति केन्द्रत्यागी होकर छिन्न-विच्छिन्न हो रही है। उसका किसी विषयपर न तो एक स्थान है, न एकमत है और न वह एक अनुशासनमें ही है। उधर मुसल्मान जाति—यद्यपि आज अधर्मको ही धर्म मान रही है और इसलिये उसका अन्तिम परिणाम उसके लिये दु:ख और विनाश ही होना सम्भव है, तथापि धर्मके नामपर बड़ी द्रुतगतिसे एक केन्द्रकी ओर बढ़ रही है। एक स्थान, एक मत और एक अनुशासनको मानती है। एक इस्लामके नामपर अनेकों विवादोंको छोड़कर केन्द्राभिरूढ़ हो रही है। इसीका परिणाम है कि आज बिना किसी त्याग-तपके ही—बिना जेल-फाँसीके ही उसके नेता केन्द्रीय सरकारके पदोंपर आसीन हैं। उनकी धाक है, इज्जत है और उनको प्रसन्न रखनेके लिये दूसरा समुदाय सदा डरता हुआ सचेष्ट रहता है। उनका महान् नेता कुछ भी खुराफात बके, उसपर किसी प्रकारका नियन्त्रण करनेकी किसीमतें कोई भी शक्ति नहीं है। रही मुस्लिम-जातिके लोगोंकी उन्नतिकी बात—सो प्रत्यक्ष ही है। मुस्लिम-बहुसंख्यक प्रान्तोंमें तो सरकारी पदोंपर उनकी संख्या बहुत अधिक है ही। अल्पसंख्यक प्रान्तोंमें भी कहीं-कहीं तो उनकी संख्या बहुसंख्यक समुदायके लोगोंसे भी अधिक है। किसी भी सरकारी या बेसरकारी विभागको देखिये, उन्हींकी सरगरमी दिखायी देगी। रहा व्यापार—सो बिना ही माँगे, आज प्रान्तीय सरकारके अधिकारी यह कहने लगे कि मुसल्मानोंको उनकी संख्याके हिसाबसे व्यापारके लाइसेंस मिलेंगे। चाहे उनके घरमें कभी व्यापार न होता हो, चाहे वे अनुभवहीन हों और चाहे वे सर्वथा अयोग्य हों। और सदासे व्यापार करनेवाले अनुभवी लोगोंके हाथोंसे व्यापार छीना जा रहा है। और तो क्या, भारतकी जनगणनाके अनुसार संख्यामें एक चौथाईसे कम होनेपर भी केन्द्रीय सरकारमें उनको बराबरका अधिकार देना पड़ा है—सो भी राष्ट्रीयताके नामपर नहीं, साम्प्रदायिकताके आधारपर। और ये जानते हुए भी कि ये लोग राष्ट्रीयताके विधातक हैं और सरकारमें इसीलिये शामिल होते हैं कि जिससे भारतकी एक राष्ट्रकी स्वरूपस्थिति नष्ट कर दी जाय। इन सबका कारण एक ही है और वह है—मुसल्मान जातिका धर्मके नामपर होनेवाला एक संघटन और एक अनुशासन। उनमें परस्पर कितने ही मतभेद हों—इस्लामके नामपर सब मिट जाते हैं। चाहे कोई कितना ही राष्ट्रीय भाव रखनेवाला मुसल्मान हो, वह पहले मुसल्मान है, पीछे

और कुछ। मौलाना अबुलकलाम आजाद और पेशावरी मियाँ अबदुल गफ्फार खाँ भी इस सम्मानके अधिकारी हैं। मुसल्मान वास्तवमें इसे सम्मानकी वस्तु समझते हैं। इसीसे वे इसके चिपटे हैं; और इसके फलस्वरूप उन्हें सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, व्यापार, धन और राज्यलक्ष्मी—सभीकी अनायास प्राप्ति हो रही है।

इधर हिंदूजाति उन्नातिके नामपर—सुधारके नामपर अपनेको छिन्न-विच्छिन्न करके खोती चली जा रही है। इसके जातिभेदसे इसमें कभी मतभेद नहीं हुआ है। चार वर्णोंमें छत्तीसों जातियाँ होनेपर भी सबमें एकता थी। सब एक ही विराट हिंदू-शरीरके आवश्यक अङ्गोपाङ्गके रूपमें अपना-अपना अलग-अलग काम करते हुए भी एक ही शरीरकी पुष्टि और प्रवृत्तिमें लगी थीं। हिंदूधर्मके नामपर सभीको अभिमान था। जैन, सिख आदि भी अपनेको कभी अलग नहीं मानते थे। सगुणोपासक, निर्गुणोपासक—सीका अपना-अपना स्थान था। वे घरमें कभी-कभी विवाद भी करते थे, परन्तु विपक्षीके सामने सब एक थे।

अंग्रेजी शिक्षा-सभ्यताके प्रचार और प्रचारने हिंदू मनमें भौतिककी प्रबल आकाङ्क्षा उत्पन्न कर दी और फलतः धर्मसे श्रद्धा हट गयी। ऐहिक भोग जीवनका लक्ष्य बन गया। धर्मका स्थान अर्थने ले लिया। परिणाममें अनेकों नये-नये अत्यन्त अनिष्टकारी मानस भेद उत्पन्न हो गये। उन्नतिके नामपर खान-पानके, स्पर्शास्पर्शके तथा विवाह-शादीके बाहरी भेद मिटे—इस क्षेत्रमें धर्मकी मर्यादा टूटी। पर मानस भेद बढ़ते ही चले गये। मति पलट गयी और मति बदल जानेके कारण आज लोग कहते हैं कि धर्मके कारण, जातिभेदके कारण, खान-पानके भेदके कारण, साम्प्रदायिक विभिन्न मतोंके कारण ही हिंदूजातिमें विच्छिन्नता आयी और उसकी अवनति हुई है; पर वास्तवमें यह बात नहीं है। यह विच्छिन्नता और अवनति हुई है अर्थकामनासे—भोगकामनासे। जबतक धर्मकी प्रधानता थी, तबतक कार्यभेद होनेपर भी सब एक केन्द्रमें स्थित थे। अबतक अर्थप्रधान मनोदशामें ऊपरसे एकताकी बात करते हुए भी हम अनेकों विभिन्न स्वार्थोंके कारण अनेकों प्रबल भागोंमें बँट गये हैं, इसीसे हमारी केन्द्रस्थित सामूहिक शक्ति अनेक भागोंमें बँट गये हैं, इसीसे हमारी केन्द्रस्थित सामूहिक शक्ति अनेक भागोंमें विभक्त होकर अत्यन्त दुर्बल हो गयी है। न एक आवाज है, न एक अनशासन है और न हमारा कोई एक नेता ही है। यह सत्य है कि जिन्ना आदि मुस्लिम नेता यथार्थमें धार्मिक दृष्टिसे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनका प्रधान लक्ष्य शुद्ध राजनीतिक है—पर मुसल्मान जनताको वे एक सूत्रमें बाँधते हैं धर्मके नामपर ही, यह भी प्रत्यक्ष है।

भारतीय कांग्रेसमें शायद ९९ प्रतिशत हिंदू हैं; पर यह अपनेको राष्ट्रीय संस्था कहती है, हिंदू-संस्था नहीं। बल्कि समयपर अपनी सहायता करनेवाली हिंदूमहासभाको गिराने और तोड़नेमें ही अपनी सफलता समझती है। इसीका यह परिणाम हुआ, कोई प्रतिरोधी शक्ति न रहनेसे और प्रकारान्तरसे कांग्रेसके द्वारा पूरी सहायता मिलनेसे मुस्लिम लीगकी और उसके कर्णधार जिन्ना मियाँकी शक्ति इतनी बढ़ गयी, और यह सत्य है कि आज यही कांग्रेसके लिये घातक हो रही है।

कांग्रेसी हिंदुओंने अपनेको एक सूत्रमें नहीं बाँधा, बल्कि नाना प्रकारके आर्थिक और अधिकारके प्रश्नोंको खड़ा करके एकताकी परम्पराको तोड़नेमें ही—चाहे अनजानमें ही हो—सहायता की। कुछ उदाहरणोंपर विचार कीजिये।

कांग्रेसके नेताओंने कहा—१. देशी राज्योंका वर्तमान स्वरूप नष्ट करना होगा, २. जमींदारी प्रथाका नाश करना होगा, ३. पूँजीपतियोंको धन सरकारका बनाना होगा, ४. खान-पान, विवाह-शादी, स्पर्शास्पर्शका भेद मिटाकर सबको बाहरी व्यवहारमें एक-सा बनाना होगा, ५. वर्ण और जातिभेदको मिटाना होगा और देशमें अमुक राजनीतिक सिद्धान्तके अनुसार संघटन और उसकी व्यवस्था करनी होगी। ऐसी और भी बहुत सी बातें हैं। इसका परिणाम स्वाभाविक ही क्या हुआ? देशी राजा, जमींदार, पूँजीपति, प्राचीनता वादी सनातनी

हिंदू और व्यापक राजनीतिक दलोंके साथ कांग्रेसका विरोध हो गया और इसीके साथ देशी राज्योंकी प्रजा, किसान, मजदूर, सुधारक और अमुक प्रतिपक्षी सिद्धान्तके लोगोंमें परस्पर विद्रोहकी भावना विशेषतासे जाग्रत् हो गयी। और अपने-अपने समुदायमें अर्थात् राजा, जमींदार, पूँजीपति, प्राचीनतावादी और अमुक राजनीतिकोंके साथ प्रजा, किसान, मजदूर, सुधारक और अमुक प्रतिपक्षी राजनीतिक लोगोंके अपने-अपने क्षेत्रमें नाना प्रकारसे संघर्ष शुरू हो गये, जो अबतक बढ़ते ही जा रहे हैं। चूँकि कांग्रेस और कांग्रेस सरकार पिछले समुदायका पक्ष करनेवाली रही, इससे बीचका समुदाय उसे अपने लिये कण्टकस्वरूप मानने लगा, जो स्वाभाविक था। यह कहना नहीं होगा कि इन तीनों समुदायोंमें प्रधानता हिंदू ही हैं। मुसल्मान इनमें हैं, परन्तु वे इस्लामके नामपर एक होनेके कारण इन क्षेत्रोंमें भी आपसमें लड़ते नहीं। इस बीचमें मुस्लिम लीगका हिंदुओंकी इस पारस्परिक कलहसे लाभ उठानेका मौका मिल गया। उसके कर्णधारोंने हिंदू राजाओंको और जमींदारोंको बड़ी मुक्तियोंसे समझाया—'देखो कांग्रेस तुम्हारा अस्तित्व मिटानेपर तुली है। तुम्हारी रक्षा अब एक इसी बातमें है कि तुम मुस्लिमलीगका पक्ष ग्रहण करो। यही बात पूँजीपतियोंसे कही। फल चाहे आज पूरा प्रत्यक्ष न हो, पर उसे रूस और इग्लैंडमें सदाका विरोध होनेपर भी स्वार्थबद्ध जर्मनीके विरुद्ध दोनों एक साथ मिल गये थे, उसी प्रकार मुसल्मानोंके साथ सिद्धान्तविरोध होने तथा उनसे मजबूती डर होनेपर भी हिंदू राजा, जमींदार और पूँजीपतियोंका मन लीगकी रक्षा और लीगको सरकारी पदोंपर लानेके लिये सचेत हो गया। और जब लीग केन्द्रीय सरकारमें आयी, तब इसीलिये इस समुदायके मनमें एक खुशीकी लहर दौड़ गयी कि 'चलो—कुछ भी हो, हमारी रक्षा कुछ दिन तो होगी ही।' यद्यपि यह उनका भ्रम है, परन्तु एक बार काम निकालनेकी नीतिके अनुसार ही सही, जैसे रूस और इंग्लैंडमें कभी मेल सम्भव नहीं, पर एक बार काम निकालनेके लिये ही इंग्लैंडके साथ रूसने मेल कर लिया था—लीगके साथ उक्त समुदायका भीतरी मेलसा हो गया। इसीका फल है कि आज हिंदू देशी राज्योंमें भी, जहाँ मुसल्मान बहुत अल्प संख्यामें हैं, हिंदू ही सताये और दलित किये जा रहे हैं और जहाँ वहाँ भी मुसल्मानोंका जोर बढ़ रहा है। प्रजामण्डलोंमें हिंदू ज्यादा हैं, और उनसे राज्योंको भय है; इसलिये राजके अधिकारी मुसल्मानोंको साथ लेकर प्रजामण्डलोंका दमन कर रहे हैं। हिंदू जमींदार और पूँजीपति भी—चाहे ऊपरसे ही हो—लीगका कम-से-कम विरोध तो नहीं करते। इस मनोवैज्ञानिक सत्यको और उसके परिणामको स्वीकार करना ही पड़ता है।

इधर सनातनी और सुधारकोंको लेकर कांग्रेस-सरकारके साथ सनातनी हिंदुओंकी तनातनी हो चली है और वे कांग्रेस-सरकारको धर्मनाशक मानकर उसका अभ्युदय देखना नहीं चाहते। कांग्रेसके अधिकारारूढ होते ही अस्पृश्यतानाशक, तलाक, सगोत्र विवाह, असवर्ण विवाह आदि सनातनधर्मविरोधी कानून बनाने लगे।

राजनीतिक दलोंमें तो अधिकारों और पदोंकी प्राप्तिके लिये कहीं-कहीं शुद्ध सिद्धान्तको लेकर भी—अनकों दल गये हैं। गाँधीवादी-दल, नेहरूदल (गाँधीवादसे अलग न दीखनेपर भी अलग है), कांग्रेस कम्यूनिष्ठ-दल, कांग्रेस सोशलिस्ट-दल, कांग्रेस रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट-दल, किसान-प्रजा-दल, उदारदल और अनुदारदल आदि इतने दल हो गये और उनका परस्पर इतना भयानक संघर्ष चल रहा है कि उसे देखकर बड़ी ही निराशा होती है।

इधर राजनीतिक उद्देश्यको लेकर अन्त्यजोंको हिंदूविरोधी बनानेमें मियाँ जिन्ना इत्यादिने बहुत सफलतापूर्वक काम किया है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि सवर्ण हिंदुओंके बर्तावके कारण अन्त्यज हिंदू विरोधी हुए हैं। असलमें राजनीतिक नेताओंने अपनी वाक्चातुरीसे उनके अंदर विरोधीभाव उसका किये और बताये। इसीसे 'आदि हिंदू' आदि वर्ग बने और

अंबेडकर प्रभृति लोगोंको नेता बनाकर अपना उल्लू सीधा करनेका अवसर मिला। अब अवसर देखकर मियाँ जिन्ना आदिने भी अपने हथकंडे शुरू किये और इसमें वे काफी सफल भी हुए। इसीसे आज अंबेडकर अन्त्यज गाँधीजी तकको गंदी गालियाँ देने और मारनेमें अपनी सफलता समझते हैं। लीगके द्वारा योगेन्द्रनाथ मण्डल—अन्त्यजको केन्द्रीय सरकारमें नियुक्त किये जानेका भी यही हेतु है कि हिंदुओंमें परस्पर विरोध बढ़े। और आज मण्डल खुले तौरपर लीगका समर्थन और हिंदुओंका तथा कांग्रेसका विरोध कर रहे हैं। पूर्वबंगालमें मुसल्मानोंके द्वारा अन्त्यजोंकी बहुत बड़ी हानि होनेपर भी—जिसके प्रमाण मौजूद हैं—मंडल साहेब कर रहे हैं कि कुछ भी हानि नहीं हुई। कहना नहीं होगा, हम सभी वर्गोंमें संघर्ष केवल हिंदुओंमें ही है।

इस प्रकार अर्थ और अधिकारके आज हिंदू जातिमें परस्पर इतनी अधिक कटुता और विषमता उत्पन्न हो गयी है कि उसका एक संघटनमें आकर एक आवाजसे कुछ कहना और एक ही अनुशासनके अनुसार चलना असम्भव नहीं तो बहुत कठिन अवश्य हो गया है।

और भाग्यवश कुचक्रियोंको कुचालोंके कारण यह कटुता अभी बढ़ती ही नहीं है। विहारके हिंदुओंका दमन करनेके लिये हिंदुप्रधान कांग्रेस सरकारके साचयोंने जो उनपर निर्दयतासे गोलियाँ चलायीं, चाहे वह शान्तिरक्षाके नामपर हो, शासनकी सुदृढ़ता दिखानेके लिये हो, राजनीतिक गुप्त नीतिसे हो या मुसल्मानोंको खुश करनेके लिये हो, उससे हिंदूप्रधान कांग्रेसके प्रति बिहारको हिंदू-जनताके मनमें कटुता और रोषत तो आशा ही है और परस्परके सौजन्यमें बाधा तो पहुँची ही है।

इन सबका कारण एक ही है कि हिंदू-जाति धर्मकी अवहेलना करके अर्थप्रधान दृष्टिसे चल रही है, जिसमें परस्परके स्पर्श टकरानेसे विषमता अनिवार्य है और एक केन्द्रमें सबका एक भावसे मिलना असम्भव है।*

हिंदूजाति इस सत्यको जिस दिन समझेगी और जिस दिन वह संघटित होकर एक केन्द्रमें एकत्र सम्मिलित हो जायगी, उस दिन उसकी प्रबल शक्तिके सामने अँगुली उठानेकी शक्ति किसीमें नहीं दिखायी देगी। भगवान् सबको सुबुद्धि दें और वह मङ्गल प्रभात शीघ्र हो, जिसमें हिंदूजाति एक सूत्रमें बँधकर अपनी सम्मिलित विशाल शक्तिके प्रखर तेजको प्रकाशित कर सके।

—हनुमानप्रसाद पोद्दार

U

* हम यह नहीं कहते कि एकतन्त्र राज्यवावद, पूँजीवाद, जमींदारी प्रथा आज सर्वथा निर्दोष है; न हम कहा कहते हैं कि सामाजिक या धार्मिक प्रथाओंमें किस अंशमें भी सुधारकी आवश्यकता नहीं है। परन्तु ये सब काम आने चाहिये क्रान्तिपूर्वक और सबकी सम्मति हो तथा होने चाहिये उसी सीमातक, जहाँतक वस्तुत: सुधारकी आवश्यकता हो। किसी पदाविशेषकि आग्रहसे या आवेशमें आकर रसनात्मक कार्योंके नामपर विध्यसात्मक कार्य करनेका परिणाम कभी अच्छा नहीं होगा। भारतवर्ष-सरीखे

डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जीका वक्तव्य

पिछले तीन महीनोंसे बंगालमें हिंदुओंपर कल्पनातीत विपत्तियाँ ढायी जा रही हैं, जीवन और धनका भयंकर विनाश हो रहा है और उन्हें अपमान और दु:खके कड़वे घूँट पीने पड़ रहे हैं। इसका एकमात्र कारण एक राजनैतिक दल-विशेषका दूसरोंको पीड़ा पहुँचानेके लिये बलप्रयोग करनेका यह सिद्धान्त है जिसका प्रान्तीय शासनने निर्लज्ज होकर समर्थन किया है। भारतके अन्यान्य मार्गोंमें जो भयावनी साम्प्रदायिक फैल गयी है उसकी पूरी जिम्मेदारी बंगाल-सरकारपर है। कहीं भी किसी निर्दोष व्यक्तिके मारे जानेसे दु:ख अवश्य होना चाहिये, पर यदि नोआखालीकी अल्पसंख्यक जातिपर जो दारुण और भयंकर अत्याचार हुआ है और जिसके फलस्वरूप घोर शारीरिक क्षति और नैतिक मृत्युसे अभी सहस्त्रोंका उद्धार करना है, उससे भारतके सभी मार्गोंके नर-नारियोंमें सहानुभूति जाग उठी है और वे उबल पड़े हैं, तो इसमें क्या आश्चर्य है? ये प्रश्न स्थानीय या प्रान्तीय नहीं हैं, अपितु भारतके समस्त हिंदुओंके लिये गम्भीरतासे विचारनेका सवाल है। इस अवसरपर अन्त:कालीन सरकारकी अकर्मण्यता अत्यन्त विस्मयकारक है। इसमें सन्देह नहीं कि यदि अन्त:कालीन सरकारके सदस्य जिनमेंसे कुछने खुली धमकी देकर खुल्लमखुल्ला बिहारमें गोलियाँ बरसायी हैं, गत अगस्त या अक्टूबरके महीनेमें उन्होंने बंगालमें भी इसी तरह तत्परताका प्रदर्शन किया होता तो भारतमें तो दु:खदायी घटनाएँ हो रही हैं, वे न होतीं। हमलोगोंको एक स्वरसे उद्घोषित कर देना चाहिये कि वर्तमान स्थितिमें गाँधीजीका अनशन एक निरर्थक अस्त्र है। इससे इससे परिस्थिति उलटे और उलझ जायगी विहारसरकारको स्वयं उस योग्य होना चाहिये कि वह अपने प्रान्तकी स्थितिको सँभाल सके। बिहारके उदाहरणसे जिन्ना और उनके साथियोंकी आँखें खुल जानी चाहिये। अभी उस दिन मध्यवर्ती-सरकारमें गये हुए उनके एक प्रतिनिधिने भारतके तीस करोड़ हिंदुओंको धृष्टतापूर्वक सलाह दी है कि साम्प्रदायिक समस्य सुलझा देनेके लिये वे तुरंत मुसल्मान बन जायँ। वे अब समझ जायें कि एक क्षेत्रमें मुसल्मानोंकी गलत कार्रवाईसे दूसरी जगह भयानक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। बंगालमें जो पागलपनका और भयानक खेल खेला गया है, उसीकी प्रतिक्रिया बिहारमें देखनेको मिल रही है। यदि ये अपने पाँव पीछे नहीं हटाते तो वे स्वयं अपने पैरोंमें कुल्हाड़ी मार लेंगे और यदि वे समझ जायँगे तो ब्रिटिश साम्राज्यवादके चंगुलसे मुक्त कर दोनों प्रमुख सम्प्रदायोंके बीच सौहार्द स्थापित करनेके लिये तैयार हो जायँगे।

U

अभी सड़न बढ़ रही है!

भोग और अधिकारकी लिप्सामें उन्मत्त विश्वका भगवदिच्छा भीषण संग्रामके रूपमें यूरोपादि देशोंमें जो 'आपरेशन' प्रारम्भ हुआ था यह अभी पूर्णतया सम्पन्न नहीं हुआ है। युद्धकालीन विश्रामकी भाँति कुछ समयके लिये बाहरसे युद्ध शान्त हुआ दीखता है; पर मानसिक जगत्का युद्ध पूर्वापेक्षा और भी भयानक रूपमें बढ़ गया है! पता नहीं, किस क्षण पहलेसे भी कहीं भयानक रूपमें विश्व-संग्रामकी तृतीय आवृत्ति

अपनी एक खास सभ्यता, संस्कृति और गम्भीर विचार, अध्ययन और तपस्याके आधारपर प्रतिष्ठित ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न देशमें बलपूर्वक पूरी मात्रामें अंधाधुंध मार्क्स-दल चलानेका प्रयास ही उत्पन्न करेगा, चाहे एक बार अधिकारके जोशमें कुछ कर भले ही लिया जाय।

आरम्भ हो जाय! सदाके विरोधी रूस और इंग्लैंडने स्वार्थवश मैत्री करके घनमदोन्मत्त अमेरिकाके सहयोगसे वीरभूमि जर्मनीपर विजय प्राप्त की। यह विजय इसलिये नहीं हुई कि जर्मनी इन लोगोंसे शक्तिमें बहुत हीन था; वह तो इसलिये हुई कि विश्वनियन्ताके आपरेशन-कार्यके लिये भगवान्‌के विधानके अनुसार ऐसा ही होना आवश्यक था। ईसाई-धर्मकी क्षमाके समस्त 'गुण गौरवपर पानी फेरकर अमेरिकाने वीर जापानपर राक्षसी अणु-बमकी वर्षा की और घंटे-दो-घंटेमें ही लाखों प्राणियोंका नाश करके अपनी संस्कृति और सन्नीतिका घृणित परिचय देकर मानवतापर अमिट कलङ्क लगा दिया! पर जैसे भगवद्विधानसे असुरोंपर विजय प्राप्त करके इन्द्रादि देवता विजयोन्मत्त होकर दर्पके साथ यह कहने लगे कि 'हमारे ही बलसे हमें यह विजय मिली है', वैसे ही अत्याचारियोंकी इस त्रिपुटीने भी विजयोन्मत्तताके गर्वीले गीत गाने शुरू कर दिये और इसी गर्वमें चूर होकर इन्होंने परास्त जर्मनी और जापानके अवशिष्ट नेताओंको 'वार क्रिमिनल' बताकर न्यायका स्वांग रचा और उन्हें फाँसीके तख्तेपर चढ़ा दिया! वे अपने-अपने देशोंकी शुभ कामना करते हुए मर गये! बता नहीं वे जिस वैरको मनमें रखकर अपने साथ ले गये हैं, उसकी प्रत्यक्ष किया कब कैसी भयङ्कर होगी। कदाचित् जर्मनीका अणुबम कुछ पहले बन गया और जापानपर अणुबम बरसाकर अपनी अत्याचार मूर्ति प्रकट करनेका अमेरिकाको मौका न मिलता तो हिटलर और मुसोलिनीकी लगा स्टेलिन और चर्चित आदिको आत्महत्या करनी और गोली खाली पड़ती एवं अटली और मोलोटोप आदि 'बार क्रिमिनल' माने जाकर दण्डके भागी होते।

यदि जर्मनी और जापान अत्याचारी हैं, तो अणुबम बरसानेवाले अमेरिका और इंग्लैंड उनसे कहीं अधिक अत्याचारी हैं। हाँ, जर्मनी और जापान हार गये, इसीलिये वे अत्याचार प्रारम्भ करनेवाले देश बतलाये गये और उने कर्णधारोंकी ऐसी दुर्गति की गयी। वस्तुत: उन्हें अत्याचारी बतलानेवालोंको भी, दुनियामें न्याय होता तो, यही दण्ड मिलना चाहिये था जो उनको दिया गया है, परन्तु बाद रखता चाहिये कि जगत्‌में इससे शान्तिकी स्थापना नहीं हो गयी है। जिन जर्मनी और जापानके साथ ऐसा बर्ताव हुआ है उनके समष्टि मनमें इनके विरुद्ध संग्रामकी ज्वाला और भी जोरसे जल उठी है, जो अनुकूल समय मिलनेपर प्रगट होगी! इन लोगोंमें आपसमें भी—सच्चे सौहार्दके स्थानपर स्वार्थभरा होनेके कारण—बहुत दिनोंतक मैल रहना संभव नहीं है। विशेष आरम्भ तो ही हो गया है, और यह क्रमश: बढ़ता जा रहा ह। पेरिस-परिषद्‌के कार्य-कलापपर दृष्टिपात करनेसे यह स्पष्ट दिखायी देता है कि रूस और अमेरिकोमें मनोमालिन्य उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। परस्पर कटूक्तियाँ चल रही हैं और ऐसा अनुमान होता है मानों दोनों पक्ष किसी अनुकूल समयकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

इधर चीनमें 'कुमिटांग' और 'कम्यूनिष्ट'—इन दोनों प्रधान दलोंमें विरोध बढ़ रहा है और शान्तिकी आशा निराशामें परिणत हुई जा रही है।

यूरोप और एशियाके अन्यान्य स्थानोंमें भी भीतर ही भीतर ज्वालामुखी धधक रही है और यह चाहे जब फट सकती है।

भारतवर्ष तो एक प्रकारसे अशान्तिका क्रीडास्थल ही बन गया है। युद्धकालमें तो क्या, सुदूर अतीतके इतिहासमें भी भारतवर्षमें ऐसा भयानक समय कभी नहीं आया था जैसा इस समय आया हुआ है। महँगी दिनोंदिन बढ़ी जा रही है। जीवननिर्वाहके अन्न-वस्त्रादि पदार्थ सर्वसाधारणको मिलने कठिन हो गये हैं। पारस्परिक कलहसे कहीं भी किसीका भी जीवन निरापद नहीं है। अविश्वास, अत्याचार और अनाचारका साम्राज्य है। दु:ख-पर-दु:ख आ रहे है परन्तु काम वही किये जा रहे हैं, जिनका फल दु:खके सिवा और कुछ हो नहीं सकता! सभी अधिकार और पदोंके पीछे पागल हैं, दम्भ, दर्प, काम, क्रोध, हिंसा, असूया आदि दोषोंसे सारा समाज भर गया है। कौन किसको समझावे! करनेको स्वराज्य है पर वह पर-राज्यसे भी बुरा साबित हो रहा

है। धर्माचार्य, अधिकारी, धनी, अमिक सभी व्यक्तिगत स्वार्थसाधन और आत्मप्रचारमें लगे हैं। देश और समाजके हितका ध्यान वस्तुत: बहुत कम लोगोंको है। मुसल्मान जाति जिन्ना आदि स्वार्थी और भयानक मनुष्योंके बहकावेमें आकर पिशाच बनती जा रही है। पर किसीमें भी शक्ति नहीं है कि जिन्ना आदिके अशुभ और अनर्थोत्पादक कार्योंमें बाधा दे सके!

इन सब बातोंपर विचार करनेसे पता लगता है कि मानवसमाजकी परिशुद्धि होनेमें अभी बहुत बड़े 'आपरेशन' की आवश्यकता है और मालूम होता है उसका उद्योगपर्व किसी दैवी शक्तिके संकेतसे भीतर-ही-भीतर चल रहा है। अभीतक तो मवाद और सड़न बढ़ती ही जा रही है। 'आपरेशन' होगा—सारी मवाद निकलेगी। और विश्वका समष्टि शरीर नीरोग होगा, तभी सब सुखी होंगे। भगवान्‌की इच्छा पूर्ण हो!!

हनुमानप्रसाद पोद्दार

U

प्राच्य और पाश्चात्त्य संस्कृति

प्राच्य और पाश्चत्त्य संस्कृतिके ध्येयमें, और ध्येयकी प्राप्तिके साधनोंमें बड़े महत्त्वके मौलिक अन्तर हैं। जिन्होंने इस विषयपर गम्भीरतासे सोचा है वे ही इस बातको समझ सकते हैं कि भौतिकवादकी इतनी उन्नतिमें भी आजका जगत् दुखी और अशान्त क्यों है? और भौतिक सुखोंकी परवा न करनेवाले लोगोंके प्राचीन आध्यात्मिक युगमें जगत् सुखी और शान्त क्यों था? आज पाश्चात्त्य संस्कृतिका प्राधान्य है इसीसे जगत् दुखी और अशान्त है। उस युगमें प्राच्य संस्कृतिकी प्रधानता थी, इसीसे वह सुखी और शान्त था। पाश्चात्त्य संस्कृतिका ध्येय है 'भोग' एवं प्राच्य संस्कृतिका ध्येय है 'त्याग'। भोगका अनिवार्य परिणाम है 'द्वेष'। द्वेषका 'दु:ख' और दु:खका 'अशान्ति'! उधर त्यागका अनिवार्य परिणाम है। 'प्रेम' प्रेमका 'सुख' और सुखका 'शान्ति' भोगी मनुष्य भोगासक्त होता है, आसक्तिकी विरोधी वस्तुओंमें द्वेष होगा, जहाँ द्वेष है वहाँ दु:ख अनिवार्य है और जहाँ दु:ख है वहाँ अशान्ति रहती है! इसी प्रकार पक्षान्तरमें जहाँ त्याग होता है, वहीं प्रेम होता है। प्रेमकी अधिष्ठान भूमि है त्याग और प्रेमकी विनाशक भूमि है स्वार्थ! यह सबका अनुभूत तथ्य है कि जहाँ प्रेम है वहीं सुख है। प्रेमीके स्मरणमात्रसे आनन्द मिलता है। और जहाँ सुख है, वहीं शान्ति है।

जहाँ ध्येय 'त्याग' होता है जीवनमें केवल 'कर्तव्य' पालनकी प्रधानता होती है और जहाँ ध्येय 'भोग' होता है, वहाँ भोगप्राप्तिके 'अधिकार' की, वही प्राच्य और पाश्चात्त्य संस्कृतिकी जीवन पद्धतिका भौतिक भेद है। जहाँ एक मनुष्य अपने कर्तव्यका पालन करता है, वहाँ दूसरोंके 'अधिकार' की अपने आप ही रक्षा होती है। और परस्पर सौहार्द तथा प्रेम भी बना रहता है।

पिताका 'कर्तव्य' है पुत्रका पालन-पोषण करना, उसे शिक्षा-दीक्षा देकर सुयोग्य बनाना; उसको सुन्दर, सदाचारी और आदर्श गृहस्थ बनाना और अपनी सारी सम्पत्ति उत्तराधिकारमें उसे दे देना। पुत्रका कर्तव्य है पिताके सुखके लिये अपना तन-मन अर्पण करना, उसकी सेवामें ही अपना सौभाग्य समझना और इसीको अपनी परम सम्पत्ति मानना, एवं पितृकुलके यश-गौरवको अपने आदर्श आचरणोंके द्वारा बढ़ाना। यदि पिता और पुत्र दोनों अपने-अपने कर्तव्यका पालन करते हैं तो दोनों अधिकार अपने-आप सुरक्षित रहते हैं।

राजाका कर्तव्य है 'प्रजाका हित' करना; प्रजा रञ्जनके लिये बड़े-से-बड़े व्यक्तिगत सुखका त्याग करना। भगवान् रामके सर्वथा दोषरहित पवित्रहृदया सीताके त्यागमें यही रहस्य छिपा है। रामको सीताके

त्यागसे कम मर्मवेदना नहीं थी परन्तु दूसरी ओर उन्हें प्रजारञ्जनरूपी 'कर्तव्य' के पालनसे सन्तोष था। ये सीताके वियोगमें स्वयं कारण बने, जीवनभर रोते रहे, पर इस मार्मिक दु:खके वरण किया केवल प्रजारञ्जनके कर्तव्यके लिये!

राजा अपना 'अधिकार' जतानेके लिये राज्य नहीं करता, यह राज्य करता है एक ट्रस्टीकी हैसियतसे, एक निपुण व्यवस्थापक और बलवान् रक्षककी हैसियतसे। वह प्रजासे न्यायसंगत 'कर' वसूल करता है और उसका अधिकांश भाग प्रजाहितके कार्यमें व्यवस्थापूर्वक वितरण कर देता है। और प्रजाके चुने हुए लोगोंकी सलाहसे प्रजाहितका प्रत्येक कार्य करता है। अपनी सेवाके बदलेमें उसे सुखपूर्वक जीवननिर्वाह का—परिवार-पालनका साधन प्राप्ति होता है, प्रजाके दिये हुए 'कर'से। परन्तु प्रजा इसीमें राजाके ऋणसे उऋण नहीं होती। राजा अपनी प्रजाको अपनी सन्तान समझकर अपना समस्त जीवन देकर उसकी जैसी अनिर्वचनीय सेवा करता है, उससे प्रजा कृतज्ञ होकर उसकी भक्त बन जाती है और उसके 'राज्याधिकार' के लिये उसको राज्यारूढ़ करने तथा देखनेके लिये अपना बड़े-से-बड़ा त्याग करनेको तैयार रहती है। राजके साथ प्रजाका जो व्यवहार था उससे यह सिद्ध है। प्रजाका कर्तव्य यही होता है कि वह राजाको—वस्तुत: राम-सरीखे प्रजारञ्जक राजाको ही वेणु या कंससरीखे राजानामधारी राक्षस-हृदय, प्रजाशोषक हत्यारोंको नहीं—भगवान् माने और उसकी सेवा करे। यदि राजा-प्रजा दोनों अपने-अपने कर्तव्यका पालन करें तो दोनोंके अधिकार सुरक्षित रहते हैं। राजा और राजवंश अकण्टक राज्यका, 'अधिकारी' होता है और प्रजाको अपने सुखमय जीवनयापन तथा राज्य शासनमें सलाह देनेका ही नहीं, राजाको गद्दीसे उतारनेतकका अधिकार रहता है।

इसी प्रकार 'स्वामी-सेवक' 'पूँजीपति मालिक और कार्य कर्त्ता मजदूर' 'जमींदार-किसान' 'गुरु-शिष्य' 'पति-पत्नी' 'सास-बहू' 'भाई-भाई' 'पड़ोसी-पड़ोसी' और विभिन्न धर्मावलम्बी अपने-अपने कर्त्तव्यका पालन करें, तो सबके 'अधिकार' अपने-आप ही सुरक्षित रह सकते हैं। 'कर्त्तव्य' का ज्ञान शास्त्रके द्वारा होता है। वेदके आधारपर त्रिकालज्ञ ऋषि निर्मित शास्त्रोंमें प्रत्येक वर्ण, जाति और व्यक्तिके कर्त्तव्य और आचारका विशद वर्णन है। प्राच्य आर्य-संस्कृतिके अनुसार किसीके भी 'कर्त्तव्य' निश्चयमें प्रधन बातें ये हैं—

(१) उस 'कर्त्तव्य' पालनसे किसी दूसरे राष्ट्र, जाति या व्यक्तिका परिणाममें कोई भी अहित नहीं होना चाहिये।

(२) किसीके भी न्यायप्राप्त अधिकार, स्वत्य या पदार्थको प्राप्त करनेकी जरा भी मनमें कामना नहीं होनी चाहिये!

(३) समाजकी संशृङ्खल व्यवस्थामें कोई अड़चन नहीं आनी चाहिये।

(४) उसमें मनुष्यकी ही नहीं, जीवमात्रके हितकी भावना होनी चाहिये।

(५) संयम, प्रेम, सत्व, दया और हितकी भावना होनी चाहिये।

(६) मनुष्यजीवनमें भावी सन्ततिके लिये परम आदर्शकी स्थापना होनी चाहिये।

(७) व्यक्तिगति जीवन (Private life) शाखानुकूल अत्यन्त पवित्र, सबके लिये आदर्श और सर्वथा स्पष्ट होना चाहिये और उसपर टीका-टिप्पणी करनेका सबको अधिकार होना चाहिये, परन्तु अपनी ओरसे किसीकी निन्दा करके उसे गिरानेका भाव नहीं होना चाहिये।

(८) कर्त्तव्यपालन दूसरेके सुख, सुमति, उत्थान अभ्युदय और लौकिक कल्याणकी प्राप्तिके साथ ही भगवत्प्राप्तिरूप परम कल्याणके मार्गमें प्रवृत्त करनेके लिये होना चाहिये।

(९) उसका निश्चित फल अभ्युदय (लौकिक परम सुख शान्ति) और नि:श्रेयस (भगवत्प्राप्ति) होना

चाहिये।

इन नये सिद्धान्तोंकी मूल भित्तिपर रागद्वेषशून्य ऋषियोंके द्वारा रचित विभिन्न व्यक्तियोंके विभिन्न 'कर्त्तव्य' ही धर्म हैं। इसलिये प्राच्यसंस्कृतिके अनुसर पुरुषार्थ-चतुष्टयमें अर्थ और काम (भोग) के साथ धर्मका नित्य और अनिवार्य संयोग है। 'अर्थ' धर्मयुक्त हो और 'भोग' भी धर्मयुक्त हो एवं इसका फल है 'मोक्ष'—क्लेश, धर्म और कर्मबधनसे आत्यन्तिक मुक्ति।

कर्त्तव्य प्रत्येक व्यक्तिके लिये अलग-अलग परन्तु फल सबके लिये एक ही-'अभ्युदय और निःश्रेयस्'।

आज पाश्चात्त्य शिक्षा-दीक्षाकी प्रधानतासे भारतीय नर-नारी 'कर्त्तव्य'से विमुख होकर 'अधिकार' के लिये लड़ रहे हैं। इसीलिये राजा-प्रजा, शासक-शासित, धनी-गरीब, पूँजीपति मजदूर, जमींदार-किसान आदि वर्ग बने हैं और इनमें परस्पर संघर्ष हो रहे हैं। इन वर्गोंमें ही नहीं—गुरु-शिष्य, पिता-पुत्र, पति-पत्नी आदिमें भी कलह है। सबके अलग-अलग संघ और युनियन बन रहे हैं और सभी अपने-अपने 'अधिकार' के लिये लड़ रहे हैं। आजके 'अधिकार' की व्याख्या यही है कि 'सर्वथा हमारा अधिकार हो, प्रतिपक्षीकी कुछ भी न हो। हमारा ही हित हो; प्रतिपक्षी चाहे अहित ही हो जाय।' इसी 'अधिकार' लिप्सासे आज समष्टि-समष्टि और व्यष्टि-व्यष्टिमें भीषण विनाशकारी संग्राम छिड़ा है। सभी लेना चाहते हैं, देना कोई नहीं चाहता और इसीको उन्नति, जागृति तथा 'कर्त्तव्य' भी मान बैठे हैं। जबतक यह 'अधिकार' की दूषित वृत्ति रहेगी, तबतक जगत्में कभी कहीं शान्ति नहीं होगी। शान्ति तभी होगी, जब सभी राष्ट्र, सभी जाति और सभी व्यक्ति 'अधिकार' के लिये उद्विग्न न होकर विश्वहित अथवा परहितमें ही अपना हित मानकर 'कर्त्तव्य'-परायण हो जायँगे; तब सभीको अपने-अपने अधिकार भी आप ही मिल जायँगे और तब जीवनका लक्ष्य 'त्याग' होनेसे सर्वत्र प्रेम, सुख और शान्तिकी भी चिरप्रतिष्ठा होगी। और इस प्रकारके आचरणोंसे भगवत्कृपाके दर्शन होंगे एवं उसके परिणाममें तुरन्त परम कल्याण भी प्राप्त होगा। भारतीयोंको अपनी संस्कृतिके इस मुख्य सिद्धान्तपर शीघ्र ध्यान देना चाहिये।

हनुमानप्रसाद पोद्दार

U

परम बलवती हिंदू-जातिकी आत्मविस्मृति

(लेखक—श्रीजयदयालजी गोयन्दका)

इस समय हिंदुओंपर और उनके सनातनधर्मपर चारों ओरसे विपत्तियाँ आ रही हैं—मुसल्मान उन्हें सताते हैं, अंग्रेजोंका भी उन्हींपर कोप है, और कांग्रेस-सरकार भी उन्हींको दबानेमें अपना गौरव समझ रही है। इके अतिरिक्त हिंदू-समाजके ही सुधारक तथा समाजवादी लोग भी धर्मके नाशपर तुले हैं। मुसल्मान गुंडे-लुटेरे मुसल्मानोंको नहीं लूटते परन्तु हिंदू गुंडे-बदमाश और डाकू-लुटेरे भी हिंदुओंको ही तंग करते हैं। इन सबका कारण यह है कि सभीने हिंदुओंको दुर्बल और कायर मान लिया है। असलमें न हिंदू-जाति कायर है और न हिंदू-धर्म ही कायरताकी शिक्षा देता है। परन्तु इस समय धर्मका वास्तविक रूप छिपा हुआ सा है और हिंदू-जाति अपने बलको भूली हुई है। इस समय हिंदू-जाति उसके बलकी याद दिलानेके लिये विदुला-जैसी माताओंकी आवश्यकता है जिसने सिन्धुराजसे परास्त हुए अपने पुत्र सञ्जयको वीरत्वपूर्ण उद्बोधन देकर उसके बलविक्रमको जगाया था तथा संग्राममें शत्रुपर विजय प्राप्त करनेके लिये प्रस्तुत किया

था। और कहा था—'जब तू सिन्धूदेशके समस्त योद्धाओंका संहार कर डालेगा, तभी मैं तेरी प्रशंसा करूँगी, मैं तो तेरी कठिनतासे प्राप्त होनेवाली विजय देखना चाहती हूँ।'[१] कुन्ती जैसी माताकी जरूरत है जिसने श्रीकृष्णके द्वारा अपने पुत्र पाण्डवोंसे कहलाया था—

'क्षत्राणियाँ जिस कामके लिये पुत्र उत्पन्न करती हैं' उसे करनेका समय आ गया है।[२]

हिंदू-जातिकी सोयी शक्तिको जगानेके लिये आज बूढ़े जाम्बवान्-जैसे सुहृद् सुवक्ताकी आवश्यकता है जिन्होंने बल भूले हुए हनुमान्‌जीको उनके बलकी याद दिलाकर लङ्कापुरी भेजा था। समुद्रतटपर वानरोंकी सभामें निस्तब्ध बैठे हुए हनुमान्‌जीसे वृद्धवीर जाम्बवानने कहा था—

कइह रीछपति सुनु हनुमाना। का चुप साधि रहेहु हनुमाना॥
पवनतनय बल पवन समाना। बुधि विवेक विग्यान निधाना॥
कवन सो काज कठिन जग माहीं। जो नहिं होइ तात तुम्ह पाहीं॥
रामकाज लगि तब अवतारा।

इतना सुनते ही हनुमान्‌जीको अपनी शक्तिका स्मरण हो आया। बस, उसी क्षण वे पर्वताकार हो गये। उन्होंने लंका जाकर, रावणका दर्प चूर्ण किया, लंकापुरीको जलाया और लौटकर जनकनन्दिनीका सन्देश भगवान् रामको सुनाया।

इसी प्रकार आज किसी महाजनके उद्बोधनसे आत्मविस्मृत हिंदू-जाति यदि जग गयी, उसने यदि अपने बलको सँभाल लिया वह यदि सुसंघटित होकर सर्वशक्तिमान् भगवान्‌के बलके परम आश्रयसे परम बलवती होकर ललकार उठी तो फिर जगत्‌में किसकी शक्ति है जो उस सात्त्विक शक्तिसमन्वित, भगवदाश्रित जातिका कुछ भी अनिष्ट कर सके। विश्वकल्याणके लिये विश्वेश्वर भगवान्‌की कृपासे हिंदू-जाति शीघ्र-से-शीघ्र जाग्रत् हो!

U

मानवताका पतन

बंगाल और बिहार

जबसे यूरोपका द्वितीय महासमर प्रारम्भ हुआ, तभीसे मानव प्राणी मानवतापर और भी भीषण प्रहार करने लगा था। अणुबमके आविष्कारद्वारा मानवतापर भीषण चोट पहुँचाकर मानवका यह राक्षसी समर कुछ दिनोंके लिये रुका। परन्तु मानवताकी मरणोन्मुखी गति नहीं रुकी। उसने भारतीय मुसल्मानोंके अंदर छिपी पशुता और पैशाचिकताको बढ़ाया। लीगी नेताओंके—जिनमेंसे कुछ आज केन्द्रीय सरकारके माननीय सदस्य हैं—मुखोंसे उस भीषणतम विषाग्निका प्रवाह बड़े जोरोंसे वह निकला और उसका विशेष रूपसे कार्य प्रारम्भ हुआ 'प्रत्यक्ष कार्रवाई' की बुरी तारीख १६ अगस्तको कलकत्ता महानगरीमें! भीतरी मददसे, सहानुभूतिसे, चुप्पीसे और शासनकी बेईमानीसे लीगी बंगाल सरकारने उसका समर्थन ही नहीं किया, उसमें सहयोग दिया। कलकत्तेकी वह आग बुझी तो नहीं ही, बंगालके अभागे पूर्वीय अंशमें-जहाँ हिंदू अल्प संख्यामें बसते हैं और जहाँ महीनों पहलेसे उसका पूर्वरूप बन रहा था—बुरी तरहसे फैल गयी। वहाँ क्या और कैसे-कैसे काण्ड हुए एवं अबतक हो रहे हैं इसका कुछ दिग्दर्शन 'कल्याण' के पिछले अङ्कमें 'हिंदू क्या करें?' शीर्षक लेखमें कराया जा चुका है। हिंदू-जनता रोती रही, मानवता कराहती रही, परन्तु किसी भी

१. अथ त्वां पूजयिष्यामि हत्वा वै सर्वसैन्धवान्। अहं पश्यामि विजयं कृच्छ्रभावितमेव ते॥ (महा० उ० १३५। २१)।
२. यदर्थं क्षत्रिया सूते तस्य कालोऽयमागतः॥ (महा० उ० १३६। १०)

सरकारने उसके रोकनेमें अपनी किसी भी शक्तिका उपयोग नहीं किया। न मुर्दा हिंदु-जातिमें ही कोई ऐसी जागृति आयी जिससे बंगालकी उस राक्षसी अत्याचारधाराका प्रवाह कुछ रुक सकता!

माँ-बहिनोंपर, बहू-बेटियोंपर भयानक अत्याचारकी भीषण कथाएँ सुनते-सुनते हिंदू-हृदयमें आग लग गयी! हिंदू सुव्यवस्थित सुसंगठित हैं नहीं। न उनका कोई संचालक है न नेता। उनके सामने था और अब भी है अन्धकार। वे थे और अब भी हैं किंकर्त्तव्यविमूढ! हृदय उबल रहा था। खून तप रहा था। अचानक उनकी देवप्रतिमापर आघात किया गया बिहारके छपरेमें! हृदयकी आग बाहर निकल पड़ी। बिहारका हिंदू पागल बन गया। मानवता लजाकर छिपने लगी। अवश्य ही बिहारके हिंदूने मानवताके पतनको बंगालके आततायी मुसल्मानकी-सी चरम पतित सीमातक नहीं पहुँचा दिया। बिहारमें न बलात्कार हुआ, न बलपूर्वक विवाह किया गया, न नारी अपहरण हुआ और न किसीका बलात् धर्मपरिवर्तन किया गया। हुआ हत्याकाण्ड, लूटपाट और अग्निलीला। पूर्व-बंगालके अत्याचारकी तुलनामें कुछ भी न होनेपर भी था तो यह भी मानवताका पतन ही। था तो अत्याचार ही। और खास करके हिंदूके लिये तो यह बड़ी ही लज्जाकी बात थी कि वह अपने असहाय अल्प संख्यक पड़ोसियोंपर प्रहार करे। अल्पसंख्यक निर्बल पड़ोसियोंको इस प्रकार मारनेमें न तो बहादुरी है, न शोभा है, न संस्कृतिका संरक्षण है और न धर्म है। यह तो निरी कायरता और कुरुपता है। पवित्र हिंदू-संस्कृतिका तिरस्कार है और प्रत्यक्ष अधर्म है। सर्वभूतोंमें समान भावसे एक आत्माका दर्शन करनेवाले हिंदूके लिये ऐसी बर्बरता निश्चय ही परम कलङ्करूप है। इसीलिये इसका जितना विरोध किया जाय उतना ही थोड़ा है और इस दृष्टिसे इसे रोकनेमें जितना ही उचित प्रयास किया जाय उतना ही आवश्यक और परम हितकारी है। हिंदू-जातिको अत्याचारी बननेसे बचाना उसका निश्चय ही परम हित करना है और सच्चे मनसे ऐसा करनेवालोंको उसे अपना परम हितैषी ही मानना चाहिये।

परन्तु पूर्व-बंगाल और बिहारमें जो कुछ हुआ उसपर तुलनात्मक दृष्टिसे विचार करनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि न तो दोनों जगहोंके अत्याचारोंमें समानता थी और न उनके साथ किये जानेवाले व्यवहारमें ही! दु:खकी बात तो यह है कि राष्ट्रके कर्णधार माने जानेवाले न्याय परायण नेताओंका व्यवहार और उनकी नीति भी दोनों जगह सर्वथा दो प्रकारकी रही। यह कटु सत्य है, पर सत्य आखिर है तो सत्य ही। अब जरा दोनोंपर तुलनात्मक दृष्टिसे विचार कीजिये।

बंगालका अत्याचार पूर्वनियोजित है

पूर्व बंगालका अत्याचार सर्वथा पूर्वनियोजित है। इसके काफी प्रमाण मिल चुके हैं। इसपर मुस्लिमलीग, लीगी सरकार, मि० बरोज और उनके साथी मुसल्मानोंको केवल खुश करनेकी इच्छा रखनेवाले लोग किसी स्वार्थसे या कमजोरीसे पर्दा डालते रहें तो दूसरी बात है। 'सोयेको जगाया या सकता है—जागतेको नहीं।' पिछले बयानोंको जाने दीजिये। अभ हालमें कुमारी मूरियल लीस्टरने, जिसने बिलायतमें महत्मा गाँधीजीका आतिथ्य किया था, पूर्व-बंगालमें जाकर वहाँकी स्थितिका भलीभाँति अध्ययन करके कहा है—

'....हिंसा, अग्निकाण्डकी घटनाएँ यहाँ अचानक नहीं हुई हैं। बंगालमें गुंडोंकी संख्या कितनी भी क्यों न हो वे अपने-अपने इतना बड़ा संघटन कभी नहीं कर सकते थे। मकानोंपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगायी गयी है, राशनकी यह चीज उनको किसने दी? देहाती इलाकोंमें छिड़कनेके लिये फुहारे किसने पहुँचाये? और हथियार किसने दिये?'

'सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी'के बहुत पुराने कार्यकर्त्ता प्रसिद्ध शान्तिप्रिय गम्भीर और तौल-तौलकर बोलनेवाले पं० श्रीहृदयनाथ कुँजरूने कहा है—

'मैंने जाँच-पड़तालकर पता लगाया है कि कलकत्तेके दंगेके तुरंत ही नोआखाली जिलेमें हिंदूविरोधी आन्दोलन जोरोंमें शुरू कर दिया गया था। हिंदूविरोधी

प्रचारके लिये मुस्लिमलीगका एक अंग तो उत्तरदायी है ही, लींगके दूसरे अंगने इस अहितकर गतिविधिको बंद करानेके लिये कोई चेष्टा की है या नहीं, इसका पता मुझे नहीं है। लीगके आक्रमणकारी अंगके नेताओंने मुसल्मानोंकी धार्मिक भावनाएँ उत्तेजितकर नोआखाली जिलेके कई भागोंके शान्तिप्रिय और निहत्थे हिंदुओंपर हमला करनेके लिये मुसल्मानोंको उमड़ा। हिंदुओंने गुंडोंपर नियन्त्रण रखनेके लिये जिलाधिकारियोंसे बार-बार अनुरोध किया, किन्तु उनका भय निराधार बताकर अधिकारियोंने उनकी प्रार्थना अनसुनी कर दी। हिंदुओंके बचानेके लिये जरा भी ध्यान उन्होंने न दिया। जिस समय पूर्वी कमानके सेनापति जनरल बूचरने वक्तव्य प्रकाशित किया था उस समयतक उन्हें स्थितिकी वास्तविक जानकारी नहीं थी। नोआखालीके जिला मजिस्ट्रेटने भी दंगेका कारण गुंडोंकी खुराफात बताया है। बूचरके कथनानुसार उन गुंडोंकी संख्या एक हजार थी। परन्तु वस्तुस्थितिसे इस सिद्धान्तका प्रतिपादन नहीं होता। शरणार्थियों तथा उपद्रवग्रस्त क्षेत्रोंमें रहनेवाले हिंदुओंके वक्तव्योंसे यह स्पष्ट है कि मुसल्मानोंके पूर्वनियोजित आक्रमणके कारण हिंदुओंकी दुर्दशा हुई है। और उसमें बाहरी मुसल्मानोंके साथ स्थानीय मुसल्मानोंने हाथ बँटाया है। जब बाहरी मुसल्मानोंके गिरोह हिंदू गाँवोंपर धावे बोलते थे तो स्थानीय मुसल्मान उनके साथ मिलकर अत्याचारोंमें प्रमुख भाग लेते थे; और इस प्रकार बाहरवालोंकी क्रियाओंका संचालन स्थानीय मुसल्मानोंद्वारा ही होता था। एक भारतीय कमीशन अफसरका भी, जो उन दिनों अपने माता-पिताके साथ गाँवमें थे, यही कहना है·····'सचमुच यह स्थानीय मुसल्मानोंका ही काम है कि जुमाके दिन हिंदुओंको मस्जिदमें नमाज पढ़नेके लिये बाध्य किया गया। गुंडोंका यह काम कदापि नहीं था।'

इसके अतिरिक्त झुंड-की-झुंड मुस्लिम जनता गले फाड़-फाड़कर लीगी नारे लगाती थी कि 'पाकिस्तान जिन्दाबाद' और 'लड़के लेंगे पाकिस्तान' तथा हिंदुओंको लीगके क्रोधमें चंदा देनेके लिये बाध्य करती थी। इतना ही नहीं, विधर्मी बनाये गये हर हिंदूको लूँगी और टोपी दी गयी थी। टोपीपर बँगलामें 'पाकिस्तान जिन्दाबाद' लिखा हुआ था। जिन गाँवोंपर मुसल्मानोंका अधिकार हो गया था वहाँके हिंदुओंकी प्रत्येक क्रियापर दृष्टि रक्खी जाती थी तथा उन्हें गाँवके बाहर नहीं जाने दिया जाता था। अगर जिन भारतीय कमीशन अफसर चर्चा की गयी है, वे भी गाँवमें रोककर रक्खे गये थे। उनका बाहरके जगत्से एकदम सम्बन्ध विच्छेद कर दिया गया था, उनकी सम्पत्ति लूट ली गयी थी और उनके हथियार छीन लिये गये थे। उनकी माँको छोड़कर वे, उनके पिता तथा परिवारके सभी सदस्य मुसल्मान बना लिये गये थे। सेनाद्वारा बचाये जानेके पहलेतक वास्तवमें ये बन्दी बनाकर गाँवमें रक्खे गये थे। बहुत ही कम विधर्मी बनाये गये हिंदुओंको गाँवसे बाहर जानेकी अनुपति पत्र (परमिट) मिलता था। उक्त पत्र या तो मौलवी देते थे या आततायियोंके नेता! पत्रपर लिखा रहता था 'पत्रवाहक मुसल्मान है, इसे कोई तंग न करे!'

'इन बातोंसे साफ प्रकट होता है कि ये हरकतें सिर्फ गुंडोंकी ही न थीं। सच बात तो यह है कि नोआखालीमें जो राक्षसी काण्ड हुए हैं उनका एकमात्र कारण मुस्लिम-लीगका राजनीतिक प्रचार है तथा हिंदुओंपर हमला करनेकी योजना लीगियोंद्वारा पहलेसे ही अच्छी तरहसे तैयार कर ली गयी थी। इन मार-काटके कार्यके बीचमें यदि हिंदुओंके प्रति कुछ 'रियायत' की गयी थी तो वह यह है कि उनको जबरन मुसल्मान बनाकर मौतके घाट नहीं उतारा गया।'

'इसमें कोई संदेह नहीं कि साधारणत: हिंदुओंको मुसल्मान होनेके लिये बाध्य किया जाता था और जैसा कि जिलेके अधिकारियोंने स्वीकार किया है हिंदुओंका सामूहिक रूपसे धर्मपरिवर्तन कराया जाता था। निस्सहाय और भयाक्रान्त हिंदुओंके सामने दो ही रास्ते थे—या तो इस्लामको मंजूर करें या मौतके घाट उतरें।·····ऐसी परिस्थितिमें यदि उन्होंने उस समय आततायियोंकी बात

न मानी होती तो आज वहाँपर एक भी हिंदू देखनेको न मिलता। यह बात भी अच्छी तरह प्रमाणित मालूम होती है कि जमींदारों तथा अन्य धनी हिंदुओंके घर लूटे गये और अनेक स्थानोंमें जला दिये गये। कहीं-कहींपर तो सभी मकान लूट लिये गये और जला दिये गये।'

कहा जाता है कि सब मिलाकर कई करोड़ोंकी सम्पत्ति लूटी गयी है और गाँव-के-गाँव हिंदूशून्य कर दिये गये हैं। अब गाँवोंमें यदि कुछ हिंदू हैं तो वे धर्मान्तरिक मुसल्मानके रूपमें है!

इससे भलीभाँति सिद्ध होता है कि बंगालमें जो कुछ हुआ उसकी योजना क्रूर तथा कुशल मस्तिष्कोंके द्वारा बहुत पहलेसे बन चुकी थी और सुसंघटित रूपसे उसकी पूरी तैयारी भी कर ली गयी थी। इसके अतिरिक्त मज़हबके नामपर पागल बन जानेवाले मूर्ख मुसल्मान-जनताको भड़कानेके लिये दिये गये चतुर राजनीतिक बड़े-बड़े लीगी नेताओंके वे अग्निवर्षी भाषण उनके कानोंमें गूँज रहे थे, जिनमें उन्होंने नादिरशाह और चंगेजकी तरह अत्याचार करनेका स्पष्ट संकेत किया था। 'प्रत्यक्ष कार्रवाई' (direct action) का बना बनाया ही नहीं, कलकत्तेमें सफलतापूर्वक आजमाया हुआ कार्यक्रम सर्मिन था। और थे बंगाल-सरकारके भूतपूर्व प्रधानमन्त्री मियाँ निजामुद्दीन साहिबके कलकत्ता नरसंहारके कुछ ही दिन पूर्व बड़े गर्वके साथ घोषणा किये हुए ये स्मरणीय वाक्य—'मुस्लिम-जनताको यह बतानेकी आवश्यकता नहीं कि उन्हें क्या करना है। वह अपने कर्तव्यको अच्छी तरह जानती है।' इसके साथ यह दृढ़ विश्वास था कि मुसल्मान कुछ भी करें, उनका हाथ पकड़नेवाला कोई भी नहीं है। अपनी लीगी सरकार है। केन्द्रीय सरकार मोहित है और ब्रिटिश अधिकारी तो इस कुचक्रके निर्माता ही हैं। इस प्रकार बारूदखाना और उसे जलानेकी सारी सामग्री उचित मात्रामें पहलेसे मौजूद थी।

बिहारका उपद्रवव आकस्मिक और प्रतिक्रियात्मक था

पर बिहारमें जो कुछ हुआ उसमें कहीं भी किसी पूर्व योजनाका नाम-निशान नहीं था। वह तो उसके हृदयका क्षणिक उबाल था जो पथ-प्रदर्शकके अभावमें छेड़े जानेपर अपने-आप रास्ते-कुरास्ते अव्यवस्थित रूपें फूट निकला। कलकत्तेके नरसंहारमें अगणित बिहारी सताये तथा मारे गये थे और उनके मारने-मरवानेवाले उसी तरह छाती फुलाये घूम रहे थे। इधर पूर्व-बंगालमें माँ-बहनोंपर सितम टूट रहे थे। बिहारी हिंदुओंका सरल हृदय विक्षुब्ध था। उसीके परिणामस्वरूप यह पागलपन प्रकट हो गया। यह पूर्व-नियोजित वस्तु नहीं थी, यह थी विशुद्ध प्रतिक्रियात्मक। इसका बीज वास्तवमें बंगालका अत्याचार था। बिहारके अर्थमन्त्री श्रीअनुग्रहनारायण सिंहजीने कहा है—'बिहारमें जो कुछ हुआ है, वह कलकत्तेके हत्याकाण्डके सिलसिलेमें हुआ है। वहाँके और यहाँके उपद्रवको एक दूसरेसे अलग नहीं माना जा सकता।' 'बंगाल और विशेष करके कलकत्तेमें मारे जानेवाले लोगोंके सम्बन्धी और मित्र बिहारमें रहते हैं और इसलिये ऐसे साम्प्रदायिक उपद्रवका अध्ययन निश्चय ही सम्पूर्ण भारतवर्षको पृष्ठभूमिके रूपमें रखकर करना चाहिये।'

अब तो पं० नेहरूजीने भी यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि 'बिहारका उपद्रव बंगालके अत्याचारके कारण हुआ, और हुआ भी तब जब कि केन्द्रीय सरकारकी ओरसे कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई।'

बंगालके भीषण अत्याचारकी प्रबल धारामें कोई रुकावट नहीं आयी, और इससे जब बिहारके लोगोंका हृदय क्षुब्ध देखा गया तब माननीय सरदार पटेल साहब भी कहते हैं कि 'वायसराय महोदयको चेतावनी दे दी थी कि यदि बंगालका उपद्रव नहीं रोका गया तो बिहारमें प्रतीकार आरम्भ हो सकता है जिसका असर समस्त भारतपर पड़ेगा और स्थिति बिल्कुल काबूके बाहर हो सकती है।' (भारत)

इसी प्रकार बिहारके प्रधान सचिव श्रीश्रीकृष्णसिंह महोदयने भी बिहारमें दंगा शुरू होते ही वायसराय महोदयको तारद्वारा शायद यह लिख दिया था कि

'बंगालकी नृशंसताओंसे समूचा बिहार क्षुब्ध हो गया है। यदि वहाँ मार-काट, लूट-खसोट, गृहदाह आदिको शीघ्रतासे न रोका जायगा तो बहुत सम्भव है कि यहाँपर भी साम्प्रदायिक स्थितिपर काबू रखना कठिन हो जाय।'

इन सारी बातोंसे सिद्ध है कि बिहारका उपद्रव विशुद्ध आकस्मिक और केवल प्रतिक्रियात्मक है और ऐसी प्रतिक्रिया सहजमें रुकती नहीं। सरदार पटेलने ठीक ही कहा है कि 'राष्ट्रीयता किसी हदतक ही साम्प्रदायिकताको रोक सकती है।'

बंगालके अत्याचारका भीषण स्वरूप

अब दंगेके स्वरूपकी तुलना कीजिये। बंगालमें अबाध नरहत्या, आग तथा भयानक लूट तो हुई ही। जीवित मनुष्य भी जलाये गये और सबसे अधिक बुरी बात हुई—पुत्रोंके सामने माताओंपर, भाइयोंके सामने बहनोंपर, पतियोंके सामने पत्नियोंपर और पिताओंके सामने पुत्रियोंपर बलात्कार किये गये; उनका अपहरण किया गया, उनसे जबर्दस्ती विवाह किये गये और सामूहिक रूपसे जनताका बलात् धर्म-परिवर्तन किया गया। ये सब काण्ड ऐसे भयानक हुए कि इनपर पर्दा डालनेके लिये बड़े-बड़े जिम्मेदार लोगोंको जान-बूझकर झूठे-झूठे वक्तव्य देने पड़े। भला हो—बंगालकी सुपुत्री श्रीसुचिता कृपलानीका, जो अपने पतिके साथ यहाँ पहँची और जिसने सत्यके प्रकाशमें अभूतपर्व सहायता की। नहीं तो, शायद इस भयानक अत्याचारके इतिहासको बहुत बुरी तरह उड़ा ही दिया जाता। अब तो प्राय: सभी स्वीकार करते हैं कि वहाँ ऐसे घटनाएँ बहुत हुई हैं। अभी उस दिन समाचार आया है कि ''सरकारने त्रिपुरा जिलेके अपराधोंके सम्बन्धमें जाँच करके पूरी रिपोर्ट देनेके लिये एक यूरोपियन आई०सी०एस० अफसरको नियुक्त किया था और इसी प्रकार नोआखाली जिलेके लिये एक भारतीय (हिंदू) अफसरकी नियुक्ति की गयी थी। यूरोपियन अफसरके कार्यमें आततायियोंने बाधा नहीं पहुँचायी और कहा जाता है कि उन्होंने रिपोर्ट दी है कि 'चाँदपुर सबडिविजनके एक इलाकेमें ३००से अधिक बलात्कार और दूसरे इलाकेमें लगभग ४०० बलत्कारकी घटनाएँ हिंदू-स्त्रियोंपर हुई हैं। इसमें १० वर्षकी बालिकाओंसे लेकर ५० वर्षकी प्रौढ़ा स्त्रियाँ हैं।' यदि त्रिपुरा जिलेके एकमात्र सबडिविजनके दो इलाकोंकी यह रिपोर्ट है तो अवश्य ही नोआखालीकी दशा तो बहुत ही भयानक होगी।'' (देखिये अ० वा० पत्रिका)

अभी-अभी मिस मूरियल लीस्टरने कहा है—

'प्रत्येक शरणार्थीसे दु:खपूर्ण अनुभव सुने जाते हैं परन्तु सबसे अधिक दुर्दशाकी कथा तो महिलाओंकी है। उनमेंसे अनेकोंने अपनी आँखोंके सामने अपने पतियोंकी हत्या देखी है और फिर धर्मपरिवर्तन कर उन्हीं हत्यारोंमेंसे किसीके साथ उन्हें विवाह करना पड़ा है! वे महिलाएँ मृतप्राय हो रही हैं। स्तब्ध दृष्टिसे देखती हैं। उनमें कोई क्रियाशीलता नहीं रह गयी है। वे सर्वथा शून्य-सी हो गयी हैं। उनमें न कोई चेतना रह गयी है और न कोई भाव ही बचा है। बहुतेरी घायल हैं। वे अपनी पतियोंको बचानेके लिये लड़ी भी थीं परन्तु उनका प्रयास सफल नहीं हुआ।'

'सेवाकार्यमें लगे हुए कार्यकर्ता और अफसर गाँवोंमें जाकर ऐसी विवाहिता स्त्रियोंको मुसल्मानोंके घरोंसे निकालनेमें बड़ी कठिनाईका सामना कर रहे हैं। उन स्त्रियोंको धमका दिया गया है कि वे यदि अफसरोंके सामने यह नहीं कहेंगी कि हमें यह नया घर ही पसन्द है तो उनके तमाम परिवारके लोगोंको कत्ल कर दिया जायगा।'

'कई हजार लोगोंको प्राणोंका भय दिखलाकर जबर्दस्ती गोमांस खिलाकर इस्लाम स्वीकार कराया गया है।' (अ० वा० ए० ९। ११। ४६)

इसके अलावा लोगोंसे लीगके नामपर चन्देकी बहुत बड़ी-बड़ी रकमें वसूल की गयी हैं और कहीं कहीं तो सब कुछ दे डालनेपर भी उनके प्राण नहीं बच सके हैं!

बिहारके उपद्रवका स्वरूप

इधर बिहारमें भगवान्की कृपासे ऐसी एक भी

घृणित घटना नहीं सुननेमें आयी है। यह हिंदू-संस्कृति और हिंदू-हृदयकी विशेषता है। तथापि बंगालके अत्याचारकी अपेक्षा बिहारके अत्याचारको बहुत बढ़कर बताया जा रहा है? इससे मुस्लिम नेताओं और प्रचारकोंकी तथा मुसल्मान सरकारी सदस्यों एवं अफसरोंकी निर्धारित नीताका पता लगता है।

बंगालके अत्याचारको छिपाना और अबतक रोकनेका प्रयत्न न करना

पूर्व-बंगालमें, अत्याचारकी तो चार दिनोंतक तो किसीको खबर ही नहीं मिली। जब खबर मिली भी तो बहुत घटाकर। समाचारपत्रोंकी जवाब बंद कर दी गयी। और बंगालकी लीगी सरकारकी बात तो अलग रही—स्व. गवर्नर साहेबने घटनाको साधारण बतलाया। कमांडिंग अफसर बूचर साहेबने भी इसीका समर्थन किया। बताया गया—'यह केवल बाहरी गुंडोंका काम था—मुस्लिम जनताका नहीं। इसमें सौके लगभग आदमी मरे होंगे। धर्मपरिवर्तन और अपहरणके कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले।' पर अब तो एक सबडिविजनके एक-एक इलाकेमें ३००-४०० तककी बलात्कारकी घटनाएँ तो कागजोंमें लिखी जा चुकी हैं—न मालूम पूरे जिलेके सब इलाकोंकी ऐसी कितनी घटनाएँ लिखी जायँगी। और बेलिखी कितनी अगणित घटनाएँ शेष रह जायँगी यह कौन जानता है। क्या अब भी यह बात झूठी मानी जायगी? परन्तु इस सम्बन्धमें कुछ भी नहीं रहा है। पूर्व बंगालकी रोमाञ्चकारी घटनाओंसे समूचे भारतका हृदय हिल गया परन्तु मियाँ जिन्नाकी दो सप्ताहतक तो जबान ही नहीं खुली। उन्होंने तभी मुँह खोला जब देखा कि इन घटनाओंसे सारा संसार क्षुब्ध हो गया है। इसय प्रकार उन्होंने २४ अक्टूबरको वक्तव्य दिया, जिसमें उन्होंने हिंदू, मुसल्मान तथा अन्य वर्गोंसे अपील की थी कि इस राक्षीस नरहत्याको रोकें। इससे उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पूर्व-बंगालमें होनेवाली घटनाओंके लिये सभी वर्गोंके लोग दोषी हैं। लीगी अन्यान्य नेता भी चुप रहे। न वहाँकी सरकारने कुछ किया!

बंगालका अत्याचार अभी रुका नहीं है, इसपर उस दिन श्रीआशुतोष लाहिड़ी, हिंदू-महासभाके मन्त्रीने कहा है—

'नोआखालीकी दशा आज भी ज्यों-की-त्यों भवावह है। रेलवेलाइनका पश्चिमी भाग तो पहलेके समान ही अराजकतासे ग्रस्त है। उस दिन पहले एक परिवार नौकासे किसी सुरक्षित स्थानको जा रहा था कि आततायियोंने नौकापर आक्रमण किया और उस परिवारके ११ व्यक्ति मार डाले गये।'

नोआखाली जिलेकी बलात्कारकी घटनाओंकी जाँचके लिये जो भारतीय अफसर नियुक्त हुए थे, उनके कार्योंमें आततायियोंने बाधा दी; क्योंकि वे भलीभाँति सुसंगठित थे और उन्हें सारी खबरें मिलती थीं। गत २ नवम्बरको जब वे अफसर शरणार्थियोंके एक दलको लेकर एक गाँवसे दूसरे गाँव जो रहे थे, तब आततायियोंने उनपर तीन बार आक्रमण किया। आखिर पुलिस और संरक्षकोंको, जो उस अफसरकी पार्टीके साथ थे, गोली चलानी पड़ी, जिससे कहा जाता है कि दस दंगाई मारे गये और बीस घायल हुए। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो नोआखाली जिलेके गाँवोंकी इन आततायियोंके हाथों कैसी दुर्दशा हुई है।

अब सरकारके द्वारा खास तौरपर नियुक्त किये गये एक आई०सी०एस० अफसरतकपर तीन-तीन बार खुले मैदान आक्रमण करनेका साहस उन आततायियोंमें अभी भी है तब उनके हाथोंकी ताकतका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। साथ ही यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि वे लोग किसकी शक्ति और सहयोगके बलपर ऐसा दु:साहस कर रहे हैं!

श्रीमती सुचिता कृपलानीने उस दिन कहा है—'नोआखालीमें हिंदुओंके अस्तित्वको बिल्कुल मिटानेका ही प्रयास किया गया था। मुसल्मानोंने हिंदुओंकी हत्या तथा उनको धर्मान्तरित करके इसी मनोभावको कार्यरूपमें परिणत करनेकी चेष्टा की है। पुलिसकी व्यवस्था सर्वथा अपूर्ण है। यदि गंडोंको पकड़नेके लिये विशेष

व्यवस्था नहीं की जायगी तो फौज कितनी ही सेवा क्यों न करे, अपहरण की हुई महिलाओंका उद्धार नहीं हो सकेगा।

अपहृता स्त्रियोंका पता लगाने जब फौजको साथ लेकर हमलोग गये तब बहुतोंका तो पता ही नहीं लगा। मैंने प्रायः २० लड़कियोंका उद्धार किया है। मुसल्मानोंके साथ इनका विवाह कर देनकी व्यवस्था हुई थी। करपाड़ाके श्रीराजेन्द्रलाल रायके परिवारकी नमिता राय और सरलावाला रायका अभी कोई पता नहीं लगा है।

मुसल्मानोंने यहाँ अब एक नया तरीका पकड़ा है—वे खाली घरोंमें आग लगाकर पुलिसमें रिपोर्ट करते हैं कि हिंदुओंने आग लगायी है और हिंदू पकड़े जाते हैं। इस इलाकेमें लगभग ६० हिंदू पकड़े गये हैं। इस तरह वे हिंदुओंको सता रहे हैं। वे जब फौजके तलाशी लेनेके लिये आनेकी बात सुनते हैं तब लूटी हुई चीजें रातके समय आसपासके पोखरोंमें या पेड़ोंके झुरमुटोंमें फेंक जाते हैं।

सेवाके लिये जो स्वयंसेवक आते हैं उन्हें वे कलकत्तेके गुंडे बतलाकर भगा देते हैं। कहीं-कहीं तो उनपर आक्रमण भी किया जाता है। चन्द्रकोनामें स्वयंसेवकोंकी एक टोलीपर आक्रमण किया गया और एक स्वयंसेवकको मार डाला गया। मैंने गुंडोंको शीघ्र पकड़नेके लिये अधिकारियोंसे कहा है परन्तु अबतक कोई भी सन्तोषजनक व्यवस्था नहीं हुई है। इस काममें देर करनेका मतलब गुंडोंको फरार होनेमें परोक्षरूपस सहायता करना है।

पूर्व-बंगालके गाँवोंमें आज भी अबाध्य हत्याकाण्ड, लूट और स्त्रियोंपर अत्याचार चल रहे हैं। उपद्रव शुरू कर तीन सप्ताहसे अधिक हो गये हैं; परन्तु पुलिस और फौज गाँवोंमें अभीतक उजड़े स्थानोंके एक चौथाई भागमें भी नहीं पहुँची है। इसीलिये वहाँ कितनी जान-मालकी हानि हुई है, इसका पता लगाना सम्भव नहीं है।

घर छोड़कर भागे हुए हिंदुओंको फिरसे बसानेकी समस्या बड़ी कठिन है; क्योंकि सेनाके रहते हुए भी वे अपनेको सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं। गुंडे अब भी बेरोकटोक इधर-उधर चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें अपने कुकृत्योंके लिये जरा भी पश्चात्ताप या दुःख नहीं है। अधिकारियोंकी असावधानीका फल यह तो रहा है कि अपराधियोंको अपने अपराध प्रमाणित करनेके प्रमाणोंको नष्ट कर डालनेका यथेष्ट अवसर मिल रहा है और बहुतसे तो इस बीचमें भाग भी गये हैं।'

(देखिये बंगला 'भारत' ११। ११। ४६)

सहयोगी अ. बा. पत्रिकाने लिखा है—'पूर्व बंगालमें अराजकताका विस्तार करनेवाले आततायियोंपर बहुत पहले हवाई जहाजोंके द्वारा बम बरसाने तथा उन्हें गोलियोंका शिकार करनेकी आवश्यकता थी। क्या केन्द्रय सरकारका बंगाल-सरकारका कुछ भी प्रभाव नहीं है जैसा कि वह बिहारकी कांग्रेस सरकारपर दिखा रही है।' परन्तु पूर्व बंगालके आततायियोंपर गोले-गोली बरसाना तो दूर रहा—उपर्युक्त विवरणसे पाठकोंने जान लिया होगा कि उनको तो पकड़ा भी नहीं जा रहा है। बल्कि प्रमाण नष्ट करने और फरार होनेका मौका दिया जा रहा है। महात्माजीने भी बार-बार कहा गया और अब भी कहा जा रहा है कि 'आप क्यों बेकार बंगालमें बैठे हैं। बिहार जाइये।' मानो बंगालमें तो कुछ हुआ ही नहीं, जो कुछ जुल्म हुए हैं सो तो बिहारमें ही हुए हैं। बंगालमें अबतक बहुत ही थोड़ी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। पत्रिकाने लिखा है कि कलकत्ता तथा दूसरे स्थानोंमें होनेवाले काण्डोंके लिये उत्तरदायी व्यक्तियोंके विरुद्ध कड़ाईसे कार्रवाई की जायगी, यह बात अभी भविष्यके गर्भमें छिपी है। प्रत्यक्ष तो यह है कि बंगालमें किसी भी विभागके किसी भी पुलिस या शासनसम्बन्धी अफसरको अबतक कुछ भी नहीं कहा गया है। इतना ही नहीं, जिन लोगोंपर प्रान्तके अमन-चैनकी सारी जिम्मेवारी है, उन्होंने नोआखाली जिलेमें एक भूतपूर्व एम०एल०ए०के अतिरिक्त किसी भी राजनीतिक व्यक्तिको गिरफ्तार नहीं किया है।'

पर किसीको लीगी सरकार गिरफ्तारको कैसे? इन अपराधोंका सच्चा उत्तरदायित्व गुंडोंपर नहीं है। वह तो उन मानवीय लीगी सदस्योंपर है जो हम आक्रान्त प्रान्तोंमें सर्वत्र फैले हुए हैं तथा घृणाका प्रसार करते रहते हैं एवं हिंदुओंके प्रति 'जेहाद' का निष्ठुरतापूर्ण प्रचार कर रहे हैं। वस्तुत: इसके भी काफी प्रमाण मौजूद हैं कि इस समय जो लोग महात्मा गाँधीजीके सामने संयम और सद्भावनाके लिये अनुरोध कर रहे हैं उन्हींकी ओरसे गुंडोंको उत्तेजना, प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता आदि सब कुछ मिला है।

रहा केन्द्रीय सरकारका कर्तव्य सो उसने भी बंगालके सम्बन्धमें बड़ी अवहेलना दिखलायी है।

बिहारका उपद्रव बढ़ाकर बताया गया

इधर बिहारमें तो दंगा होते ही वहाँकी सरकारने पूरी खबर दे दी। बल्कि कहीं-कहीं तो भूलने जल्दीमें मृत्यु-संख्या उलटी अधिक बता दी गयी, जिसका पीछेसे सुधार करना पड़ा। सब प्रकारसे दंगेके दमनकी पूरी तैयारी हो गयी और तुरन्त दमन शुरू भी हो गया। चारों ओरसे कांग्रेसी और लीगी नेता दौड़ पड़े। वायसराय साहब भी पधारे। केन्द्रीय सरकारका आसन भी हिल गया। पंडित नेहरू और मौलाना आजाद, सरदार पटेल और सरदार निस्तार, श्रीराजेन्द्र बाबू और श्रीजयप्रकाश बाबू तथा बंगाल प्रान्तके लीगी सदस्य, सभी दौड़े आये और प्राय: सभीने खूब बढ़ा-चढ़ाकर बयान दिये और बिहारकी दशापर आँसू बहाये! महात्माजीने बिहारियोंके काण्डका प्रायश्चित्त करनेके लिये आमरण अनशनकी सूचना दी। पण्डित जवाहरलाल नेहरूजीने सरदार अब्दुर निस्तारके साथ बिहारके उपद्रवग्रस्त स्थानोंका दौरा करते हुए यह चेतावनी दी कि 'यदि आपलोग अपने कुकर्मोंके लिये पश्चात्ताप करके शान्तिपूर्वक व्यवहार नहीं करेंगे तो सरकार आपके प्रति तनिक भी दया नहीं दिखलायेगी तथा वह आपपर गोलियों और बमोंकी वर्षा करेगी।' पण्डित नेहरूजी तथा श्रीराजेन्द्र बाबूने यह भी कहा कि 'पहले हमलोगोंको मारकर फिर मुसल्मानोंको मारिये।'

यद्यपि मियाँ जिन्ना आदिसे तो ऐसा कहने-करनेकी आशा नहीं की जा सकती थी, परन्तु हमारे इन महान् नेताओंसे तो यह आशा की ही जाती थी कि ये लोग केवल बिहारमें ही नहीं, पूर्व-बंगालमें भी ऐसा ही कहते, ऐसी ही चेतावनी देते!

बिहारी गोलियोंसे भून दिय गये!!

बिहारमें इन्होंने केवल चेतावनी ही नहीं दी, हिंदू-जनतापर गोलियाँ भी खुलकर बरसायी गयीं। सरकारने यह स्वीकार किया है कि 'बिहारके उपद्रवको दबानेके लिये अंग्रेज और अधिकांश मुसल्मान फौज ही भेजी गयी है।' मुसल्मान-फौजके हाथमें बन्दूक हो, खुला हुकुम हो और अभागे हिंदू सामने हों, फिर कमी किस बातकी? अ० वा० पत्रिकाने लिखा है—'हिंदू-जनता पुलिस और फौजके कारतूसों और रिवाल्वरोंका सारा चारा बन गयी है। शरणके लिये इधर-उधर भागते हुए लोगोंपर भी गोलियाँ चलायी गयी हैं। आगे और पीछे दोनों ओरसे पीसे जानेके कारण हजारों मनुष्योंने घायल अवस्थामें ही जैसे-तैसे भागकर अपनी जान बचायी है तथा लगभग एक हजार मनुष्य तो वहाँ भून दिये गये हैं। यह रिपोर्ट हमारे प्रतिनिधिने भेजी है। इस प्रकार यदि ठीक तरह हिसाब लगाया जाय तो पुलिस और फौजकी गोलियोंके शिकार होनेवाले तथा अंग-भंग होनेवाले व्यक्तियोंकी संख्या कई हजारतक पहुँचेगी।' यह है बिहारके दंगेको रोकनेमें सरकारकी तत्परता और दृढ़ता! बिहार सरकारके भूतपूर्व पार्लामेंट्री सेक्रेटरी श्रीजगतनारायणलाल एम्० एल्० ए० ने 'सन्मार्ग' के विशेष प्रतिनिधियोंसे कहा है—'नगर नौसामें आवश्यकतासे अधिक गोलियाँ चलायी गयीं। घरमें छिपे हुए केवल पुरुष ही नहीं, अवलाएँ और शय्यापर पड़े रोगी भी गोलीके शिकार बने। सैनिकोंने जी खोलकर लूट-लूट भी की।' यह घटना प्रसिद्ध जलियाँवाला बागके घृणित हत्याकाण्डका याद दिलाती है!

सरकारका विषम व्यवहार क्यों?

कदाचित् केन्द्रीय सरकार और पण्डित नेहरूजी ऐसी ही तत्परता और शासनकी दृढ़ता पूर्व-बंगालमें

दिखाते और महात्माजी भी बंगालके पीड़ितोंके लिये अनशन करनेकी घोषणा करते तो शायद न तो बंगालमें ही इतना नरसंहार और पैशाचिक पापका ताण्डव होता और न बिहारकी क्षुब्ध जनतामें ही यह प्रतिक्रियाका भाव पैदा होता। हजारों निर्दोष प्राणियोंके प्राण बचते और सतियोंको सतीत्व इतना न लुटता और परस्परका वैरभाव इतना अधिक विस्तृत न हो पाता। परन्तु वहाँ कांग्रेस सरकार तो थी नहीं। मुसल्मान लीगी सरकार थी। वहाँ सरकार कांग्रेसकी थी और सलाहकार और साथी थे केन्द्रीय सरकारके लीगी सदस्य। 'सैयाँ भये कोतवाल अब डर काहेका' जो मनमें आवे सो करे—हिंदू तो जन्मे ही हैं भूने जानेके लिये।

कमजोरपर सभीका हाथ चलता है। जब पटना विश्वविद्यालयके छात्रोंने बिहारके लोगोंको गोलियोंसे भून डालनेके कारण नेहरूजीका विरोध किया और उनका भाषण सुननेसे इन्कार किया तब श्रीजयप्रकाश-नारायणजीने भी उन्हींको लाञ्छित करते हुए गोली चलानेका समर्थन किया। यह कोई नहीं कहता कि अत्याचारका समर्थन किया जाना चाहिये या अल्पसंख्यक पड़ोसियोंपर अत्याचार करनेवाले लोगोंको तुरंत समुचित दण्ड नहीं देना चाहिये, पर वह बिहारके लोगोंको ही देना चाहिये, बंगालवालोंको क्यों नहीं देना चाहिये? इसका क्या उत्तर है? यदि प्रान्तीय सरकारके काममें दखल देनेका अधिकार केन्द्रीय सरकारको नहीं है तो वह जैसा बंगालमें नहीं है वैसा ही बिहारमें भी नहीं है। और यदि बिहारमें है तो बंगालमें क्यों नहीं होना चाहिये? पर वैसा किया नहीं गया। कुछ लोग केन्द्रीय सरकार और उसके प्रधानमंत्री श्रीनेहरूजी आदिके इस विषम व्यवहारको 'मुसल्मानोंके साथ उनका पक्षपात' कहते हैं, कुछ 'मानस दुर्बलता' बतलाते हैं तो कुछ लोग 'पदोंका लोभ' कहते हैं। मानव-स्वभावके अनुसार ये तीनों ही बातें सम्भव भी हैं। पर हम श्रीनेहरूजी सरीखे पुरुषों लिये ऐसा नहीं कह सकते। हमारी समझसे या तो उनके दृष्टिकोणपर अन्तर है या परिस्थितिसे मजबूर होकर उन्होंने ऐसा किया है। और परिस्थितिके वास्तविक स्वरूपका तभी अनुभव होता है अब मनुष्य स्वयं उस परिस्थितिमें पहुँचता है। दूरसे अलोचना करनेवालोंको परिस्थितिकी कठिनाईका पता नहीं लगता। तथापि इतना तो प्रत्यक्ष ही है कि बिहारके इस भीषण गोलीकाण्डसे लोगोंकी कांग्रेसके प्रति जो श्रद्धा थी, वह बहुत कुछ हटने लगी है और अपनी-अपनी धारणाके अनुसार दोष-दृष्टि भी हो चली है। अ०बा०पत्रिकाने लिखा है कि 'हमारे वर्धास्थित प्रतिनिधिने एक 'कट्टर राष्ट्रवादी' के ये शब्द लिखकर भेजे हैं कि 'क्या अन्त:कालीन सरकार बिहारकी भाँति बंगालके मामलोंमें भी हस्तक्षेप करेगी और वहाँ भी बम बरसाने आदिकी धमकी देगी? ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेसके प्रभावपर काफी धक्का पहुँचेगा और जनका उसपर मुसल्मानोंके प्रति पक्षपात करनेका दोषारोपण करेगी।' अवश्य ही अन्त:कालीन सरकारको सर्वत्र एक-सी नीति ही बरतनी चाहिये थी। यदि वह बिहारकी कांग्रेस-सरकारके कार्योंमें हस्तक्षेप कर सकती है, तो उसमें बंगालकी लीगी-सरकारके कामोंमें हस्तक्षेप करनेकी पूरी क्षमता होनी चाहिये। पर ऐसा हो नहीं रहा है और इससे मुसल्मानोंका मनमाने अत्याचार करनेका हौसला बढ़ता जा रहा है और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है—हिंदू-बहुसंख्यक-प्रान्त युक्त-प्रदेशमें भी अल्पसंख्यक मुसल्मान हिंदुओंपर हमला करने लगे हैं। गढ़मुक्तेश्वरके यात्रियोंको—स्त्री-बच्चोंसमेत जिन्दा जला देना और उनपर अमानुषिक अत्याचार करना इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं!

बिहारमें अंधाधुंध गिरफ्तारी

रही गिरफ्तारियोंकी बात, सो बिहारमें गिरफ्तारियाँ भी अंधाधुंध हो रही हैं। यह समाचार मिला है कि—

'छपरा नगर और देहातोंमें हिंदू पकड़े जाने लगे हैं। मुसल्मानोंकी ओरसे लंबी-लंबी सूचियाँ दी गयी हैं। प्राय: सभी मुहल्लोंसे मुख्य-मुख्य लोगोंके नाम दिये गये हैं। जिनमें वकील, मुख्तार, डॉक्टर, सेठ, दूकानदार, नागरिक और साधारणजन सभीके नाम

आये हैं। जिन लोगोंने मुसल्मानोंको अपने घरोंमें शरण दी, वे लोग भी दोषी माने जाकर सूचीमें आ गये हैं।'

अभी उस दिन बंगाल प्रान्तीय हिंदू महासभाके मन्त्री श्रीदेवेन्द्रनाथ मुखर्जी और कुमार श्रीगंगानंदसिंह आदिने बिहार सरकारके प्रधानमंत्री श्रीश्रीकृष्णसिंहजी बातचीत करके उन्हें बताया कि 'मुजफ्फरपुर, पटना, छपरा, मुंगेर और भागलपुर जिलोंमें सरकारकी ओरसे जो गरीब किसानोंकी सामूहिक गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, इसका परिणाम फसलकी कटाईपर बहुत बुरा होगा।' इससे अंधाधुंध गिरफ्तारियोंका होना सिद्ध है।

इसके बाद हिंदुओंपर सामूहिक जुर्मानेकी भी बात हो रही है। गोलीवर्षा, गिरफ्तारी और जुर्माना—तीनों होंगे बिहारके हिंदुओंपर न्यायशील सरकारके द्वारा!

क्या होना चाहिये?

परंतु अब भी न्यायकी सच्ची प्रतिष्ठा रखनी और देशमें सच्ची शान्तिकी स्थापना करनी है तो अन्त:कालीन सरकारको चाहिये कि वह विशेषरूपसे और डालकर बंगाल-सरकारको बाध्य करे। जिसमें—

(१) पूर्व-बंगालमें उपद्रव करने-करानेवाले सब लोग दृढ़ताके साथ पकड़े जायँ और उन्हें अपराधानुसार शीघ्र-से-शीघ्र कारावास एवं मृत्युदण्ड दिया जाय।

(२) धर्मान्तर किये हुए सब स्त्री-पुरुष वापस कर दिये जायँ। असलमें दस अक्टूबरसे अबतक होनेवाला कोई धर्मान्तर, वैध धर्मान्तर माना ही नहीं जाय। उनसे पूछनेकी आवश्यकता न रहे तो तुमने अपनी खुशीसे धर्मान्तर किया है या जबर्दस्ती।

(३) अपहरित तथा विवाहित कही जानेवाली सभी स्त्रियाँ और बालिकाएँ तुरन्त लौटा दी जायँ।

(४) जिनके घरोंमें आग लगा दी गयी है और घर तोड़ दिये गये हैं, वे सरकारी खर्चसे वैसे ही बनवा दिये जायँ। जितने देवस्थान-मन्दिर टूटे हैं, उनको सरकारी खर्चसे फिर वैसा ही बनवा दिया जाय और विधिपूर्वक उनकी प्रतिष्ठा की जाय।

(५) लूट तथा नष्ट की हुई सम्पत्तिका पूरा मूल्य सरकारसे दिया जाय।

(६) घरोंमें सुरक्षित रहनेका विश्वास क्रियात्मक रूपसे दिलाया जाय।

(७) अन्न-वस्त्रकी पूरी सुविधा कर दी जाय।

ऐसा नहीं हुआ तो समझना होगा कि प्रान्तीय लीगी सरकार तो अत्याचार करानेमें सहयोग देनेवाली है ही। केन्दीय सरकार अकर्मण्य तथा पक्षपात करने-वाली है!

परन्तु वह काम तभी सम्भव होगा जब केन्द्रीय सरकारके जिम्मेदार सदस्य, जिनका हृदय देशकी दुर्दशाका सचमुच दुखी है—साहसके साथ कड़ी कर्रवाई करेंगे। हिंदू-जनता बड़ी आशाके साथ बाट देखती रही है कि पूर्व-बंगालकी भयानक घटनाओंके सम्बन्धमें केन्द्रीय अन्त:कालीन सरकारके सदस्य अवश्य ही उचित मार्ग ग्रहण करेंगे और अल्पसंख्यक हिंदुओंको यह विश्वास करा देंगे कि उनके ऊपर बलवान् बहुसंख्यकोंका अत्याचार नहीं हो सकता। यह भी बहुत ही पहले स्पष्ट हो गया था कि जबतक अत्याचारपरायण मुहरवर्दी और उनके लीगी सदस्योंकी सरकार नहीं हटायी जायगी, जबतक उनकी दम्भपूर्ण भयानक कुचेष्टाओंपर, उनकी स्वेच्छाचरितापर दृढ़ नियन्त्रण नहीं किया जायगा, तबतक बंगालमें कभी शान्तिकी स्थापना नही हो सकेगी और न वहाँके अल्पसंख्यक हिंदू निडर और निश्चिन्त होकर अपने घरोंमें शान्तिके साथ रह सकेंगे!

गोलीवर्षाका परिणाम

बिहारमें इतने लोग सामूहिक रूपसे गोलियोंसे भून डाले गये—यह भी सत्य है कि उनमें सभी अपराधी नहीं थे। पर प्रधानमन्त्री पं० नेहरूजी और उनके सहयोगी गृहमन्त्री सरदार पटेल आदि कांग्रेसके माननीय सदस्योंने बंगालकी शान्तिके लिये अबतक किसी भी कड़ी कार्रवाई करनेका आश्वासन भी नहीं दिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदू-जनताके हृदयमें अत्यन्त क्षोभ और अविश्वास उत्पन्न हो गया है। और कौन जानता है वह क्षोभ कब किस भयानक रूपमें फूट निकले और कैसा अवाञ्छनीय परिणाम

उत्पन्न कर दे। निरी शान्तिकी अपीलोंसे क्या होता है। अभी सरदार निश्तर साहबने कहा है कि 'जो हो चुका उसे भूल जाओ।' पर कैसे भूल जायँ? जिनकी माँ-बहिनोंपर आँखोंके सामने घृणित बलात्कार हुए हैं, जिनके पति-पुत्रोंकी आँखोंके सामने निर्दय रूपसे हत्या की गयी है, वे पुरुष और स्त्रियाँ न तो सभी देह-ज्ञान-शून्य सप्तम भूमिकामें पहुँचे हुए ब्रह्मज्ञानी हैं और न जड़ पत्थरके ही बने हुए हैं। उपदेश करनेवालोंपर ऐसी ही बीती होती, तब उन्हें पता लगता। ऐसा उपदेश देना तो जलेपर नमक छिड़कना है और घावको और भी ताजा बनाना है। जबतक इस प्रकारके जुल्म करनेवाले आततायी और उनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमें सहायता करनेवाले दुष्टलोग छाती फुलाये खुले घूम रहे हैं, तबतक शान्ति और प्रेमकी कोरी अपीलोंसे हृदयके घाव नहीं भर सकते। हमारे नेतागण इस साधारण-सी मनोविज्ञानकी बातको नहीं समझते हों, ऐसा तो हो नहीं सकता। अवश्य ही इसमें केवल यही बात मालूम होती है कि ये ऐसी कुढंगी परिस्थितिमें फँस गये हैं कि न तो उनसे मुसल्मानोंका न्यायसंगत विरोध ही करते बनता है और न शासनासूत्रके त्यागकी कल्पना ही मनमें ठीक उतरती है। *'भइ गति साँप छछुंदर केरी।'*

लीगियोंकी चालें

महात्मा गाँधीजी पूर्व-बंगालके मानवहृदय हिंदुओंके 'आँसू पोंछने' गये हैं। पर वे आँसू कैसे पोंछेंगे? पूर्व-बंगनिवासी हिंदू नर-नारियोंके मानव-हृदयकी चेतनाको मूर्च्छित करके? महात्माजीके साथ गये हैं उसी लीगी सरकारके सदस्यगण, जो इस सारे उपद्रवकी उत्तरदाता है और दूसरे शब्दोंमें खास संयोजक भी। सुहरवर्दी आदि तो कलकत्तेमें ही महात्माजीसे कहते रहे कि 'आप बेकार बंगालमें क्यों जाते हैं।' कई दिनोंतक उनके लिये ट्रेनका प्रबन्ध ही नहीं हो सका। अब उनकी (उनके मुस्लिमपक्षीय भावोंकी) रक्षाके लिये लीगी सरकारी सदस्य साथ आये हैं। रात-दिन उलटी-सीधी सुनानेसे 'बकरीका कुत्ता' बन जाया करता है। यद्यपि महात्माजीके लिये ऐसा होना सहज नहीं है, तथापि बुरे संगका असर तो होता ही है। उस असरका ही यह परिणाम क्यों नहीं माना जाय कि महात्माजी सुहरवर्दी और उसकी सरकारका खुले तौरपर विरोध नहीं करते और अभी उस दिनतक भी मुहरवर्दीके सभापतित्वमें 'शान्ति-कमेटी' बनानेका प्रस्ताव सुनते हैं और शायद उसका समर्थन भी करते हैं। तथा शायद इसमें प्रभावशाली हिंदुओंको सम्मिलित करानेका वादा भी करते हैं। यह 'शान्ति-कमेटी' क्या करेगी? 'बंगालमें जो कुछ हुआ है, उसे हिंदू भूल जायँ, बदलेकी भावना न रक्खें और कुछ भी कार्रवाई न करें। जिन घरोंकी सम्पत्ति लूटी गयी, घरोंमें आग लगायी गयी, जिन सती स्त्रियोंका सतीत्व नाश हुआ, जिनके पति-पुत्रोंकी निर्मम हत्याएँ हुईं, जो देव-मन्दिर टूटे और भ्रष्ट हुए, उनके लिये अब कुछ नहीं बोला जाय; क्योंकि वैसा करनेसे तो शान्ति भङ्ग होगी।' सुहरवर्दीके और उनके साथियोंके अबतकके आचरण और व्यवहारोंको देखकर भी उनकी 'शान्ति-कमेटी' से उपर्युक्त बातोंको छोड़कर क्या वास्तविक न्यायपूर्ण शान्तिकी आशा की जा सकती है? रही धनकी और फौजी गोलियोंसे भूननेकी बात, सो यदि तीस करोड़ हिंदू गोलियोंसे अपनेको भुनवानेके लिये तैयार हो जायेंगे तब गोलियाँ भी नहीं रहेंगी। यह भी निश्चय समझ लेना चाहिये।

केन्द्रीय सरकारके सदस्य बने हुए लीगी अब भी क्या रहे हैं। अभी उसी दिन मियाँ गजनफर अलीने नयी दिल्लीकी एक सार्वजनिक सभामें फरमाया है—'वे चाहते हैं कि चालीस करोड़ भारतीय 'बिना किसी बल-प्रयोग'के मुसल्मान बन जायँ।' इसका क्या यह अर्थ स्पष्ट नहीं है कि 'यदि स्वयं मुसल्मान न बनेंगे तो बल-प्रयोग करना पड़ेगा?' पूर्व बंगालमें इसी बल-प्रयोगका आदर्श खड़ा किया गया है, ऐसा माननेमें कौन-सी युक्तिसङ्गत आपत्ति हो सकती है? मियाँ जिन्ना अब भी कहते हैं कि 'हिंदुओंके साथ हमारा सहयोग असम्भव है।' ऐसी स्थितिमें गले पड़नेसे सहयोग कैसे होगा और यह सत्य है कि सहयोग और

मैत्री सम स्थितिवालोंमें ही हुआ करती हैं ? कमजोरके साथ बलवान्‌की मैत्री कैसी ?

कर्तव्य स्पष्ट है

इस हालतमें यदि लल्लो-चप्पोमें न पड़कर देखा जाय तो केन्द्रय सरकारका कर्तव्य स्पष्ट है और उससे भी सफ्ट उस हिंदू-जातिका है, जिसने अबतक मिथ्या राष्ट्रीयताके मोहमें पड़कर अपनी सारी प्रतिष्ठा खो दिया और जिसके परिणामस्वरूप उसे नपुंसकोंकी भाँति अपनी ही मातृभूमिमें, अपने ही देशमें और अपने ही घरमें आततायियोंके द्वारा अपनी माताओं, अपनी पुत्रियों, अपनी पत्नियों और अपनी कुलवधुओंको आततायियोंके हाथों अर्पित होते देखना पड़ा। हिंदू मोहनिद्राको त्यागकर शीघ्र अपना कर्तव्य निश्चय करें और मङ्गलमय भगवान्‌का आश्रय लेकर कर्तव्य-क्षेत्रमें तन-मन-धनका मोह त्याग कर कूद पड़ें।

१५-११-४६ हनुमानप्रसाद पोद्दार

U

खतरेकी घंटी

एक सामान्य भाईने लिखा है—'मुसल्मानोंके साथ हिंदुओंको प्रेम करना चाहिये।' उनके अज्ञानकृत अपराधोंको सहकर उनका हृदय पलटना चाहिये। उनको दिखा देना चाहिये कि तुम्हारे द्वारा अपमानित और लाञ्छित होनेपर भी हिंदू तुम्हारे साथ प्रेम ही करते हैं।'

बात बहुत ही सुन्दर है। स्वर्णाक्षरोंमें लिखने योग्य है। हृदयमें धारण करने योग्य है। परन्तु परिस्थिति कुछ ऐसी विपरीत हो गयी है कि हिंदुओंकी सहिष्णुता और प्रेम करनेकी भावनाको उनकी कमजोरी समझकर उससे अनुचित लाभ उठाया जा रहा है और दिनोंदिन उनपर विशेषरूपसे अत्याचार करनेकी प्रवृत्ति बढ़ायी जा रही है।

असलमें यह राजनीतिक जगत्‌का एक कुचक्र है। भारतीय मुसल्मानोंके नेता इस कुचक्रके जन्मदाता हैं और सारे संसारमें इस्लामका झंडा फहरानेका स्वप्न देखते हुए वे मुस्लिम-जनताको बरगलाते, उसे हिंदुओंके विरुद्ध उभाड़ते और हिंदुओंको बुरी तरह धमकाते तथा सताते हैं। अब यह चीज छोटी-मोटी नहीं रह गयी है। सचमुच ही आज हिंदूजाति और हिंदूधर्म बड़े खतरेमें हैं। खतरेकी घंटी बड़े जोरोंसे बज रही है, तथापि हिंदू जाग नहीं रहे हैं—यह उनके व्यामोहकी बड़ी शोचनीय स्थिति है!

वे तमाम जगत्‌के मुसल्मानोंका एक गुट बनाकर पृथ्वीसे हिंदूजाति तथा हिंदूधर्मका नाम मिटानेकी सोच रहे हैं। उनके तथा उनके अनुयायी नेताओंके भाषणों, कार्यों और चेष्टाओंसे यह बात स्पष्ट हो गयी है। पूर्व-बंगालको तो उन्होंने एक बार तो स्वरूपत: पाकिस्तान—मुस्लिम प्रदेश बना ही दिया है? भारतके अन्यान्य प्रान्तोंमें, जहाँ अल्पसंख्य हिंदू हैं, वहाँ बड़ी आसानीसे पूर्वबंगालकी भाँति हिंदू-चिह्न मिटानेकी चेष्टा की जा सकती है और बहुसंख्यक प्रान्तोंमें भी हिंदुओंकी कमजोरीसे लाभ उठाया जा सकता है।

मियाँ जिन्नाने हालमें एक वक्तव्य दिया है। उससे पता लगता है कि शीघ्र ही मिश्र, ईराक, सऊदी अरब, सीरिया, लेबनान, ईरान तथा अन्यान्य सभी मुस्लिम राज्योंका एक सम्मेलन वे भारतमें करनेवाले हैं। उन्होंने कहा है कि 'इन देशोंके निवासियोंमें बहुत-सी बातें हमारे समान हितकी हैं और इस सम्मेलनसे परस्पर सांस्कृतिक और सैद्धान्तिक मतैक्य तथा प्रगतिके लिये बहुत लाभ हो सकता है।'

मुसल्मानोंका यह आन्दोलन विश्वव्यापी है और वर्षोंसे बड़ी सुसंगठित रीतिसे इसका प्रचार हो रहा है। अभी उनके भेजे हुए मियाँ इल्पहानी और बंगम शाहनबाजने अमेरिकाके न्यूयार्कमें एक वक्तव्य निकालकर हिंदुओंके तथा कांग्रेसके विरुद्ध विष उगला है और

मुस्लिम लीगकी नीति और उसके कार्योंका औचित्य सिद्ध करनेकी चेष्टा की है। आजकल इन लोगोंके द्वारा जो साहित्य प्रकाशित हो रहा है, वह उपेक्षणीय तो है ही नहीं, सर्वथा चिन्तनीय है। राष्ट्रीयताके मोहमें पड़े हुए सुशिक्षित और अग्रगामी हिंदुओंको उसे जरूर पढ़ना चाहिये। विलायतमें केम्ब्रिजसे जो 'पाकेशिया साहित्य' (Pakesia Literature) की पुस्तकें निकल रही हैं, उन्हें अवश्य पढ़कर देखना चाहिये कि मुसल्मान जगत्में किस तरीकेसे क्या किया जा रहा है और फिर शान्तिके साथ परन्तु तुरन्त अपना कर्तव्य सोचना चाहिये।*

रही सहयोग और प्रेम करनेकी बात, सो इसपर इतना ही कहना पर्याप्त है कि प्रेम और सहयोग करनेका फल बंगालमें और अन्यान्य स्थानोंमें कुछ मिल रहा है, और जिसका कटु अनुमान आज अन्त:कालीन सरकारके कांग्रेसी सदस्य भी अंदर-ही-अंदर कर रहे हैं, सबपर विदित है। अभी हालमें भारतीय मुस्लिम-जगत्के सर्वेसर्वा मियाँ जिन्नाने कहा है—'मेरी दृष्टिमें हिंदुओं और मुसल्मानोंमें अबतक जितना सहयोग स्थापित कर चुका है, उससे अब और अधिक सहयोग या निकट सम्पर्क स्थापित हो नहीं सकता। मेरे विचारसे हिंदु और मुस्लिम दो सर्वथा मित्र राष्ट्र हैं और उन्हें अनिवार्य रूपसे दो पृथक् राष्ट्रोंकी भाँति ही अपने भविष्यका निर्णय करना होगा।' इसके बाद फिर स्पष्ट कहा है कि 'जबतक पाकिस्तान नहीं हो जायगा, तबतक दंगे इसी प्रकार होते ही रहेंगे।'

सच्ची बात तो यह है कि मियाँ जिन्ना बार-ार विष उगल रहे हैं—वस्तुत: वे वही सत्य कह रहे हैं जो उनके मनमें है। और हिंदू-नेता और कांग्रेसके कर्णधार महापुरुष उसे सुन-समझकर भी अनसुनी कर रहे हैं। इधर उनके विषाक्त भाषणोंसे विषाग्निकी ज्वाला तमाम देशमें फैल रही है और उधर कांग्रेसनेता मेल-मिलाप बेसुरा राग अलाप रहे हैं! इस स्थितिपर सहयोगी 'भारत' ने अपने एक अग्रलेखमें बहुत ही सुन्दर लिखा है—

'एक और जब कि लगभग समूचे देशमें साम्प्रदायिकताकी आग लगी हुई है और महात्मा गाँधी अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर भी उसे शान्त करनेकेलिये इस कमजोर अवस्थामें बंगालके पीड़ित क्षेत्रोंमें दौरा कर रहे हैं, लीगी कायदे-आजन्मने घृणा और हिंदुओंके लिये चमकीले भरा हुआ वक्तव्य दे डाला है। यह वक्तव्य महात्मा माँधी और अन्य सभी उच्च कांग्रेसी नेताओंके शान्तिके प्रयत्नोंपर पानी फेरकर साम्प्रदायिकताको नया बल प्रदान करता है। केन्द्रीय अस्थायी सरकार और विभिन्न प्रान्तोंकी कांग्रेसी सरकारें साम्प्रदायिकता उत्तेजनाको दबानेका चाहे जितना भी प्रयत्न करें, साम्प्रदायिक आक्रमणकारियोंपर वे चाहे कितनी ही गोलियाँ क्यों न बरसायें, नेहरूजी और राजेन्द्रबाबू जनताको भाई-चारेका चाहे जितना भी पाठ क्यों न पढ़ावें, समाचारपत्रोंपर साम्प्रदायिक घटनाओंके समाचारोंके प्रकाशन तथा उनपर टीका-टिप्पणीके लिये चाहे जो भी नियन्त्रण लगाने जायें—ये सभी प्रयत्न मि० जिन्नाके इस प्रकारके विषभरे वक्तव्यके सामने बेकार हो जाते हैं। साम्प्रदायिकताका एक नया जोश लोगोंमें उमड़ पड़ता है और वे एक दूसरेके खूनके प्यासे हो उठते हैं! फिर, मजेकी बात तो यह है कि अपनी ही लगायी हुई आगकी ज्वालाको उदाहरणके रूपमें उपस्थित करके मि० जिन्ना यह सिद्ध करना चाहते हैं कि हिंदू और मुसल्मान एक दूसरेके कट्टर शत्रु हैं, जिनमें मेल कराना—जिन्हें एक राष्ट्रके सूत्रमें बँधे रख सकना एकदम असम्भव बात है। अत: जबजक साम्प्रदायिकताके विषसे भरे हुए इन वक्तव्योंपर—चाहे वे कितने ही बड़े नेताद्वारा क्यों न दिये गये हों—

* 'Pakesia Literature' के निर्माता चौधरी रहमतअली एन्० ए० एल्० एल्० टी० बैरिस्टर हैं और इसकी पुस्तकें १६ मटिगू रोड Cambridge से मिल सकती हैं।

केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारें रोक नहीं लगा सकतीं, यह मर्ज बढ़ता ही जायगा और मि० जिन्नाकी घातक नीति सफल होती जायगी। क्या अस्थायी केन्दीय सरकारमें इतना साहस, इतनी शक्ति है वह ऐसे आग लगानेवाले तथा धमकी देनेवाले वक्तव्यों और विचारोंपर रोक लगायें? क्या वह मि० जिन्नाको उनकी इस प्रकारकी शरारतके लिये गिरफ्तार कर सकती है और उनका मुँह बंद कर सकती हैं? यदि नहीं, तो उसे साम्प्रदायिक एकताकी स्थापनाकी आशा छोड़ देनी चाहिये और देशकी जनताको इस समस्याका स्वयं निपटारा करनेकी खुली छूट दे देनी चाहिये। वर्तमान परिस्थितिकी विचित्रता तो यही है कि न तो केन्द्रिय सरकार या विभिन्न प्रान्तीय सरकारें झगड़ेकी जड़ खोदनेकी सामर्थ्य दिखायी हैं और न वे जनताके ही हाथोंमें इसका अन्तिम फैसला सौंपकर अपनी नपुंसकता स्वीकार करनेको ही तैयार होती हैं!!!'

बात ऐसी ही है। हमारी प्रान्तीय सरकारें और सरकारी उत्तरपदस्थ नेता शन्त रहनेका उपदेश करते हैं। कड़ी कार्रवाई करनेकी धमकी देते हैं। पुलिस चाहे जितको गुंडा बताकर पकड़ती और तंग करती है, परंतु जनमाके मनको बिगाड़नेवाले इन खुराफाती नेताओंके लिये किसीमें कुछ भी करनेकी हिम्मत नहीं है। इससे कैसे शान्ति होगी और कैसे प्रेम बढ़ेगा, भगवान् ही जानें। अब हमारे सम्मान्य मित्र कृपया बतायें कि हिंदुओंको किस पद्धतिसे प्रेम तथा सहयोग करना चाहिये।

U

बंगालकी अपहरणकी हुई महिलाएँ

बिहारका उपद्रव तो केवल हत्या, लूट-पाट तथा आगतक ही सीमि था, जो बहुत अंशमें शान्त हो चुका है; परन्तु बंगालमें उन अपहरणकी हुई महिलाओंको ढूँढ़ निकालना और बलपूर्वक धर्मान्तरित किये हुए लोगोंको पुन: अपने धर्ममें लाना सहज नहीं है। हमारे चाँदपुर जानेवाले कार्यकर्त्ता श्रीगिरिधारीदास बी० ए० से श्रीयुत चटर्जी महोदयने बताया कि—'अबतक लगभग १०००० हिंदू स्त्रियाँ बचायी गयी हैं, अभी भी लगभग २०००० मुसल्मानोंके घरोंमें हैं।' इनको उनके घरोंसे निकालना बहुत कठिन हो रहा है। फौजके अफसरोंने कहा है कि 'अगणित अपहरण की हुई महिलाएँ बुरकोंसे ढकी हैं, जिनके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं किया जा सकता।' यह काम या तो महिला फौजी पुलिसके द्वारा हो सकता है या उन अधिकारप्राप्त महिला स्वयंसेविकाओंके द्वारा सम्भव है, जो अपने इस कार्यमें फौजके द्वारा भलीभाँति सुरक्षित हों। इधर कुछ शिक्षिता वंगीय महिलाएँ बंगाल पहुँची हैं और वे वहाँ यथासाध्य बड़े साहसके साथ काम कर रहे हैं। परन्तु जबतक सच्चे हृदयसे वहाँके सरकारी अफसरोंकी पूरी सहायता और सहयोग नहीं मिलता, तबतक प्राय: पाकिस्तान बने हुए उस इलाकेमें सफलताके साथ काम करना सम्भव नहीं है। तथापि श्रीश्यामाप्रसाद मुखर्जीने यह कहा है कि 'हमलोग कुछ हदतक इस कार्यमें सफल होंगे।'

मुश्किल तो यह है कि जैसा कि कहा जाता है, बहुत-सी हिंदू-स्त्रियाँ तो बुरकोंसे ढकी जाकर सुदूर प्रान्तोंमें पहुँचायी जा चुकी हैं। ऐसी कई हिंदू-स्त्रियोंके युक्तप्रान्तके रेलवे-स्टेशनोंपर पाये जानेकी भी खबरें मिली हैं। यदि यह बात सच है तो सब महिलाओंका पता चलाना बहुत ही कठिन है।

हमारी समझसे कम-से-कम बंगालके निकटवर्ती बिहार, आसाम और युक्तप्रान्तके रेलवे-स्टेशनोंपर यदि बुद्धिमान्, उत्साही, निर्भय और शान्तमनके क्रियाशील हिंदू स्वयंसेवक जिनमें कुछ महिलाएँ भी हों, सरकारी सहयोग प्राप्त करके पुलिसके संरक्षणमें तैनात रहें और वे बुरकेवाली औरतोंमें हिंदू-स्त्रियोंको खोज निकालनेका प्रयत्न करें तो कुछ लाभ हो सकता है। इसके लिये सरकारी अधिकारी और कर्तव्यपरायण नागरिकोंका प्रयत्न करना चहिये।

U

धर्मकी जय

हिंदुओ! सोच रहे क्या आज?
लुटाकर माँ-बहिनोंकी लाज!
एक दिन थे सबके सिरताज!
बने वे दानोंके मोहताज!!

लुट गया सारा घर-परिवार!
विधर्मी बने, हुए लाचार!!
जुल्मका रहा न पारावार!
सफल अब हुई लीग-सरकार!!

पापियोंने बनकर अति क्रूर,
जूतियोंने पोंछा सिंदूर!
हर लिया धर्म, किया मजबूर,
ले गये हरकर सबको दूर!!

देशका देश हुआ वीरान।
मिट गया हिंदू नाम-निशान॥
भीम-अर्जुनकी खोयी शान।
मिट गयी राम-कृष्णकी आन!!

बड़े गौरवका था बंगाल।
हुआ उकसा ऐसा बेहाल!!
हो गया वीर-शून्य कंगाल!
रह गया प्राणरहित कंकाल!!

देख-सुनकर यह अत्याचार।
हो चला अति संतप्त बिहार!!
मातृ-मूरतिपर हुआ प्रहार!
सह नहीं सका, उठा ललहार!!

उठे फिर हिंदू-जाति महान।
सनातनधर्म बने बलवान्॥
पहनकर पावन निज परिधान।
हँस उठे हिंदू-श्री अलमन॥
राष्ट्रके कर्णधार सरदार!
बनी जिनसे दोनों सरकार!!
आ गये ले मिलिटरी सरकार!!
गर्वसे की गोली-बौछार!!

दिखाकर सत्ताके नाखून।
कर दिया न्यायधर्मका खून॥
बनाया था, जिसने दे खून।
बहाया खूब उसीका खून!!

बना फिर जलियाँबाला बाग।
अमिट लग गया घृणित यह दाग॥
लग गयी दसों दिशामें आग।
प्रीति विश्वास छिपे जा भाग॥

छोड़ दो आश, सँभालो होश।
आर्य-संस्कृतिका लेकर जोश॥
रहो मत अब सोये बेहोश।
गुँजा दो नभको कर जयघोष॥

ईशका आश्रय कर स्वीकार।
चरण-पंकजपर निजको बार॥
धर्मका कवच बदलपर धार।
उठो! पापोंको दो ललकार॥

करो फिर भीषणतम हुंकार।
मिटा दो जुल्म दुष्ट-आचार!!
करो माँ-बहिनोंका उद्धार!
धर्मकी बोलो जय-जयकार!!

U

कुटिल नीतिका कुटिल सहयोग

'कल्याण' में 'हिंदू क्या करें?' शीर्षक लेखमें यह लिखा गया था कि 'एंग्लो-मुस्लिम गठ-बन्धन हो रहा है और ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंने कांग्रेस-सरकारको असफल बनानेके लिये ही लीगको तैयार करके अन्त:कालीन सरकारके मन्त्रिमण्डलमें घुसाया है।' उस लेखमें मुस्लिम लीगी सदस्योंके तत्सम्बन्धी कुछ वक्तव्योंके अंश भी छापे गये थे। अब पद-पदपर यह प्रमाणित हो रहा है कि लीगी सदस्य अन्त:कालीन केन्द्रीय सरकारको सफल बनानेकी विशुद्ध नीयतसे नहीं, बल्कि बात-बातपर अड़ंगा लगाकर अपना लीगी उद्देश्य सफल करनेके लिये आये हैं। अब तो मियाँ जिन्नाने भी उस दिन स्पष्ट कर दिया कि—'अस्थायी सरकारमें मुस्लिम लीग मुसल्मानों तथा अन्य जातियोंके हितोंकी रक्षाके लिये शामिल हुई है। चूँकि मुस्लिम लीगके शामिल होनेके पूर्व वायसरायने अस्थायी सरकारका निर्माण किया था, इसलिये उसका शासनसूत्र पूरी तौरसे सवर्ण हिंदू कांग्रेसके हाथोंमें चला गया है। सवर्ण हिंदुओंके साथ मुस्लिम राष्ट्रका कतई कोई मेल नहीं है। न केवल मुसल्मानों और हिंदुओंके बीच उद्देश्यकी कोई समानता है बल्कि हमारे व्यक्तिगत और राष्ट्रीय हितके अनेक महत्त्वपूर्ण पहलुओंके सम्बन्धमें भी हिंदू मुसल्मानोंके विरोधी हैं। इन परिस्थितियोंमें हमने सोचा कि यदि हम केन्द्रीय सरकारका सम्पूर्ण शासन-सूत्र कांग्रेसके हाथोंमें सौंप देंते हैं, तो वह हमारे लिये घातक होगा।'

'इसके अलावा इसका एक कारण यह भी था कि मुस्लिम प्रतिनिधियोंकी अनुपस्थितिमें केन्दीय हिंदू सरकार और वायसराय सम्भवत: ऐसे मुसल्मानोंको शामिल कर लेते, जिन्हें मुस्लिम भारतका आदर और विश्वास नहीं प्राप्त है। इसके परिणाम—जैसा कि वस्तुत: हुआ भी—बहुत गम्भीर होते।

'इसके सारे भारतमें तनातनीकी स्थिति उत्पन्न कर दी थी, जिसमें बहुत भयानक साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं। इन उपद्रवोंमें हजारों व्यक्ति मरे और घायल हुए हैं। और वे उपद्रव अब भी भारतके विभिन्न भागोंमें जारी हैं।'

मि० जिन्नाके इस वक्तव्यसे मुसल्मानोंकी सहयोगी नीतिका भलीभाँति स्पष्टीकरण हो जाता है।

लीगके प्रमुख पत्र 'नवाये वक्त' से यह एक उद्धरण १९-१०-४६ के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित हुआ था—'लीगके नेताओंने यह निश्चय किया है कि उनके केन्द्रीय सरकारमें सम्मिलित होनेसे कांग्रेसकी योजनाओंपर तुषारपात हो जागया। प्रान्तोंमें तो कांग्रेस और लीगका पारस्परिक संघर्ष अबाधगतिसे चलता ही रहेगा, प्रत्युत अब केन्द्रीय सरकार भी दोनों पार्टियोंके संघर्ष-स्थलके रूपमें परिणत हो जायगी और उसका पतथाकथित राष्ट्रीयरूप नष्ट हो जायगा। लीगके केन्द्रीय सरकारमें पदार्पण करनेके साथ ही कांग्रेसने जो अबतक प्राप्त किया है तथा जो भविष्यमें प्राप्त करनेकी आशा रखती है, उस सबपर पानी फिर जायगा।'

'न्यू स्टेट्समैन एण्ड नेशन' ने लिखा था—'यदि लीग सहयोगकी नीति अपनानेका विचार करती है, तो जरूर दालमें कुछ काला है। यदि ऐसा हुआ तो न तो पण्डित नेहरू किसी अर्थमें प्रधानमंत्री कहलायेंगे और न गवर्नमेंटका रूप कैबिनेट रहेगा।'

अभी लीगी प्रतिनिधि मियाँ इस्पहानी आदिने अमेरिकामें कहा है—'कांग्रेसके दुरुद्योगसे अपने तथा अल्पसंख्यकोंके हितोंकी रक्षा करनेके लिये ही लीग शासनपरिषद्में शामिल हुई है। भारतमें कोई राष्ट्रीय सरकार नहीं है और न नेहरूजी उसके नेता हैं। सन् १९१९ के कानूनके अनुसार वायराय अब भी शासनपरिषद्के अध्यक्ष हैं और व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपसे उसके सभी सदस्य उन्हींके प्रति जिम्मेदार हैं। नेहरूजी परिषदके वैसे ही उपाध्यक्ष हैं जैसे कि पहले और लोग थे और उनके ये अधिकार हैं। कांग्रेस केवल हिंदुओंकी स्वतन्त्रता चाहती है, पर हम सबकी

स्वतन्त्रता चाहते हैं।'

अब यह बात प्रत्यक्ष आँखोंके सामने आ रही है। उस दिन असेम्बलीमें लीगी सदस्य सरदार पटेलको 'गृह-सदस्य' ही कहते रहे और 'गृह-मन्त्री' कहनेसे इनकार कर दिया। एक लीगी सदस्यने कहा—'सरकारके पदमें किसी प्रकारका परिवर्तन नहीं हुआ है, वह अब भी पहले-जैसी शासन परिषद्के रूपमें हैं और वायसरायके प्रति जिम्मेदार है। असेम्बलीके प्रस्ताव सिफारिश मात्र हैं उन्हें माननेके लिये सरकार बाध्य नहीं।'

किसी भी संयुक्त सरकारकी सफलताके लिये आवश्यक होता है कि उसकी नीति एक हो, पर यहाँ वैसा बिल्कुल नहीं है। लीगने अपने स्वतन्त्र कार्यकी सिद्धिके लिये ही अन्त:कालीन सरकारके साथ सहयोग किया है, जिसके लिये मियाँ जिन्ना कहते हैं कि अब इससे अधिक सहयोग सम्भव नहीं है। अंग्रेजोंकी कुटिल नीतिकी यन्त्र बनी हुई मुस्लिम लीगका 'सहयोग' कितना विचित्र और रहस्य-गर्भ है! इस अवाञ्छनीय 'सहयोग' का टिप्पणी करते हुए सहयोगी 'भारत' में लिखा है—

'मि० जिन्ना कहते हैं, हिंदू-मुस्लिम सहयोग अब इससे अधिक आगे नहीं बढ़ सकता। तो क्या वही उस सहयोगकी सीमा है, जिसका प्रदर्शन नोआखाली तथा पूर्व बंगाल और उसकी प्रतिक्रियास्वरूप बिहारके कुछ भागोंमें हुआ है? क्या इसीको मि० जिन्ना, सहयोगकी संज्ञा देते हैं? परंतु सहयोगसे आपका तात्पर्य सम्भवत: लीगके प्रतिनिधियोंके कांग्रेस तथा अल्पसंख्यक वर्गोंके प्रतिनिधियोंके साथ अस्थायी केन्दीय सरकारमें सम्मिलित हो जानेसे है। यदि हमारा यह अनुमान ठीक है तो हम यही कहेंगे कि इस सहयोगमें जितनी जल्दी आग लगे, उतना ही अच्छा है। यह इस 'सहयोग' का ही परिणाम है कि केन्द्रीय सरकार भानमतीके कुनबेके समान जुटी हुई चुपचाप बैठी है और इस देशव्यापी उत्पादको अकर्मण्य होकर देख रही है। इस सहयोगसे तो यह असहयोग कहीं अच्छा था, जब लीगी प्रतिनिधि केन्दीय सरकारसे बाहर थे और वह नेहरूजीके नेतृत्वमें एकमत होकर देशको स्वाधीनताकी दिशामें बढ़ाये लिये जा रही थी। हमारी यह धारणा एकदम सत्य ही सिद्ध हुई है कि नेहरूजी तथा उनके साथियोंने लीगसे उचित सहयोगका आश्वासन लिये बिना उसके प्रतिनिधियोंको अपने साथ बैठने देकर भारी भूल की। बिना उचित आश्वासनके या तो केन्द्रमें नेहरूजीकी राष्ट्रीय सरकार ही काम करती और या विशुद्ध लीगी सरकार। इनमेंसे एकका चुनाव ब्रिटिश सरकारको करना होता और तब हर-हालतमें कांग्रेसका मार्ग स्पष्ट होता तथा अवस्था आज-जैसी बिगड़ी हुई न होती, जिसके अन्तर्गत मि० जिन्ना ऐसी आग लगाने तथा धमकी देनेकी बातें करते हैं।'

इसपर टीका-टिप्पणी व्यर्थ है।

U

समयोपयोगी कुछ नीतिपूर्ण शिक्षाएँ

अभयं सर्वभूतेभ्यो यो ददाति दयापर:।
अभयं तस्य भूतानि ददतीत्यनुशुश्रुम॥

जो दयालु पुरुष सब प्राणियोंको अभय देता है उसे सब प्राणी भी अभय देते हैं ऐसा सुना गया है।

प्राणा यथात्मनोऽभीष्टा भूतानामपि ते तथा।
आत्मौपम्येन भूतेषु दयां कर्वन्ति साधव:॥

जैसे अपने प्राण अपनेको प्रिय हैं, वैसे ही सब प्राणियोंको भी अपने-अपने प्राण प्रिय हैं; इसलिये अपनी उपमासे ही सत्पुरुष प्राणियोंपर दया करते हैं।

इस प्रकार सबपर दया रक्खे, सबको अभयदान दे और सबको बचानेकी चेष्टा करें, परन्तु विपरीत प्रसङ्गोंमें हर किसीपर विश्वास भी न करे।

न यस्य चेष्टितं विद्यास कुलं न पराक्रमम्।
न तस्य विश्वसेत् प्राज्ञो यदीच्छेच्छ्रेय आत्मनः॥

जो अपना भला चाहता है, उस बुद्धिमान्‌को जिसके आचरण, कुछ और पराक्रमका पता न हो, उसपर विश्वास नहीं करना चाहिये।

विरुद्ध प्रसङ्गोंमें विश्वास करनेवाला धोखा खाता है।

प्रणयादुपकाराद्वा यो विश्वसिति शत्रुषु।
सुषुप्त इव वृक्षाआत्पतितः प्रतिबुध्यते॥

जो शत्रुका प्रेम तथा उपकार देखकर विश्वास करता है, वह वृक्षके अग्र भागपर सोये हुएकी तरह गिर पड़नेपर ही जागता है। अर्थात् उसको पता भी नहीं लगता और विपक्षी उसका सर्वनाश कर डालता है!

अपराधो न मेऽस्तीति नैतद्विश्वासकारणम्।
विद्यते हि नृशंसेभ्यो भयं गुणवतामपि॥

'मेरा कोई भी अपराध नहीं है (मेरा कोई क्यों बुरा करेगा)' यह धारणा विश्वासका कारण नहीं है। क्योंकि नृशंस मनुष्योंके द्वारा गुणवान् पुरुषको भी दुःख पहुँचा करता है।

अत्यादरो भविद्यत्र कार्यकारणचर्चितः।
तत्र शङ्का प्रकर्तव्या परिणामे सुखावहा॥

जहाँ कार्य-कारण बिना ही अधिक आदर होता हो, वहाँ सावधान हो जाना चाहिये। ऐसा करनेसे परिणाममें सुख मिलता है।

असती भवति सलज्जा क्षारं नीरं च निर्मलं भवति।
दंभी भवति विवेकी प्रियवक्ता भवति धूर्तजनः॥

प्रायः कुलटा स्त्री लाजका ढोंग करनेवाली, खारा पानी निर्मल, दम्भी पुरुष बड़े विवेककी बात करनेवाला और धूर्त मीठा बोलनेवाला होता है।

यस्मिन् यथा वर्तते मनुष्य-
स्तस्मिंस्तथा वर्तितव्यं स धर्मः।
मायाचारो मायया वर्तितव्यः
साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः॥

जिसके साथ जो मनुष्य जिस प्रकार बर्ताव करता हो उसको उस मनुष्यके साथ उसी प्रकारका बर्ताव करना—यह धर्म है। अतः कपटीके साथ कपटका और साधुके साथ सरलताका बर्ताव करना चाहिये।

व्रजन्ति ते मूढधियः पराभावं
भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः।
प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथाविधा-
नसंवृत्ताङ्गान् निश्चिता इवेषवः॥

जो कपटीके साथ कपटी नहीं बनते वे मूढ़बुद्धि मनुष्य हार खाते हैं; क्योंकि बिना कवचके खुले अङ्गवालेको तीक्ष्य बाणकी तरह, कपटी दुष्टलोग निष्कपटके हृदयमें प्रवेश करके उसे मारते हैं।

विपत्तिमें धैर्य विधुरेऽपि काले
धैर्यात् कदाचित् गतिमाप्नुयात् सः।
यथा समुद्रेऽपि च पोतभङ्गे
सांयात्रिको वाञ्छति तर्तुमेव॥

जैसे समुद्रमें नावके टूट जानेपर भी मनुष्य तैरनेकी इच्छा करता है, वैसे ही विपत्तिके समय भी धीरज नहीं छोड़ना चाहिये। धीरज रखनेसे कदाचित् उसे कोई रास्ता मिल जाय।

तावद्भयस्य भेतव्यं यावद्भयमनागतम्।
आगतं तु भयं दृष्ट्वा प्रहर्तव्यमशङ्कया॥

जबतक भय न आवे तभीतक उससे डरना चाहिये। परन्तु जब भय सामने आ जाय तब निःशङ्क होकर उसे टालनेका उपाय करना चाहिये।

U

हिंदू देवियोंके पत्र

[हमारे पास दो हिंदू देवियोंके पत्र प्रकाशनार्थ आये हैं। पत्रोंमें एक पत्र हिंदीमें है, जो बंबईसे आया है। दूसरा बँगलामें है, जो कलकत्तेसे आया है और लेखिकाओंके पूरे नाम-पते नहीं हैं। बंगला-पत्र बड़ा ही रोमाञ्चकारी है। यहाँ उसका अनुवाद केवल इसी दृष्टिसे किया जाता है कि पाठक लेखिका बहिनकी हृदय-वेदनाका अनुभव करें। इन पत्रोंको पढ़कर न तो कोई भाई उत्तेजित हों और न प्रतिहिंसाकी भावना ही उत्पन्न होने दें। शान्तचित्तसे अपना ऐसा श्रेष्ठ कर्त्तव्य निश्चय करें, जिसमें हिंदू-मुसल्मानोंमें सच्ची एकता हो, यथार्थ प्रेम हो और दोनों जातियाँ सुख-शान्तिके साथ अपने-अपने धर्मका निर्विघ्न पालन करती हुई एक दूसरकी सहायक और रक्षक होकर रह सकें—सम्पादक]

(१)

हिंदू बहिनोंसे प्रार्थना

आगे चलनेके पहले मैं उन भाइयोंसे माफी चाहती हूँ, जो बहादुर हैं या अपनेको बहादुर समझते हैं। दूसरोंके प्रति इस शब्दको लिखनेके लिये मुझे बहुत दु:ख है। यह मेरी पुकार है। उम्मीद है इसपर आपलोग ध्यान देंगे, जिससे कि भविष्यमें मुझे फिर इस तरह पुकारना न पड़े।

आपलोग जानती हैं आजकल हम बहनोंपर क्या गुजर रही है। इसको रोकनेके लिये आप लोगोंको भी कुछ करना पड़ेगा। गुजरे जमानेमें तो रानी झाँसी, दुर्गावती तथा कर्णावती हुई थीं, जिन्होंने रणक्षेत्रमें मर्दोंके भी छक्के छुड़ा दिये थे। लेकिन आपमें आज उतनी हिम्मत नहीं है तो आप घरकी चहारदिवारीमें रहकर भी चाहें तो काफी काम कर सकती हैं। आप अबला नहीं, शक्तिकी अवतार हैं; क्योंकि जननी हैं। मर्दोंका कायर या बहादुर होना आपपर ही निर्भर है। आपके भाई इतने कायर हो गये हैं कि खटका सुनते ही भागते नजर आते हैं और कंजूस इतने कि दानका नाम सुनते ही उनकी छातीपर साँप लोटने लगता है। यदि आप सच्चे दिलसे हिंदू-समाजकी सेवा करना चाहती हैं तो नीचे लिखे मुताबिक करें।

(१) यदि आपका लड़का कार्य करता हो तो उसे, पति हो तो उसे, भाई हो तो उसे, यही राय दें कि आज आपके समाजपर जुल्मोसितमके पहाड़ टूट रहे हैं। जिस भाईके पास तन है उसे तनसे तथा जिसके पास धन है उसे धनसे खुले दिलसे मदद करनी चाहिये। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो समयपर आपका तन, धन तथा मा-बहिनों और बहू-बेटियोंकी इज्जत मय धनके लुटेरे लूट लेंगे, जैसा कि आजकल देखनेमें आ रहा है।

(२) खतरेके समय पुरुष घबरायें तो उन्हें ढाढ़स बँधावें और उनमें जोश पैदा करें। उसी माकी कोख धन्य है जिसने वीर बालक पैदा किया है; वही स्त्री भाग्यशालिनी है जिसका पति बहादुर है और वही बहिन अपने भाईपर गर्व कर सकती है जो कि अपनी बहिनोंकी रक्षा करनेमें समर्थ है। ऐसे मौके आनेपर कोई भी बहिन अपने भाईको, विवाहिता स्त्री पतिको और मा लड़केको बहादुरीका काम करनेसे न रोकें और यही कामना करें—'तुम विजय हो।'

(३) जो छोटे बच्चे हैं, जो कली फूल होनेवाली है उसे बहादुरोंकी कहानियाँ सुनावें और यही उपदेश दें कि अपने शत्रुका सामना करना, लेकिन माँ-बहिनोंकी इज्जतको न लुटने देना। उनकी इज्जतको किसी तरहका धब्बा न लगने देना।

(४) आपलोगोंको भी इतना कायर नहीं होना चाहिये कि दंगेका नाम सुनते ही काँपने लगें अथवा रोने लगें। बल्कि मौका पड़नेपर हथियारसे अपने सतीत्वकी रक्षा करें और आततायीका संहार करें? यदि यह न हो सके तो कम-से-कम म्लेच्छोंके हाथ तो न पड़े जिससे कि आपकी जान भी जाय और सतीत्व भी। ऐसी दशामें

किसी तरह भी आपको अपना अन्त कर लेना चाहिये। यदि आपमें इतनी भी हिम्मत नहीं तो अपने प्रियजनसे कह दें कि आप ही मेरेको स्वर्गधाम पहुँचायें और इन दुष्टोंके हाथ न पड़ने दें।

(५) बहिनोंको सज-धजकर सड़कोंपर नहीं फिरना चाहिये जब कि उनके भाई उनकी रक्षा न कर सकें।

(६) आपका कोई भी प्रियजन आपको कुछ उपहारस्वरूप दें तो उसे न लेकर रुपये लें और उसे समाजसेवकोंको देकर समाजकी सेवा करें। यदि मौका आवे तो आपको अपनी प्यारी वस्तु गहनोंको भी न्यौछावर करना पड़े तो करें। लेकिन इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। आपके भाई चाहें तो ऐसे ही काफी मदद कर सकते हैं। जो कुछ भी करें, बड़ोंकी रायसे सोच-समझकर करें। किसीके बहकावेंमें कभी न आ जायँ।

यदि आप ऊपर लिखी प्रार्थनापर ध्यान देकर उसे कार्यरूपमें परिणत करने लगेंगी तो समझूँगी आपने सच्ची समाजकी सेवा की।

आपकी अमर बहिन

(२)

'बंगकन्या' की मर्मस्पर्शी अपील

धर्म-पिताओ! भाईयों! और सुहृदो!—

मैं लुट गयी! मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया दुर्दान्त दुर्वृत्तोंने! मेरी मूल्यवान मर्यादाको भ्रष्ट कर दिया आततायियोंने! हाय! तुम देख रे हो! क्या देख रहे हो? क्या इससे अधिक मेरी और कोई दुर्दशा हो सकती है?

मैं अपने पति-पुत्रोंको बचानेके लिये बहुत तड़पी, मैं लड़ी! मैं चाहती थी दुष्ट मेरे प्राण ले लेते, परन्तु उन्होंने प्राण नहीं लिये—मेरा धर्म लिया, मेरी इज्जत लूटी और मेरा सर्वस्व छीन लिया।

मेरे सामने मेरे स्वामीकी बुरी तरहसे हत्या की गयी! मेरे सामने ही मेरे पिताको कत्ल किया गया! हाय हाय! मेरी आँखोंके सामने ही मेरे दुधमुँहे बच्चे-बच्चियोंपर अमानुषिक अत्याचार किये गये। और फिर मैं बलपूर्वक घसीटी गयी! मेरे माथेका सिन्दूर जूतियोंसे पोंछा गया! मेरी शंखकी चूड़ियाँ तोड़ी गयीं! और मुझसे बलपूर्वक निकाह किया गया! आज भी मैं बुरखा ओढ़े उन्हींके घरमें पड़ी नरकाग्निमें जल रही हूँ! मेरा उद्धार करने वाला कोई नहीं रहा?

मेरे पति, मेरे पिता, मेरे श्वसुर और मेरे पुत्रोंको जल्लादोंने बाँध लिया। मुझे अबलापर उन्हींके सामने अमानुषी बलात्कार किया। मेरे सामने ही उनके खूनसे हाथ रँगे। उसी खूनसे मेरा मुँह रँगा और फिर मेरी मर्यादाका नाश किया!

अरे शङ्कराचार्य! ओ रामानुजाचार्य! अरे निम्बार्काचार्य, ओ मध्वाचार्य, अरे वल्लभाचार्य, ओ चैतन्य और नित्यानन्दके वंशधर, ओ साधु-सम्प्रदायके विभिन्न आचार्य! तुम सब कहाँ मर गये? तुम्हारे धर्मपर कौन-सा वज्रपात हो गया?

ओ ब्राह्मणो! अरे क्षत्रियो! ओ वैश्यो! ओ शूद्रो! अपनी बहिन-बेटियोंकी इस दुर्गतिको देखकर भी तुम्हारा खून नहीं खौलता? तुम जी क्यों रहे हो?

अरे गुरुनानक और गुरु गोविन्दसिंहकी सन्तान शूर सिखों! क्या तुम्हारा प्रसिद्ध वीरत्व भी आज सो गया—खा गया? सिख बहादुरोंके जीते-जी हिंदू-कन्याका अपहरण हो, हिंदू-सतीका सतीत्व नाश हो! मैं क्या कहूँ! इस वक्त सिखोंकी कृपाण क्या म्यानके अंदर छिपी रहकर ही शोभा पायेगी?

ओ मालवीय बाबा! सुना है तुम मेरी करुण कथा सुनकर व्यथाके मारे मूर्छित हो गये। बूढ़े तपस्वी आशीर्वाद करो—हिंदुओंके रक्तमें फिर जोश आवे और वह हिंदुत्वको बचानेके लिये जोरसे बह निकले! तुम्हारे विश्वविद्यालयके छात्र क्या तुम्हारी बात मानकर मेरे उद्धारके लिये कुछ नहीं करेंगे?

अरे गाँधी बाबा! तुमको राष्ट्र-पिताके नाते मैंने धर्मपिता माना। पर मालूम होता है तुम्हारा कलेजा पाषाणसे भी अधिक कठोर है! तुम्हारे जीवित रहते मेरी यह दुर्दशा! तुमने तो बंगालकी दशा देखी भी है। तुम्हें शर्म नहीं आती शान्तिका असमय सन्देश देते? तुम्हें

ईश्वरका जरा भी भय नहीं रहा जो तुम मुझ-जैसी निरीह अबलाओंपर अत्याचार करनेवाले दुर्वृत्तोंके साथ सन्धिकी चर्चा छोड़कर मेरे साथ निष्ठुर उपहास कर रहे हो?

ओ भारतके वीरो! तुम आज मुर्दा बन गये हो! भूल गये? निर्यायिता द्रौपदीके केश भीमसेनने दुष्ट दु:शासनके रक्तसे सींचे थे। भूल गये? सन्धिका संदेश लेकर जाते समय श्रीकृष्णको द्रौपदीने अपने खुले केश दिखाकर सचेत किया था! आज कितनी द्रौपदियाँ निर्यायिता हैं, धर्षिता हैं और अपमानिता हैं। उनके केश ही नहीं खींचे गये हैं। अरे सुनकर तुम्हारी छाती क्यों नहीं फट जाती—उनके तमाम पवित्र अवयवोंको मलिन म्लेच्छोंने अपवित्र कर दिया है!

अरे भारतके और बंगालके क्रान्तिकारी युवको! धरती फटे और तुम सब उसमें समा जाओ तो कलङ्कसे तो बच जाओ! मैं तुम्हारी बहिन इस तरह चिल्ला-चिल्लाकर अपना दु:ख सुनाऊँ और तुम उसे न सुनो! अच्छा होता, मेरी माँ तुम्हें जन्म न देकर बाँझ ही रहती और मैं बिना भाईके ही सन्तोष तो करती!

ओ भैया जवाहिर और बूढे पटेल दादा! तुमलोगोंसे बड़ी आशा थी मुझे। पर तुमने तो लुटिया ही डुबो दी! हाय! तुमने मेरी ओर झुककर झाँका भी नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आयी, मेरी सहानुभूतिसे उबल पड़नेवाले भावुक बिहारी-बन्धुओंकी छातीको छलनी बनाते समय? क्या कहूँ तुम्हारी मर्दानगीके लिये, तुम्हारे बल-पौरुषके लिये? और क्या पदवी दूँ तुम्हारी दुर्बल और भयभीत सरकारको? अब भी एक बार मेरी करुण दशाकी ओर देखो तो सही!

अरे योगी अरविन्द! तुम अपने चेलोंको लिये पाण्डिचेरीमें चुपचाप बैठे क्या कर रहे हो? तुम्हारी बहिन, तुम्हारी कन्या आज रो-रोकर तुम्हें जगा रही है। खोलो अपनी समाधिको। दिखला दो अपने ईश्वरीय तेजको ज्वालाको और यदि कुछ शक्ति मिली है तो उससे जला दो दुष्ट दुर्वृत्तोंके अस्तित्वको!

अरे भैया सुभाष! सुना है तुम अभी मरे नहीं हो! पर मेरे लिये तो मर ही गये! क्या मेरी दुर्दशाकी कथा सुनकर और अपनेको मेरे उद्धारमें असमर्थ पाकर कहीं मुँह छिपाये पड़े हो? अच्छा, पड़े रहो! क्या करोगे मुँह दिखाकर! साहस हो और कुछ करनेकी शक्ति हो तो ही प्रकट होना। सुना है तुम नीतिनिपुण हो। निर्माणकलामें निपुण हो और बहादुर भी हो! फिर कब काम आयेगी तुम्हारी यह गुणावली? शर्माओ! अपनी असहाय बहिनके करुण-क्रन्दनपर शर्माओ!

अरे राम और हनूमान्‌के उपासको! तुम्हारी उपासनाको धिक्कार है। आज सीता अपहृता ही नहीं है। रावणकी अशोकवाटिकामें वन्दिनी ही नहीं है। वह सर्वथा अपमानिता है। क्या दुष्ट रावणकी लङ्का अब भी नहीं जलेगी? अरे तुम्हारी पूँछमें आग लग चुकी है। अब छलाँग मारकर चढ़ जाओ आततायी रावणकी लङ्कापुरीके प्रत्येक भवनपर और उसे जलकार खाक कर दो अभी इसी क्षण!

अरी हिंदू-जाति! ओ हिंदू-धर्म! री हिंदू-संस्कृति तेरी यह दुर्दशा! तेरा यह अध:पतन!! क्या हो गया आज? राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन, प्रताप, शिवाजी, नानक, गोविन्दसिंह और दुर्गावती, लक्ष्मीबाईकी जाति क्या हिंदू-रक्तसे सर्वथा शून्य हो गयी! इससे तो मर मिटना उत्तम था! अरे हिंदू-पुरुषो! तुम किस मुँहको लेकर अपनी माँ-बहिनोंके-अपनी पत्नी तथा पुत्र-बधुओंके सामने जाते हो? किस मुँहको लेकर जी रहे हो? मुँह काला करके चले जाओ जंगालोंमें!

माताओं! बहिनों अब आशा छोड़ दो इन नपुंसक पुरुषोंकी। लो कटार हाथमें—वन जाओ रणचण्डी—मुण्डमालाधारिणी कालिका। निकल पड़ो घरोंसे और एक-एक आततायीके रक्तसे अपने हृदयकी प्रज्वलित अग्निशिखाको शान्त करो!

घबराओ नहीं! निराश न होओ! तुम्हारे हुंकारसे त्रिभुवन काँप जायगा। भूतभावन भगवान् रुद्रका आसन डाल जायगा! पापियोंका पतन होगा? पिशाचिनियोंके खप्पर भरेंगे और तुम्हारा पुनरुद्धार और पुन: प्रतिष्ठा होगी!

अभागिनी जन्मादिनी बंगकन्या—

(नोआखालीनिवासिनी अमियवाला)

U

वर्तमान पूर्व-बंगाल—प्रत्यक्ष पाकिस्तान

श्रीमती सुचिता कृपलानीने बतलाया है यह स्पष्ट सिद्ध हो गया है कि 'लीगी मुसल्मानोंने पूर्व-बंगालसे हिंदुओंका नामोनिशान मिटाकर उसे सर्वथा मुस्लिम-प्रदेश बनानेकी बात सोची थी।' और यों उसे स्वरूपत: पूरा पाकिस्तान बनानेकी योजना की थी। उसीके अनुसार उन्होंने वहाँ काम भी किया। आज पूर्व-बंगालके गाँव हिंदूशून्य हो गये हैं। सम्पत्ति लूट ली गयी। घर जला दिये गये। जिन्होंने सामना किया, उन्हें मार डाला गया। स्त्रियोंका प्रपहरण कर लिया गया और सबको जबरदस्ती कलमा पढ़ाकर—लुंगी-टोपी पहनाकर मुसल्मान बना लिया गया। जो भागकर बच गये, उनमेंसे कुछ तो आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार और युक्तप्रान्त आदिमें जहाँ आश्रय मिला, चले गये। कुछ गाँवोंको छोड़-छोड़कर चाँदपुर, नोआखाली, कलकत्ता आदि शहरोंमें शरणार्थीके रूपमें आ गये। पीछेसे उनमेंसे बहुतोंके सूने घर लूट जलाकर दिय गये। अब गाँवोंमें या तो कोई हिंदु है ही नहीं और है तो धर्मान्तरित मुसल्मानके रूपमें हैं। हिंदू-दैवमन्दिर पब्लिकके तथा घरोंमें जो थे, सब नष्ट कर दिये गये। मतलब यह कि हिंदू नाम मिटा देनेकी योजना पूरी की गयी। अब यहाँ या तो मुसल्मान व्यापारी और किसान हैं, या मुसल्मान सरकारी अफसरोंका समुदाय है, जो हर तरहसे उस प्रदेशको मुसल्मान-प्रदेश बनानेमें ही लगा है। शहरोंमें जहाँ रिलीफका काम होता है, वहाँ भी सारा अधिकार लीगी सरकारका ही है। कोई भी स्वतन्त्र संस्था यहाँ जाकर रिलीकका कार्य नहीं कर पाती। यहाँके वे लीगी अफसर किसीको सुविधा तो देते ही नहीं; उलटी अड़चनें लगाते हैं। हमारे गीताप्रेसके कार्यकर्ता वहाँकी स्थिति बतलाते हुए लिखते हैं—

All camps of refugees ar under Government Control and the League Government does not seem to be incelined to allow any organization to work in independently. Without Government aid it is not possible to sccure sufficient uanity of foodgrains in there parts.

'शरणार्थियोंके साारे कैप सरकारके नियन्त्रणमें और लीगी सरकार किसी भी संस्थाको स्वतन्त्रतासे कार्य करनेको तैयार नहीं दिखायी देती है। इन भागोंमें बिना सरकारी सहायताके पर्याप्त भोजन-सामग्री प्राप्त करना संभव नहीं है।'

The entire stock of rice at Chandpur is under the control of Government and the Muslim denlers under the Government. The Govenment may starve the entire Hindu population to death whenever they may choose to do so. And in fact they are indirectly doing go back to their villages and live there villages and live there as converted Muslims.

'चाँछपुरमें जिना भी चावलका स्टाक है, सब सरकारके तथा उसके द्वारा नियुक्त मुसल्मान व्यापारियोंके हाथमें है। सरकार जब चाहे सभी सम्पूर्ण हिंदू जनताको भूखों रखकर मार सकती है। और वस्तुत: वह अप्रत्यक्षरूपसे यही कर रही है, जिससे शरणार्थी लोग अपने गाँवोंमें लौट जानेको बाध्य हों और वहाँ जाकर धर्मान्तरित मुसल्मानके रूपमें जीवन बितायें।' ये फिर लिखते हैं कि 'अब मैं चाँदपुरके सरकारी अधिकारियोंकी सूची लिख रहा हूँ, जिससे आप जान जायेंगे कि जहाँके अधिकारियोंमें कितने मुसल्मान हैं और कितने हिंदू!

कलक्टर	....	.....	मुसल्मान
एस्. डी. ओ.	...	.....	,,
एस्. डी. ओ. का पी. ए.		.....	,,
अतिरिक्त एस्. डी. ओ.		(१)	,,
,,		(२)	,,

अतिरिक्त एस्. डी. ओ.		(३)	हिंदू
लॉ मैजिस्ट्रेट		(१)	मुसल्मान
लॉ मैजिस्ट्रेट		(२)	हिंदू
(अन्त्यज—जे. एन्. मण्डलका रिश्तेदार)			
सी. ओ.	चाँदपुर	मुसल्मान	
,,	हाजीपुर	,,	
अतिरिक्त ,,		(१)	हिंदू
,, ,,		(२)	हिंदू (छुट्टीपर)
,, ,,		(३)	मुसल्मान
रिलीफ अफसर		.....	,,
रिलीफ कमांडिंग अफसर		.....	,,
थानेदार	चाँदपुर.		,,
,,	फरीदगंज		,,
,,	कचना .		,,
,,	मतलक		,,
,,	हाजीगंज		,,
सहायक रिलीफ अफसर			
(मतलक और चाँदपुर)		मुसल्मान	६
,,		हिंदू	१
,,	फरीदगंज	मुसल्मान	२
,,	हाजीगंज	और कचना	
	सभी मुसल्मान		

हालमें जो दस रिलीफ असर नियुक्त किय गये हैं, उनमें ९ मुसल्मान हैं और एक हिंदू (अन्त्यज) है।

एम्. ओ. चाँदपुर मुसल्मान

इस प्रकार आप यहाँ पाकिस्तान सक्रिय—सजीव चित्र देख सकते हैं। महात्माजीके द्वारा मित्रतापूर्ण बर्तावके लिये अपील किये जानेपर भी ऐसी सरकारके अधीन हिंदुओंके लिये रहना कैसे संभव दे सकते हैं?

सेना सिविल अधिकारियोंके आदेशानुसार काम कर रही है, और सिविल अधिकारी इन स्थानोंको ध्वस्त कर देनेवाले गुंडोंको दण्ड देनेकी बहुत कम नीयत रखते हैं। गिरफ्तार हुए व्यक्ति नाममात्रकी जमानतपर छोड़ दिये गये हैं। हमें तो आशाकी एक भी किरण नहीं दिखायी देती, फिर भी गाँधीजी जोर दे रहे हैं कि हिंदू आमवासी अपने गाँवोंमें लौट आवें और अपने पीड़क मुसल्मानोंसे मित्रता जोड़ें। जहाँतक मनुष्यकी बुद्धि देख सकती है, उनकी नीति परिणाममें हिंदुओंके लिये विनाशकारी सिद्ध होगी। यहाँके हिंदुओंकी भगवान् ही रक्षा करे।

'हेमचार नामक हरिजनोंके एक गाँवमें मुस्लिमलीगी स्वयंसेवकोंको तो काम करनेकी आशा मिल गयी है पर किसी हिंदू-संस्थाको नहीं! गाँवोंमें हिंदुओंकी संपत्ति लूटनेवाले मुसल्मानोंको मुफ्त डील बाँटा जा रहा है। चाँदपुरमें सहायताके लिये नियुक्त दस अफसरोंमें नौ मुसल्मान हैं और एक हरिजन हिंदू। अतएव हमें अब उन्हीं चरणोंको पकड़ना पड़ रहा है जिन्होंने हमें ठोर मारी थी!

सब मुसल्मान अफसर यही सिद्ध करनेकी चेष्टा करते हैं कि 'हिंदू ही गलतीपर हैं, मुसल्मान नहीं, और मिथ्या आतंक फैला हुआ है। अपहरण और हत्या आदिके समाचार अधिकतर झूठे हैं। चालबाज हिंदुओंने मुस्लिमलीगी सरकारको कठिनाईमें डालनेके लिये ही आतंक फैला रक्खा है। इस प्रकार आप सोच सकते हैं! लीगी सरकारके शासनमें यहाँके हिंदुओंका सुरक्षित रहना नितान्त असम्भव है। गाँधीजी जितनी ही जल्दी बातको समझ जायँ उतना ही हिंदुओंके लिये अच्छा है।'

लीगी सरकार और वहाँके मुसल्मान अफसरोंका क्या रुख है और कैसी कर्मशैली है, इसका पता उपर्युक्त वर्णनसे लग सकता है।

हालमें कुल बाहरी स्वयंसेवक वहाँ पहुँचे हैं। तथा महात्माजी एवं अन्यान्य कार्यकर्ताओंकी उपस्थितिके कहीं-कहीं फौजियों तथा पुलिस-कर्मचारियोंके द्वारा कुछ मुस्तैदीसे काम हुआ है, यह लीगी-सरकारकी आँखेंमें बुरी तरह खटकने लगा है। महात्माजीके साथ चौमुहानी जाति वाले लीगी सरकारके व्यापार-मन्त्री मियाँ शमाशुद्दीन अहमदने एक वक्तव्यमें कहा है कि

'सेनाके अंधधुंध गोली चलाने, पुलिसकी ज्यादती और बाहरसे लाये हुए स्वयंसेवकके अनावश्यक हस्तक्षेपकी शिकायतें मिली हैं। स्थानीय लोगोंमें विश्वास पैदा करनेके लिये इन्हें निष्फल करना होगा।'

संभव है, इस वक्तव्यके अनुसार क्रिया भी शीघ्र ही हो और जो थोड़ी-बहुत सुविधा होनेकी आशा हुई है, वह भी नष्ट हो जाय।

'गुंडे अत्याचार पीड़ितोंसे जबर्दस्ती दरख्वास्तें लिखाकर जिला मैजिस्टेटको दे चुके हैं कि वे (अत्याचार-पीड़ित) सुखी हैं। पुलिस और सेना हटा ली जाय!'

हमारी पास ऐसे समाचार आये हैं कि पूर्व-बंगालमें गाँवोंमें मुसल्मान हिंदुओंको यह कहकर धमका रहे हैं कि 'इस समय तुमलोग बाहरी हिंदुओंके तथा फौज-पुलिसके सामने जो कुछ कह रहे हो, इसका तुमसे व्याजसहित बदला लिया जायगा। फौज, पुलिस और ये बाहरी लोग चले जायँगे तब तुम रहोगे तो हमारे ही पास। उस समय देख लिया जायगा। यहाँ तुम अब केवल मुसल्मान होकर और हमारे गुलाम बनकर ही रह सकोगे; क्योंकि यहाँ हमारा पाकिस्तान कायम हो गया है। यहाँ कोई हिंदू अब नहीं रह सकेगा।'

'हालका समाचार है कि नोआखाली जिलेमें गुंडोंके द्वारा बड़े उपद्रव हो रहे हैं। स्वयंसेवक भी मारे गये हैं।'

बँगला 'भारत' के कार्यकर्ता, जो स्वयंसेवकोंके दलके साथ अत्याचारपीड़ि पूर्व-बंगालके गाँवोंमें गये थे, अपनी रिपोर्टमें लिखते हैं—

''एक दिन हमलोगोंने देखा—लूँगी पहने तथा पाकिस्तानी टोपी सिरपर दिये एक मनुष्य डरते हुए-से आ रहे हैं। हमारे सोचा, कोई धर्मान्तरित हिंदू हैं। हमारा अनुमान साथ निकला। वे फरीदगंज थानेमें कामालपुर ग्रामके निवासी थे। उनके पास गाँवके लोगोंके दस्तखतोंकी तीन दरख्वास्तें थीं। उनमें गाँवके सारे हिंदुओंसे जबर्दस्ती यह लिखवाया गया था कि हमलोग हिंदू धर्मके अंधकारमें पड़े रहकर प्रायः अंधे हो गये थे। अब इस्लामके पवित्र लुकाशसे हमारा अंधापन मिट गया है। हम मुसल्मान तो पहले ही हो गये थे। फिर भी, पक्के मुसल्मान समझे जायँ, इसलिये अदालतसे आज्ञा प्राप्त करनेकी प्रार्थना करते हैं।' उक्त सज्जनको यह आदेश दिया गया था कि वे एक दरख्वास्त अदालतमें, दूसरी मुस्लिमलीगकी आफिसमें और तीसरी गाँवके मुखियोंके सामने पेश करेंगे। वे ठीक-ठीक आदेशानुसार काम करते हैं या नहीं, इसकी निगरानीके लिये उनके साथ लीगके दो आदमी तैनात थे।''

इस प्रकार नये-नये हथकंडोंसे मुसल्मान इस बातको सिद्ध करना चाहते हैं कि यहाँके हिंदू अपनी इच्छासे मुसल्मान बने हैं। कानूनसे भी यह बात साबित कर देना चाहते हैं।

यह है पूर्व-बंगालकी स्थितिका एक चित्र।

U

धर्मान्तरित भाई-बहिनोंकी शुद्धि

जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्य शारदापीठ

शारदापीठ जगद्गुरु शङ्कराचार्य श्रीराजराजेश्वराश्रम महाराजने निम्नलिखित घोषणा की है—

पूर्व-बंगालके नोआखाली आदि जिलेमें जो हिंदू नर-नारी बलात् धर्मान्तरित कर लिये गये, हिंदू-जातिको उन्हें अपने समाजमें तुरंत ले लेना चाहिये। जो जिस जातिका हो, उसे उस जातिमें लेनेमें कोई बाधा नहीं है। और ऐसे आपातकालमें किसी तरहके कोई प्रायश्चित्तकी आवश्यकता नहीं है। फिर भी लोगोंके समाधानके लिये सचेत स्नान और पञ्चगव्य प्राशन करा देना चाहिये। इसी तरह स्त्रियोंको भी वापस ले लेनेमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि रजोदर्शनके बाद वे शुद्ध हो जाती हैं। इस आपातकालमें किसीको गर्भ रह गया तो प्रसव हो जानेपर रजोदर्शनके बाद वह शुद्ध हो जायगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरहसे धर्मान्तरित कर लिया गया हो और बीस वर्षसे अधिक न हुआ हो तो प्रायश्चित्तके बाद वह शुद्ध हो सकता है।

जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्य द्वारकापीठ

धर्म-परिवर्तन बलात्कार-साध्य नहीं। जो नर-नारी आज बलात् मुसल्मान बनाये गये हैं, उनका हिंदू-धर्म यथापूर्व स्थान सुरक्षित है।

पूज्यपाद स्वाजी श्रीकरपात्रीजी महाराज

शास्त्रकी अनुमति है कि हमारे जो हिंदू भाई या बहिनें बलपूर्वक धर्मभ्रष्ट की गयी हैं, ये शीघ्रातिशीघ्र प्रायश्चित्तद्वारा हिंदूधर्ममें पुनः सम्मिलित कर लिये जायँ और उन्हें हमारे हिंदू भाई गलेसे गले लगायें। बलपूर्वक धर्मभ्रष्ट किये जानेसे शास्त्रानुसार कोई हिंदू धर्मच्युत नहीं हो सकता है।

वैकुण्ठवासी महामना पं० मदनमोहनजी मालवीय

धर्मपरिवर्तन रोका ही जाना चाहिये। विद्यार्थी बनाये गये हिंदुओंको पुनः हिंदू बनानेके लिये तो सुविधाएँ मिलें ही, साथ ही उन मुसल्मानोंको भी सुविधाएँ मिलें जो स्वेच्छासे हिंदू बनना चाहते हों।

भारतधर्ममहामण्डल, काशी

बलात्कार विधर्मी बनाये गये हिंदुओंके लिये तत्काल कहीं भी धर्मशास्त्रमें उनका त्याग नहीं बतलाया गया है। कुछ प्रायश्चित्त अवश्य हैं; परन्तु वह घर आ जानेके बाद ही। प्रायश्चित्त भी साधारण हैं, कठिन नहीं।

जो प्राणी म्लेच्छा, चाण्डाल तथा डाकुओंद्वारा जबर्दस्ती दास बना लिया गया हो और उससे गौ इत्यादि प्राणियोंका वधादिरूप, जूठे पात्रोंका माँजना, म्लेच्छादियोंका जूँठा अन्न खाना, गदहे, ऊँट इत्यादिके मांसका भोजन, म्लेच्छ-स्त्रियोंका गमन, उन्हीं स्त्रियोंके साथ भोजन आदि पापकर्म कराया गया हो तथा एक मासतक उनके यहाँ रह चुका हो वह प्राजापत्यव्रत (२ दिनकेवल प्रातः, ३ दिन केवल सायं, ३ दिन बिना माँगे मिला हुआ अन्न भोजन। उसके बाद ३ दिन कुछ न खाना) करनेसे शुद्ध हो जाता है।

विकट स्थानमें रहनेवाले म्लेच्छ और डाकुओंसे जो लोग पकड़ लिये गये हों और भूखसे पीड़ित होकर या म्लेच्छोंके डरवानेसे अभक्ष्य गोमांसादिको खा लिये हों तो उनमें ब्राह्मण एक कृच्छ्र—पूर्वोक्त प्राजापत्य या सान्तपन कृच्छ्र (एक दिन गोमूत्र या गोमय या दधि या दुग्ध अथवा धृत या कुशके जलका आचमन करना और एक दिन कुछ भी नहीं खाना या पीना) व्रत करे। क्षत्रिय अर्द्धकृच्छ्र, वैश्य आधेका तीन भाग, शूद्र उसका चतुर्थ भाग मात्र यदि व्रत करे तब शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार बलात्कार या चोरीसे किसी स्त्रीके साथ भोग किया गया हो तब भी वह त्याज्य नहीं है। ऋतु होनेसे शुद्ध हो जाती है। यदि गर्भवती हो जाय तो सन्तान होनेके बाद ऋतु होनेसे शुद्ध हो जाती है। जैसे—तापित सुवर्ण। बीस वर्षोंतक म्लेच्छोंके

पास रहे हुए प्राणी शुद्ध किये जा सकते हैं। छः वर्षसे कम वयवाले लड़के बिना प्रायश्चित्त ही शुद्ध हैं, छः वर्षसे ग्यारह वर्षतकके लड़कोंके लिये व्रत इत्यादि लड़केका भ्राता या पिता या रक्षक करे।

धर्मसंघके पं० दुर्गादत्तजी त्रिपाठी

इस सम्बन्धमें शास्त्राज्ञा स्पष्ट है। स्मृतिकारोंमें मनु सर्वप्रथम एवं सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके मतानुसार बलपूर्वक बाध्य करके कराये गये सभी कार्य अकृत ही हैं। अर्थात् उन्हें न किये हुए ही समझना चाहिये—

बलादत्तं बलाद् भुक्तं बलाद्यश्चापि लेखितम्।
सर्वान् बलकृतानर्थानकृतान् मनुरब्रवीत्॥

(८।१६८)

मनुके उपरान्त स्मृतिकारोंमें महर्षि अत्रिका स्थान है। उन्होंने इस प्रश्नपर मुख्यतया स्त्रियोंके सम्बन्धमें स्पष्ट शब्दोंमें अपना मत प्रकट किया है, जिसका संक्षेपतः आशय इस प्रकार है—स्त्रियों तथा बीमारोंकी शुद्धिपर अधिक विचार नहीं करना चाहिये [१८९]। बलात्कारसे दोष नहीं आता (१९०)। असवर्ण पुरुषद्वारा किसी भिन्न वर्णकी स्त्रीके गर्भ रह जाय, तो वह तभीतक गर्भगत शिशुका जन्म होकर वह पुनः रजस्वला नहीं हो जाती। प्रसवके उपरान्त रजोदर्शन होपर वह निर्मल सुवर्णके समान शुद्ध हो जाती है (१९२-१९३)। नारी स्वयं प्रवृत्त होकर, ठगी जाकर, बलात्कारसे या चोरीसे अन्य पुरुषद्वारा उपमुक्त होनेपर भी त्यागने योग्य नहीं है। पुनः ऋतुकाल आनेतक उससे सहवास न करते हुए प्रतीक्षा करनी चाहिये, ऋतुप्राप्त होनेपर वह शुद्ध हो जाती है (१९४-१९५)। दुराचारी म्लेच्छोंद्वारा बलात् एक बार उपमुक्त नारी प्राजापत्य व्रतके आचरण तथा ऋतुस्राव हो जानेसे शुद्ध हो जाती है। (१९८)।

बलात्कारसे ही सही, शरीरके साथ यदि दूषित सम्पर्क हो गया है, तो उससे उत्साह शारीरिक अपवित्रता तथा मानसिक ग्लानि दूर करनेके लिये शास्त्रविहित किसी साधारण प्रायश्चित्तका अनुष्ठान कर भी लिया जाय, तो इसमें लाभके सिवा कोई हानि नहीं है। ऐसे प्रसंगपर प्रायश्चित्त कर लेना किसी प्रकारसे अपमानजनक नहीं समझना चाहिये। ऐसे सामूहिक प्रायश्चित्त तथा उससे शुद्धि होनेका उदाहरण प्राचीन इतिहास पुराणोंमें मिलता है। ऐसे प्रायश्चित्तको कों भी आस्तिक हिंदू अपने ऊपर बोझ न समझकर पापका बोझ हल्का करनेवाला साधन ही समझेगा।

वङ्गीय ब्राह्मण-सभा तथा भारतीय पण्डित महामण्डल

वङ्गीय ब्राह्मण-सभाके सहकारी सभापतिगण महामहोपाध्याय पं० श्रीदुर्गाचरण सांख्य-वेदान्त-तीर्थ, महामहोपाध्याय श्रीयोगेन्द्रनाथ मर्क-सांख्य-वेदान्त-तीर्थ, श्रीशरच्चन्द्र सांख्य-वेदान्त-तीर्थ और श्रीउपेन्द्रचन्द्र स्मृति-तीर्थने एक विज्ञप्ति निकालकर कहा है—

बंगाल—कलकत्ते और नोआखाली आदि बहुतसे स्थानोंमें साम्प्रतिक उपद्रवोंमें बहुत-सी हिंदू-नारियाँ धर्षिता और अपहृता हुई हैं और बहुतसे हिंदुओंको बलपूर्वक धर्मान्तरित किया गया है। उक्त नारियोंका उद्धार करके उन्हें उनके आत्मीय स्वजनोंके पास पहुँचनेकी व्यवस्था करना सरकार और हिंदू जनताका अवश्य कर्तव्य है। उन्हें अपने-अपने समाजमें ग्रहण करनेमें कुछ भी बाधा नहीं है। भिन्न धर्मावलम्बियोंके द्वारा बलपूर्वक तथाकथित विवाह किये जानेपर भी वह विवाह शास्त्रदृष्टिसे ग्राह्य नहीं है। बीचके समयमें निषिद्ध अन्न ग्रहणादि निमित्तसे जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित्त नन्दा तिथिमें (प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशीके दिन) गङ्गास्नान करनेसे हो जाता है। गङ्गास्नानकी सुविधा न हो तो एक हजार बार गायत्री, 'राम' नाम या हरि नाम या दुर्गा नामका जप कर लेना चाहिये। जिनको बलपूर्वक धर्मान्तरिक किया गया है उनके लिये भी यह एक ही व्यवस्था है। इस सम्बन्धमें भट्टपल्लीकी ब्राह्मण-सम्मिलनीमें कुछ वर्षों पहले स्वर्गीय महामहोपाध्याय पं० वामाचरण न्यायाचार्य महाशयके द्वारा सभापनिपदसे दिये हुए भाषणमें स्पष्ट

उल्लेख हो चुका है। उन्होंने कहा था कि इस व्यवस्थाके सम्बन्धमें कुछ भी मतभेद नहीं है। इस सम्मिलनीमें स्वर्गीय महामहोपाध्याय पं० पञ्चानन तर्करत्न, महामहोपाध्याय पं० प्रमथनाथ तर्क-भूषण और महामहोपाध्याय पं० लक्ष्मण शास्त्री प्रभृति बंगाल और काशीधामके बहुतसे पण्डित उपस्थित थे। वर्तमान पण्डितसमुदाय भी इसी मतकी पुष्टि करता है। इति प्रथम कार्तिक १३५१ सन्।

'श्रीकाशी-पंडित-सभा'

मुसल्मान आदि विधर्मियोंद्वारा किसी प्रकारसे भी बलपूर्वक उत्पीड़ित एवं दूषित किये गये हिंदू—नर-नारियोंकी जाति धर्ममें परिवर्तन नहीं होता। ऐसे घोर विप्लवके समय मनोग्लानि निवारणार्थ भगवन्नाम-स्मरण ही पर्याप्त है।'

गीताप्रेस

जबर्दस्ती मुसल्मान बना लेनेसे वे कदापि मुसल्मान नहीं बन गये हैं। वे हिंदू ही हैं और हिंदू ही रहेंगे, उनके लिये किसी खास शुद्धि या संस्कारकी जरूरत नहीं है। इसी प्रकार जिन हिंदू देवियोंका जबर्दस्ती सतीत्व नष्ट किया गया है, वे भी सर्वथा निर्दोष ही हैं। उनके लिये भी किसी खास शुद्धि या संस्कारकी आवश्यकता नहीं है। इसपर भी यदि कोई शुद्धिकी आवश्यकता समझें तो उसके लिये हिंदू-समाज तैयार है। आवश्यकता होनेपर हमलोग ऐसे शास्त्रियोंको वहाँ भेज सकते हैं, जो भगवन्नामके पवित्र घोषरूपी प्रायश्चित्त सबका संस्कार करा देंगे।

[इस वक्तव्यपर हमारे एक मानवीय विद्वान्ने आपत्ति की है और लिखा है कि 'इन दोनों बातोंके प्रथमांशसे सहमत होते हुए भी खेद है कि दूसरे अंशका समर्थन नहीं किया जा सकता।' इसके बाद आपने विद्वत्तायुक्त सुन्दर युक्ति तर्कोंके द्वारा विषय-विवेचन करके अन्तमें कहा है—'अत: भगवन्नामके साथ ही कुछ साधारण प्रायश्चित्तके द्वारा ही बलात्कार-पीड़ित अपने हिंदू भाई-बहिनोंको शुद्ध करके उन्हें अपने-अपने समाजमें ले लेना चाहिये। प्रायश्चित्त-व्यवस्थामें भी ततत्स्थानीय धर्मशास्त्रज्ञ विद्वसानोंकी सम्मति ले लेना आवश्यक है।'

हम इस वक्तव्यका हृदयसे समर्थन करते हुए निवेदन करते हैं कि ठीक ऐसा ही करना चाहिये। शास्त्रकी मर्यादाके अनुसार ही काम होना चाहिये। नहीं तो, भविष्यमें लोग इस उदाहरणसे अनुचित लाभ उठानेकी चेष्टा कर सकते हैं और शास्त्रमर्यादाके अनुसार ही शुद्धि भी आवश्यक है ही। हमारा तो असलमें यह तात्पर्यर्क है कि इस समय सामूहिक रूपसे लोग धर्मान्तरित किये गये हैं। वे एक बार भगवान्का पवित्र नाम लेकर घरमें आ जायँ। फिर घरमें वे अपनी इच्छासे ही पञ्चगर्व्य व्रतादिके द्वारा प्रायश्चित्त कर लें। असलमें तो उनको जो रात-दिन दु:ख हो रहा है सो कम प्रायश्चित्त नहीं हो रहा है। उन बेचारोंने जान-बुझकर क्या किया है? इस समय ईसाई आदि मुँह फाड़े बैठे हैं। उनका वक्तव्य भी निकला है। ऐसी स्थितिमें भगवन्नामके पवित्र जयघोषके साथ उनको लौटा लिया जाय। विशेष लंबा-चौड़ा कार्यक्रम उनके लिये न बनाया जाय। इसी भावसे वैसा लिखा गया था।]

U

हिंदूधर्मपर कानूनी प्रहार

हिंदूधर्मपर इस समय चारों ओरसे घातक प्रहार हो रहे हैं, जिनका सूत्ररूपमें अस अङ्कमें दिग्दर्शन कराया गया है। तबसे भयजनक बात तो यह है कि हमारी अपनी कहलानेवाली केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारोंद्वारा ऐसी चेष्टाएँ हो रही हैं जो हिंदूधर्म एवं हिंदू-संस्कृतिपपर कुठाराघात करने जा रही हैं। अभी हालमें अस्पृश्यता-निवारण कानून बम्बई प्रान्तकी धारा-सभाद्वारा स्वीकृत हो चुका है। अछूतोंके मन्दिर प्रवेशका कानून संयुक्तप्रान्तकी धारा-सभाके सामने जल्दी ही आनेवाला है। सगोत्र-विवाहबिल केन्द्रीय धारा-सभामें पास हो चुका है, विशेष (Special) विवाह-बिल आ रहा है तथा तलाक-बिल शीघ्र ही उपस्थित किया जानेवाला है?

कुछ ही दिन पूर्व हमारी अन्त:कालीन सरकारके रेलवे-सदस्य माननीय श्रीआसफअलीका वक्तव्य निकला था, जिसमें उन्होंने यह घोषणा की थी कि भविष्यमें रेलवे-स्टेशनोंपर हिंदुओं तथा मुसल्मानोंके लिये पानी, चाय तथा भोजन आदिका अलग-अलग प्रबन्ध किया रहेगा।

इन सब चेष्टाओंसे हमारी सरकारोंकी तथा धारा-सभाओंके सदस्योंकी कुछ ऐसी रुख मालूम होती है कि हिंदूधर्म और हिंदू-संस्कृतिकी पृथक् सत्ता ही रहे; हिंदू मुसल्मानोंके स्थान-पान, आचार-विचार, रहन-सहन तथा शिक्षा-दीक्षामें जो मौलिक एवं जमीन-आसमानका सा भेद है, उसे बिल्कुल मिटा दिया जाय, हिंदुओंकी अपनी कोई विशेषता ही न रह जाय, अर्थात् दूसरे शब्दोंमें हिंदू हिंदू ही न रह जायँ, हिंदू-मुसल्मान दोनों मिलकर सर्वथा एक हो जायँ। परन्तु स्मरण रहे कि इस हिंदू-मुस्लिम एकताका अर्थ यह होगा कि हिंदू अपना हिंदुत्व छोड़कर मुसल्मानोंका आचार-विचार, उनका खान-पान, उनकी शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर लें। हमारे मुसल्मान भाई अपनी संस्कृतिका परित्याग करके हमलोगोंसे एकता करनेको कदापि प्रस्तुत नहीं हैं। इस प्रकारकी एकता हिंदुओंके लिये अत्यन्त मँहगी पड़ेगी। इसलिये हिंदुओंको सावधान हो जाना चाहिये और परस्पर संघटित होकर एकताके लिये किये जानेवाले इस घातक प्रयत्नका खूब जारोंसे एकमत होकर तथा पारस्परिक भेद-भावको छोड़कर विरोध करना चाहिये तथा एक बार जगत्को दिखला देना चाहिये कि हिंदूजाति अपने अस्तित्वको मिटाकर किसीसे मेल करनेको तैयार नहीं हैं।

यूनानी पौराणिक गाथाओंमें एक ऐसी शय्याका वर्णन आता है जिसे अंग्रेजीमें Procrustean Bed कहते हैं। कहते हैं यूनानमें Prokrsoustes नामका एक प्रसद्धि डाकू हो गया है जो अपने चंगुलमें आये हुए मनुष्योंको एक शय्यापर सुला देता था। सोनेवाला मनुष्य यदि शय्याके आकारसे लंबा होता था तो उसके शरीरको उसके बराबर कर दिया जाता था। और यदि यह दुर्भाग्यसे कुछ ओछा निकलता था तो वह डाकू उसके अङ्गोंको खींच-खींचकर उस शय्याके परिमाणमेंसे आनेकी चेष्टा करता था। हमारी दयालु सरकारे द्वारा की जानेवाली यह एकताकी भ्रमपूर्ण चेष्टा हमें उस Procrustean Bed का स्मरण दिलाती है। भगवान् बचायें ऐसी एकतासे।

सबसे बड़े खेदकी बात तो यह है कि हमारे ही प्रतिनिधि कहानेवाले हमारे सम्मान्य नेता, जो आज हमारे ही वोटोंके बलपर हमारे भाग्य-विधाता बने हुए हैं, हमारे स्वतन्त्र अस्तित्वपर कुठाराघात कर रहे हैं? वह हमारे इस अभागे देशके इतिहासमें एक अभूतपूर्ण घटना है। पता नहीं, हमारा दुरदृष्ट हमें और कैसे-कैसे करिश्मे दिखायेगा। प्रसिद्ध रोमन सम्राट् सीजरको जब उन्हींके निजी मिश्र ब्रूटसने कत्ल किया उस समय ब्रूटसको छुरा हाथमें लिये अपने सामने देखकर सीजरने दु:खका पार नहीं रहा। उसके अन्तिम शब्द थे—

Thou too Brut us!" (क्या हमारे कत्ल करनेवाले तुम्हीं हो, प्यारे ब्रूट्स?) अपनी ही कहलानेवाली सरकारके द्वारा किये जानेवाले इन अत्याचारोंको देखकर हमारे भी मुखसे ऐसे ही उद्गार बरबस किनल पड़ते हैं—क्या हमारे ही सामान्य नेता हमारी संस्कृतिका मूलोच्छेद करनेपर उतारू हो रहे हैं? सहसा विश्वास नहीं होता। परन्तु सत्य तो कठोर सत्य है। उसे मानना ही पड़ेगा। हिंदुओंको सावधान होकर अपना कर्तव्य निश्चय करना चाहिये और ऐसे कानूनकी किताबमें कदापि न रहें, इसके लिये घोर प्रयत्न करना चाहिये।

खान-पानकी एकतासे यदि एकता हो जाती हो जिन लोगोंमें खान-पानकी एकता है उनमें तो परस्पर कलह एवं संघर्षका कभी अवसर ही न आता। परंतु बात ऐसी नहीं है। कौरव-पाण्डवोंमें खान-पानकी एकता ही नहीं, ये तो सगे चचेरे भाई थे। फिर उनमें युद्ध क्यों हुआ? यूरोपियन राष्ट्रोंमें तो सब प्रकारकी एकता है फिर वे आज भी एक दूसरेके शत्रु क्यों बने हुए हैं। एक जातिके पशुओंमें तो खान-पानका भेद है ही नहीं। परंतु एक ही पत्तलपर खानेसे सौ कुत्तोंमें कदापि एकता नहीं हो सकती। आजसे पचास वर्ष पहले जब खान-पानकी एकताका कोई प्रश्न ही न था, उन दिनों हिंदू-मुसल्मानोंमें वास्तविक भाई-चारेका सम्बन्ध था। दोनों एक दूसरेके दु:ख-दर्दमें शामिल होते थे, एक दूसरेकी सेवा एवं सहायताके लिये हृदयसे तत्पर रहते थे, एक दूसरेकी ब्याह-शादीमें, उत्सव एवं गर्मीमें शरीक होते थे। परंतु खान-पानकी एकताके लिये किसीका आग्रह नहीं होता था। आज जो खान-पानकी एकता, सांस्कृति एकतापर इतना जोर दिया जा रहा है, उसका भी यह एक दुष्परिणाम है कि हम एक दूसरेके प्राणोंके घातक बन गये हैं और ज्यों-ज्यों कृत्रिम एकताकी आवाज बुलंद होगी, त्यों-ही-त्यों हमारे मनोंमें अन्तर बढ़ता ही जायगा। अत: हमें ऐसी झूठी एकतासे दूरसे नमस्कार करना चाहिये। हिंदुओंकी मुसल्मानोंके साथ एकता हिंदुओंके बलवान् एवं सुसंघठित होनेपर ही हो सकती है। बलवानोंके साथ मेल करनेके लिये सब कोई तैयार रहते हैं। कमजोरोंके साथ एकता नहीं होती। कमजोरोंको तो कुचला जाता है। ज्यों-ज्यों एकताके नामपर हिंदू दबते जा रहे हैं अथवा यों कहिये कि उनके नेता ही उन्हें दबाते जा रहे हैं, त्यों-त्यों एकता कोसों दूर भाग रही है। हिंदू-मुसल्मानोंकी एकताका मूल-मन्त्र है हिंदू-संघटन। इसके लिये हिंदुओंको प्राणपणसे लग जाना चाहिये।

U

नोआखालीसे आये हुए एक जमींदार सज्जनका ब्यान

नोआखाली जिलेमें लक्ष्मीपुर थाने अन्तर्गत मदनपुर गाँवके तालुकेदार श्रीयुत चन्द्रनाथ पाल गत ५ नवम्बरको गोरखपुरमें अपने पुत्र श्रीभूपेन्द्रकुमार पालके पास पहुँचे हैं। उन्होंने एक बयान अपने उक्त पुत्रसे लिखवाकर दिया है। उसे हम नीचे प्रकाशित करते हैं। इससे कुछ अनुमान किया जा सकेगा कि बंगाली हिंदुओंपर कैसे अत्याचार किया जा सकेगा बंगालमें हिंदुओंपर कैसे अत्याचार हुए हैं अब भी उनकी कैसी दयनीय स्थिति है।

"मदनपुर गाँवें हमीं बड़े जमींदार थे और हमारा ही मकान सबसे बड़ा मकान था। गत १३ अक्टूबरको कई हजार गुंडोंके द्वारा हमारे घरपर हमला किया गया। पहले घरके सारे सोनेके गहने आदि, नगद रुपये पैसे, धान, पाट, सुपारी, कपड़े आदि सामान लूटा गया। घरके लोगोंने सुपारीके बगीचेमें और जंगलोंमें भागकर आश्रय लिया। जहाँ भी उन लोगोंने नाना प्रकारसे अत्याचार किये। अनेकों स्थलोंमें स्त्रियोंके बदनपर एक कमीज छोड़कर उनकी पहननेकी साड़ीतक खोल ली गयी। मुसल्मान-धर्म ग्रहण करनेके लिये ही अधिक अत्याचार किये गये। इन अत्याचारोंमें अधिकांश लोग आस-पासके गाँवोंके थे। कुछ बाहरके गुंडे भी थे। इन

लोगोंके पास दाव, छीनी, बछें, भाले और लाठियाँ थीं। कुछ बंदूकें भी थीं। अवश्य ही हमारे घरके पश्चिमकी ओर बने हुए एक मुसल्मान-परिवारने हमारे प्राण बचानेके लिये हमलोगोंकी सहायता की, इसलिये हम उसके कृतज्ञ हैं। उक्त ग्राममें घोष, दास, राउत और नाथोंके घरोंकी तथा बगलके बड़ालिया ग्रामके मित्र, दीवानजी, गुह और अन्यान्य कई परिवारोंकी भी ऐसी ही अवस्था की गयी! मदनपुरके दास, नाथ, राउत आदि परिवारोंके कई व्यक्तियोंको काट डाला गया। घर लूट लिये और जला दिये गये। बगलके राधापुर ग्रामके द्वारिका राउतको जिंदा जला दिया गया! कारपाड़ाके दत्त-परिवारकी वही दशा हुई। अब राधापुर, मदनपुर और बड़ालिया—इन तीन गाँवमें हिंदू-नामधारी एक भी मनुष्य नहीं है। न हिंदुओंका कोई मन्दिर ही रहा है। अत: जो वहाँ हैं, सभी मुसल्मान बने हुए हैं—अवश्य ही अपनी इच्छासे नहीं। और जो अब भी ग्रामोंसे नहीं निकल सके हैं, वे मुसल्मानोंकी दयापर ही निर्भर हैं और अकथनीय अत्याचार सह रहे हैं। प्राय: सभीके नाम बदल दिये गये हैं और एक नयी पोशोक, जिसके लिये कभी स्वप्नमें भी कल्पना नहीं की गयी थी, पहने हुए हैं। सिंदूरपुर ग्राममें घर-द्वार लूटकर ग्रामवासियोंको मुसल्मान बना लिया गया है। गोपाहर वाबके एक घरमें १९ व्यक्तियोंको काट डाला गया है। अन्यान्य गाँवोंकी भी यही दशा है।

मेरे मझले पुत्रकी स्त्री गर्भवती थी और उसके पिता लामचरके प्रसिद्ध जमींदार श्रीमनमोहन दे महाशयने तीन आदमियोंको दो सैनिकों साथ उसे हमारे घरसे लिवा ले जानेके लिये भेजा था। वे लामचरसे चलकर नन्दीग्रामतक आये। यहाँ मुसल्मान भीड़ने उनपर आक्रमण किया और तीनोंको काट डाला। दोनों सिपाहियोंकी बंदूकें छीन लीं और कहा जाता है कि वहाँ एक सिपाही घायल भी हो गया। हमारे घरपर आकर एक मौलानाने हमलोगोंको भी जबर्दस्ती नमाज पढ़नेके लिये बाध्य किया।

जो कुछ भी हो, भगवान्‌के अनुग्रहसे आचार्य श्रीकृपालानीजी और उनकी पत्नी श्रीसुचिता देवी इत्यादि फौजको साथ लेकर हमारे गाँवमें पहुँच गये और उसीके फलस्वरूप हमलोग किसी तरह प्राण बचाकर एक कपड़ेसे गोरखपुरतक पहुँच सके। मेरे साथ मेरा बड़ा लड़का, उसकी स्त्री और उसके तीन बच्चे तथा मेरी स्त्री और मेरा चौथा लड़का भी आया है। हमारे दु:ख-कष्टकी कोई सीमा नहीं है। जो लोग अब भी बंगालके गाँवोंमें हैं, उनके दिन किस दु:खसे कटते होंगे—इस बातको एक मात्रमात्र भगवान् ही जानते हैं। हमारे घरमें कम-से-कम १०००००० (दस लाख) रुपयोंकी हानि हुई है। श्रीयुत आचार्य कृपालानीजी हमारे विशाल मकानके ध्वंसावशेषका फोटो ले गये हैं।

इस अत्याचारसे अछूत हिंदू कोई भी नहीं बचे हैं। इन इलाकोंमें सभीके घर-मकान लूट लिये गये हैं और सभीको मुसल्मान बना लिया गया है। और बहुत जगह हत्याएँ भी की गयी हैं। स्त्रियोंकी मान-इज्जत नहीं रही है। हिंदू सब प्रकारसे विपन्न हैं और धर्मान्तरित तथा अत्याचारपीड़ित हैं। बड़े दु:खकी बात है कि इतना अत्याचार होनेपर भी अनेकों यूनियन थोड़ोंके प्रेसीडेंटोंने रिपोर्टकी है कि 'हमारे इलाकेमें कुछ भी नहीं हुआ।'

इसके अतिरिक्त कुछ मुसल्मान नेताओंने हिंदुओंको धमकाकार कहा है कि 'मिलिटरी कितने दिन तुम्हारी रक्षा करेगी। बंगालमें रहना होगा, तो मुसल्मानोंके दास बनकर और मुसल्मान होकर ही रहना पड़ेगा। कारण, यहाँ हमलोगोंने पाकिस्तान कायम कर लिया है। बंगालमें हिंदू नामधारी किसी आदमीके लिये स्थान नहीं रहेगा।'

इसके अतिरिक्त लक्ष्मीपुर थानेके अन्तर्गत पार्वतीपुर ग्राममें नाथ-परिवारके एक ही घरमें ५०-६० मनुष्य कत्ल कर दिये गये हैं—ऐसी खबर मिली है।''

U

संघटन और संरक्षणके द्वादश साधन

यह स्मरण रहे कि जबतक हिंदू-जाति सुसंघटित और सुशक्तिमान् नहीं हो जायगी, तबतक मुसल्मानोंके आक्रमण और अत्याचार बंद नहीं होंगे। शान्तिकी आशा व्यर्थ होगी। और परात्परके घृघित संघर्षसे दोनों जातियोंका लौकिक-पारमार्थिक अकल्याण होता रहेगा। अतएव हिंदुओंको चाहिये कि श्रीभगवान्‌पर विश्वास करके और भगवान्‌की कृपा तथा शक्तिका आश्रय लेकर वे सुसंघटित हो जायँ। अपनेमें मानस और शारीरिक बल बढ़ावे तथा धर्म-रक्षार्थ मरनेके लिये तैयार हो जायँ। ऐसा होते ही मुसल्मानोंपर आततायीपन मिट जायगा। आपसमें अपने आप ही मेल होगा और दोनों जातियाँ लड़ाई-झगड़ेको छोड़कर एक-दूसरेकी सहायक बन जायँगी। ऐसा होनेसे ही हिंदू-जातिकी रक्षा होगी और ऐसा होनेपर मुसल्मान जाति भी विनाशकी अनिवार्य ज्वालासे बचेगी। इसीसे देशका भी कल्याण होगा। इसके लिये नीचे लिखी बारह बातोंपर विशेषरूपसे ध्यान देना चाहिये।

(ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिसमें समस्त हिंदुओंका कोई एक सर्वप्रधान संघटन हो, चाहे वह 'हिंदू-महासभा' हो या अन्य किसी नामकी संस्था हो, पर हो यह हिंदू-मात्रकी, जिसमें सभी सम्प्रदायों और सभी जातियोंके हिंदू एक साथ सम्मिलित होकर अपना कर्तव्य निश्चय करें। यदि 'हिंदू-महासभा' को ही यह रूप मिल सके तो सर्वोत्तम है।

(२) इस संस्थाका ऐसा सर्वसम्मत उद्देश्य रक्खा जाय, जिसमें किसी भी सम्प्रदायको कोई आपत्ति न हो। विवादग्रस्त विषय इसमें न लिये जायँ।

(३) हिंदूमतका पोषण और प्रचार करनेवाले समाचार-पत्र भारतकी विभिन्न भाषाओंमें, विभिन्ना प्रान्तोंमें प्रचुरतासे निकाले जायँ। इस समय युक्त-प्रान्तोंमें बंगालके अत्याचारको लेकर अंग्रेजी दैनिक 'अमृत-बाजार पत्रिका' ने बहुत अच्छा काम किया है। उसके अग्रलेख बहुत ही सुन्दर, गम्भीर और विचारपूर्ण होते हैं। हिंदी दैनिक-पत्रोंमें प्रयागके 'भारत' का बहुत ही अच्छा सम्पादन हो रहा है और आजकल उसके लेख बड़े निष्पक्ष, निर्भीक और विचारपूर्ण होते हैं। 'आज,', 'संसार', 'प्रताप' भी बहुत अच्छे निकल रहे हैं, परन्तु विशुद्ध हिंदू-मतका पोषक और प्रचारक एकमात्र पत्र है—काशीका 'सन्मार्ग'। उसके अपने छोटे-से जीवनमें हिंदू-धर्म और हिंदू-जातिकी जो अमूल्य सेवा की है और जो कर रहा है, सो सर्वथा अभिनन्दनीय है। भारतवर्षके प्रत्येक बड़े शहरमें कम-से-कम ऐसे ही एक-एक अंग्रेजी और एक-एक हिंदी एवं तत्तत् प्रान्तीय भाषाके पत्रकी बड़ी आवश्यकता है। सुना है एक बंबई शहरमें ही मुस्लिम-लीगके नौ गये पत्र निकलनेवाले है। हिंदू-विद्वान् और धनी-समाजको इधर बहुत ही शीघ्र प्रयत्नशील होना चाहिये।

(४) धनियोंको चाहिये कि ये हिंदू-जाति और हिंदू-धर्मकी रक्षा, प्रतिष्ठा और उन्नतिके लिये मुक्तहस्तसे धनका उपयोग करें। इसीमें धनकी सार्थकता है और इसीसे उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा। नहीं तो, अपने ही पैरोंमें अपने ही हाथों कुल्हाड़ी मारकर वे बहुत पछतायँगे।

(५) साधु, संन्यासी और त्यागी विद्वानोंको चाहिये कि वे अपनी सारी शक्ति, तमाम विद्याबुद्धि इस समय हिंदू-जाति और हिंदूधर्मके रक्षण, उत्थान और अभ्युदयमें लगा दें। वे अपनी कुटिया छोड़कर धर्मकी रक्षाके लिये प्राणपणसे कटिबद्ध होकर निकल पड़ें और विशेष काम यह करें कि वे करुणामय भगवान्‌को सच्चे मनसे पुकार-पुकारकर उनके आसनको हिला दें, जिसमें हिंदू-जाति और हिंदू-धर्मकी रक्षा हो।

(६) एक महान 'रक्षकदल' बने, जिसमें कम-से-कम ५० लाख युवक तैयार किये जायँ। जो यथावसर यथावश्यक तमाम प्रान्तोंमें बँट जायँ और हिंदू-रक्षाका कार्य करें। युवकोंको इस कार्यमें उत्साहपूर्वक योग देना चाहिये।

यह स्मरण रखना चाहिये कि दुराचारी गुंडोंमें आत्मबल जरा भी नहीं होता, वे तभीतक गुंडई करते हैं, जबतक उन्हें कोई साहसपूर्वक रोकता नहीं। भारतके हिंदू युवक तैयार हो जायँ और मरणमन्त्रकी प्रतिज्ञा लेकर मैदानमें कूद पड़ें तो फिर गुंडोंके गुट सहज ही नेस्तानाबूद हो जायँगे। भगवान् धर्मके लिये प्राण देनेवालोंके सहायक होंगे!

'**राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ**' बहुत अच्छी संस्था है। पर वह अभीतक क्रियात्मक नहीं बन सकी है। अवश्य ही उसमें जो संघटन तथा शक्ति-संचार और हिंदू-संस्कृतिके प्रसारका कार्य हो रहा है, वह बहुत ही स्तुत्य है। उसके पवित्र कार्यें, सबको सहायता करनी चाहिये। युवकोंको युवकोंको उसकी उत्साहके साथ योग देना चाहिये और संघके सञ्चालकोंसे भी विनय है कि वे हिंदू-संस्कृतिके मार्मिक रहस्योंको विशेष रूपसे बतलावें और हिंदू-आचार-विचारकी प्रतिज्ञा और रक्षा भी विशेष जोर दें।

हिंदूमात्रको खूब सावधान रहना चाहिये और अपनेमें इतना बल बढ़ाना चाहिये कि जिससे किसीकी भी उनकी और बुरी नजरमें ताकनेकी हिम्मत न हो। कुछ दिनों पहले मियाँ जिन्नाने दिल्लीमें मुस्लिम महिलाओंकी सभामें भाषण देते हुए जो बहुत मुसल्मानोंके लिये कही थी, उसीका ध्यान देकर हिंदूमात्रको वैसे ही अपना बल बढ़ाना चाहिये। मियाँ जिन्नाने कहा था—

'हम लड़ाई-झगड़ा करना नहीं चाहिये। हम शान्तिपूर्वक रहना चाहते हैं। पर आक्रमणसे बचनेके लिये हमें इतनी पर्याप्त शक्ति संग्रह कर लेनी चाहिये कि दूसरे लोगोंको यह अनुभव हो जाय कि यदि हम 'मुसल्मानों'के विरुद्ध कुछ भी करेंगे तो हमारा ही अधिक नुकसान होगा और इस प्रकार हम अपने ही पैरोंपर कुल्हाड़ी मारेंगे।'

इस उद्धहरणमें केवल जरा-सा परिवर्तन करके 'मुसल्मानों'के स्थानपर 'हिंदुओं' शब्द रख दीजिये तो आपको मालूम हो जायगा कि इस अशान्तिसे मरे हुए विकट कालमें हिंदुओंको क्या करना है।

(७) हिंदू-स्त्रियोंको बहुत सावधानीसे रहना चाहिये। बिना काम घरोंसे बहुत नहीं घूमना-फिरना चाहिये। मनमें साहस रखना चाहिये और अपने पास एक तेजधार चाकू अवश्य रखना चाहिये। जब कोई दुष्ट कोई बुरी चेष्टा करता दीखे तो उसे दण्ड देनेकी हिम्मत अपने अंदर लानी चाहिये। बच्चोंको बाहर अकेले नहीं भेजना चाहिये। आजकल भेष बदले हुए बदमाश चारों ओर घूम रहे हैं।

(८) सिनेमा आदिमें रात-विरात नहीं जाना चाहिये।

(९) कुछ समयके लिये मेलोंको इस समय बंद कर देना चाहिये।

(१०) हिंदू-पूँजीपतियों और हिंदू-जमींदारोंको चाहिये कि वे अपने हिंदू-कर्मचारी और किसानोंके साथ ऐसा उत्तम उदारताका बर्ताव करें कि उनके प्रतिद्वन्द्वी न रहकर उनके परिवारके अङ्ग बन जायँ और सबसे कह दें कि हमलोंगोंका आपसमें न कोई झगड़ा है और न हम कुछ चाहते ही हैं। हिंदू-किसान और हिंदू-मजदूरोंको भी समय देखकर मालिकों और जमींदारोंसे निश्चल प्रेम बढ़ाना चाहिये।

(११) मोटरों, गोड़ियोंपर हिंदू ड्राइवर और साईस रखने चाहिये। पहरेदार भी हिंदू रखने चाहिये और उन्हें खूब सन्तुष्ट रखना चाहिये। मिलों कारखानों और आफिसोंमें भी यथासाध्य अधिक-से-अधिक हिंदुओंको स्थान देना चाहिये।

(१२) सत्संग, कथा, कीर्तन और धार्मिक उत्सवोंकी गाँव-गाँव और मुहल्ले-मुहल्ले जगह-जगह बार-बार योजना करनी चाहिये, जिससे भगवान्‌की कृपा प्राप्त हो, वातावरण शुद्ध हो, धर्मकी भावना जाग्रत् हो और धर्मार्थ सब प्रकारके त्यागकी प्रवृत्ति वेगके साथ बढ़े। ऐसे आयोजनोंमें सामयिक सूचनाएँ भी यथावश्यक अवश्य देते रहना चाहिये।

मन्दिर, मठ और आश्रमोंको तो हिंदूरक्षाके किले बना देना चाहिये और उनमें नियमित कथा, कीर्तन, सत्संग-भजनका कार्यक्रम रहना चाहिये।

U

पिछले अङ्कमें प्रकाशित तेरह साधन

(१) देशभरमें 'हिंदूरक्षक-दल' का संघटन हो, जिसमें कम-से-कम पचास लाख युवक रहें। ये अपने नगरों और गाँवोंके अतिरिक्त जहाँ आवश्यकता हो, वहाँ जाकर धर्म, जीवन, सम्पत्ति तथा सतीत्वकी रक्षा करें। पर यथासम्भव इनकी नीति आक्रमणात्मक न होकर रक्षात्मक हो, और ये किसी भी हालतमें किसी भी नि:शस्त्र स्त्री और बलाकपर हाथ न उठानेकी प्रतिज्ञा करें।

(२) इस बृहत् संघटनके अतिरिक्त प्रत्येक नगरके मुहल्लों तथा गाँवोंमें सुव्यवस्थित 'रक्षादल' का निर्माण हो।

(३) आत्मरक्षाके लिये नर-नारियोंमें विश्वास उत्पन्न किया जाय।

(४) इतना नैतिक और शारीरिक बल बढ़ाया जाय कि जिसे देखकर दूसरोंके मनमें कभी किसी प्रकार अत्याचार करनेका साहस ही न हो।

(५) घायलों तथा बीमारोंकी सेवाके लिये मुहल्ले-मुहल्ले और घर-घरमें 'फर्स्ट एड' (शीघ्र उपचार) की व्यवस्था करना, प्रसंग आनेपर सेवा-सुश्रूषाका प्रबन्ध करना। राशनसे बचाकर कुछ अन्नका घरोंमें संग्रह करना।

(६) घायलों, बीमारों तथा अत्याचारपीड़ित परिवारों तथा व्यक्तियोंकी सहायताके लिये धन एकत्र करना और उसका सदुपयोग करना।

(७) स्त्रियोंको आत्मरक्षा और सतीत्व-रक्षाके योग्य साधन प्रदान करना और उनमें वीराङ्गनाओंके स्वभावकी स्फूर्ति हो, ऐसा उपदेश देना लगा साहस भरना।

(८) बच्चोंको सदा सुरक्षित रखना।

(९) आपसके मतभेदों तथा वैर-विरोधको भुलाकर आततायीका सामना करनेके लिये संघटितरूपसे वीरताके साथ तैयार रहना।

(१०) अफवाहें न फैलने देना, न अफवाहोंपर विश्वास करना, परन्तु सदा चौकन्ना भी अवश्य रहना।

(११) छेड़-छाड़ न हो, और मामूली छेड़-छाड़में बात न बढ़ने पावे, इसके लिये सतर्कता तथा बुद्धिमत्तासे काम लेना।

(१२) हिंदू-मुसल्मानोंमें तथा अन्यान्य परस्परविरोधी लोगों प्रेम, सद्भाव तथा विश्वास उत्पन्न हो इसके लिये सदा सच्चे दिलसे एक दूसरेकी सेवा तथा सहायता करना।

(१३) हिंदु-मुसल्मान कोई भी शरणमें आ जाय, उसको ईमानदारीके साथ आततायीके हाथोंसे बचाना। परन्तु होम करते हाथ न जल जाय, इसके लिये पूरा सावधान भी रहना।

इसीके साथ असली उपाय भगवत्प्रीत्यर्थ देवाराधन अथवा भगवदाश्रयपूर्वक भगवदाराधनका आश्रय लेना और भगवान्‌की कृपाशक्ति तथा उनके मङ्गल-विधानमें विश्वास रखकर भगवदाज्ञानुसार कर्तव्यकर्मका पालन करना चाहिये।

ऐसे अफसरोंपर जगह-जगह धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्रीय मन्त्रपुरश्चारण, वैदिक तथा तान्त्रिक प्रयोग, बण्डी-गणेशकी सविधि उपासना तथा वैदिक और पौराणिक यज्ञ-याग होने चाहिये। इनसे प्रकृतिक मूलमें परिवर्तन होगा और लोगोंकी बुद्धिमें सात्त्विकता आवेगी। साथ ही अपनी-अपनी स्थितिके अनुसार विश्व-शान्ति तथा धर्माभ्युदयकी कामनासे अथवा केवल भगवत्प्रीत्यर्थ सात्त्विक दान, श्रीमद्भागवत, श्रीमद्भगवद्गीता तथा श्रीरामचरितमानसके पारायण और अखण्ड हरिकीर्तन होने चाहिये। सच्चे हृदयसे सबको सद्‌बुद्धिकी प्राप्ति तथा सबके कल्याणके लिये भगवान्‌से सच्ची प्रार्थना करनी चाहिये।

U

पूर्व-बंगालकी परिस्थितिका आँखों देखा परिचय

पूर्व-बंगालकी परिस्थितिका परिचय प्राप्त करने तथा सेवाकार्य करनेके लिये गये हुए, महात्मा गाँधीके सम्पर्कमें रहनेवाले गीताप्रेसके एक प्रमुख कार्यकर्ताके चौमुहानी तथा वहाँके गाँवोंसे कई पत्र आये हैं। उनमेंसे कुछ खास अंश यहाँ दिये जाते हैं। इनसे वहाँकी स्थितिका कुछ अनुमान हो सकता है।

'....मैं शोकसागरमें निमग्न प्राणियोंके बीचमें पड़ा हूँ। माताओंका करुण क्रन्दन मैं भूल सकूँगा क्या? नंगे बच्चोंकी दुर्दशा और भूखसे व्याहुल होकर उनका रोना क्या भूलनेके दृश्य हैं? ऐसी नवयुवतियाँ मैंने कितनी ही देखी हैं और कितनी ही इधर-उधर होंगी जो एकमात्र फटी-पुरानी साड़ी लपेटे अपनी लाज ढँके पड़ी हैं। मानों उनमें जीवनका स्रोत ही सूख गया है।

× × ×

'रिलीफ कैम्प क्या हैं? खराब-से-खराब राशन देकर शरणार्थियोंको रोगका शिकार बनाना—यह श्रेय बंगाल गवर्नमेंटको है जो किसी कीमतपर भी अच्छा चावल देनेको तैयार नहीं हो रही है! शरणार्थी पेचिशके शिकार हो रहे हैं। कुछकी तो इसी रोगसे मृत्यु भी हो गयी है। न जाने अभी आगे क्या हो?....'

'हिंदुओंकी बस्तियोंको इस ढंगसे जलाया गया है कि एक घर भी बिना जले नहीं बचा है! अमीरके पक्के मकानसे लेकर दरिद्रकी झोंपड़ीतक सब स्वाहा! भयानक लूट और आगसे कितनी अपार सम्पत्तिका नुकसान हुआ है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आज रात श्रीगाँधीजी जिस घरमें ठहरे हैं, इसीमें तीन आदमियोंकी बर्बरतापूर्ण हत्या की गयी है। तीन लाखके लगभग नकद रुपया लूट गया है और दूसरे सामानका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। यह सब हुआ था रामगंज थानाके समीप बिल्कुल पौन मीलकी दूरीपर।'

'इधर लड़कियोंको भगाना तथा बलात्कार भी हुआ ही है। मीलों चले जाइये—हिंदू रोते हुए ही मिलेंगे। उनके न खानेका ठिकाना है और न सोनेका ही। जो कुछ दिन पहले लखपती था; आज वही रिलीफ कैम्पमें एक प्रकार भिखमंगेके रूपमें पड़ा है! मैंने किसी मुसल्मानकी झोंपड़ीतक झुलसी नहीं पायी।'

'मैंने यहाँके गाँवोंकी रोमाञ्चकारी दुर्दशा देखी और अच्छी तरह देख-समझकर अब मैं यह कह सकता हूँ कि यहाँका सारा भयानक काण्ड पहलेसे भलीभाँति योजना बनाकर सुसंगठित रूपसे किया गया था।'

'बापू' (महात्माजी) यहाँकी दुर्दशा देखकर बड़े ही दुखी हैं। बापूको यहाँ जितना शारीरिक और मानसिक कष्ट हो रहा है, ऐसा कहीं नहीं हुआ था। सड़कें इतनी खराब हैं कि मीटरमें बैठे हुए आदमीकी आतें ठिकाने लग जाती हैं। बापू तो बूढ़े हैं। साँस फूल उठती है। उनका खाना कम हो गया है। भगवान् जानें, उनके मनमें क्या-क्या भरा है। वे बड़े गम्भीर हैं।'

ता० १६। ११। ४६

U

'(पूर्व बंगालके) ठीक आँकड़े इसलिये नहीं ज्ञात हो पाते कि वहाँ लोग यहाँतक डरे हैं कि अपने धर्मपरिवर्तन तककी बात स्वीकार करते डरते हैं और उन्हें भय है कि ठीक बातें बतलानेपर संकट प्राप्त होगा।'

—अर्थर हेंडरसन (भारते अंडर सेक्रेटरी)

'मैंने बलात् धर्मपरिवर्तन, जबर्दस्ती गोमांस खिलाने, अपहरण करने तथा जबर्दस्ती विवाह करनेकी बातें सुनी हैं। मैं हत्या, अग्निकाण्ड तथा लूटकी बात नहीं करना चाहता। मुसल्मानोंने मूर्तियाँ तोड़ी हैं। मुसल्मान मूर्तिपूजा नहीं करते। न मैं ही करता हूँ। परन्तु जो मूर्तिपूजा करना चाहते उनसे आप छेड़-छाड़ क्यों करते हैं? ये दुर्घटनाएँ इस्लामके नामपर कलङ्क हैं।.....मैंने हिंदुओंसे भय त्याग देनेको कहा है और मुसल्मानोंसे केवल यही कह सकता हूँ कि हिंसात्मक कार्योंसे पाकिस्तान नहीं मिल सकता।'

—महात्मा गाँधी

गवर्नर-पत्नी लेडी वरोजके नाम पत्र

श्रीमान् अखिलचन्द्र दत्त भूतपूर्व डिफ्टी स्पीकर, सेंट्रल असेम्बलीकी पत्नी अपने पतिके साथ नोआखाली और त्रिपुरा जिलोंको देखने गयी थीं। वहाँकी सतायी हुई स्त्रियोंकी ओरसे उन्होंने बंगालके गवर्नरकी पत्नी लेडी वरोज़के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बंगालके विशाल क्षेत्रकी और मुख्यतया नोआखाली तथा त्रिपुराकी स्त्रियोंकी दारुण दशाकी ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है।

श्रीमती दत्तने लिखा है, 'पत्नीके नाते आपका यह कर्तव्य होता है कि आप अपने पतिको उनके उत्तरदायित्वकी याद दिलावें।'

पत्रकी अन्तिम पंक्तियाँ इस प्रकार हैं—'संसारके इतिहासमें कभी इससे अधिक लज्जाजनक और घृणास्पद काण्ड नहीं हुआ। भविष्यके लिये इस बदमाशीको रोका नहीं गया और अपहरणकी हुई स्त्रियोंको वापस लौटनेके लिये तुरन्त कदम नहीं उठाया गया तो ऐसा धब्बा लगेगा जो धोये नहीं धुलेगा। आपके पतिके हाथोंमें विधान-गत शक्ति अब भी है। अपने पतिको उदासीनता त्यागकर इस नृशंसताको रोकनेके लिये प्रेरित कीजिये। अनेक भारतीय स्त्रिया नोआखाली और त्रिपुराके भीतरी भागोंमें वहाँकी बहिनोंकी दुर्दशा अपनी आँखोंसे देखनेके लिये दौड़कर गयी हैं। क्या आपके मनमें भी कभी ऐसा करनेकी बात आयी? मैं समझती हूँ कि मिस लीस्टरको छोड़कर किसी अंग्रेज स्त्रीका हृदय नहीं पसीजा है।'

U

मानवताका आदर्श

युक्तप्रान्तके पश्चिमी जिलोंमें हुए उपद्रवोंका निरीक्षण करके आनेवाले एक अधिकारीने एक बड़ी सुन्दर घटना सुनायी—

पश्चिमीय युक्तप्रान्तके एक गाँवमें जब चारों ओर प्रचण्ड लूटमार, गृहदाह और हत्याकाण्ड मचा हुआ था, तब कुछ मुसल्मानोंने भागकर एक हिंदू-परिवारमें शरण ली। पर उनको पलभरके लिये भी चैन नहीं थी और प्रत्येक क्षण वे यहीं डर रहे थे कि उनके साथ कटु व्यवहार किया जायगा। उनकी यह दशा देखकर घरका मालिक दो भरी हुई बंदूकें लाया और उनमेंसे एक उन मुसल्मानोंको पकड़ाते हुए कहा—'एकको तो तुम्हारी रक्षा करनेके लिये मैं अपने पास रखता हूँ और यदि मैं इसके विपरीत आचरण करूँ तो दूसरीको तुम मेरे ऊपर चला देना।' इससे उनका डर हट गया और वे सब मुसल्मान बच गये।

U

मानवताका पतन

बंबईसे लौटे हुए एक सज्जनने सुनाया कि 'किसी गाँवके जमींदार बंबई गये। वे अपने साथ अपने गाँवसे बंबईमें रहनेवाले कुछ मुसल्मानोंके लिये, जो उनकी प्रजा थे, उनके घरसे भेजा हुआ सामान ले गये थे। वे बड़े प्यारसे बंबईमें स्वयं उन्हें देने गये। मुसल्मानोंने उनका स्वागत किया। पर कहा—'मालिक! हम आपकी प्रजा हैं, आप मालिक हैं, पर हमको तो कूरान हाथमें देकर पाँच-पाँच हिंदुओंको मारनेकी कसम दिलवायी गयी है। आपको न मारेंगे तो हमारी आकबत बिगड़ेगी। इसलिये आपको मारना पड़ेगा।' कहते हैं—बड़ी मुश्किलसे उन्होंने किसी तरह अपनी जान बचायी। शायद जगह-जगह निर्दोष लोगोंको पीछेसे छूरे भोंकनेका यही रहस्य है।

U

यह अङ्क क्यों और किसलिये ?

'कल्याण'का यह इसी सालका एक अतिरिक्त अङ्क है। इस साल गीताप्रेस लगभग दो महीने बंद रहा। इससे आगामी वर्षके विशेषाङ्कके प्रकाशनमें दो-तीन महीनोंकी देर हो गयी। पाठकोंको इतने लंबे समयतक 'कल्याण' की प्रतीक्षामें न रहना पड़े, इसलिये सोचा गया है कि बीचमें एक अङ्क और निकाल दिया जाय। दूसरी खास बात—हिंदूजाति और सनातनधर्मके स्तम्भस्वरूप महामना मालवीयजी महाराज हालमें ही कैलासवासी हो गये और वे इस समय गये—बर्बरोंद्वारा की गयी हिंदूजातिका दुर्दशापर रोते-रोते ही। इसीपर उन्होंने अपना अन्तिम संदेश भी दिया (जो इस अङ्कमें अन्यत्र प्रकाशित है)। इसलिये सोचा गया कि इस वक्तव्यके अनुसार हिंदूजातिकी इस समय क्या स्थिति है और उसे मानवताकी रक्षाके लिये क्या करना चाहिये, इसलिये थोड़ा-सा दिग्दर्शन देशवासियोंको कराना आवश्यक है, इसीलिये इस अङ्कके निकालनेका पूरा निश्चय किया गया।

इस अङ्कमें प्रकाशित लेखोंको पढ़कर उनके यथार्थ रहस्यपर न विचार करनेके कारण सम्भवत: 'कल्याण' के अध्यात्मरस पिपासु लाखों पाठक-पाठिकाओंमेंसे किन्हीं-किन्हींके मनमें ऐसा प्रश्न उठ सकता है कि 'कल्याण'में विशुद्ध अध्यात्मचर्चाको छोड़कर यह सामाजिक चर्चा क्यों की गयी है? क्या 'कल्याण'की नीति बदल गयी है? इसका उत्तर यह है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। न तो नीति ही बदली है और न गहराईसे देखनेपर यही सिद्ध होगा कि इसमें आध्यात्मिक दृष्टिको छोड़कर अन्य किसी दृष्टिसे कोई चर्चा की गयी है। सनातनधर्मके अनुसार भगवान् सर्वत्र और सर्वथा ओतप्रोत हैं। सारा संसार भगवान्‌के एक अंशमें स्थित है और संसारमें भगवान् भरपूर भरे हैं। इसीलिये सनातनधर्मके 'कर्म'में 'अध्यात्म' है और 'अध्यात्म'में 'कर्म'का निर्लेप संयोग है। इसीलिये अर्जुनको युद्धक्षेत्रमें भगवान्‌ने गीताका महान् आध्यात्मिक उपदेश देकर उसे युद्धके लिये ही आज्ञा की थी और भगवत्कृपासे उसे भलीभाँति सुन-समझकर और मोक्षसे निवृत्त, कर्तव्य और स्वरूपकी स्मृतिसे सम्पन्न, स्वभावमें स्थित तथा विगतसन्देह होकर भगवान्‌के आज्ञानुसार अर्जुनने युद्ध ही किया था। अवश्य ही भगवान्‌के इस कथनानुसार कि 'अध्यात्मचित्तसे मुझमें कर्मोंका समर्पण करके आशारहित, ममतारहित और विगतज्वर होकर तू युद्ध कर।' (गीता ३। ३०) अर्जुनने अध्यात्ममें—भगवान्‌के साथ नित्य संयोगमें स्थित होकर भगवत्प्रीत्यर्थ ही युद्ध किया था। इसी दृष्टिसे इस अङ्कमें भी सामयिक चर्चा हुई है।

इस अङ्कमें प्रकाशिक करके 'कल्याण'के एक लाख ग्राहकोंके पास पहुँचानेमें कई हजार रुपये अधिक खर्च करने पड़े हैं; इससे भी पाठकोंको इस अङ्ककी आवश्यकताका अनुमान हो सकता है। यह अङ्क केवल इसी सालके लिये 'अतिरिक्त अङ्क'के रूपमें निकाला गया है। इसे सदाके लिये नियमित संख्यामें नहीं समझना चाहिये। U

उठो-जागो

(१) पाठकोंको विदित है कि 'कल्याण' के इक्कीसवें वर्षका प्रथम वर्षका प्रथम अङ्क 'संक्षिप्त मार्कण्डेय और ब्रह्मपुराणाङ्क होगा। ये दोनों पुराण बड़ी ही उपयोगी, रोचक, शिक्षाप्रद और लोक परलोकके सुख-शान्ति-दाय तथा भगवत्प्राप्तिमें हेतुभूत साधनोंको बतानेवाली सुन्दर-सुन्दर कथाओंसे भरे हैं। इनका संग्रह अवश्य करना चाहिये। (२) इस अङ्काका मूल्य १०) होगा और इसके सहित 'कल्याण'के पूरे वर्षका मूल्य भी वही होगा। नये-पुराने ग्राहकोंको बहुत जल्दी मनीआर्डरसे रुपये भेजकर ग्राहक बन जाना चाहिये। जिनके रुपये मनीआर्डरसे पहले आ जायँगे, उन्हें विशेषाङ्क पहले मिलेगा। विशेषाङ्क जनवरीके दूसरे सप्ताहतक रजिस्ट्रीसे भेजा जाना शुरू हो जाय, ऐसी चेष्टा की जा रही है। जिसके रुपये नहीं आये होंगे उनकी वी० पी० पीछे जायगी। (३) जिन महानुभावोंने अगले वर्षके लिये ५≡) ही भेजे हैं, ये १) और भेज दें। (४) जिन कल्याणप्रेमी महानुभावोंने कृपापूर्वक 'कल्याण'के ग्राहक बनावे और बना रहे हैं उनके हम हृदयसे कृतज्ञ हैं। आशा है वे इस बार भी नये ग्राहक बनानेके लिये विशेष चेष्टा करेंगे। (५) मनीआर्डरके कूपनमें कृपया अपना ग्राहक नम्बर अवश्य लिखें, नये ग्राहक हों तो 'नया ग्राहक' लिख दें। नाम, पता, डाकघरका नाम साफ-साफ अक्षरोंमें लिखनेकी कृपा करें। (६) जिन सज्जनोंको किसी कारणवश ग्राहक न रखना हो वे कृपापूर्वक मनाहीका एक कार्ड अवश्य लिख दें।

व्यवस्थापक—'कल्याण' गोरखपुर

छापनेका सबको अधिकार है

'कल्याण' के गत १२वें अंकमें 'हिंदू क्या करें?' शीर्ष एक लेख प्रकाशित हुआ था और इसी विषयपर 'वर्तमान विकट परिस्थिति और हमारा कर्तव्य' शीर्षक एक लेख 'कल्याण'के गत ११वें अंकमें छपा था इन दोनों लेखोंके लिये हमारे पास बहुत माँगें आ रही हैं और कई महोदय तो इन्हें अलग छपवाकर बाँटना चाहते हैं। इस सम्बन्धमें हमारा निवेदन है—

(१) इन दोनों लेखोंको हमें सूचना देकर मूल रूपमें या किसी भी भाषामें अनुवाद करके कोई भी सज्जन छाप सकते हैं छपवा सकते हैं, वितरण कर सकते हैं या लागत कीमतपर बेच सकते हैं।

(२) 'हिंदू क्या करें' शीर्षक लेख अलग ट्रैक्ट रूपमें प्रकाशित हो गया है। दो पैसे दाम हैं। जिनको इसकी जितनी प्रतियाँ जरूरत हों, गीताप्रेसको पत्र लिखकर मँगवा सकते हैं।

(३) 'वर्तमान विकट परिस्थिति और हमारा कर्तव्य' शीर्षक लेख ट्रैक्ट रूपमें हमारे यहाँसे नहीं छपा है। पं० घासीरामजी शर्मा फाटक सूरजमान, आगराने चार हजार प्रतियाँ बिना मूल्य वितरण करनेके लिये छापी थीं। उनके पास यदि प्रतियाँ बची हों तो उनसे मँगवायी जा सकती हैं।

(७) इस अंकमें प्रकाशित लेखोंमें किसीको भी कोई भी सज्जन हमें सूचना देकर छाप या छपवा सकते हैं।

सम्पादक—'कल्याण'

U

श्रीहरिः

नाम-जपके सम्बन्धमें निवेदन

भगवन्नाम-जपके सम्बन्धमें गतांकमें प्रार्थना की गयी थी तदनुसार हमारे पास बहुत-से भाई-बहिनोंके पत्र नाम-जप आरम्भ करनेकी सूचनाके आ रहे हैं। हम उनके कृतज्ञ हैं। इस समय भारतवर्षपर घोर संकट छाया है, इस संकटके टालने, इसकी मात्राको घटाने एवं व्यक्तिगत रूपमें भगवत्प्रेम प्राप्त करनेके उद्देश्यसे भगवन्नामका जप खूब करना-कराना चाहिये। हमने सदाकी भाँति 'हरे राम हरे राम·····' इस षोडश नामके मन्त्र-जपके लिये प्रार्थना की थी। और इसीका जप करना चाहिये, परन्तु जैन, सिख, बौद्ध तथा मुसल्मान भाई भगवान्‌के अपने धर्ममें माने हुए पवित्र नामोंका जप करें। भगवान् तत्त्वतः एक ही हैं। उनके रूप और नाम चाहे अनेक हों।

दूसरी बात यह है कि गतांकमें कार्तिक शु० १५ से जप करनेकी प्रार्थना की गयी थी परन्तु उक्त अंक कई लोगोंके पास इस तिथिके बावजूद पहुँचा, वे पूछते हैं 'हम क्या करें?' उनसे हमारा निवेदन है कि जिन्होंने जिस तिथिसे जप शुरू कर दिया है, उससे पाँच महीनेतक करते रहें। अन्तिम तिथि वही समझें, जिस दिन पाँच महीने पूरे होते हों। यों भगवन्नाम-जप जीवनभर ही होना चाहिये।

नामजप-विभाग, कल्याण, गोरखपुर

U

संस्कृति पर्व
Sanskriti Parva

(भारत संस्कृति न्यास का प्रकल्प)

सदस्यता फॉर्म - SUBSCRIPTION FORM

नाम
NAME _____

पिता/पति
FATHER/HUSBAND _____

पत्रिका के लिए स्थाई डाक का पता
PERMANENT POSTAL ADDRESS FOR MAGAZINE _____

_____

_____

पिन कोड
PIN CODE _____

कन्ट्री कोड
COUNTRY CODE _____

ई-मेल
MAIL ID _____

मोबाइल नं०
MOBILE NO. _____

सदस्यता का प्रकार एवं शुल्क / TYPES OF MEMBERSHIP & FEE

	भारत में /IN INDIA	अप्रवासियों के लिए/FOR NRIs
वार्षिक/ANNUAL	1000/-	$100
त्रैवार्षिक/THREE YEARS	2500/-	$250
पंच वार्षिक/FIVE YEARS	5000/-	$400
आजीवन व्यक्ति/LIFETIME PERSON	11000/-	$750
आजीवन संस्था/LIFETIME INSTITUTION	21000/-	$1000

शुल्क का भुगतान नगद, ड्राफ्ट या चेक से किया जा सकता है। ऑनलाइन भुगतान पत्रिका के खाते में किया जा सकता है। चेक या ड्राफ्ट 'संस्कृतिपर्व प्रकाशन' के नाम होना चाहिए।

Account Detail

NAME : SANSKRITIPARVA PRAKASHAN,
BANK : HDFC, PRANAY TOWERS, LUCKNOW.
A/c NO. : 50200035311373 , IFSC : HDFC0000594, MICR : 226240002, BRANCH CODE: 000594

पंजीकृत कार्यालय : बी-64, आवास विकास कालोनी, सूरजकुंड, गोरखपुर-273001
लखनऊ कार्यालय : 2/43, विजय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
दिल्ली कार्यालय : बी-38 डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110024
सम्पर्क : + 91 94508 87186-87
यू.एस कार्यालयः 17413 Blackhawk St. Granada Hills, CA 91344 USA, Cell: 1-818-815-9826

PAROVARYAM

The world of Handicraft

भारत के हस्तशिल्प को घर-घर तक ले जाने का प्रयास है। हमारे यहां जूट, बांस, हैंडपेंटेड शॉल और दुपट्टे, कश्मीर का सेमी पश्मीना, मिट्टी से बनी उपयोगी वस्तुएं और पुरानी साड़ियों से बने पायदान इत्यादि मिलते हैं और वह भी बहुत ही उचित मूल्य पर।

आप फेसबुक पर ऑर्डर दे सकते हैं।
https://www.facebook.com/pg/kraft02/about/

A-70/4, Gali No. 5, Mahdu Vihar, I.P. Extension, Patparganj, Near Hasanpur Depot, Delhi-92

Call: 7827326292, 9717047552

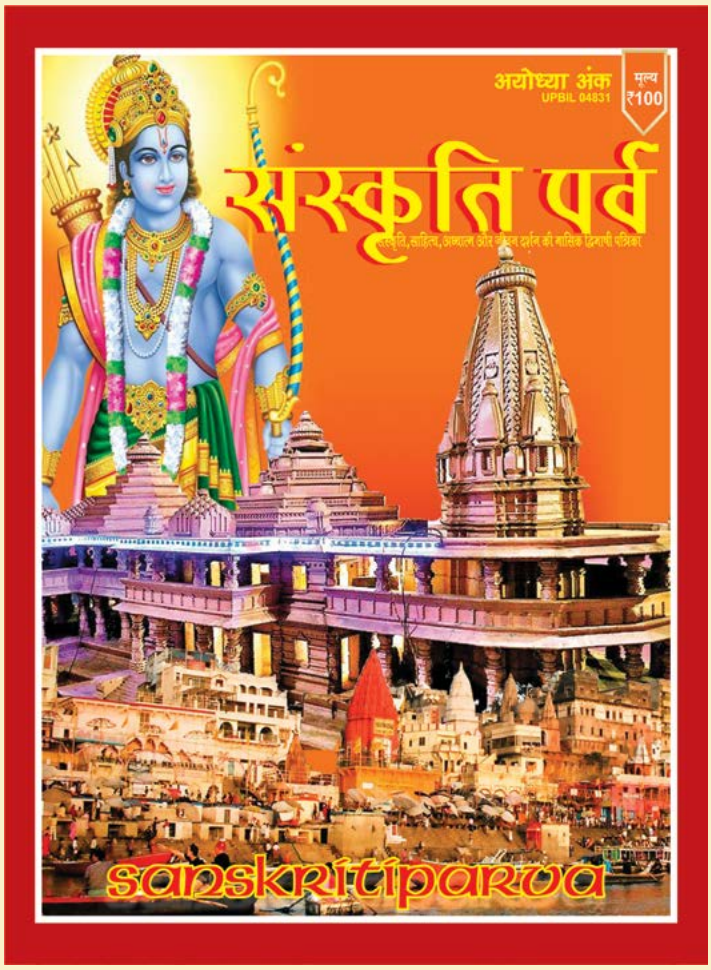

अयोध्या अंक
UPBIL 04831
मूल्य
₹100
संस्कृति पर्व
sanskritiparva

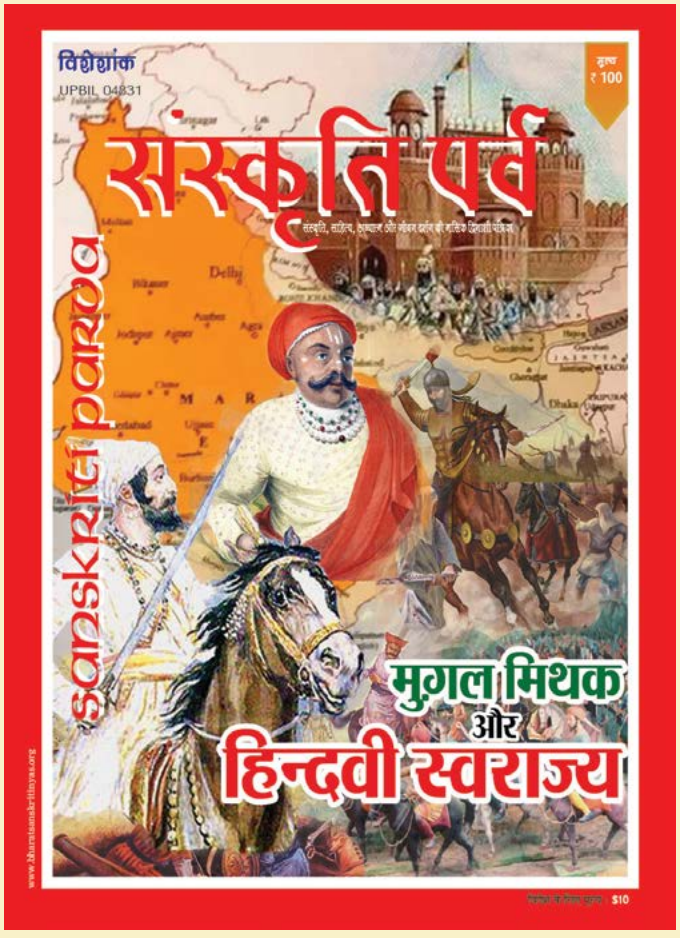

विशेषांक
UPBIL 04831
मूल्य
₹ 100
संस्कृति पर्व
sanskritiparva
मुगल मिथक
और
हिन्दवी स्वराज्य

भारत संस्कृति न्यास

उद्देश्य

- सनातन संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए सतत प्रयत्नशील
- राष्ट्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रयासरत
- प्राथमिक से स्नातक तक पाठ्यक्रम में संस्कृति शिक्षा को अनिवार्य रूप से शामिल कराने का प्रयास
- राष्ट्रीय संस्कृति आयोग का गठन एवं राष्ट्रीय संस्कृति दिवस के निर्धारण के लिए प्रयास

पत्र व्यवहार

बी–64, आवास विकास कालोनी, सूरजकुंड गोरखपुर–273001

1–454 वास्तुखण्ड, गोमती नगर लखनऊ–226010

✆ +91:–9450887186, +91:–9450887187

Follow us

पंजीकृत कार्यालय

बी–38, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली–110024

Contact : 011-24337573

bharatsanskritinyas@gmail.com

Website - www.bharatsanskritinyas.org